(1)

राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अङ्क 5] विधान सभा के पंचम् सत्र का 26वां दिवस [संख्या 20

बुधवार दिनांक 27 मार्च, 1974

(विधान सभा की बैठक म. पू. 11.01 बजे विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री रामकिशोर व्यास, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

[सार्वजनिक निर्माण, श्रम, शिक्षा, गृह, विद्युत, समाज कल्याण, सिंचाई, चिकित्सा, विधि एवं न्याय, उद्योग, यातायात अकाल राहत विभाग]

श्री अध्यक्ष : श्री भूराराम

आबू बाई पास रोड पर व्यय की गई राशि

499. श्री भूराराम (आबू) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) आबू बाई पास रोड़ का निर्माण कार्य कब से प्रारम्भ किया गया था? क्या यह सही है कि अभी तक इस रोड़ पर कंकरीट भी नहीं बिछाई गई?

(2) क्या यह भी सही है कि इस रोड़ पर छोटे छोटे नालों पर रपटें व छोटी पुलियों का निर्माण कार्य भी शुरू नहीं किया गया है? क्या राज्य सरकार इस रोड़ को पूर्ण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों?

निर्माण मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा):

(1) आबू बाई पास रोड़ का निर्माण कार्य वर्ष 1968-69 के अकाल राहत कार्यों में आरम्भ कराया गया था। 14 किलोमीटर में से 13.5 किलोमीटर में क्रास ड्रिनेज के कार्य को छोड़ कर मेटल रोड़ का निर्माण हो गया है।

(2) यह सही नहीं है कि सड़क पर क्रास ड्रिनेज कार्य आरम्भ नहीं हुए। 7 क्रास ड्रिनेज में से 2 छोटी पुलिया एवं एक बड़ा पुल निर्माण करा दिया गया है। शेष 4 में से एक बड़े नाले पर पीयर्स का काम पूरा हो गया है तथा 2 मीडियम में पीयर्स एवं एबेटमेंट तथा एक छोटी पुलिया पर एबेटमेंट का कार्य पूरा करा दिया गया है। उन पर डूकिंग का कार्य शेष है। जो अर्थाभाव के कारण नहीं हो पाये हैं। इनको शीघ्र पूरा कराने का प्रयत्न किया जायेगा।

श्री भूराराम : माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मन्त्री महोदय का

Page No 2

(2)

(श्री भूराराम)

ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह आबू बाई पास रोड़ गुजरात रोड से जुड़ा हुआ है। गुजरात की ओर से आने वाली जो रोड है, वह दो वर्ष पहले कम्प्लीट हो गई है। लेकिन जहां से राजस्थान की सीमा आरम्भ होती है, वहां से वैसी ही पड़ी हुई है। न तो वहां पर कंकरीट पड़ी है और न पुलिया बनी है। दूसरी जो समस्या है, वह भारी ट्रकों के आवागमन के कारण पैदा होती है। वहां पर इस कारण काफी एक्सीडेन्ट होते रहते हैं। इसलिए मैं आपसे जानना चाहूंगा कि यह जल्दी से जल्दी कब तक पूरी कर दी जायेगी ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, जिस सड़क का जिक्र किया गया है वह फैमिन रिलीफ में बनाई गई थी। प्लान में उसका कोई प्रावधान नहीं है। काफी काम हो चुका है। कुछ पुलिया अधूरी पड़ी हैं। जल्दी से जल्दी जहां तक सम्भव होगा, इसी वर्ष में करा दिया जायेगा। ताकि ऊपर से जो ट्रैफिक रुक जाता है वह नहीं रुके। जहां तक प्लान में लेकर करने का है, अभी मैं निश्चित नहीं कह सकता हूं।

प्रश्न संख्या 500

श्री अध्यक्ष : श्री योगेन्द्रनाथ हांडा। (अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

श्री जयकिशनलाल।

सुरक्षित स्थानों पर सीधी भर्ती

501. **श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) :** क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि केन्द्रीय सरकार ने अनुसुचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या के अनुपात को आधार बना कर सीधी भर्ती वाली नियुक्तियों में इन लोगों के लिए सुरक्षित स्थानों का प्रतिशत क्रमश: 15 व साढ़े 7% निश्चित किया है ?

(2) क्या यह भी सही है कि राजस्थान सरकार ने भी इस वर्ग को यहां की जनसंख्या के अनुपात से सीधी भर्ती से भरे जाने वाले पदों में क्रमश: 17 व 11 प्रतिशत निर्धारित किया है ?

(3) क्या यह भी सही है कि केन्द्रीय सरकार ने जितना प्रतिशत आरक्षण नियुक्तियों में किया है, उतना ही पदोन्नतियों में भी किया है ? यदि हां, तो राजस्थान सरकार ने पदोन्नतियों में क्रमश: 10 व 5% का जो निर्णय लिया है, उसका क्या आधार है ?

(4) क्या राजस्थान सरकार भी पदोन्नतियों में केन्द्रीय सरकार की भांति जनसंख्या के अनुपात को दृष्टिगत रखते हुए विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों नहीं ?

राज्य मंत्री गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत):

(1) भारत सरकार ने सीधी भर्ती वाली नियुक्तियों में आरक्षण का क्या आधार लिया है यह राज्य सरकार को ज्ञात नहीं है।

(2) जनसंख्या के अलावा इन जातियों में सामाजिक एवं शिक्षा स्तर में पिछड़ेपन होने के कारण 17 व 11% निर्धारित किया गया।

(3) जी हां।

(श्री गुलाबसिंह शक्तावत)

राज्य सरकार ने वर्तमान आरक्षण के प्रतिशत को निर्धारित करते समय सीधी भर्ती में निर्धारित प्रतिशत को भी ध्यान में रखा है। यदि दोनों प्रतिशत को समान किया जावे तो वह 50% से अधिक हो जाता है। जो भर्ती एवं आरक्षण के मूल सिद्धान्तों के विपरीत है।

(4) उपरोक्त स्थिति में प्रश्न नहीं उठता है।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले प्रश्न में मन्त्री महोदय ने बताया है कि हमको मालूम नहीं है। तो फिर हमको कैसे मालूम हो सकता है। यह सरकार के द्वारा ही मालूम हो सकता है। सरकार इसके अन्दर मालूम करे कि किस प्रकार की भर्ती के अन्दर भारत सरकार ने क्या आदेश किये हैं। उन नियमों को राजस्थान सरकार राजस्थान में लागू करेगी या नहीं ?

श्री नत्थासिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि क्या वह सदन में यह बतायेंगे, जो यह कहा है कि ध्यान में रखा जायेगा, यह बताने का कष्ट करेंगे ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : उत्तर में कहा जा चुका है।

श्री रामगोपाल : सीधी भर्ती का आधार गलत नहीं है, इसके बारे में क्या व्यवस्था करेंगे ?

एक माननीय सदस्य : राजस्थान सरकार ने जो 5% का निर्णय लिया है, उसका क्या आधार है ?

श्री अध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : जहां तक भर्ती का प्रश्न है, यह कहना सम्भव नहीं है कि जनसंख्या के अनुपात में भारत सरकार ने क्या निर्णय लिये हैं। प्रश्न संख्या 4 में आपने लिखा है कि भारत सरकार ने जनसंख्या के अनुपात के आधार पर सीधी भर्ती का निर्णय किया है। भारत सरकार ने किस आधार को मानकर किया है, यह हमारी जानकारी में नहीं है। यदि माननीय सदस्य चाहते हैं कि जानकारी प्राप्त की जाये तो वह कर ली जायेगी। नम्बर 2 में यह कहा है कि जनसंख्या के अलावा भी इन जातियों के पिछड़ेपन के कारण राजस्थान सरकार ने 17 व 11% निर्धारित किया है। इसमें आबादी ही नहीं पिछड़ेपन को भी ध्यान में रखा है।

श्री अध्यक्ष : श्री रामानन्द अग्रवाल।

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : 17 और 11 का प्रतिशत तो रखा है। राजस्थान पिछड़ा हुआ प्रदेश है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की संख्या अधिक है। तो मेरा यह निवेदन है कि इस हालत को देखते हुये क्योंकि इन जातियों में शिक्षित लोग भी अधिक बढ़ गये हैं, इसलिए उनका चयन करने की आवश्यकता है।

एक माननीय सदस्य : प्रतिशत बढ़ाने की आवश्यकता है।

श्री नत्थासिंह : मैं माननीय मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार की नीयत साफ है क्या ? यह कूटनीति क्या है ? इस आधार पर राजस्थान सरकार करेगी या नहीं ? आपकी नीयत है या नहीं ?

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : अध्यक्ष महोदय, एक प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं, प्रमोशन्स के बारे में जो रूल्स बने हुये हैं, सेन्ट्रल के रूल्स में और राजस्थान के रूल्स में जो बने हैं, उन नियमों में क्या भिन्नता है? अपने रूल्स बने हैं, उसमें रोस्टर सिस्टम और केरी फार्वर्ड की प्रणाली है, वह लागू की जायगी? यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री दीपंकर : एक सप्लीमेंट्री मैं पूछना चाहता हूं। क्या सरकार के ध्यान में यह है कि सीधी भर्ती के लायक शिड्यूल्ड कास्ट्स और शिडयूल्ड ट्राइब्स के लोग कितने बेकार हैं और कितनों को काम पर लगा दिया गया है, और कितनों को लगाने का इरादा है? भारत सरकार की नीति है सीधी भर्ती करने की उसे मूलतः स्वीकार करते हैं?

श्री भीमसेन : अभी वर्तमान में पुलिस फोर्स की संख्या कितनी है और उसमें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति के लोगों का क्या अनुपात है?

श्री रामकिशन : आप मन्त्री रहे हैं, क्या इसका जवाब आ जायगा?

श्री दीपंकर : एक हरिजन सुजानगढ़ में थानेदार था, क्या उसके साथ अभद्र व्यवहार करके उसको हटाया गया है?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : 17 पर्सेन्ट और 11 पर्सेन्ट को बढ़ाने का सवाल है, यह भारत सरकार के प्रतिशत से ज्यादा रखा गया है, इसलिए सीधी भर्ती में इसको बढ़ाने का इरादा नहीं है। पहले साढ़े बारह प्रतिशत था, उसको बढ़ा कर 28 पर्सेन्ट किया गया है।

माननीय सदस्यों ने अलग अलग सवाल पूछे हैं, उनका सम्बन्ध इस सवाल से नहीं है।

बाड़मेर से आने वाले माननीय सदस्य ने पूछा, प्रमोशन में भारत सरकार की और राजस्थान की नीति है, उसमें फर्क है? अवश्य फर्क है, भारत सरकार द्वारा सीधी भर्ती के लिए 15 पर्सेन्ट और साढ़े सात पर्सेन्ट रखा गया है और राजस्थान में 10 पर्सेन्ट और 5 पर्सेन्ट रखा गया है।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : मैं पूछ रहा था, अध्यक्ष महोदय, जो यह सिस्टम है, इसमें रोस्टर सिस्टम लागू करने को तैयार हैं? सेन्टर में केरी फार्वर्ड होता है, वह लागू किया जायगा या नहीं? सेन्टर जिस प्रकार का प्राविज़न करे उसी प्रकार राजस्थान गवर्नमेंट भी प्रमोशन के बारे में व्यवस्था करेगी?

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री रामानन्द!

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : 502!

श्री अध्यक्ष : Have you got authority.

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : Yes. I have given.

श्री अध्यक्ष : पूछिये।

राजकीय हायर सेकेण्डरी स्कूल मण्डावर के अध्यापक के साथ दुर्व्यवहार

502. **श्री मोहम्मद गफ्फार अली** (जौहरी बाजार, जयपुर) :

[श्री रामानन्द अग्रवाल (अलवर) की अनुपस्थिति में]

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

Page No 5

(5)

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

(1) क्या यह सही है कि श्री जगदीश चन्द्र कौशिक अध्यापक सेकिण्ड ग्रेड राजकीय हायर सेकेण्ड्री स्कूल मण्डावर मण्डी तहसील महुआ जिला सवाई माधोपुर ने प्रधानाध्यापक उक्त हायर सेकेण्डरी स्कूल को एक लिखित शिकायत दिनांक 11-1-73 को व्यापारी श्री मनोहर मुरारी के साजिश बन्द सर्वश्री महेन्द्र, किशन आदि काला बाजारियों द्वारा उन्हें उसी दिन पीटने के सम्बन्ध में की थी ? यदि हां, तो कृपया शिकायत पत्र की एक प्रतिलिपि सदन की मेज पर रक्खें।

(2) क्या यह सही हैं कि उक्त अध्यापक ने उक्त शिकायत पत्र में यह लिखा था कि उनको उक्त व्यापारी ने इसलिये पिटवाया है कि उन्होंने 10-1-73 को उक्त व्यापारी के खिलाफ खाद ब्लैक मार्केट में बेचने की शिकायत स्थानीय विकास अधिकारी से की थी ?

(3) क्या यह सही है कि प्रधानाध्यापक उक्त हायर सैकेण्डरी स्कूल ने श्री जगदीश चन्द्र कौशिक की शिकायत पर एक पत्र स्थानीय जिला एवं उप जिलाधीश तथा निदेशक प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा व निरीक्षक शिक्षा विभाग करौली को 12-1-1973 को लिखा था जिसमें उक्त अध्यापक के साथ की गई मारपीट के सम्बन्ध में सुरक्षात्मक एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही करने की मांग की थी ? यदि हां, तो उक्त पत्र की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सही है कि उक्त पत्र के प्राप्त होने के बाद शिक्षा विभाग द्वारा 20-1-73 को श्री जगदीश चन्द्र का ट्रांसफर करौली कर दिया गया ? यदि हां, तो क्यों ? उक्त अध्यापक के साथ व्यापारियों द्वारा मारपीट करने के सम्बन्ध में विभाग द्वारा क्या कदम उठाया गया ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त अध्यापक का ट्रांसफर दिनांक 20-2-73 को करौली से महुआ जिला सवाई माधोपुर और 1-5-73 को महुआ से ग्राम गोनेड़ा तहसील कोटपूतली में कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

(6) क्या यह सही है कि उक्त श्री जगदीश प्रसाद कौशिक और दूसरे अध्यापक श्री घनश्याम शर्मा को दिनांक 20-12-73 को थाना महुआ से तफतीश का बहाना कर मण्डावर ले गए और काला बाजारियों द्वारा दर्ज 5 माह पूर्व रिपोर्ट में उन्हें हथकड़ी पहना कर मण्डी के मध्य निकाला जिसकी रिपोर्ट श्री घनश्याम वर्मा ने अपने प्रधानाध्यापक को स्कूल खुलते ही मण्डावर में की ? क्या यह सही है कि प्रधानाध्यापक राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूल मण्डावर ने उक्त अध्यापक के साथ पुलिस के इस व्यवहार की रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को की ? यदि हां, तो शिक्षा विभाग ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की ?

(7) क्या यह सही है कि उक्त अध्यापक श्री जगदीश चन्द्र ने शिक्षा विभाग को यह प्रतिवेदन दिये हैं कि उनको दो मुकदमों की पैरवी के लिये 300 किलो मीटर गोनेड़ा से हिण्डोन, महुआ आना पड़ता हैं जिसके कारण उन्हें बहुत आर्थिक एवं समय का नुकसान उठाना पड़ता है, अतः उनको वापिस मण्डावर स्कूल में ट्रान्सफर

(श्री मोहम्मद गफ्फार अली)

कर दिया जावे ? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही हुई ?

शिक्षा मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां। शिकायत पत्र की प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) श्री जगदीशचन्द्र ने अपने शिकायती पत्र में इस प्रकार की शिकायत का उल्लेख नहीं किया है।

(3) तत्कालीन प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय मण्डावर ने श्री जगदीश चन्द्र कौशिक स. अ. द्वारा लिखे गये शिकायत पत्र को ही पृष्ठांकित कर 12-1-73 को अग्रसर कर दिया। प्रश्न के भाग (1) के उत्तर में उल्लिखित शिकायती पत्र में पृष्ठांकन अंकित है।

(4) प्रधानाध्यापक, उच्च माध्यमिक विद्यालय, मण्डावर के पत्र दिनांक 12-1-73 के प्राप्त होने पर विद्यालय निरीक्षक करौली दिनांक 17-1-73 को जांच हेतु मण्डावर महुआ रोड पहुंचे। तनावपूर्ण स्थिति होने के कारण श्री कौशिक को विद्यालय निरीक्षक कार्यालय में प्रतिनियुक्त किया गया।

(5) जी हां। तनावपूर्ण स्थिति होने के कारण ही इनका प्रशासनिक दृष्टि से स्थानान्तरण किया गया।

(6) प्रधानाध्यापक, राज. उच्च माध्यमिक विद्यालय, मण्डावर महुआ रोड के अनुसार श्री घनश्याम वर्मा का इस प्रसंग का कोई प्रार्थना-पत्र विद्यालय में प्राप्त नहीं हुआ है और न ही पत्रावली से यह साबित होता है कि तत्कालीन प्रधानाध्यापक ने इस संबंध में उच्चाधिकारियों को लिखा हो। जब पत्र ही प्राप्त नहीं हुआ तो कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

(7) विद्यालय निरीक्षक करौली के कार्यालय में ऐसा कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ है।

(कृपया परिशिष्ट 1 देखिये)

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मैं यह जानना चाहूंगा कि जो उसने रिपोर्ट की थी, उसके सम्बन्ध में कोई इन्क्वायरी चल रही है।

श्री खेतसिंह : उन्होंने रिपोर्ट मारपीट की की थी, वह कोई थैला लेने के लिये बाजार में गये थे खाद का। वह अध्यापक कोई इतने अच्छे अध्यापकों में से नहीं हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं अच्छे और बुरे की बात नहीं पूछ रहा हूं। मैं पूछ रहा हूं, इन्क्वायरी चल रही है या नहीं ?

श्री खेतसिंह : जो इन अध्यापक के खिलाफ शिकायत हैं, उनका इतना बड़ा पुलिन्दा है ?

श्री रामकिशन : इतना बड़ा पुलिन्दा हो सकता है।

श्री खेतसिंह : मैं निवेदन करना चाहता हूं, जो शिकायत की, उस शिकायत को तुरंत पुलिस में भेज दिया। पुलिस विभाग से प्रश्न पूछ रखा है, वह कल पहले नम्बर पर है, आ रहा है, आप उनसे पूछिये।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह अहम् प्रश्न है……

श्री अध्यक्ष : For your information रामानन्दजी ने आथोराइजेशन 26 तारीख तक के लिए किया था। आज के प्रश्नों का उल्लेख नहीं है। सुन लें, मेरी बात, मेरे पास आथोरिटी है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अब तो यह प्रापर्टी आफ हाउस हो गया है।

श्री अध्यक्ष : जो आथोरिटी लैटर है वह 26 तारीख तक का है, आज का नहीं है। मैंने इजाजत दे दी है, आपको सप्लीमेन्ट्री की इजाजत दे दी है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं अर्ज कर दूं ......

श्री केदारनाथ : एक प्रश्न। एक माह में तीन बार तबादला करने का आधार बताया है, तनावपूर्ण स्थिति थी। तनावपूर्ण स्थिति में एक जगह हो जाता, दो जगह क्यों किया गया ?

श्री रामकिशन : फिर भी तनाव बना हुआ है।

श्री खेतसिंह : ऐसा है, माननीय सदस्य, श्री कौशिक रहने वाले हैं मण्डावर के, मण्डावर और महुआ के बीच 20 मील का फासला है, एक रसीदपुरा गांव है जो मण्डावर और महुआ के बीच में आता है। इन्होंने गांव के लोगों को परेशान कर रखा था, सरपंच का हाथ तोड़ा था। सरपंच परेशान था, गांव वाले परेशान थे। मण्डावर में रहे तो दुकानदारों से लड़ाई की। इसलिये केस हुआ। उसके बाद में महुआ लगाया, वहां लोगों ने शिकायत की लड़ाकू है, तो वहां से हटाकर कोटपूतली में लगाना पड़ा।

श्री मोहम्द गफ्फार अली : पहली शिकायत......

श्री निरंजननाथ आचार्य : यह ठीक है, 20-1-73 को करौली से इनका ट्रान्सफर हुआ, 20-2-73 को करौली से महुआ हुआ, और 1-5-73 को महुआ से गोनेड़ा हुआ। और इनके खिलाफ हिण्डौन में एक मुकद्मा चल रहा है, ब्लेक मार्केटिंग के सम्बन्ध में, जो खाद निकालने का केस था, तो 300 मील दूर उस मुकद्मे की पैरवी के लिए गोनेड़ा से वहां पर जायं। यह शिक्षा विभाग की तरफ से पैनल्टी के रूप में मान लिया जाय कि 300 मील जायं और आयं, पैसा खर्च करें। यह पैनेल्टी है। इसको आप नहीं मानते हैं कि 300 मील के आधार पर कुछ सहूलियत अदालत तक जाने की दे सकते हैं।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, आम तौर पर माननीय सदस्य इस बात को मानेंगे, अध्यापकों के लिए मेरे दिल में बहुत ही स्थान है और मैं सहानुभूति ......

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं ऐसा आधार नहीं देख सका कि मैं मान सकूं। आप क्षमा करना मुझे।

श्री रामकिशन : दिल कौनसा है ?

श्री खेतसिंह : आप मजाक कर रहे हैं। आप इस बात को मानते हैं कि उनके लिए मेरे दिल में हमदर्दी है। इन अध्यापक के प्रति धारणा यह बन गई है कि यह बेहद शिकायती है। इनका शिकायतों का पुलिन्दा, निश्चित तौर पर निवेदन करता हूं, बहुत ज्यादा बढ़ गया है। इसलिए परेशान होकर वहां लगाना पड़ा है। मैं इसके अन्दर जांच करा लूंगा। इसमें है बड़ी परेशानी क्योंकि बड़े लड़ाकू हैं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट !

श्री जयकिशन लाल तोखावड़ा : मेरा निवेदन है, मन्त्री महोदय...

श्री रामकिशन : माननीय मन्त्री यह यह बतायें कि खाद की दुकान की शिकायत के सम्बन्ध में शिकायत की थी, उसमें क्या अध्यापक का नाम था, जिसके खिलाफ पुलिस ने केस रजिस्टर किया है ? जो पहली रिपोर्ट दुकानदार ने की थी उसमें क्या अध्यापक का नाम था ?

श्री खेतसिंह : दुकानदार ने शिकायत की थी, यह जब पुलिस का प्रश्न आये तो उनसे पूछना। मेरे से ताल्लुक नहीं है।

प्रश्न संख्या 503

श्री अध्यक्ष : श्री रमेशचन्द्र सैनिक !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 504

श्री बेगाराम !

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री निरंजननाथ आचार्य।

श्री रामकिशन : आपके दिल की तो हाउस दाद देता है।

लोक आयुक्त को सौंपे गये मामले

505. श्री निरंजननाथ आचार्य : क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

1. लोक आयुक्त कानून प्रभावशील होने के पूर्व विजिलेन्स कमीशन के अधिकार में किन किन आई० ए० एस०, आई० पी० एस०, आर० ए० एस० एवं इन्जीनियर्स के विरुद्ध भ्रष्टाचार के मामले विचारणीय थे और उनमें से किन किन के विरुद्ध प्राइमा-फेसी केस निर्धारित हो गये थे ?

कृपया ऐसे मामलात की सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

2. क्या यह सही है कि लोक आयुक्त कानून प्रभावशील होने के पश्चात् उपरोक्त राज्याधिकारियों के विरुद्ध चल रहे भ्रष्टाचार के मामलों की कार्यवाही स्थगित हो गई है ? यदि हां, तो क्यों ? और यदि नहीं, तो कार्यवाही कौन कर रहा है ?

राज्य मंत्री (श्री गुलाबसिंह शक्तावत): अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न को स्थगित करने के लिए निवेदन किया है। इसे स्थगित किया जाय।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं जानता था, इसका उत्तर कभी यहां नहीं आ सकता है। यह मानकर चलता था।

श्री अध्यक्ष : इसी ख्याल से पूछा है। स्थगित।

श्री रामचन्द्र पटेल।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के मोहल्लों में विद्युत व्यवस्था पर व्यय की गई राशि

506. श्री रामचन्द्र पटेल: (सिकराय): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) गांधी जन्म शताब्दी वर्ष से लेकर अब तक सरकार ने कितनी राशि आदिवासी व अनुसूचित जाति के मोहल्लों में बिजली लगाने पर खर्च की ?

(श्री रामचन्द्र पटेल)

(2) क्या सरकार ने तहसील सिकराय के ग्राम सिकन्दरा मानपुर व सिकराय के अनुसूचित जनजाति के मोहल्लों में विद्युतीकरण करवा दिया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(3) क्या सरकार उक्त स्थानों पर विद्युतीकरण करने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

विद्युत मंत्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : (1) गांधी शताब्दी वर्ष से लेकर अब तक राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल आदिवासी, अनुसूचित जाति व हरिजनों के मोहल्लों में बिजली लगाने हेतु करीब 67.00 लाख रुपये खर्च कर चुका है ।

(2) मानपुर व सिकराय की पंचायतों से कोई भी प्रार्थना-पत्र या मासिक बिजली के बिलों के भुगतान वहन करने की अण्डरटेकिंग मण्डल को प्राप्त नहीं हुई है । अतः इन गांवों की हरिजन, अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति बस्तियों के विद्युतीकरण की स्वीकृति नहीं दी जा सकी । सिकन्दरा से इसी वर्ष फरवरी में प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है जिसके लिए एस्टीमेट बनाने की कार्यवाही की जा रही है ।

(3) जी हां । सिकन्दरा के लिये एस्टीमेट बनाने की कार्यवाही की जा रही है । शेष दोनों पंचायतें यदि बिजली के माहवारी बिल का खर्चा वहन करने की अण्डरटेकिंग देने को तैयार हों तो मण्डल इन ग्रामों के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के मोहल्लों के विद्युतीकरण की स्वीकृति देने पर विचार कर सकता है ।

श्री रामचन्द्र पटेल : माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने फर्माया कि मांग-पत्र वगैरह नहीं आये । मैं मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि मानपुर, सिकन्दरा और सिकराय से आज से दो साल पहले मांग-पत्र पहुंच गये हैं, एस्टीमेट वगैरह पहुंच गये हैं । ग्राम पंचायत को, जितना खर्चा मोहल्लों को करना चाहिए, उसकी लिखा-पढ़ी विभाग को पहुंच गयी है और मण्डल अधिकारी से पर्सनली कान्टेक्ट किया है । लेकिन आज तक ध्यान नहीं दिया गया है । ऐसा है कि जल्दी से जल्दी अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मोहल्लों को बिजली पहुंचाने का ख्याल रखें ।

श्री दीपंकर : एक सप्लीमेंट्री मेरा भी है, इसी के साथ जवाब दे दें ।

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं बाद में जवाब दे दूंगा ।

श्री दीपंकर : बहुत छोटा है ।

श्री हीरालाल देवपुरा : आपके प्रश्न का भी जवाब दे दूंगा ।

अध्यक्ष महोदय, मैंने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के मोहल्लों में बिजली लगाने के लिए इन्कार नहीं किया है । मैंने एक बात कही है मानपुर, पंचायत, सिकराय पंचायत को अण्डरटेकिंग माहवारी बिल के भुगतान की करनी चाहिए, वह नहीं की है, इसलिए वहां पर स्वीकृति नहीं दी जा सकी है । माननीय सदस्य ने कहा कि वहां की पंचायत ने लिखकर भेजा है, यह तथ्य बताया, इसकी जांच करा लूंगा जैसा कहा कि अण्डरटेकिंग दी गई है, उसको यदि रोका गया है और मुझे नहीं बताया है तो ऐसे अधिकारी के खिलाफ कार्यवाही

(10)

(श्री हीरालाल देवपुरा)

करूंगा । अण्डरटेकिंग आने पर अवश्य बिजली लगाई जायगी इन मोहल्लों में ।

श्री दिनेशराय डांगी : विधान सभा के इस सत्र में पहले भी कहा गया था कि जहां जहां विद्युतीकरण होता है गांवों में, अनुसूचित जाति और जनजाति के मोहल्लों में पहले भी कई परिपत्र जारी किए गए हैं, वहां बिजली पहले दी जाएगी और उसके बाद अन्य मोहल्लों में । इसके लिए अलग से प्रावधान रखा जाता है, बार बार शिकायतें आती हैं । जहां भी विद्युतीकरण हो, पहले अनुसूचित जाति व जनजाति के मोहल्लों को दी जाए, उसके बाद अन्य लोगों को दी जाए, इसके लिए सरकार क्या कहना चाहती है ?

श्री दीपंकर : इस प्रश्न का प्रथम चरण ऐसा है कि जो व्यापकरूप से संपूर्ण राजस्थान की समस्याओं की जानकारी प्राप्त करने में समर्थ है, वह यह कि गांधी शताब्दी वर्ष में जिन जिन गांवों को इलेक्ट्रीफाई करने के सिलसिले में समाज कल्याण विभाग ने राशि दी, उस राशि को आपके विभाग में जमा करा दिया गया तो कौन कौन से जिलों में कितनी रकम बकाया है । खुद नागौर जिले में कितने ही गांवों में हरिजन मोहल्लों के लिए बिजली देने के लिए रकम वर्षों से जमा करा रखी हैं लेकिन उनको इलेक्ट्रीफाइ नहीं कर रहे हैं ।

श्री मीठालाल : दौसा में मंडावर के लिए 10 साल पहले घोषणा की गई थी कि बिजली लगा देंगे उसके लिए ए०ई०एन दौसा से पूछें......

श्री जयकिशन लाल तोसावड़ा : अनुसूचित जाति व जनजाति के मोहल्लों के अंदर बिजली लगाने की योजना बना दी है लेकिन मेरा निवेदन है कि इस प्रकार का सर्वेक्षण करा लिया जाय तो आपको स्पष्टरूप से मालूम पड़ेगा कि किन किन मोहल्लों के अन्दर यह योजना लागू कर दी गई, उदाहरण के लिए चाकसू कस्बे में हरिजन बस्तियों व रेलवे बस्ती में पोल्स लगे हुए हैं लेकिन आज तक बिजली नहीं पहुंचाई गई । योजना भी मन्जूर हो गई है । तो सरकार के सामने इस प्रकार की नीति है कि सर्वप्रथम हरिजन मोहल्लों के अन्दर योजना बनाकर बिजली दी जायगी उसके बाद दूसरों के पास पहुंचाई जायगी ।

श्री मूलचन्द सामरिया : हम आपकी घोषणाओं में कतई विश्वास नहीं करते । लेकिन जिन गांवों में बिजली लगाई जाती है, वहां सार्वजनिक स्थानों पर हरिजन और आदिवासियों के अलावा जो बिजली के कनेक्शन्स दिए जाते हैं उनका पेमेंट जब पंचायत करती है तो फिर उन पर लाजमीतौर से जिम्मेदारी होगी कि किस गांव में बिजली लग चुकी है, हरिजन मोहल्लों में बिजली विद्युत मण्डल द्वारा लगायें और उसकी वसूली पंचायत से की जाए, इस प्रकार के मैन्डेटरी प्रोवीजन्स कर सकते हैं ।

श्री मीठालाल : मण्डावर बस्ती में बिजली मौजूद है । तत्कालीन मुख्य मन्त्री ने घोषणा की थी कि इन बस्तियों को शीघ्र बिजली दी जाएगी, $1\frac{1}{2}$ साल हो गया इस बारे में निश्चित घोषणा करें कि कब तक लगा देंगे ?

श्री नत्थासिंह (नदबई) : मैं मन्त्री महोदय से पूछना चाहता हूं कि भरतपुर जिले में 65 गांवों में बिजली लगी है और बस्तियों में भी लगी है और मोहल्लों में पोल्स गड़ चुके हैं लेकिन हरिजन बस्तियों में, जहां शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लोग रहते हैं, बिजली नहीं लगी है, आप इसका सर्वे करा कर सदन में इस बात को बतावें। अगर जानकारी हो तो बतायें कि 65 गांवों में हरिजन बस्तियों में इन इन मोहल्लों में बिजली लगाई है।

श्री रामलाल (बाड़ी) : बछेरी में लट्टू लगे हुए हैं हरिजन मोहल्लों में लेकिन बिजली नहीं लगी।

एक माननीय सदस्य : यह तो आधे घन्टे की बहस हो गई।

(कई माननीय सदस्य साथ साथ बोलने लगे)

श्री भोमाराम : डीडवाना में शिड्यूल्ड कास्ट्स व शिड्यूल्ड ट्राइब्स के कई मोहल्लों के अन्दर बिजली नहीं लगी ··

श्री उम्मेदीलाल : हमारे यहां हरिजनों ने पैसा भी जमा कराया दो साल हो गये लेकिन अभी तक बिजली नहीं पहुंची।

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, वह सीमित प्रश्न था और उसी का मैंने जवाब दिया, आपने केवल राशि पूछी, वह मैंने बतादी। विभिन्न गांवों व विभिन्न जिलों की बात नहीं पूछी गई। माननीय सदस्य चाहें तो अलग से प्रश्न पूछें। लेकिन मैं एक चीज का जवाब देना चाहता हूं। अभी पूछा गया कि हरिजन मोहल्लों के बारे में राज्य सरकार की ओर से कई बार कहा गया और प्रावधान भी है लेकिन फिर भी वहां बिजली नहीं लगाई, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो नए गांव होते हैं, जब से घोषणा की गई है, बस्तियों में जो बिजली दी गई है, वहां हमने आदेश कर रखे हैं कि पहले हरिजन मोहल्लों में बिजली जाएगी, उसके बाद दूसरे मोहल्लों में जाएगी। यह उन गांवों का सवाल है जिनमें इस घोषणा से पूर्व ही विद्युतीकरण हो चुका था। जहां पर यह बताया गया है कि लट्टू लग चुके हैं, विद्युत मंडल यह खर्चा नहीं करता, वहां पर बिजली लगाने का और माहवार बिजली के भुगतान का काम पंचायतों का है। अगर पंचायत अंडरटेकिंग देती है तो विद्युत मंडल को ऐतराज नहीं है कि बिजली पहुंचाई जाए। जहां पर भी अंडरटेकिंग पंचायत से मिल जाएगी नए गांवों के लिए तो पहले हरिजन मोहल्लों में बिजली पहुंचेगी उसके बाद दूसरे मोहल्लों में।

(शासन पक्ष द्वारा हर्षध्वनि)

श्री मूलचन्द सामरिया : बजाओ तालियां, चमचागीरी करते रहो।

श्री अध्यक्ष : श्री केशरीमल।

अजमेर जिले के अकाल सहायता कार्यों पर लगे मजदूरों की बकाया

507. **श्री केशरीमल** (ब्यावर) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अजमेर जिले में अकाल राहत कार्यों पर काम करने वाले श्रमिकों के मजदूरी के पैसे अभी तक

(श्री केशरीमल)

भी बकाया है ? यदि हां, तो कितने ? पंचायत समितिवार राशि दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त राशि किस किस विभाग द्वारा कराए गए कार्य की बाकी रही है ? सूची सदन के पटल पर रखने का कष्ट करें।

(3) राज्य सरकार उक्त बकाया राशि अब श्रमिकों को कब तक दिला देगी ?

राज्य मंत्री, गृह (श्री गुलाबसिंह शक्तावत) :

(1) जी हां। मजदूरी की कुछ राशि चुकाने से शेष है। बकाया मजदूरी की यह राशि 1,23,379-25 रु० है। इसका पंचायत समितिवार ब्योरा सदन की मेज पर पेश कर दिया गया है।

(2) बकाया राशि का अभिकरण वार ब्योरा निम्न प्रकार है:—

(1)	सा० नि० विभाग	1,02,656.37
(2)	सिचाई विभाग	19,271.47
(3)	वन विभाग	1,451.41
	योग	1,23,379.25

(3) बकाया राशि के चुकारे की शीघ्र व्यवस्था कर दी जावेगी।

(कृपया परिशिष्ट 2 देखिये)

श्री केशरीमल : शीघ्र का मतलब कब तक व्यवस्था की जायगी ? अकाल के समय का जो पैसा है अभी तक नहीं दिया गया वह कब तक दे देंगे ?

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : हमने सा० नि० विभाग, सिचाई विभाग व वन विभाग के विभागाध्यक्षों से पूछा है कि उनको अकाल सहायता कार्यों की रकम के चुकारे के लिए कितनी राशि की आवश्यकता है। कुछ जगह से अभी जानकारी पूरी प्राप्त नहीं हुई है। सूचना प्राप्त होते ही अकाल सहायता विभाग पूरी राशि का चुकारा कर देगा।

श्री दीपंकर : पंचायत समितियों के मार्फत यह रकम जल्दी बटवाएं।

श्री अध्यक्ष : हमेशा आप अध्यक्ष की दृष्टि पड़ने पर ही कृपया बोलें।

श्री दीपंकर : मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपकी तरफ...

श्री अध्यक्ष : अभी तो निवेदन किया, फिर वही बात ?

श्री दीपंकर : मैं आपके हुक्म की तामील करता हूं। कतई आपके आदेश की अवहेलना नहीं करना चाहता लेकिन मैं सप्लीमेंट्री प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य। स्थान ग्रहण करें। मैंने आपको सप्लीमेंट्री करने के लिए मना नहीं किया है। लेकिन आप मेरी दृष्टि की तरफ देख लें। फिर प्रश्न पूछें।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा : अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है। अध्यक्ष महोदय, अकाल के समय कई जगहों पर काम चलते

(श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा)

थे और उसमें जिन लोगों के पैसे बाकी हैं उनके पेमेन्ट्स के लिए आप पंचायत समितियों के माध्यम से बटवावें तो ठीक रहेगा। पंचायतों के माध्यम से आप पैसे दिलवायेंगे तो वह सही व्यक्तियों को सही गांव जाकर पैसे दे देंगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो सही मजदूरों को उनकी मजदूरी नहीं मिलेगी। अध्यक्ष महोदय, आज ऐसे कई व्यक्ति हैं जिनको पैसा नहीं मिला, जिसके कारण अनपेड पैसा पड़ा हुआ है। आज इतने साल हो गये, मस्टर रोल पड़े हुए हैं, कइयों में आब्जेक्शन्स भी पूरे नहीं हुए हैं। तो मेरा प्रश्न यह है कि अनपेड पैसा अब उन श्रमिकों में कब तक बंटवा देंगे? क्योंकि जब हम अपने इलाके में जाते हैं तब वह मजदूर लोग हमें अपनी मजदूरी दिलाने के बारे में पूछते हैं। वह लोग बार बार इस लिए पूछते हैं कि वहां के लोगों को पहले मन्त्री महोदय ने यह आश्वासन दिया था कि उनकी बकाया मजदूरी उन्हें मिल जावेगी। तो मैं मन्त्री महोदय से यह स्पष्ट पूछना चाहूंगा कि वह बकाया कब तक उन लोगों में बंटवा देंगे? इसका फाइनल फैसला कब तक हो जायेगा?

श्री अध्यक्ष: श्री दीपंकर।

श्री दीपंकर: अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मन्त्री महोदय से यह जानना चाहता था कि यह जो अकाल राहत के काम चले थे उसमें कई लोगों की मजदूरी बाकी रह गयी थी वह आप कब तक उन मजदूरों को बंटवा देंगे? इसके साथ साथ मैं यह भी सुझाव देना चाहूंगा कि बकाया पैसों को पंचायत समितियों के माध्यम से बंटवा दिया जाय ताकि उन पंचायत समितियों में जो काम करते हैं वह लोग उन गांवों में जाकर उन श्रमिकों को उनकी बकाया चुका दे और उनको बकाया पैसों के लिए इधर उधर जाना नहीं पड़े। क्या सरकार ऐसा करने का विचार रखती है?

श्री भानुकुमार शास्त्री: अध्यक्ष महोदय, जब मन्त्री महोदय यह कहते हैं कि बकाया राशि मजदूरों की बाकी है और हम देना चाहते हैं तो क्यों नहीं दे रहे हैं? और यह कहते हैं कि हम जानकारी कर रहे हैं तो आज एक साल से ज्यादा अर्सा हो गया है क्या राज्य सरकार अभी तक भी जानकारी नहीं कर सकी। यह जानकारी तब होगी जब कि वह लोग भूखे मर जायेंगे या भूख के कारण तड़फेंगे और उसके बाद में राज्य सरकार से झगड़ा करेंगे या घेराव करेंगे तब पेमेंट करेंगे क्या? आज उदयपुर जिले के कई गांवों में लोगों को दो दो महीने के पेमेंट बाकी हैं दो दो हजार लोगों के उनका पेमेंट अभी तक क्यों नहीं हुआ, इसका कारण स्पष्ट राज्य सरकार बतावे तथा स्पष्ट यह भी बतावें कि कब तक पेमेंट उन्हें हो जायेगा?

श्री उम्मेदीलाल: अध्यक्ष महोदय, इसके बारे में मैं भी कुछ निवेदन करना चाहूंगा। अध्यक्ष महोदय, आज जो यह बकाया है वह वास्तव में या तो हरिजनों का या आदिवासी लोगों का या पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उनका बकाया है इसलिए मेरा मन्त्री महोदय से यह प्रश्न है कि यह बकाया उन लोगों को आप कब तक दिलवा देंगे?

(शोरगुल, अश्रव्य)

Page No 14

(14)

श्री अध्यक्ष : माननीय सदस्य स्थान ग्रहण करें।

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं एक स्पेसिफिक प्रश्न मन्त्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि क्या आपके पास इतने फिनान्सेज हैं कि आप यह सारी बकाया राशि उन लेबरर्स को चुका पायेंगे।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : क्या राज्य सरकार के खजाने में इतना पैसा है कि जो आप भुगतान कर देंगे।

श्री मोहनराज : अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि आखिर यह राशि बकाया क्यों पड़ी हुई है और अगर राज्य सरकार उनको पेमेन्ट करना चाहती है तो मेरा निवेदन है कि जहां जहां की राशि बकाया है उन उन जगहों के जिलाधीशों के पास यह पैसे भेजते हैं और वह पैसे बाद में जिलाधीश अपने अधिकारियों द्वारा उन मौकों पर भेजते हैं चूंकि काफी समय है इसलिये जब वह लोग वहां जाते हैं तो उनको वहां पर वह मजदूर लोग मिलते नहीं है और इस तरह से वह पैसा वापिस खजाने में जमा करवा देते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि वह पैसा उन पंचायत समितियों के मारफत उन मजदूरों को पेमेन्ट करवा दिया जाय। उन पंचायत समितियों को आप लिस्ट भेज दें ताकि बाद में उस लिस्ट के अनुसार वहां या तो पंचायत समिति के बी. डी. ओ. या और कोई एक्सटेन्शन आफिसर के द्वारा उनका पेमेन्ट करवा दिया जायेगा। इसमें मजदूरों को इधर उधर चक्कर काटने की जरूरत नहीं रहेगी और समस्या का हल भी हो जायेगा।

श्री अध्यक्ष : श्री मन्त्री महोदय।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत (अकाल राहत राज्य मन्त्री) : अध्यक्ष महोदय, मेरा इसमें यह निवेदन है कि एक मस्टर रोल में या तो एक या दो व्यक्ति या किसी में 5-7 व्यक्ति बाकी रह गये हैं ऐसा तो है नहीं कि पूरे मस्टर रोल्स का ही पेमेन्ट नहीं हुआ है। इसके अलावा चूंकि हमने अलग अलग एजेन्सियों से अकाल के वक्त काम करवाया था इसलिए अलग अलग अधिकारियों से पेमेन्ट करवाया जायेगा। कहीं पर हमने चीफ इन्जीनियर पी० डब्लू० डी० के मारफत या चीफ इन्जीनियर इर्रीगेशन के थ्रू करवाया या चीफ कन्जरवेटर आफ फोरेस्ट के मारफत या साइल कन्जरवेशन के अधिकारियों के मारफत करवाया है तो हम अभी तक उनसे जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। कुछ जगहों की तो सूचनायें आ गई हैं और कुछ जगहों की सूचनायें आनी बकाया हैं उनके आने पर उन्हें चुका दिया जायेगा। इन अकाल राहत कार्यों के लिए चुकाने के लिए खजाने के पास पैसा है या नहीं इसके लिये मेरा इतना ही निवेदन है कि राज्य सरकार के पास अगर कमी होगी तो भी वह कहीं से लेकर चुकावेगी।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट श्री भीमसेन।

श्री भीमसेन : प्रश्न संख्या 508।

श्री केशरीमल : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न था मैं एक सप्लीमेन्ट्री प्रश्न पूछना चाहता हूं। मुझे यह सूचना प्राप्त हुई है कि यह बकाया राशि जो थी वह कई जगहों पर बिना उन मजदूरों को पेमेन्ट किये ही बेजा तरीके से उठाली गई है और आज कई मजदूर इधर उधर भटकते फिर रहे हैं अपने पैसों के लिए मगर कोई उनकी सुनता ही नहीं है।

श्री गुलाबसिंह शक्तावत : ऐसी मेरे पास कोई सूचना ही नहीं आयी है और अगर इसके बारे में शिकायत आयेगी तो मैं उसकी जांच करवाऊंगा और इसमें जो दोषी पाया जायेगा उसके खिलाफ एक्शन लिया जावेगा।

श्री केशरीमल : शिकायत तो मैं कर रहा हूं ना।

श्री जयकिशन लाल : अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सप्लीमेन्ट्री प्रश्न है। अभी जैसा कि मन्त्री महोदय ने कहा कि एक दो या चार पांच सात व्यक्तियों को ही पेमेन्ट होना बाकी है। कोई पूरा का पूरा मस्टररोल तो अनपेड बकाया है नहीं। उनके बारे में यह कहना चाहूंगा कि आज मेरे निर्वाचन क्षेत्र में फागी तहसील में कई गांवों के मस्टररोल पूरे के पूरे अनपेड पड़े हैं। फागी तहसील का मंडावरी ग्राम में जहां अकाल राहत कार्य चला था वहां का पूरा मस्टररोल के पेमेन्ट होने बाकी हैं। इसी प्रकार फागी के हरसूलिया ग्राम है वहां पर भी पेमेन्ट होना बाकी है। इसके अलावा फागी तहसील में एक गांव सालमपुर है वहां भी अकाल राहत का मजदूरों का पूरा मस्टररोल पेमेन्ट होना बाकी है। आखिर उनको पेमेन्ट तो होना चाहिये। आज कोई गरीबों की कोई सुन ही नहीं रहा है। आखिर यह कब तक पेमेन्ट हो जायेंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री भीमसेन चौधरी।

पांचवीं पंचवर्षीय योजना में शिक्षा के विकास के लिये प्रावधान

508. **श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :** क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) पांचवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्रीय एवं राज्य योजना अन्तर्गत प्राथमिक, माध्यमिक, कॉलेज एवं युनिवर्सिटी स्तर की शिक्षा हेतु कितना कितना प्रावधान किया गया है ?

(2) उपरोक्त प्रावधान के अन्तर्गत कितने कितने प्राथमिक, माध्यमिक शालायें कालेजेज एवं युनिवर्सिटी खोलने का प्रावधान है।

शिक्षा मन्त्री (श्री खेतसिंह): (1) पांचवीं पंचवर्षीय योजना में प्राथमिक शिक्षा के लिये 32.79 करोड़ रुपये, माध्यमिक शिक्षा के लिये 11.50 करोड़ रुपये व कॉलेज एवं युनीवर्सिटी स्तर की शिक्षा के लिये राज्य योजना से 684 लाख रुपये व केन्द्रीय योजना से 421.00 लाख रुपये का प्रावधान रखा गया है। इस प्रावधान को अभी अन्तिम रूप नहीं दिया गया है।

(2) उपरोक्त प्रावधान के अन्तर्गत निम्नलिखित शालाएं खोलने का प्रावधान रखा गया है :—

(1)	प्राथमिक शाला	1000
(2)	प्राथमिक शाला से उच्च प्राथमिक शाला में क्रमोन्नत	500
(3)	उच्च प्राथमिक शाला से माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत	200
(4)	माध्यमिक शाला से उच्च माध्यमिक शाला में क्रमोन्नत	50
(5)	नये कालेजेज	7

(कई सदस्यों के उठकर बोलने खड़े होने पर अशान्ति)

श्री भीमसेन : राज्य सरकार पंचम पंचवर्षीय योजना में कोई विशेष प्रयास इसके अलावा अखिल भारतीय स्तर पर कर रही है, क्या ?

श्री खेतसिंह : यह मैंने जो आपको प्रश्न के जवाब में बताया है उससे ज्यादा कुछ नहीं कर रही है।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री गोपाल जोशी : अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से यह निवेदन है कि ऐसा सुनने में आया है कि राजस्थान में कहां पर युनिवर्सिटी खोली जाय उसके लिये एक कमेटी जो कालूलाल श्रीमाली की अध्यक्षता में गठित की गई थी उसकी रिपोर्ट आ गई है उसमें उन्होंने कहां कहां पर युनिवर्सिटी खोलने के लिये सिफारिश की है क्या उन्होंने बीकानेर में रेजीडेन्शियल युनीवर्सिटी खोलने की सिफारिश की है क्या ?

श्री केदारनाथ : क्या श्रीमाली कमेटी की रिपोर्ट गवर्नमेंट के पास आ गयी है ? इसके अलावा क्या राज्य सरकार जो पंचवर्षीय योजना के अन्त तक 74 करोड़ की कमी करेगी क्या वह भी शिक्षा के बजट में तो नहीं होगी इसके लिये मिनिस्टर महोदय क्या रिप्लाइ दे रहे हैं ?

श्री खेतसिंह : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहता हूं कि अभी तक राज्य सरकार के पास कालूलाल श्रीमाली कमेटी की रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। उसमें उन्होंने क्या सिफारिश की है और कहां कहां पर कालेजेज या युनीवर्सिटी खोली जायगी उसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकता। दूसरा प्रश्न यह है कि फिफ्थ फाइव इयर प्लान के अन्तर्गत जो 74 करोड़ रुपये की कटौती हमें करनी है उसके लिए मेरा निवेदन है कि यह प्रश्न शिक्षा विभाग से सम्बन्धित नहीं है प्लानिंग डिपार्टमेंट से सम्बन्धित है इसके लिये आप अलग से प्लानिंग डिपार्टमेंट से पूछें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट।

श्री भीमसेन : अध्यक्ष महोदय, हमने जो संविधान में यह कहा है कि चौदह साल के बच्चे को कम्पलसरी एजूकेशन देंगे उसको आप नई स्कूलें जो प्राथमिक शालायें खोल रहे हैं वह पूरी कर लेंगे।

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को यह निवेदन करना चाहता हूं कि जिस दिन शिक्षा की डिमान्ड चल रही थी उस दिन मैंने रात को 10.15 से 11.15 बजे तक जवाब दिया था उस वक्त तो माननीय सदस्य हाजिर नहीं थे और अब उसकी जानकारी चाहते हैं तो यह अब मेरे लिये पोसीबल नहीं है कि मैं वापिस पूरा का पूरा स्टेटमेंट दूं।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट ! श्री मूलचन्द सामरिया।

ग्राम सिद्ध का गुवाड़ा में पानी रोकने पर व्यय की गयी राशि

509. **श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा):**

श्री लक्ष्मीनारायण (थानागाजी) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या ग्राम सिद्ध का गुवाड़ा तहसील थाना गाजी में नदी पर व ग्राम लोसल

(श्री लक्ष्मीनारायण)

तहसील राजगढ़ में सरकार द्वारा पानी रोका गया ?

(2) यह कार्य कब प्रारम्भ हुआ एवं कब समाप्त हुआ।

(3) इस कार्य पर कुल कितनी धन-राशि खर्च की गई ?

(4) क्या इस कार्य को ठेकेदारों को ठेके पर देकर कोटेशन्स लेकर पूरा किया गया यदि नहीं तो क्यों व किस प्रकार पूरा किया गया।

(5) अब इसमें कितना पानी रुकता है और इसकी क्या उपयोगिता है ?

सिंचाई मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा) : ग्राम सिद्ध का गुवाड़ा के निकट नदी पर पानी नहीं रोका गया। लोसल एनीकट पर पानी रोका गया था। लोसल तालाब पर पानी नहीं रोका गया।

(2) ग्राम सिद्ध का गुवाड़ा बान्ध का कार्य जून, 1971 में प्रारम्भ किया तथा जुलाई, 1972 में बन्द किया गया। लोसल एनीकट का कार्य जनवरी, 1970 में जिलाधीश, अलवर द्वारा अकाल सहायता में राशि उपलब्ध कराने के पश्चात् दिनांक 20-8-70 को प्रारम्भ किया तथा 10-5-71 को पूरा हुआ। लोसल तालाब का कार्य मार्च, 1972 में प्रारम्भ किया तथा अप्रेल, 1972 में रोक दिया।

(3) ग्राम सिद्ध का गुवाड़ा के एनीकट पर 15,640 रुपये व्यय हुए। लोसल एनीकट पर 10,824 रुपये व्यय हुए। लोसल तालाब पर 1878 रुपये 50 पैसे व्यय हुए।

(4) केवल लोसल एनीकट का कार्य ठेकेदार द्वारा करवाया गया था। बाकी के दो काम विभाग द्वारा कराये गये थे।

(5) ग्राम सिद्ध का गुवाड़ा का एनीकट पूरा न होने के कारण इसमें पानी नहीं रोका जा सकता। लोसल एनीकट में 4 फीट पानी रोका जाता है जिससे आसपास के कुओं को लाभ होता है। लोसल तालाब का कार्य पूरा न होने से पानी नहीं रोका जा सकता।

श्री मूलचन्द सामरिया : मन्त्री महोदय जो जवाब दे रहे हैं वह गलत है क्योंकि वहां पर पानी रुकता है और वह सिंचाई के काम आ सकता है.......

श्री हीरालाल देवपुरा: अध्यक्ष महोदय, वहां पानी रुकता नहीं है जब बरसात आती है तो वहां पर पानी थोड़ा इकट्ठा हो जाता है। वह पानी सिंचाई के काम में नहीं आता है। वहां जो बरसात में पानी इकट्ठा होता है उससे वहां के आस पास के कुओं में पानी बढ़ जाता है।

श्री मूलचन्द सामरिया : अध्यक्ष महोदय, वहां पर कोई काम नहीं हुआ है कोई एनीकट का काम नहीं हुआ। कोई एनीकट नहीं बना है आप चाहें तो देख सकते हैं।

श्री हीरालाल देवपुरा: अध्यक्ष महोदय, वहां पर मेरे पास सूचना है कि एनीकट बना हुआ है।

Page No 18

(18)

श्री मूलचन्द सामरिया : आप चल के देख सकते हैं। आप मेरे साथ चलें। वहां कोई एनीकट नहीं बना है और लोग पैसा खा गये।

श्री निरन्जननाथ आचार्य : यह माननीय सदस्य मन्त्री महोदय की मोटर में बैठकर साथ जाना चाहते हैं वहां पर।

प्रश्न संख्या 510

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री बद्रीप्रसाद।

(अनुपस्थित : कृपया आगे देखिये)

श्री रघुनाथ विश्नोई।

न्यायिक अधिकारियों की बैठक में पारित प्रस्ताव

511. **श्री रघुनाथ विश्नोई** (सांचोर): क्या विधि एवं न्याय मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि हाल ही जयपुर में न्यायिक अधिकारियों की बैठक आयोजित की गयी थी ? अगर हां, तो कब ?

(2) क्या यह सही है कि न्यायिक सेवाओं की ज्यादा सुविधायें बढ़ाने के लिये न्यायिक सेवा अधिकारियों की बैठक में कई प्रस्ताव पारित किये गये थे ? अगर हां तो प्रस्ताव क्या क्या थे ?

(3) क्या यह भी सही है कि उक्त बैठक में पारित प्रस्तावों के अनुसार राज्य के न्याय मन्त्री ने न्यायिक सेवाओं की वाजिब मांग मंजूर करने का आश्वासन दिया था ? अगर हां तो वे क्या आश्वासन थे। उन आश्वासनों की पूर्ति के लिये राज्य सरकार द्वारा अब तक क्या क्या कार्यवाही की गई है ? भविष्य में इस बारे में क्या क्या कार्यवाही की जा रही है ?

(4) क्या यह भी सही है कि 1 अप्रेल 1974 को नई संशोधित सी आर० पी० सी० के प्रावधानों के अनुसार न्यायिक अदालतों में कार्य करने के केन्द्रीय सरकार के आदेश हो चुके हैं ? अगर हां, तो क्या राजस्थान सरकार ने भी अदालतों में नये प्रावधानों के अनुसार कार्य करने के आदेश प्रसारित कर दिये हैं अगर हां, तो कब से; अगर नहीं तो क्यों ?

(5) उपरोक्त नये प्रावधानों के अनुसार न्यायिक प्रशासन के पूर्ण पृथकता के लिये एवं नई प्रणाली से राजस्थान में न्यायिक सेवा का सालाना कितना बजट बढ़ेगा ? बढ़े हुए बजट के अनुसार क्या राज्य सरकार ने कार्यवाही करने का निर्णय ले लिया है। अगर हां तो कब ? अगर नहीं तो क्यों ?

विधि एवं न्याय मंत्री (श्री खेतसिंह) : (1) जी हां, यह सही है कि हाल ही जयपुर में न्यायिक अधिकारियों की बैठक दिनांक 2 व 3 जनवरी, 74 को हुई।

(2) जो प्रस्ताव पारित हुए, उनकी प्रति सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) जी हां, सीनियर स्केल के पदों में वृद्धि करने, जिला एवं सत्र न्यायाधीशों को निवास हेतु जिला मुख्यालयों में आवास दिलाने एवं न्यायालयों के कमरों एवं फर्नीचरों आदि में सुधार करने आदि के आश्वासन

(श्री खेतसिंह)

दिये थे। सीनियर स्केल्स आदि के पदों में वृद्धि करने के आदेश कर दिये गये हैं एवं अन्य आश्वासन राज्य सरकार के विचाराधीन हैं।

(4) जी हां, राज्य सरकार द्वारा इस विषय में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

(5) इस संबंध में अनुमानित आंकड़े एकत्रित किये जा रहे हैं। एक कमेटी इस संबंध में बनायी जा चुकी है जो विचार कर रही है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह इसमें जो वन थर्ड सीविल जज सलेक्शन ग्रेड के होंगे यानि 700 से 1200 के ग्रेड के होंगे उसके बारे में आदेश प्रसारित कर दिया हैं क्या ?

श्री खेतसिंह : पहले इनकी पांच पोस्ट्स थीं अब वह बढ़ाकर 7 पोस्टें सिलेक्शन ग्रेड की कर दी गई हैं।

श्री रघुनाथ विश्नोई : न्यायिक अधिकारियों की बैठक में जो रिज्योल्यूशन पास किये गये थे क्या राज्य सरकार ने उनका इम्प्लीमेंटेशन कर दिया है ?

श्री खेतसिंह : राज्य सरकार उनके रिज्योल्यूशन्स को मानने के लिये बाइन्डिंग नहीं है। उनके रिज्योल्यूशन को राज्य सरकार देख रही है और उसकी स्टडी करके निर्णय करेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यहां जो जजेज होंगे उनके आवास की व्यवस्था के बारे में राज्य सरकार ने उनके लिये मकान, फर्नीचर वगैरह की व्यवस्था करदी है क्या ? इसके अलावा उनके स्टाफ के बारे में जैसे उनके स्टेनोग्राफर के जिसमें कि सरकार को ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा उसके बारे में निर्णय ले लिया क्या ?

श्री जयकिशन लाल : जैसा कि मन्त्री महोदय ने फरमाया कि न्यायिक अधिकारियों ने जो रिज्योल्यूशन राज्य सरकार के पास भेजे हैं वह विचाराधीन हैं तो उस पर कब तक निर्णय हो जावेगा ? क्या मन्त्री महोदय सदन की जानकारी के लिये बतायेंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरे सप्लीमेन्ट्री प्रश्न का जवाब नहीं आया?

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, मैं मन्त्री महोदय से यह जानकारी चाहता हूं कि मन्त्री महोदय ने ज्यूडिशियल आफिसर्स कान्फ्रेंस में जो भाषण दिया और उसमें आपने कुछ कमिटमेन्ट किया है उसके लिए आप क्या कह रहे हैं ?

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, मैंने कोई कमिटमेन्ट नही किया है और जो कुछ भी मैंने कमिटमेन्ट किया है उनको मैंने प्रश्न तीन के जवाब में बता दिया है। इसके अलावा मैंने कोई कमिटमेन्ट नहीं किया है। इसके अलावा उनके स्टेनोग्राफर्स के बारे में व फर्नीचर के बारे में हमने हाई कोर्ट को लिख दिया है कि उन्हें कितना कितना स्टाफ चाहिये व क्या क्या फर्नीचर चाहिये। अपनी जरूरतों का एक स्टेटमेंट वे राज्य सरकार के पास भेज दें। उसमें हमारे ला डिपार्टमेन्ट का जितना भी बजट है उसमें से जो भी राज्य सरकार उन्हें सुविधा दे सकेगी, देगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मेरा मन्त्री महोदय से यह भी निवेदन है कि क्या वे बतायेंगे कि 1-4-74 से आप ज्यूडिशियरी को एग्जीक्यूटिव से सेपरेट कर रहे हैं उसके लिये कितने नये कोर्ट्स आपको खोलने पड़ेंगे उसके लिये क्या व्यवस्था राज्य सरकार कर रही है ?

श्री खेतसिंह : अध्यक्ष महोदय, 1-4-74 से हमारे देश में एग्जीक्यूटिव को ज्यूडिशियरी से अलग किया जा रहा है। उसके अनुसार हमारे यहां पर 65 नये कोर्ट्स खोले जायेंगे उसमें 27 चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे जिसमें 26 जिलों के लिये एक एक चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट होगा और जयपुर में दो चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट होंगे। यहां पर दो कोर्ट्स कायम किये जायेंगे। इसका कारण यह है कि यहां पर पहले मोबाइल मजिस्ट्रेट, म्यूनिसिपल मजिस्ट्रेट वगैरह थे। इसके लिए राज्य सरकार रेवेन्यू बोर्ड से बात कर रही है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : 1-4-74 से ज्यूडिशियरी से एग्जीक्यूटिव अलग हो जायेगी उसके लिये हाई कोर्ट ने जो प्रोपोजल्स राज्य सरकार को भेजे हैं वर्किंग के लिये क्या राज्य सरकार ने उनको मान लिया है ?

श्री खेतसिंह : इसके लिये मैं माननीय सदस्यों की जानकारी के लिये निवेदन करना चाहता हूं कि इसकी एक मीटिंग मुख्य मन्त्री महोदय के यहां पर हुई थी उसमें चीफ जस्टिस, राजस्थान सरकार, रजिस्ट्रार राजस्थान हाईकोर्ट व लॉ सेक्रेट्री फाइनेन्स कमिश्नर, चीफ सेक्रेट्री और विधि मन्त्री की हैसियत से मैं भी वहां बैठा था। उसमें उन्होंने हाई कोर्ट वाली मांगें की थी। हमने उनको उनकी मांग के अनुसार 300 कोर्ट रखने के प्रस्ताव को मना कर दिया क्योंकि कई बार छोटे छोटे केसेज होते हैं जो कि एक दो दिन में ही निपट जाते हैं इसलिये हमने सिर्फ 65 कोर्ट्स के लिये फाइनल तय कर दिया···

श्री रघुनाथ विश्नोई: संख्या 65 कोर्ट्स कम नहीं होंगे ?

श्री खेतसिंह : हमने हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से बात कर ली है और उन्हें हमने यह कहा कि हम पहले इन्स्टान्स में 6 महीने तक इस कार्यवाही को देख लेते हैं और फिर अगर जरूरत पड़ी तो उस पर राज्य सरकार उचित निर्णय लेगी।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह जो ज्यूडिशियल आफिसर्स कान्फ्रेन्स में जो रिजोल्यूशन पास किये हैं उसके इम्प्लीमेन्टेशन कब तक होंगे। इसके अलावा कुछ सरक्यूलर्स समय पर ज्यूडिशियल आफिसर्स के पास नहीं पहुंचते हैं उसके लिए राज्य सरकार क्या कार्यवाही कर रही है ?

श्री खेतसिंह : इन सरक्यूलर्स के लिये अभी इतना ही कह सकते हैं कि सरक्यूलर्स भेजने का काम हाईकोर्ट का है उसके लिये हम उन्हें एक पत्र लिख देंगे कि इन आफिसर्स के पास अपटूडेट सरक्यूलर्स टाइमली पहुंच जावें।

श्री अध्यक्ष : नेक्स्ट। श्री शंकरलाल।

मजदूर यूनियनों को मान्यता

512. **श्री शंकरलाल** (पाली) : क्या श्रम मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री शंकरलाल)

(1) राजस्थान के विभिन्न उद्योगों में मजदूरों की यूनियन को मान्यता देने का क्या माप दण्ड है और उस मापदण्ड का निर्णय करने हेतु क्या प्रणाली निर्धारित है ?

(2) क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई संशोधन अथवा परिवर्तन करने अथवा कराने का विचार रखती है।

(3) मान्यता प्राप्त न होते हुए भी रजिस्टर्ड यूनियन के मान्यता प्राप्त यूनियन के मुकाबले में क्या अधिकार हैं ? क्या सरकार इस सम्बन्ध में भी कोई संशोधन करने अथवा कराने का विचार रखती है ?

राज्य मन्त्री श्रम (श्रीमती कमला बेनीवाल) : राजस्थान के विभिन्न उद्योगों में मजदूरों की यूनियनों को मान्यता देने के दो तरीके हैं।

(क) अनुशासन संहिता के अन्तर्गत तथा (ख) औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत।

दोनों प्रणालियों में न्यूनतम सदस्य संख्या 15 परसेन्ट होना आवश्यक है, और यदि एक से अधिक यूनियनों में सदस्य संख्या 15 परसेन्ट से अधिक है, तो जिसकी यूनियन की सदस्य संख्या अधिक होती है, उसे मान्यता प्राप्त यूनियन माना जाता है। औद्योगिक विवाद (राजस्थान संशोधन) अधिनियम के अन्तर्गत सदस्यता की जांच का कार्य रजिस्ट्रार रिप्रजेन्टेटिव यूनियन द्वारा किया जाता है।

(2) राज्य सरकार का इस सम्बन्ध में संशोधन या परिवर्तन करने का अभी कोई इरादा नहीं है।

(3) प्रत्येक रजिस्टर्ड यूनियन औद्योगिक विवाद उठा सकती है तथा श्रमिकों का पक्ष प्रबन्धक के समक्ष रख सकती है, लेकिन मान्यता प्राप्त यूनियन जहां होती है, वहां सामूहिक सौदेबाजी के द्वारा औद्योगिक विवादों पर समझौता करने का अधिकार मान्यता प्राप्त यूनियन को होता है। औद्योगिक विवाद राजस्थान संशोधन अधिनियम में मान्यता प्राप्त यूनियन के अधिकार निश्चित किए हुए नहीं हैं और राज्य सरकार इस सम्बन्ध में संशोधन करने का विचार रखती थी, लेकिन चूंकि भारत सरकार एक विस्तृत औद्योगिक सम्बन्ध अधिनियम शीघ्र बना रही है, अतः भारत सरकार के अनुरोध पर राज्य सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में अभी कोई संशोधन नहीं किया गया है।

श्री शंकरलाल : क्या यह सही है कि बहुत से विभागों में कई यूनियनें हैं। अब उनमें से कौन सी यूनियन मान्यता प्राप्त है ? क्या वे जिनकी सदस्य संख्या ज्यादा है। अगर हां तो सदस्य संख्या ज्यादा है इसका निर्णय कैसे करते हैं। कौन करता है।

श्रीमती कमला बेनीवाल : रजिस्ट्रार तय करते हैं।

श्री रामकिशन : क्या राज्य सरकार यह उचित नहीं समझती कि यदि दो या चार में झगड़ा हो तो सीक्रेट बैलट से मालूम करने का प्रबन्ध नहीं किया जा सकता ?

Page No 22

(22)

श्रीमती कमला बेनीवाल : इसके बारे में विचार किया जा रहा है। पर अभी इसका प्रावधान नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप यह बताएं कि सीक्रेट बैलट आप इन्ट्रोड्यूस करना चाहते हैं या नहीं। आप इसे उचित समझते हैं या नहीं ? आप अपनी यूनियनों को मान्यता प्राप्त करवाते हैं और करते हैं, यह सब तो आप खूब कर लेते हैं।

श्री केदारनाथ : अभी लेबर मिनिस्टरों की कान्फ्रेंस हुई थी क्या आपने उस में यूनियनों को मान्यता देने के बारे में डाइरेक्ट सीक्रेट बैलट से निर्णय किया जावे, इस पर भी विचार किया है ?

श्रम मंत्री (श्री मोहनलाल छंगाणी) : यह काफी विवादास्पद विषय है। अब इसमें जो चन्दा देते है वे तो ठीक हैं पर बहुत से बिना चंदा देने वाले भी मजदूर हैं। आज तो जो चन्दा देते हैं उनके आधार पर मान्यता दे दी जाती है। इस बारे में पहले जो ट्रिपार्टाइट कांफ्रेन्स हुई थी उसमें भी विचार किया गया था और बाद में इंडियन लेबर कान्फ्रेंस भी हुई थी उसमें भी विचार किया गया था। अब नया इण्डियन ट्रेड रिलेशन्स एक्ट आ रहा है उसमें विचार तय होकर होगा। जो आल इंडिया लेवल पर तय होगा हम उसे मानेंगे। अलग से राजस्थान सरकार पहल करके कुछ करने का इरादा नहीं रखती।

यह निश्चित है कि जो सबस्क्रिप्शन नहीं देते उनका सीक्रेट बैलट भी किस तरह से लिया जाय। लिया भी जाय या नहीं लिया जाय। आज तो 15 परसेन्ट भी हो और यूनियन है तो रिकग्नीशन दे सकते हैं। 25 और 30 परसेन्ट भी हो तो दे देते हैं। कई युनिटों का भी सवाल है। आइटक है, इन्टक है, एटक है। तो वेरिफिकेशन का आधार किस तरह से नयकिया जाय यह मूल प्रश्न है। सीक्रेट बैलट से करने में भी कई प्रश्न खड़े होते हैं। मैं इस दौर से गुजर चुका हूं। इस समस्या को इण्डस्ट्रियल रिलेशन्स एक्ट लागू होने के बाद जैसा उसमें होगा उस तरह से हल हो जायगा। इसके पहले कोई हल निकाल पाने की सम्भावना कम है। यह स्पष्ट है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : आपने अपनी तरफ से सीक्रेट बैलट के बारे में कान्फ्रेंस में क्या राय दी ? आपने भी तो पेपर पढ़ा होगा। एक्स्ट्रेक्ट बता सकें पेपर में से तो और भी अच्छा होगा।

श्री मोहनलाल छंगाणी : हम इसमें कमिटेड नहीं हैं। सीक्रेट बैलट का प्रश्न हम ने भी हर जगह उठाया है। पर प्रश्न इसके भी इम्प्लीमेंट का आ जाता है। अब कई मजदूर ऐसे हैं जो युनियन के मेम्बर ही नहीं हैं न चन्दा देते हैं। जो हैं भी वे 20 तीस चालीस परसेन्ट को रिप्रजेन्ट करते है। तो इस तरह से क्या उनको अलग रख दिया जावे, क्या किया जावे, कई प्रश्न इसमें से उठते हैं। या सबस्क्रिप्शन कम्पलसरी कर दिया जाय। वन युनिट वन यूनियन का सिद्धान्त माना जाय। ये सारे प्रश्न हैं जो डिटेल्ड स्टडी चाहते हैं। अब भारत सरकार कानून ला रही है वह जो तयकरेगी हम उसे लागू करेंगे।

तहसील लालसोट में कुओं पर बिजली

513. श्री मीठालाल (लालसोट): क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :

Page No 23

23

(श्री मीठालाल)

क्या यह सही है कि लालसोट तहसील (जयपुर) के कुछ गांवों के किसानों द्वारा अपने कुओं पर विद्युत कनेक्शन लेने हेतु सरकार को शत प्रतिशत खर्चा देने के सम्बन्ध में दिये गये आवेदन-पत्र काफी समय से विभाग के पास विचाराधीन पड़े हुए हैं । यदि हां, तो क्यों ? तथा उन्हें कब तक स्वीकृति दे दी जावेगी ।

विद्युत मन्त्री (श्री हीरालाल देवपुरा): जी हां । लालसोट तहसील के ग्राम खेमावास के कुछ कृपकों द्वारा अपने कुओं पर पूरा खर्च देकर कनेक्शन लेने के सम्बन्ध में अक्टूबर, 1973 में प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ था । परन्तु यह गांव विद्युतीकरण हेतु मंडल द्वारा स्वीकृत नहीं है । अस्वीकृत ग्रामों में अग्रिम राशि लेकर कनेक्शन देने का कोई नियम इस समय नहीं हैं । इस ग्राम में कब तक कनेक्शन दिये जा सकेंगे यह भी निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता ।

श्री मीठालाल : अध्यक्ष महोदय, यह इनका नियम है पहले 75 प्रतिशत देने पर प्राथमिकता देने की बात थी अब शत प्रतिशत कर दिया गया है । फिर न देना यह कहां तक उचित है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, निर्णय ऐसा नहीं है । नियम यह है कि जहां विद्युतीकरण घोषित कर दिया गया है उनमें कोई ग्राम पहले लेना चाहें तो उस जगह के लिये यह नियम हैं । जो एरिया विद्युतीकृत योजना में आ गया है उसी के लिये उसके अन्तर्गत आने वाले किसी गांव को प्राथमिकता लेनी हो तो यह नियम है ।

श्री मीठालाल : अगर आप शत प्रतिशत खर्चा देने वाले को पहले दे देते हैं तो इसमें आपको नुकसान क्या है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : अध्यक्ष महोदय, आज की स्थिति में जो विद्युत उपलब्ध है और जो साधन हमारे पास हैं उनसे पहले वालों को ही हम पूरा नहीं दे पा रहे हैं । नये गांवों को स्कीम में अगर हमने जोड़ना शुरू कर दिया तो न उनको दे पावेंगे पूरा, न इनको ही सन्तुष्ट कर पावेंगे । आज ट्रान्सफोर्मरों की कमी है, तारों की कमी है, इन्सुलेटरों की कमी हैं ।

श्री मीठालाल : ट्रान्सफार्मर आदि भी हम ला दें आपको तब तो दे देंगे ?

श्री हीरालाल देवपुरा : मैंने अर्ज किया कि प्लान्ड वे में हम चल रहे हैं । जितनी सुविधा हम दे रहे हैं और जिसके लिये आलरेडी हम कमिटेड हैं स्कीम के अनुसार उनको भी पूरा नहीं पड़ रहा है तो उनको भी पूरा न दे पावें और नयों को भी पूरा न कर सकें तो मैं समझता हूं कि आप मेरी राय से इत्तफाक करेंगे । जिनको दे रहे हैं उनको भी बराबर पूरा मिलता रहे पहले तो यह प्रयास करेंगे इसके बाद आगे बढ़ें तो सब को बराबर समय पर मिल जावेगी ।

श्री मीठालाल : इस पर विचार तो करेंगे न ?

श्री हीरालाल देवपुरा : विचार क्या करना है, हम तो चाहते है कि हमारा वश चले तो सारे राजस्थान के सारे गांवों को हम बिजली दे दें ।

श्री पी० के० चौधरी : एक स्पष्टीकरण चाहता हूं। पावर की हमारे यहां कमी नहीं है। केवल पैसे की कमी है। हाई-टेन्सन, लो टेन्सन तार आदि का सभी खर्चा जब एक गांव वाले देने को तैयार हैं तो फिर आप इन्कार क्यों करते हैं ?

श्री हीरालाल देवपुरा : हम कतई इन्कार नहीं करते। पर सवाल पैसे की कमी का भी नहीं है। सवाल जैसा बताया ट्रान्सफोर्मर्स आदि उपकरणों की कमी का भी है। मेंटीरियल की कमी है जो आल इण्डिया लेवल पर भी मिल नहीं पा रहा है।

श्री मीठालाल : ट्रान्सफार्मर भी लाकर देंगे।

श्री अध्यक्ष : श्री श्रीराम गोटेवाला।

(अनुपस्थित)

श्री रामकिशन : गोटेवालाजी का प्रश्न महत्वपूर्ण है।

श्री अध्यक्ष । इसका जवाब पढ़ दिया जावे। श्रीराम गोटेवाला के प्रश्न का जवाब पढ़ दिया जावे।

साहू जैन उद्योग समूह को दिया गया ऋण

514. **श्री रामकिशन** (भरतपुर) [श्री श्रीराम गोटेवाला (किशनपोल, जयपुर) की अनुपस्थिति में] क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) साहू जैन उद्योग समूह को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा एवं विभिन्न फाइनेन्शियल कारपोरेशन द्वारा कुल कितना कर्जा दिया गया है ? कृपया विभाग तथा फाइनेन्शियल कारपोरेशन के नाम बताने का कष्ट करें।

(2) साहू जैन उद्योग की जिन जिन कम्पनियों को यह कर्जा दिया गया है उनकी कुल पेड अप केपिटल कितनी है और उनकी आखिरी बेलेन्स शीट के अनुसार देनदारियां कितनी हैं ?

(3) जयपुर उद्योग में राज्य सरकार एवं विभिन्न फाइनेन्शियल कारपोरेशन की कुल कितनी रकम बकाया है ? जयपुर उद्योग ने पिछले तीन वर्षों में कुल कितना मुनाफा बताया है ? इस संस्थान की पेड अप केपिटल कितनी है और देनदारियां कितनी हैं ?

(4) जयपुर उद्योग में राज्य सरकार व विभिन्न फाइनेन्शियल कारपोरेशन की कितनी बकाया रकम पिछले वर्ष से बकाया चली आ रही है और ये रकमें जयपुर उद्योग के द्वारा राज्य सरकार को कब से देय है ?

(5) साहू जैन समूह को ब्यावर में सीमेन्ट प्लान्ट पर राज्य सरकार एवं विभिन्न फाइनेन्शियल इन्स्टीट्यूशन द्वारा कुल कितना कर्जा दे दिया गया है ? ब्यावर का सीमेन्ट प्लान्ट उक्त समूह द्वारा अब तक क्यों नहीं चालू किया गया है तथा चालू न करने के बारे में राज्य सरकार ने अब तक क्या कार्यवाही की है ?

(6) क्या यह सही है कि राजस्थान वित्त निगम द्वारा इस उद्योग समूह को बीस लाख रुपया कर्जा दिया गया था। उस रुपये का उपयोग नहीं किया गया ?

राज्यमंत्री उद्योग (श्री गुलाबसिंह शक्तावत): (1) राज्य सरकार द्वारा साहू जैन उद्योग समूह को कोई ऋण नहीं दिया गया। राजस्थान वित्त निगम द्वारा साहू उद्योग के मेसर्स रोहतास इन्डस्ट्रीज लिमिटेड को 20 लाख रुपये का ऋण दिया गया।

(2) मैसर्स रोहतास इन्डस्ट्रीज लिमिटेड की आखिरी बेलेन्स शीट के अनुसार दिनांक 31-3-73 को कुल पेड अप केपिटल 6,04,77,970/-रुपये थी और देनदारियां 14,12,89,359/-रुपये थी।

(3) जयपुर उद्योग में राज्य सरकार तथा राजस्थान वित्त निगम द्वारा दिये गये ऋण की बकाया रकम एवं गत 3 वर्ष के हानि लाभ पेड अप केपिटल व देनदारियों की सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) जयपुर उद्योग में राज्य सरकार तथा राजस्थान वित्त निगम की पिछले वर्ष से कोई ऋण की रकम बकाया (ओवरड्यू) नहीं चली आ रही है।

(5) साहू जैन उद्योग समूह को ब्यावर में सीमेन्ट प्लान्ट पर राज्य सरकार व राजस्थान वित्त निगम द्वारा कोई ऋण नहीं दिया गया।

मैसर्स जयपुर उद्योग सवाई माधोपुर को ब्यावर में सीमेन्ट प्लान्ट न लगाने के कारण उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक लाईसेन्स रद्द करने के लिये भारत सरकार को सिफारिश की गई है एवं खनिज विभाग द्वारा ब्यावर तहसील में चूना पत्थर की खानों की पट्टेदारी निरस्त कर दी गई है।

(6) मैसर्स रोहतास इन्डस्ट्रीज को राजस्थान वित्त निगम द्वारा 20 लाख रुपये का ऋण स्वीकार किया गया था जिसका उपयोग इस कम्पनी द्वारा सूचित किया गया है।

(कृपया परिशिष्ट 3 देखिए)

श्री अध्यक्ष : प्रश्न काल समाप्त हुआ। स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : उसके साथ स्थगन प्रश्न भी समाप्त हुये क्या ?

एक माननीय सदस्य : माननीय सदस्य नहीं है।

प्रश्न संख्या 144

श्री अध्यक्ष : श्री राजेन्द्र भारतीया

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

प्रश्न संख्या 223

श्री झाबरमल सूण्डा

(अनुपस्थित कृपया आगे देखिये)

(शेष तारांकित प्रश्नोत्तरों के लिये कृपया परिशिष्ट-4 देखिये)

अनुपस्थित सदस्यों के तारांकित प्रश्नोत्तर

गंगानगर की जिनिंग एण्ड प्रेसिंग फेक्ट्रीज के मजदूर

500. **श्री योगेन्द्रनाथ हान्डा** (सूरतगढ़) : क्या श्रम मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) गंगानगर में कुल कितनी जिनिंग और प्रेसिंग फेक्ट्रीज हैं ? गंगानगर जिले की प्रत्येक मण्डीवार आंकड़े दें ?

Page No 26

(26)

(श्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा)

(2) क्या यह सही है कि उपरोक्त फेक्ट्रीज में फेक्ट्री एक्ट के तहत कोई कार्य नहीं हो रहा है ? क्या यह सही है कि इन फेक्ट्रीज में मजदूरों से पन्द्रह पन्द्रह घन्टे कार्य लिया जाता है तथा एक्सीडेन्ट आमतौर पर होते हैं ? इन फेक्ट्रीज में आग बुझाने की व्यवस्था न होने के कारण आग लगने की घटनायें आमतौर पर होती रहती हैं ?

(3) गंगानगर की उपरोक्त फेक्ट्रीज की पिछले पांच वर्ष में आग लगने की घटनायें मण्डीवार एवं उसके द्वारा हुई हानि राशि में एवं उसके द्वारा हुई मृत्यु एवं घायल व्यक्तियों की संख्या, मृतकों को दिया गया मुआवजा आदि दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) उपरोक्त फेक्ट्रीज में पिछले पांच वर्षों में हुए अन्य एक्सीडेण्ट भी मण्डीवार बतायें।

उत्तर

(1) गंगानगर जिले में 163 कॉटन जिनिंग एवं प्रेसिंग फेक्ट्रीज हैं जिनका मण्डीवार ब्यौरा सूची (क) में संलग्न है।

(2) यह सही नहीं है कि इन फेक्ट्रियों में फेक्ट्री एक्ट के तहत कार्य नहीं होता एवं श्रमिकों से 15-15 घन्टे काम लिया जाता है। यह भी सही नहीं है कि इन फेक्ट्रियों में आमतौर पर एक्सीडेन्ट होते हैं तथा आमतौर पर आग लगने की घटनायें होती रहती हैं। फेक्ट्रियों में आग बुझाने के साधनों के लिए राज्य सरकार ने राजस्थान कारखाना नियमों में जून 70 से आग बुझाने सम्बन्धी नियम बनाये हैं और इनको परिपालन कराने की चेष्टा की जा रही है।

(3) गंगानगर जिले में पिछले पांच वर्षों में हुई आग दुर्घटनाओं से मृत्यु एवं घायल होने वाले व्यक्तियों का विवरण संलग्न सूची (ख) में है। कारखाने में आग लगने की सूचना कारखानों के प्रबन्धकों द्वारा निरीक्षकों को नहीं दी जाती है क्योंकि नियमानुसार वे बाध्य नहीं हैं। केवल किसी कर्मकार के दुर्घटनाग्रस्त होने पर ही सूचना भेजी जाती है। मुआवजा देने के बारे में सूचना प्राप्त की जा रही है ?

(4) अन्य ऐक्सीडेन्ट का गंगानगर जिले की मण्डीवार ब्योरा सूची (ग) में संलग्न है।

(कृपया परिशिष्ट 5 देखिये)

पी. एच. सी. हिन्डोली के डाक्टर के विरुद्ध मामला

503. **श्री रमेशचन्द्र सैनिक (गुढा):** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या हिण्डोली पी. एच. सी. के डा. पी. सी. जैन के विरुद्ध जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति के समक्ष आए ग्राम बावड़ी खेड़ा के मामले को सतर्कता समिति ने अतिरिक्त अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग कोटा को भेजा है ? यदि हां, तो मामला क्या था और इसे कब भेजा गया ?

(2) यदि यह सही है कि मामला भ्रष्टाचार निरोधक विभाग कोटा को भेज दिया गया तो यह छानबीन के लिए अब तक रजिस्टर क्यों नहीं हुआ ?

(श्री रमेशचन्द्र सैनिक)

(3) क्या अधीक्षक आरक्षी मण्डल बूंदी को भी उपरोक्त विषय की जानकारी है ? यदि हां, तो क्या जानकारी है ?

(4) क्या अधीक्षक आरक्षी मण्डल बूंदी ने अतिरिक्त अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग कोटा से इसमें देरी का कारण और केस रजिस्टर नहीं होने के सम्बन्ध में पूछा है ? यदि हां, तो सबब क्या बताया गया है ?

(5) क्या बूंदी एस. पी. के पास उक्त डाक्टर से सम्बन्धित इस मामले के अतिरिक्त और भी कोई मामले आए हैं ? यदि आये हों, तो उनका ब्योरा सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। उनमें क्या कार्यवाही की गई है ? विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

(1) जी हां। सर्व श्री जगदीश राम मीना व अर्जनसिंह साकिन बावड़ी खेड़ा ने जिला जन अभियोग एवं सतर्कता समिति के समक्ष दि० 27-7-73 को डा० पी. सी. जैन मेडीकल आफिसर इन्चार्ज प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र हिन्डोली के खिलाफ शिकायत दी कि मुकदमा नं० 55/73 में चोटों के बाबत उक्त डा० ने इस केस से सम्बन्धित फरियादियों से रुपये 614) रिश्वत के लिये।

(2) अपर पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग कोटा द्वारा जांच की जाकर उप महानिरीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक विभाग से दि. 21-3-74 को आदेश हुए हैं कि इस मामले में विभागीय कार्यवाही की जावे।

(3) जी हां। इस सम्बन्ध में जब मामला जिला सतर्कता समिति में उठाया गया था तब पुलिस अधीक्षक भी उस मीटिंग में उपस्थित थे। इसी आधार पर उनकी जानकारी है।

(4) पुलिस अधीक्षक बूंदी ने समय समय पर अतिरिक्त अधीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग कोटा से मामले की प्रगति के बारे में पूछा था। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक ने सूचना दी है कि उन्होंने जांच रिपोर्ट उप महानिरीक्षक भ्रष्टाचार निरोधक विभाग को भेज दी है।

(5) दि. 12-11-73 को एक श्री जयराम पुलिस अधीक्षक बूंदी को ग्राम हिण्डोली में मिले और अपनी इन्जरी रिपोर्ट दिखायी। इस रिपोर्ट के कालम 5 में Blunt-Weapon दर्ज था। कुछ घंटों बाद पुलिस अधीक्षक ने श्री जयराम को पुलिस स्टेशन बुलाया तो पाया गया कि Blunt इन्द्राज को काटकर Sharp किया गया था। पुलिस अधीक्षक ने जयराम के बयान तुरन्त करवाये और इस बारे में एक शिकायत चीफ मेडीकल एन्ड हैल्थ आफिसर बूंदी को दि. 24-12-73 को की। सी. एम. एण्ड एच. ओ. ने डा० जैन का इस बारे में स्पष्टीकरण मांगा है जो अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है।

तहसील रायसिंहनगर के गांवों को बिजली

504. श्री बेगाराम चौहान (रायसिंहनगर): क्या विद्युत् मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री बेगाराम चौहान)

(1) तहसील रायसिंहनगर, जिला श्री गंगानगर में सन् 1972 से सन् 1974 तक किन किन गांवों में बिजली दी गई ?

(2) क्या यह सही है कि 67 आर. बी. और 9-टी. के. हरिजनों के गांव हैं उन गांवों में आज तक कोई बिजली चालू नहीं की गई है ? अगर बिजली दी जावेगी तो कब तक दी जावेगी ?

उत्तर

(1) तहसील रायसिंहनगर में 1972 से जनवरी, 1974 तक जिन ग्रामों को बिजली दी गई है उनकी सूची "अ" सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) जी हां। इन ग्रामों में कब तक बिजली पहुंचादी जायगी यह अभी निश्चित-रूप से नहीं कहा जा सकता।

(कृपया परिशिष्ट 6 देखिये)

प्राइमरी हैल्थ सेन्टर रामपुर के डाक्टर का बकाया वेतन

510. श्री बद्रीप्रसाद गुप्ता (बानसूर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले के रामपुर प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के डाक्टर द्वारा फिक्सेसन न करने व तनख्वाह न मिलने के कारण स्वास्थ्य विभाग को भूख हड़ताल का नोटिस दिया और करीब 2-3 माह पूर्व उसके सारे कुटुम्ब ने भूख हड़ताल की ?

(2) क्या यह सही है कि इससे पहले भी कई बार विधान सभा में इस डाक्टर के फिक्सेशन व तनख्वाह के लिये प्रश्न किया गया था ? यदि हां, तो अब इस डाक्टर के फिक्सेशन व तनख्वाह के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है और इतनी देर होने का क्या कारण है ? और अब कब तक यह मामला तय हो जायेगा ?

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां ? उक्त डाक्टर को अस्थाई वेतन भुगतान हेतु न्यूनतम वेतन देने के लिये जून 74 तक के आदेश हो चुके हैं। अभी इनके विरुद्ध विभागीय जांच पूर्ण नहीं हुई है। अतः इनके फिक्सेसन का मामला जांच पूर्ण होने पर निर्णीत किया जायेगा।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 12-3-74)

राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के दिनों कार्य करने का वेतन

144. श्री राजेन्द्र कुमार (बून्दी): अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

क्या यह सही है कि पिछले वर्ष राज्य कर्मचारियों की हड़ताल के समय राज्य सरकार ने उन कर्मचारियों को जिन्होंने हड़ताल में भाग नहीं लिया था 10 दिन का वेतन देने की घोषणा की थी ? यदि हां, तो क्या यह वेतन अकाल राहत के कर्मचारियों को भी दिया था ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 15-3-1974)

सीकर जिले में शीतलहर से फसल को क्षति

223. श्री झाबरमल सून्डा (फतेहपुर): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सीकर जिले में शीतलहर से रबी की फसल को कितने प्रतिशत नुकसान हुआ है? क्या पीड़ित किसान को राज्य सरकार कोई राहत देगी?

(2) क्या यह सही है कि सीकर जिले की फतेहपुर तहसील का खेजडी का लोंग करीब अढाई लाख टन शीतलहर से जल गया है? यदि हां, तो क्या राज्य सरकार किसानों की हुई क्षतिपूर्ति के लिये कोई उपाय करेगी?

उत्तर

(1) इस जिले में शीत लहर से रबी की फसल को नुकसान हुआ है। परन्तु नुकसान का प्रतिशत कितना है यह रबी की फसल के बाबत अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त होने पर ज्ञात हो पायेगा। रबी की फसल का अन्तिम प्रतिवेदन 30 अप्रेल, 74 तक अपेक्षित है। शीत लहर से जिन किसानों को क्षति हुई है उनको किसी प्रकार की राहत देने की बात अन्तिम प्रतिवेदन प्राप्त होने के पश्चात् ही विचार हेतु ली जावेगी।

(2) सीकर जिले की फतेहपुर तहसील में शीतलहर से खेजड़ी के लोंग को भी हानि हुई है। परन्तु कितनी लोंग शीत लहर से जल गई इसका कोई अनुमान लगा सकना कठिन है क्योंकि इसका कोई रेकार्ड नहीं रक्खा जाता। इस हानि के बाबत किसी प्रकार की सहायता देने का वर्तमान में कोई प्रावधान नहीं है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

फागी तथा चाकसू तहसीलों में अकाल राहत कार्य

363. श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी): क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) सन् 1972-73 में अकाल राहत कार्य के अन्तर्गत फागी तथा चाकसू तहसील में कितना कार्य स्वीकृत हुआ, निम्न तालिका में सूचना दें।

(क) राजस्व विभाग द्वारा

(ख) पंचायत समिति द्वारा

(ग) सिचाई विभाग द्वारा

(घ) कृषि विभाग द्वारा

(ङ) सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा

(2) उक्त कार्यों में से किस किस विभाग द्वारा कितना कितना कार्य पूर्ण करवाया गया तथा कितना कार्य अपूर्ण रहा, तथा किस किस विभाग द्वारा मजदूरों को कितना भुगतान किया गया तथा कितना बकाया है? यदि बकाया है तो अब तक भुगतान न करने के क्या कारण हैं और अब कब तक भुगतान कर दिया जावेगा?

(3) फागी एवं चाकसू तहसीलों में सन् 1972-73 में कितनी कितनी धनराशि उक्त विभागों से स्वीकृत हुई थी? तालिका सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(अकाल सहायता मंत्री)

(1) सन् 1972-73 में अकाल राहत व्यवस्था के अन्तर्गत तहसील फागी तथा तहसील चाकसू में विभिन्न अभिकरणों द्वारा जिन कार्यों को कराया गया उनकी तालिकायें संलग्न हैं।

(2) विभिन्न अधिकरणों द्वारा जो कार्य करवाये गये हैं उन पर हुए खर्च का कार्यवार विवरण भी तालिकाओं में अंकित कर दिया गया है। कार्य अपूर्ण रहे या पूर्ण कराये गये इसका उल्लेख भी इन तालिकाओं में कर दिया गया है। अब कोई बकाया श्रमिकों को भुगतान करने हेतु शेष नहीं है।

(3) कार्यवार अनुमानित लागत का विवरण भी तालिकाओं में अंकित है। धनराशि की स्वीकृति अलग अलग कार्यों के लिए नहीं की जाती है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

पुलिस विभाग में पदोन्नति का आधार

364. **श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा)** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पुलिस विभाग में पदोन्नति का क्या आधार है?

(2) फरवरी सन् 1974 तक वरिष्ठता के आधार पर किन किन लोगों की पदोन्नति हुई? कृपया फरवरी, 1964 के बाद का व्यौरा जिलेवार सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या पुलिस विभाग में वरिष्ठता के आलावा अन्य किसी आधार पर भी पदोन्नति हुई? यदि हां, तो उन्नति का आधार व जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या विभाग सब-इन्सपेक्टर्स की नियुक्ति सीधी कर सकता है? यदि हां, तो क्या विभागीय लोगों की पदोन्नति पर इसका प्रभाव नहीं पड़ता?

(5) पुलिस विभाग द्वारा फरवरी, 1964 से फरवरी, 1974 तक कितने सब-इन्सपेक्टर्स की नियुक्ति की गई? जिलेवार व वर्षवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(6) इनमें कितने कम्पीटीशन से व कितने डाइरेक्ट लिए गए? दोनों प्रकार की सूची सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या 1964 से अब तक सब-इन्सपेक्टर्स की नियुक्ति हेतु परीक्षाएं हर वर्ष होती रही हैं?

(8) यदि नहीं, तो इससे दावेदार लोगों के अधिकारों को कैसे सुरक्षित रखा गया?

(स्थगित किया गया)

राजोरा फीडर के कार्य का ठेका

365. **केशरीमल (ब्यावर)** : क्या अकाल राहत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्री माधोलालजी टांक ठेकेदार को पंचायत समिति जवाजा में राजोरा फीडर के कार्य का ठेका दिया था?

(श्री केशरीमल)

(2) क्या यह सही है कि इस ठेकेदार ने जिस कार्य का ठेका लिया था वह कार्य कभी का पूरा कर दिया ?

(3) क्या यह सही है कि उक्त ठेकेदार को अभी तक उसके द्वारा सम्पूर्ण किये गये कार्य का पैसा नहीं दिया गया ? यदि हां, तो क्यों तथा अब राज्य सरकार कब तक इसका पैसा चुकाने की व्यवस्था कर देगी ?

उत्तर

(1) राजोरा फीडर नामक किसी कार्य का ठेका श्री माधोलाल टांक को नहीं दिया गया। रातामाटा बीजोरा फीडर कार्य श्री टांक को दिया गया था।

(2) जी हां।

(3) इस फीडर पर लेबर रेट का यह कार्य अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सन् 1969-70 में 9363) रुपये का श्री माधोलाल टांक को आवंटित किया गया था। इसमें से 2919) रुपये का भुगतान दिनांक 16-6-70 को किया जा चुका है। शेष राशि का चुकारा किया जाना बाकी है। इस राशि का चुकारा करने के लिए धनराशि के आवंटन के लिए वित्त विभाग को निवेदन किया जा रहा है। वित्त विभाग की स्वीकृति प्राप्त होने पर धनराशि मुख्य अभियन्ता, सिंचाई को आवंटित करदी जावेगी जिससे चुकारा हो सकेगा।

देशनोक नगरपालिका में गबन का मामला

366. श्री केदारनाथ (गंगानगर) : श्री रामकिशन (भरतपुर) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि देशनोक नगरपालिका में भूतपूर्व अध्यक्ष की शिकायत पर गबन के मामले में पुलिस द्वारा कागजात सीज किये गये थे।

(2) क्या यह भी सही है कि इसी मुकदमें के सिलसिले में हेंड राइटिंग एक्सपर्ट की राय मांगी गई थी ? यदि हां, तो वह राय क्या है ?

(3) इसी मुकद्में के सिलसिले में लीगल एडवाइजर की नियुक्ति के संबंध में फर्जी आदेश साबित हो जाने के बाद भी पुलिस ने एफ. आर. कैसे लगा दी।

उत्तर

(1) जी नहीं

(2) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

(3) प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

आडसर-पूनरासर सड़क का निर्माण कार्य

367. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या अकाल सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) आडसर-पूनरासर जिला चूरू की सड़क का निर्माण कार्य अकाल सहायता के अन्तर्गत सर्वप्रथम किस वित्तीय वर्ष में आरम्भ करवाया गया तथा निर्माण विभाग ने कितना एस्टीमेट कितने किलोमीटर लंबाई का स्वीकृत करवाया था ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(श्री लूणाराम)

(2) किस किस वित्तीय वर्ष में यह कार्य करवाया गया ? वर्षवार कितना कितना क्या क्या कार्य कितने कितने किलोमीटर में हुआ व क्या क्या खर्च वित्तीय वर्ष वार किया गया ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) उक्त सड़क के पूरी करने के लिए कितनी धनराशि का एस्टीमेट है व कितने किलोमीटर की ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या जो खर्च हुआ है वह प्लान व एस्टीमेट के अनुरूप हुआ यदि अधिक हुआ है, तो क्यों ? क्या कार्य सम्पूर्ण हुआ था या नहीं ?

(5) क्या राज्य सरकार व विभाग के इस सड़क के संबंध में यह शिकायत प्राप्त हुई थी कि आखरी कार्य सन् 73 को छोड़कर जिस वर्ष किया गया है उस वर्ष जो ठेका सड़क जमाने के लिए पानी की ढुवाई धांधला ढुवाई का जितने किलो मीटर का दिया गया वह सड़क को कितने किलोमीटर लम्बी बतलाई गई वह सही नहीं है ?

(6) यदि हां, तो उपरोक्त ठेके भिन्न भिन्न व्यक्तियों को कितने किलोमीटर के दिये गये पानी, धांधला ढुवाई के और वह वास्तविक सड़क से कितने अधिक किलोमीटर तक के दिये गये थे, कितने कितने किलोमीटर के धांधला ढुवाई व पानी ढुवाई का भुगतान किया गया व उनका कार्य किया जाना पूरा माना गया ?

(7) क्या यह भी शिकायत की गई थी कि पिछला फेमिन का सड़क पर ढोया हुआ पत्थर ही ठेकेदारों द्वारा अपने द्वारा ढोया हुआ दिखाया गया है ?

(8) क्या यह भी सही है कि पानी की दूरी के लिए ठेके गलत दिये गये हैं क्योंकि जितने दूरी ठेका दिया गया है उससे दूरी कम पड़ती है व पानी नजदीक से ढोया गया है व वर्षा होने से सड़क व धांधड़ा को खदानों में फेमिन मजदूरों से जमा पानी को उठाकर सड़क की पिटाई की और ठेकेदारों ने पानी का भुगतान लिया ?

(9) क्या यह भी शिकायत की गई कि सड़क के पास से मिट्टी खोदकर डाली गई व पुराने पिछले फेमिन में ढोया हुआ ठेकेदारों द्वारा धांधड़ा की एक पेटी की एक ढेरी को वहीं पर 3-3 ढेरी की जाकर नया धांधड़ा डाला बताकर बिना कुछ किये ही भुगतान लिया गया व फेमिन मजदूर से कार्य करवाया गया व फरजी मस्टररोल भरे गये आदि ?

(10) क्या इसकी जांच करवाई गई ? यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा तथा कौन कौन अधिकारी व कर्मचारी दोषी हैं ?

(11) क्या सरकार इस सारे घोटाले की जांच किसी कमिश्नर को नियुक्त कर करवाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जिला चूरू की सड़क आडसर-पूनरासर का निर्माण कार्य सहायता व्यवस्था के अंतर्गत सर्वप्रथम वर्ष 1966-67 में आरम्भ हुआ था। इसका एस्टीमेट अधीक्षण अभि-

(अकाल सहायता मंत्री)

यन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग (भवन एवं पथ) बीकानेर के पत्र संख्या 12564 दिनांक 28-9-70 के द्वारा 55 किलो मीटर की लम्बाई का लगभग 45,00,000) रु० का स्वीकृत किया गया था।

(2) इस सड़क पर वित्तीय वर्ष वार जो खर्चा हुआ एवं जो कार्य कराया गया उसका विवरण संलग्न है।

(3) इस सड़क को 45 किलो मीटर में पूरा कराने में लगभग 9·20 लाख रुपये की राशि की आवश्यकता का एस्टीमेट है।

(4) इस सड़क पर अनेक वर्षों में थोड़ा थोडा काम हुआ है। ऐसी दशा में यह कह सकना कठिन है कि जो खर्चा हुआ एस्टीमेट के अनुसार ही हुआ या नहीं। काम अभी पूर्ण नहीं हुआ है।

(5) राज्य सरकार को जो शिकायतें प्राप्त हुई थी उनकी सूची संलग्न है। इनका मामला जांच के लिए जिलाधीश, चुरू को भेजा गया है। इस सड़क के मामले में सार्वजनिक निर्माण विभाग को भी शिकायतें प्राप्त हुई है जिनके बाबत अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग जांच कर रहे हैं।

(6) वर्ष 1970 में जिन व्यक्तियों को धांधला ढुवाई व पानी की सप्लाई के ठेके दिए गए उनका विवरण मय चुकारे की राशि के संलग्न है।

(7) इस प्रकार की भी शिकायतें आई हैं।

(8) इस आशय की भी शिकायतें आई हैं।

(9) सड़क पर से मिट्टी खोदकर डाले जाने की भी शिकायत आई है।

(10) जिलाधीश को जो शिकायतें भेजी गई थी उनके बाबत जिलाधीश का प्रतिवेदन अभी प्राप्त नहीं हुआ। जिन शिकायतों के बाबत अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता जांच कर रहे हैं उनके बाबत भी अभी जांच जारी है।

(11) कुछ मामलों में जिलाधीश जांच कर रहे हैं और कुछ मामलों में अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता के द्वारा जांच की जा रही हैं। ऐसी दशा में अन्य कोई कमिश्नर नियुक्त करके जांच करवाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जोधपुर के एस. एन. मेडिकल कालेज में इन्टेन्सिव केयर यूनिट

368. **श्री अमृतलाल गहलोत** (सरदारपुरा, जोधपुर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सत्य है कि जोधपुर के एस. एन. मेडिकल कालेज एवं सम्बन्धित अस्पताल में "कार्डियो रेसिप्रेट्री" बीमारियों के इलाज के लिए "इन्टेन्सिव केयर यूनिट" की अत्यन्त आवश्यकता वर्षों से है? यदि हां, तो उपरोक्त यूनिट की स्थापना कब तक करा दी जायगी।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

उत्तर

जी हाँ। धन उपलब्धि पर

बाड़मेर जिले में ओल्ड एज पेन्सन के मामले

369. **श्री वृद्धिचन्द्र जैन** (बाड़मेर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) बाड़मेर जिले में मार्च, 1972 से फरवरी, 1974 तक ओल्ड एज पेन्शन कुल कितने लोगों को मिली ? नामों एवं पते की तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) उक्त विषय में किन किन की दरख्वास्तें पेंडिंग हैं उनकी तहसीलवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ?

(3) उक्त दरख्वास्तों पर कब तक निर्णय कर दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) बाड़मेर जिले में मार्च 1972 से फरवरी 1974 तक 220 व्यक्तियों को वृद्धावस्था पेन्शन मिल रही है, जिनकी तहसीलवार सूची संलग्न है।

(2) जिला बाड़मेर में 23 व्यक्तियों के आवेदन पत्र वृद्धावस्था पेन्शन स्वीकृत करने हेतु विचाराधीन है। सूची संलग्न है।

(3) उक्त विचाराधीन पत्रों का निपटारा प्रार्थियों द्वारा नियमानुसार आयु प्रमाण-पत्र एवं अन्य एतराजों की पूर्ति किये जाने पर तथा जांच पूरी होने आदि के बाद शीघ्र ही किया जावेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

फियेट कारों का कोटा

370. **श्री रामरघुनाथ** (डेगाना): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

1. क्या यह सही है कि अन्य राज्यों की तरह राजस्थान को भी प्रीमियर प्रेसीडेन्ट फिएट) कारों का कोटा टैक्सी के लिए अलग से निर्धारित है ? अगर हां, तो प्रति वर्ष कितनी कारें इस कोटा के अन्तर्गत आती हैं ? वर्ष 1972-73 व 1973-74 में कितनी कारें उक्त कोटे में आईं व कितनी कारें टैक्सी चालकों को दी गयीं ?

2. कितनी कारें इस कोटे में से लैप्स हो गईं इसका क्या कारण था ?

3 इस कोटे के लैप्स हो जाने से राज्य सरकार को टैक्स का प्रति वर्ष कितना नुकसान हुआ ?

उत्तर

(1) जी हां। 1972-73 में 39 कारें एवं 73-74 में 150 (दिसम्बर 73 तक) कारें टैक्सी कोटा में उपलब्ध थी। इनमें से 72-73 में 9 कारें एवं 73-74 में 27 (दिसम्बर 73 तक) कारें टैक्सी चालकों को आवंटित की गई।

(2) 1972-73 में 30 कारें एवं 37-74 में 123 कारें (दिसम्बर 73 तक) टैक्सी

(यातायात मंत्री)·

कोटा के अन्तर्गत बच रही जिन्हें भारत सरकार के पत्र क्रमांक 16 (39)/72 ऐ. सी. आई. (1) दिनांक 30·4·73 के अनुसार डीलर कोटा में स्थानान्तरित करने हेतु मेन्यूफैक्चरर को लिख दिया गया।

चूंकि ये गाड़ियां डीलर कोटा में स्थानान्तरित कर दी गई थी, इस कारण राज्य सरकार को कोई विशेष नुकसान नहीं हुआ।

अपंग लोगों को सरकारी सहायता

371. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) राज्य में कितने अपंग लोगों को सरकारी सहायता मिल रही है? सूची जिलेवार सदन की मेज पर रक्खें।

(2) राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों में अपंग व्यक्तियों के कितने आवेदन पत्र विचाराधीन अथवा निर्णयापेक्षी पड़े हैं और इनका निर्णय कब तक हो जावेगा?

उत्तर

(1) राज्य में 1655 अपंग अपाहिज व्यक्तियों को अपाहिज पेन्शन मिल रही है जिनकी जिलेवार सूची संलग्न है।

(2) अपंग, अपाहिज व्यक्तियों के 266 आवेदन-पत्र विचाराधीन अथवा निर्णयापेक्षी है इनका निबटारा, प्रार्थियों द्वारा एतराज की पूर्ति किये जावे, जांच पूरी होने, आदि के बाद शीघ्र ही किया जायेगा।

(कृपया परिशिष्ट 7 देखिये)

तहसील अनूपगढ़ में समाज कल्याण विभाग द्वारा ऊंट व बैलों के लिए दी गई राशि

372. श्री बेगाराम चौहान (रायसिंह नगर): क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

तहसील अनूपगढ़ में समाज कल्याण विभाग द्वारा 1972 से 1974 तक ऊंट बैलों के लिए किस किस भूमिहीन को एक हजार रुपया दिया गया और उनके जमीन के मु. नं. क्या है? सायल का नाम, पिता का नाम सहित पूर्ण विवरण सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

समाज कल्याण विभाग द्वारा तहसील अनूपगढ़ जिला गंगानगर में वर्ष 1972-73 एवं 1973-74 में जिन व्यक्तियों को ऊंट बैलों के लिए जो धनराशि स्वीकृत की गई उसकी सूची संलग्न है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

नागल राजावतान की आबादी भूमि

373. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा): क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या नागल राजावतान तहसील दौसा की सार्वजनिक निर्माण विभाग की चौकी और सड़क के बीच की आबादी भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन है अथवा पंचायत के अधिकार में है?

Page No 36

(36)

(श्री मूलचन्द सामरिया)

(2) उक्त भूमि यदि पंचायत की आबादी भूमि है तो श्री लक्ष्मणसिंह की पाटोल और श्री संजीव आदि की यड़ियां सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा क्यों नष्ट की गई ?

(3) यदि उक्त आराजी आबादी में नहीं है तो श्री हरिनारायण पुत्र धन्नालाल को पंचायत द्वारा प्रदत्त पट्टा सार्वजनिक निर्माण विभाग ने क्यों वैध माना तथा उसकी पाटोल क्यों नहीं हटाई ?

उत्तर

(1) सार्वजनिक निर्माण विभाग की चौकी एवं सड़क के बीच की भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग की भूमि है।

(2) उक्त भूमि सार्वजनिक निर्माण विभाग की है, श्री लक्ष्मणसिंह और संजीव विभागीय भूमि पर अनाधिकृत कब्जा किये हुये थे। अतः एस. डी. ओ. दौसा के आदेशानुसार मई 1972 में सार्वजनिक निर्माण विभाग की सीमा से पाटोल व यड़ी हटाकर सड़क सीमा से बाहर रख दी गई थी।

(3) श्री हरिनारायण पुत्र धन्नालाल को पाटोल हटाने के संदर्भ में पुलिस थाना दौसा व एस. डी. ओ. कोर्ट दौसा में रिपोर्ट 5-2-74 को भेजी गई है।

बीकानेर जिले में अकाल राहत का सामान

374. श्री चुन्नीलाल इन्दलिया (नोखा) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) बीकानेर जिले में अकाल राहत के समय सन् 1968 व 1969 में किस किस केम्प पर कितनी कितनी कढ़ाई, फावड़े, पानी के ड्रम, गेंती व लोहे की दस फुटी टीन मजदूरों के छपरे बनाने के लिए किस किस ग्राम में कितना 2 उपरोक्त सामान किस किस ओवरसियर के मारफत राहत शिविरों पर दिया गया ? राहत शिविरों पर गांवों का नाम तथा तादाद वस्तु दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) क्या यह सही है कि राहत कार्यों की समाप्ति के बाद उक्त सामान पी. डब्ल्यू. डी. स्टोर बीकानेर में आज तक जमा नहीं हुआ है ? यदि हां, तो क्यों तथा किस किस व्यक्ति के नाम उक्त सामान बकाया है ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(स्थगित किया गया)

काली सिंध एवं अरनियां नदी के पुल

375. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि जयपुर भोपाल मार्ग पर काली सिंध एवं घड़ा अरनियां नदी के पुलों को बनाने की स्वीकृति हो चुकी थी और सन् 73–74 के बजट में राशि भी स्वीकृत हुई थी ? यदि हां तो कितनी तथा कार्य चालू नहीं करने के क्या कारण हैं ?

(2) अब उक्त दोनों पुलियाओं का कार्य कब चालू होगा ?

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(1) यह सही है, कि जयपुर भोपाल मार्ग पर काली सिंध एवं धार अरनिया नदी पर पुलों को बनाने की स्वीकृति हो चुकी है। सन् 73-74 में इन पुलों के लिये 6 लाख रुपये का प्रावधान था, इस मार्ग को पांचवी योजना में राष्ट्रीय मार्ग घोषित करने का प्रस्ताव भारत सरकार के विचाराधीन है, अतः इन पुलों का कार्य आरम्भ नहीं कराया गया है।

(2) उपरोक्त धनराशि अपर्याप्त होने के कारण इन पुलों का कार्य आरम्भ नहीं कराया गया है।

मारवाड़ व गिरवर बांधों का कार्य

376. श्री भूराराम (आबू) : क्या सिंचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) पिंडवाड़ा तहसील में केर मांडवाड़ा बांध का कार्य कब से प्रारम्भ किया गया तथा किस किस साल में क्या क्या कार्य करवाया गया ? प्रारम्भ से लेकर अब तक किस किस साल में कितने कितने रुपये स्वीकृत हुए और कितने रुपये खर्च हुए ? कितना कार्य पूर्ण हुआ ? कितना अभी तक अधूरा है ? शेष रहा कार्य कब तक पूरा हो जायेगा ? तथा आज तक इस बांध पर कितनी धनराशि खर्च हुई ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) आबूरोड तहसील में गिरवर बांध का कार्य कब से प्रारंभ किया गया तथा किस किस साल में कार्य करवाया गया ? प्रारम्भ से लेकर अब तक किस 2 साल में कितनी 2 धनराशि स्वीकृत हुई ? आज तक इस पर कितनी धनराशि व्यय की गई है तथा कितना कार्य पूर्ण हुआ और कितना शेष रहा ? शेष रहे कार्य पर और कितनी पूंजी लगने का अनुमान है ? क्या राज्य सरकार का अधूरे बांधों का सम्पूर्ण करने का इरादा है ? अगर हां, तो कब तक ?

उत्तर

(1) फिर मांडवाड़ा बांध का कार्य जनवरी 1967 में आरम्भ किया गया था। वर्ष 1966-67, 67-68, 68-69, 69-70, 70-71, तथा 73-74 में मिट्टी का कार्य एवं इसके अलावा वर्ष 69-70 में चुनाई कार्य और नींव हेतु पत्थर कटाई के कार्य करवाए गए। प्रारम्भ से अब तक 7, 28, 890 रु. खर्च हुए जिससे 29 लाख घनफुट मिट्टी तथा 80,000 रुपये की लागत के पक्के कार्य करवाए गए। शेष कार्य 56 लाख घनफुट मिट्टी तथा 1, 98, 000 रुपये के पक्के कार्य, स्लूईस गेट लगाना इत्यादि शेष है। पांचवी पंचवर्षीय योजना में शेष कार्य पूरा होने की आशा है।

(2) गिरवर बांध का कार्य दिनांक 15-3-67 से प्रारम्भ करवाया गया। इस बांध पर वर्ष 1966-67, 67-68, 69-70, 70-71, 71-72 तथा 73-74 में कार्य करवाया गया। आरम्भ से अब तक इस पर कुल राशि 16,32,000 रु० की स्वीकृत हुई तथा कुल व्यय 11,14,779 रु० हुआ जिससे 30 लाख टन फीट मिट्टी तथा 1,50,000 रु० की लागत के पक्के कार्य करवाये गए। शेष 22 लाख घन फीट मिट्टी तथा 1 लाख

(सिंचाई मंत्री)

रु० के पक्के कार्य करवाने हैं जिस पर लगभग 6 लाख रु० और व्यय होंगे। पांचवी पंचवर्षीय योजना काल में इस कार्य को पूरा करने की आशा है।

डूंगरगढ़-भूंपा सड़क के नीचे आई भूमि का किसानों को मुआवजा

377. श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(1) राष्ट्रीय पथ श्री डूंगरगढ़ से भूंपा का चुरू जिले का जो हिस्सा है में कितने किसानों की कितनी बीघा भूमि इस पथ के नीचे आई ? इस भूमि के मुआवजे के रूप में कितनी कितनी राशि किस किस किसानों की तय की गई तथा कितनी कितनी चुकाई गई ? किसान वार व खसरे वार, कितनी कितनी राशि अब तक चुकानी शेष है ? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) उक्त बकाया का भुगतान आज तक न करने का क्या कारण है तथा अब इस राशि का भुगतान कब कर दिया जावेगा ? और क्या उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में किसानों के नाम से हटा दी गई ? यदि नहीं तो कब तक हटवा दी जावेगी।

उत्तर

(1) डूंगरगढ़ से भूंपा जिला चुरू के भाग में 54 खातेदारों की 267 बीघा 1 बिस्वा भूमि सड़क निर्माण में आई है।

वांछित सूचना सूची (अ) में अंकित हैं।

(2) 32 खातेदारों को भुगतान कर दिया गया है।

22 खातेदारों में से 2 की मृत्यु हो गई हैं, और 20 खातेदारों ने मुआवजा लेना अस्वीकार कर दिया है। ऐसे आसामीयान की सूचना उपरोक्त सूची (अ) में अंकित कर दी गई है।

राजस्व अधिकारियो को प्रवाप्त भूमि सम्बन्धित किसानों की भूमि में से कम कर सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम अंकित करने को लिख दिया गया हैं :

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)।

राजस्थान में सड़कों का निर्माण

378. श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

राजस्थान के निर्माण से आज तक कुल कितनी मील डामर, कंकरीट एवं ग्रेवल सड़कों का निर्माण हो चुका है ? प्रत्येक की अलग से जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

उत्तर

राजस्थान निर्माण से पूर्व 31-3-49 की जिलेवार डामर कंकरीट एवं ग्रेवल रोड की लम्बाई तथा 31-3-73 तक सड़कों की लम्बाई सूची (अ) में अंकित हैं।

(कृपया परिशिष्ट 8 देखिये)

बिग्गावास, रामसरा निवासियों द्वारा विद्युत कनेक्शन हेतु प्रार्थना-पत्र

379. श्री लूणाराम (डूंगरपुर) : क्या विद्युत मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सही है कि बिग्गावास रामसरा तहसील श्री डूंगरगढ़ के कुछ निवासियों ने सहायक अभियन्ता विद्युत श्री डूंगरगढ़ के कार्यालय में अनुमानित 3 साल से पूर्व विद्युत् कनेक्शन देने के पांच पांच रुपयों सहित प्रार्थना-पत्र दिये थे ? यदि हां, तो कुल कितने प्रार्थना-पत्र थे ?

(2) क्या यह सही है कि जिस समय प्रार्थना-पत्र दिये उस समय 3 प्रार्थना-पत्रों के पीछे एक खम्भा देने का प्रावधान था ? यदि हां, तो इस समय क्या प्रावधान है ? तथा उक्त निवासियों को विद्युत कनेक्शन कब तक दे दिये जायेंगे ?

उत्तर

(1) जी हां, कुल 88 प्रार्थना-पत्र दिनांक 5-12-69 को सहायक अभियन्ता, विद्युत मण्डल, श्री डूंगरगढ़ के कार्यालय में प्राप्त हुए थे।

(2) जी नहीं, यदि किसी कनेक्शन की अनुमानित धनराशि पर कम से कम 18 प्रतिशत वार्षिक राजस्व प्राप्त हो तो कनेक्शन मण्डल के नियमानुसार दे दिया जाता है। अगर ऐसा नहीं होता हैं तो उपभोक्ताओं को अनजस्टीफाइड भाग की धनराशि भी जमा करानी पड़ती है। अगर उपभोक्ता निर्धारित समय के अन्दर ऐसा नहीं करते है तो उनके प्रार्थना-पत्र रद्द कर दिये जाते हैं। यही नियम अभी भी लागू है। प्रार्थियों को दिनांक 14-3-72 को डिमाण्ड नोटिस जारी किये गये थे, किन्तु निर्धारित समय के अन्दर किसी भी प्रार्थी द्वारा डिमांड नोटिस की राशि जमा न कराने के कारण उनके प्रार्थना-पत्र मण्डल के नियमानुसार रद्द कर दिये गये। अतः उनको अब कनेक्शन देने का प्रश्न ही नहीं उठता।

झालरापाटन के स्कूल की क्रमोन्नति

380. श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरापाटन) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि झालरापाटन की आबादी बीस हजार के लगभग होते हुए एवं सड़कों की तादाद अच्छी होने पर भी यहां के स्कूल को हायर सेकेण्डरी में क्रमोन्नत नहीं किया ?

(2) यदि हां, तो क्यों तथा अब कब क्रमोन्नत कर दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) यह सही है कि यह शाला क्रमोन्नत नहीं की गई है।

(2) बजट में आवश्यक प्रावधान होने पर तथा राज्य के अन्य विद्यालयों के साथ इस पर विचार किया जावेगा। बशर्ते कि यह शाला क्राइटेरिया में आ जाय।

एस. टी. सी. के लिए शैक्षणिक योग्यता

381. श्री नाथूराम (बागीदोरा) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री नाथूराम)

(1) शिक्षक प्रशिक्षण (एस. टी. सी.) के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता क्या है ? यदि कोई आवेदक सैकण्डरी अथवा हायर सैकण्डरी में अंग्रेजी व गणित अनिवार्य उत्तीर्ण नहीं करता है तो क्या उसे प्रशिक्षण में प्रवेश दिया जा सकता है ?

(2) क्या यह सही है कि विद्यालय निरीक्षक बांसवाड़ा ने इन व्यवस्थाओं का पालन नहीं किया ? यदि हां, तो क्यों ? और विभाग द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो चालू सत्र में विद्यालय निरीक्षक बांसवाड़ा ने प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए चयन कर प्रवेश हेतु जो सूचियां प्रकाशित की एवं सम्बन्धित प्रशिक्षणालयों को भेजी उनके सैकेण्डरी, हायर सैकेण्डरी के अनिवार्य विषय क्या क्या थे ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें । इनमें से कितने आवेदकों को कहां कहां प्रवेश दिया गया, कितने प्रवेश के पश्चात् कब कब शाला छोड़ गये और अब बांसवाड़ा केन्द्र में कितने स्थान उपलब्ध है ?

(3) क्या यह सही है कि वर्तमान विद्यालय निरीक्षक का व्यवहार अनुसूचित जाति/जनजाति के आवेदकों के प्रति सहानुभूतिजनक नहीं है ? यदि हां, तो जन-जाति बाहुल्य जिले के लिए इनकी क्या उपयोगिता है और सरकार इस ओर उदासीन क्यों है । यदि नहीं तो बांसवाड़ा केन्द्र में प्रवेश की अन्तिम तिथि क्या थी ? सवर्णों को कब कब प्रवेश दिया गया और आरक्षित स्थानों पर कब प्रवेश दिया गया था ? सूची सदन की मेज पर रखने का श्रम करें । क्या आरक्षित सूची के सभी आवेदकों को सूचना भेजी गई थी ?

(4) क्या यह सही है कि एस.टी.सी. में प्रवेश के लिए प्रार्थना-पत्र की अन्तिम तिथि 15-7-73 थी उस समय बांसवाड़ा केन्द्र नहीं खुला था और कर्मचारियों की हड़ताल के कारण तिथि आगे बढ़ाई गई किन्तु विद्यालय निरीक्षक बांसवाड़ा द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई और जिले के गरीब आवेदक जो बाहर जाने में विवश थे स्थानीय प्रशिक्षण सुविधा से वंचित किये गये ? यदि हां, तो क्यों ? यदि नहीं तो विद्यालय निरीक्षक द्वारा क्या कार्यवाही की गई और उसके सन्दर्भ में किस किस के आवेदन पत्र आये सूची सदन की मेज पर रखने का श्रम करें ।

उत्तर

(1) शिक्षक प्रशिक्षण (एस.टी.सी.) के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पुरुष आशार्थियों के लिए हायर सैकेण्डरी तथा महिला आशार्थियों के लिए सैकेण्डरी (हिन्दी अंग्रेजी एवं गणित विषयों के साथ) निर्धारित है । परन्तु गणित विषय को छूट दी हुई है । अंग्रेजी विषय सैकेण्डरी व हायर सैकेण्डरी में होना आवश्यक है ।

(2) यह सही नहीं है । प्रश्न ही नहीं उठता । विद्यालय निरीक्षक, बांसवाड़ा के अधीन केवल एक एस. टी. सी. स्कूल बांसवाड़ा में है इस स्कूल के लिए 125 स्थान बांसवाड़ा जिले के आशार्थियों के लिए और 50 चित्तौड़ जिले के आशार्थियों के लिए निर्धारित किए गये थे । एस. टी. सी. स्कूल बांसवाड़ा के लिए जिन आशार्थियों को चयन करके प्रवेश दिया गया है । उनके सैकेण्डरी एवं हायर सैकेण्डरी परीक्षाओं के विषय सूची में अंकित हैं । इन सभी आशार्थियों को एस.

(शिक्षा मंत्री)

टी. सी. बांसवाड़ा में प्रवेश दिया गया। वर्तमान में बांसवाड़ा एस. टी. सी. विद्यालय में कुल 172 छात्राध्यापक प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं।

(3) यह सही नहीं है। सरकार के उदासीनता का प्रश्न ही नहीं उठता। सरकार द्वारा निर्धारित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लिए 25% स्थान के बजाय करीब 64% तक इन जातियों के आशार्थियों को प्रवेश दिया गया है। बांसवाड़ा क्षेत्र बाढ़ग्रस्त होने के कारण यहां पर प्रवेश की अन्तिम तिथि दिनांक 30-9-73 तक रखी गई थी।

(4) यह सही है। विद्यालय निरीक्षक द्वारा कोई लापरवाही नहीं बरती गई। अनुसूचित जाति एवं जनजाति महिलाओं के आरक्षित स्थान रिक्त रह जाने के कारण और यह क्षेत्र बाढ़ग्रस्त होने के कारण आवेदन पत्र प्राप्त करने की तिथि प्रथम बार 15-9-73 तक बढ़ाई गई थी।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

राजस्थान स्पोर्ट्स कौन्सिल में श्रीमती भूपेन्द्र होरा के वेतन का मामला

382. श्री जगमोहन सिंह (छाबड़ा): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि श्रीमती भूपेन्द्र होरा की नियुक्ति राजस्थान स्पोर्ट्स कौन्सिल में एथेलेटिक के पद पर 15 मई सन् 66 को की गई थी?

(2) क्या यह भी सही है कि इन्हें नियुक्ति काल से अब तक एक भी वार्षिक वेतन वृद्धि का भुगतान नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(3) श्रीमती होरा के साथ अन्य किन किन को नियुक्त किया गया था, और उन्हें श्रीमती होरा से कितना वेतन अधिक दिया जा रहा है? कृपया सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) वार्षिक वेतन वृद्धि हेतु श्रीमती होरा ने विभाग को अब तक कितनी बार रिप्रेजेन्टेशन किए एवं उन पर क्या कार्यवाही हुई? क्या यह सही है कि वार्षिक वेतन वृद्धि दिए जाने बाबत विभाग से आदेश कई बार हो चुके हैं परन्तु श्री बंसल जो केशीयर-कम-एकाउन्टेन्ट हैं विभागीय आदेशों को दबा कर बैठे हैं? यदि हां, तो विभाग ने श्री बंसल के खिलाफ क्या कार्यवाही की?

उत्तर

(1) जी, हां।

(2) यह सही नहीं है। वेतन वृद्धि का भुगतान किया गया है।

(3) श्रीमती होरा के साथ अन्य किसी की नियुक्ति नहीं की गई।

(4) वार्षिक वेतन वृद्धि व एरियर के लिये कुल मिलाकर श्रीमती होरा ने सात रिप्रेजेन्टेशन दिये। उन पर कार्यवाही कर श्रीमती होरा को भुगतान किया जा चुका है। विभागीय आदेशों के बारे में जांच जारी है व निर्णय पर पहुंचने पर दोषी व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 14-3-74)

हिन्दी और राजस्थानी भाषा की उपलब्धियां

141. श्री शंकरलाल (पाली) : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) हिन्दी भाषा और राजस्थानी भाषा को प्रोत्साहन देने सम्बन्धित राज्य की चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक क्या उपलब्धियां रहीं ?

2. पंचम पंचवर्षीय योजना में इस हेतु क्या प्रावधान रखे गये हैं ?

(स्थगित किया गया)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 14-3-74)

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के व्यक्तियों की उद्योगों में नियुक्तियां हेतु सुरक्षित स्थान

152. श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) : क्या समाज कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जन जाति के लोगों को समाज के अन्य वर्ग के समान लाने में व उनकी आर्थिक स्थिति सुधारना क्या सरकार आवश्यक मानती है ? यदि हां, तो राज्य में चल रहे कितने उद्योगों के लाइसेन्स, परमिट आदि दिए हैं ?

(2) क्या नियुक्तियों में सुरक्षित स्थान रखने की तरह उद्योगों में भी इस वर्ग के व्यक्तियों के लिये सुरक्षित स्थान रखे जाने से इनकी आर्थिक स्थिति सुदृढ़ नहीं हो सकेगी ? यदि हां, तो राज्य सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही करने का विचार रखती है ?

उत्तर

(1) जी हां। उद्योग लगाने के लिये उद्योग विभाग द्वारा कोई लाईसेन्स या परमिट नहीं दिये जाते हैं। जो लोग उद्योग लगाने के लिये आवेदन पत्र देते हैं वे चाहे किसी वर्ग के हों उन पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(2) इसी प्रकार का न तो कोई मामला इस विभाग के विचाराधीन है, और न ही यह संभव है।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 14-3-74)

गंगानगर जिले में कुओं पर बिजली की मांग

153. श्री गुरदयाल सिंह सन्धु (करणपुर) : क्या विद्युत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला गंगानगर में इस समय कितने कुए बने हुए हैं जिन पर बिजली दी जाने की मांग की हुई है ? इनमें से कितने सैक्शन्ड एरिया में हैं और कितने अनसैक्शंड में ? इनमें से कितनों को बिजली दो गज के कम अन्तर से देनी है और कितनों को सौ गज से कम के फासले से ? इनमें से कितने सैक्शण्ड एरिया में हैं और कितने अनसैक्शंड एरिया में ? पूरी सूची गांववार कुए बनाने वाले के नाम सैक्शन्ड और अन सैक्शण्ड एरिया का अलग अलग वर्णन दर्शाते हुए सूची सदन की मेज पर रखें।

Page No 43

43

(श्री गुरदयाल सिंह संधु)

(2) उक्त क्षेत्र में वर्ष 1973-74 में कितने कुओं को बिजली दी गई है ? इनमें से सैंक्शन्ड एरिया में कितने और अनसैंक्शंड एरिया में कितने हैं ?

(3) गत पांच वर्षों में जिला गंगानगर में कहां कहां और कब कब और किस किस को बिजली दी गई ? उनमें से कितने सैंक्शंड और कितने अनसैंक्शंड एरिया में हैं ?

(4) जो अनसैंक्शंड एरिया में बिजली दी गई है, उसका क्या आधार है और अब अनसैंक्शन्ड एरिया में बिजली क्यों नहीं दी जा रही है ?

उत्तर

(1) श्री गंगानगर खण्ड में कुल 49 प्रार्थना-पत्र कुओं को बिजली देने के लिये बकाया हैं जो सभी स्वीकृत क्षेत्र में हैं। इनमें से 10 कुओं को बिजली 200 गज या इससे कम की दूरी से दी जानी है और 26 कुओं को 200 गज से ज्यादा की दूरी से बिजली दी जानी है। शेष 13 कुओं के प्रार्थना-पत्रों के एस्टीमेट बनना बाकी है। आवेदकों के नाम सहित पूर्ण विवरण देते हुये सूची 'ए' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) श्री गंगानगर खण्ड में वर्ष 1973-74 में कुल 118 कुओं को बिजली दी गई है जिनमें से 74 कुएं स्वीकृत क्षेत्र में हैं और 24 कुएँ अस्वीकृत क्षेत्र में हैं।

(3) गत पांच वर्षों में (1-4-69 से 28-2-74 तक) श्री गंगानगर खण्ड में 664 कुओं को बिजली दी गई है, जिनमें से 551 कुए स्वीकृत क्षेत्र में हैं और 113 कुए अस्वीकृत क्षेत्र में हैं। स्वीकृत व अस्वीकृत क्षेत्रों में दिये गये कनेक्शन की अलग अलग सूची 'बी' व 'सी' सदन की मेज पर रख दी गई है।

(4) अस्वीकृत क्षेत्र के कुओं को बिजली मण्डल द्वारा समय समय पर जारी किये गये आदेशों के अनुसार दी गई है। अस्वीकृत गांवों को बिजली देना मण्डल के आदेशों के अनुसार बन्द कर दिया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 14-3-74)

गंगानगर में चक 39 आर.बी. लिंक रोड की भूमि अवाप्ति का मुआवजा

155. श्री गुरदयाल सिंह सन्धु (करणपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि जिला गंगानगर में सड़कों के निर्माण हेतु भूमि प्राप्त करने के लिये बीकानेर में श्री अर्जुनसिंह अधिकारी को एल. ए. ओ. नियुक्त किया हुआ था जो इस समय अवकाश पर हैं और जो शीघ्र सेवा निवृत्त होने को हैं ?

(2) क्या यह सही है कि पिछले वर्ष 1973 में उन्होंने सार्वजनिक निर्माण विभाग का कोई कार्य नहीं किया और घर बैठकर वेतन प्राप्त करते रहे हैं ?

(3) क्या यह सही है कि जिला गंगानगर में चक 39-आर.बी. लिंक रोड की भूमि अवाप्ति का मुआवजा (अवार्ड) बनाये

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

के लिए मुख्य अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण (सड़क व भवन) विभाग जयपुर की ओर से उपरोक्त कार्य के लिए बहुत से तार व पत्र लिखे गये और इसी प्रकार एस. ई. सार्वजनिक निर्माण विभाग गंगानगर द्वारा भी लिखा गया मगर भूमि अवाप्ति अधिकारी ने किसी भी आदेश की पालना नहीं की ?

(4) उपरोक्त अधिकारी ने इस मामले में कब कब और कितने पत्र लिखे ?

(5) क्या सरकार उपरोक्त अधिकारी श्री अर्जुनसिंह जिसने विभाग के आदेशों का पालन नहीं किया, के विरुद्ध शीघ्र कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) श्री अर्जुनसिंह बीकानेर में एल० ए० ओ० नियुक्त किये हुये थे, जो सेवा निवृति पूर्व अवकाश पर 24-12-73 से थे, उन्हें 4 मार्च 1974 को मध्याह्न पूर्व सेवा निवृत कर दिये गये हैं ।

(2) प्राप्त जानकारी अनुसार श्री अर्जुन सिंह ने वर्ष 1973 में 11 केसेज धारा 4 तथा 6 की कार्यवाही के तैयार किये हैं, 6 मामलों में अवार्ड जारी किये हैं, तथा इसके साथ अन्य कार्यालय कार्य निपटाया हैं ।

(3) पदमपुर रायसिंहनगर रोड में चक 39 और बी लिंक रोड में अवाप्त भूमि के अवार्ड में शीघ्र आवश्यक कार्यवाही किये जाने का मुख्य अभियन्ता, भवन व पथ, एवं अधिक्षण अभियन्ता, भवन व पथ, द्वारा चार चार पत्र दिये हैं ।

उक्त अधिकारियों द्वारा तार नहीं दिये हैं । अवार्ड अभी नहीं दिया है ।

(3) भूमि अवाप्ती अधिकारी बीकानेर द्वारा भिन्न भिन्न अधिकारियों को लिखे पत्रों की पत्र संख्या व दिनांक सूची (अ) में अंकित है ।

(5) पदमपुर रायसिंहनगर से एप्रोच रोड चक 39 आर बी. की पुनः स्वीकृति नहीं होने के कारण भूमि अवाप्ती अधिकारी ने अवार्ड नहीं दिया है ।

(कृपया परिशिष्ट 9 देखिये)

जिला झालावाड़ को लोहा, चद्दर आदि का कोटा

168. श्री राम प्रसाद बोहरा (झालरापाटन):—क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) जिला झालावाड़ में 1 जनवरी, 1972 से 31 दिसम्बर, 1973 तक लोहा, चद्दर आदि का कोटा किन किन व्यक्तियों को कब कब दिया गया ? कृपया सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें ।

(2) क्या यह सही है कि जिला झालावाड़ को उक्त सामान का कोटा समय पर नहीं दिया गया और बहुत कम माल दिया जाता है जब कि सारा माल दूसरे जिले के व्यक्तियों को दिया जाता है ? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या यह सही है कि जिले के हिस्से के मुताबिक सप्लाई नहीं होती ? यदि हां, तो क्यों ?

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रखदी गई है।

(2) जी नहीं। माल प्राप्त होने पर जिलेवार वितरण किया जाता है। राजस्थान में लोह इकाईयों की क्षमता के आधार पर झालावाड़ जिले की क्षमता 0.6 प्रतिशत हैं। झालावाड़ औद्योगिक दृष्टिकोण से पिछड़ा जिला है और इस वर्ष से ग्रामीण औद्योगिक परियोजना में शामिल किया गया है, अतः वर्ष 73-74 में इस जिले को राजस्थान में प्राप्त माल का 1·4 प्रतिशत दिया गया है जो कि क्षमता को देखते हुये अधिक है।

(3) जी नहीं।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष : स्थगन प्रस्तावों पर व्यवस्था।

(विराम)

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :—

(1) सर्वश्री भानु कुमार शास्त्री और गिरधारी लाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से उदयपुर में गत 22 मार्च को बोहर धाड़ो स्थित कुरावड़ वाले के एक मकान पर किये गये आक्रमण के सम्बन्ध में,

(2) श्री योगेन्द्रनाथ हांडा, सदस्य विधान सभा की ओर से लूणकरणसर तहसील के 32 गांवों को फौजी चान्दमारी क्षेत्र घोषित कर देने के सम्बन्ध में।

इन स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जावेगा।

(3) सर्वश्री केदारनाथ व रामकिशन, सदस्य विधान सभा की ओर से सूरतगढ़ केन्द्रीय यान्त्रिक कृषि फार्म के मजदूरों द्वारा भूख हड़ताल के विषय में। माननीय सदस्य यदि चाहे तो आज श्रम विभाग की बजट की मांग के समय इस प्रश्न पर चर्चा उठा सकते हैं ?

(4) सर्वश्री योगेन्द्रनाथ हाण्डा, केशरी मल और मोहम्मद गफ्फार अली, सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर में होटल कर्मचारियों की हड़ताल के सम्बन्ध में,

(5) सर्वश्री भानुकुमार शास्त्री और गिरधारी लाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से जयपुर स्थित आकाशवाणी केन्द्र से सांय 7-10 बजे के पश्चात् समाचार बुलेटिन न होने के विषय में,

ये दोनों ही प्रश्न राज्य सरकार से सम्बन्धित नहीं है।

(6) सर्व श्री भानुकुमार शास्त्री और गिरधारीलाल भार्गव सदस्य विधान सभा की ओर से गत 17 मार्च को उदयपुर में बिजली का कार्य करते हुए एक लाइन मेन के खम्भे से नीचे गिर कर बेहोश हो जाने के विषय में। यह प्रश्न अविलम्बनीय लोक महत्व का नहीं है।

Page No 46

(५६)

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्री गिरधारीलाल भार्गव, सदस्य विधान सभा की ओर से जालोर के किले पर की जा रही तोड़ फोड़ के विषय में।

अतः मैं इन सब स्थगन प्रस्तावों को स्वीकृति देने में असमर्थ हूं।

श्री निरंजन नाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय मैंने भी 22 तारीख के उदयपुर के सम्बन्ध में निवेदन किया...

श्री अध्यक्ष : मैं निवेदन कर दूंगा।

श्री भानुकुमार शास्त्री (उदयपुर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने तीन स्थगन प्रस्तावों के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहा। उदयपुर के अन्दर 22 मार्च को कुछ गुण्डों ने एक नाना भाई बोहरा, कुरावड वाले उनके मकान पर सुबह 9½ बजे से लेकर आक्रमण किया। मकान के दरवाजे तोड़ दिये गये, बिजली के मीटर तोड़ दिये, वाटर कनेक्शन काट दिये, घर के कमरों में आग लगादी जो मोटर एसोसियेशन की फाइल थी वह जला दी, कपड़े जला दिये, बिस्तर जला दिये और जो सम्पत्ति थी लूट कर चले गये। आश्चर्य की बात तो यह है माननीय अध्यक्ष महोदय जबकि पुलिस खड़ी थी, डी. वाई. एस. पी. उपस्थित था। उन सम्बन्धित घर वालों ने डी. वाइ. एस. पी. को कहा आपकी उपस्थिति में इस प्रकार की लूट को रोक दिया जाय लेकिन पुलिस ने कोई ध्यान नहीं दिया। आज हमारे सदन के उपर जो रजा के मामले को लेकर घटना घटी थी वह इस बात को लेकर हुई थी। जो व्यक्ति इस जमात को जमा कराता है देवस्थान से उसका रजा न मिलने पर जो धर्म गुरु होता है उसके मामले में झगड़ा होता है। माननीय अध्यक्ष महोदय जिस घर पर आक्रमण किया गया वह घर नहीं था जिसे वे समझ रहे थे। जो प्रतिनिधि वहां रहते हैं वह नहीं है और आश्चर्य की बात है जो शहजादा बोहरा धर्म गुरु थे वे नाना जी भाई के यहां घर पर आकर ठहरे थे। केवल इस बात को लेकर सारे घर को तहस नहस कर दिया, दरवाजे तोड़ दिये, खिड़कियों के शीशे तोड़ दिये, सारे घर को बुरी तरह स्वाहा कर दिया और अध्यक्ष महोदय एक 80 साल की बुढ़िया थी जिसके पेरेलेसिस थी उसको उठा कर न ले जाया जाता तो वह जल कर राख हो जाती। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं, किसी व्यक्ति को कोई परमिशन नहीं दी जा सकती है यदि धर्म के रुचि नहीं है तो घर को जा कर आग लगा दी जाय, लूट लिया जाय। राज्य सरकार, पुलिस और प्रशासन ऐसा निष्क्रिय बन कर खड़ा है जो देखता रहा। मुझे देख कर संकोच होता है वहां का जो सत्ताधारी दल है मतलब कांग्रेस उसके कुछ कार्यकर्ताओं के प्रश्रय देने के कारण घटना घटी है। राज्य सरकार से निवेदन करना चाहूंगा जिलाधीश महोदय को आदेश दें इस प्रकार के आदेश दें कि ला एण्ड आर्डर मेन्टेन करने के लिये स्ट्रिक्टली व्यवहार करे और कोई सुरक्षा की मांग करता है तो उसको सुरक्षा प्रदान करें। नहीं तो अध्यक्ष महोदय धार्मिक विवाद को लेकर यह जहर सब जगह फैल जाएगा जिसको फिर रोकना संभव नहीं होगा।

दूसरा मेरा एक स्थगन प्रस्ताव आकाशवाणी के लिये है। मैं यह जानता हूं कि

(श्री भानुकुमार शास्त्री)

आकाशवाणी राजस्थान सरकार के कब्जे में नहीं है, भारत सरकार के कब्जे में है लेकिन हर प्रान्त में जो प्रशासनिक स्तर पर बुलेटिन प्रसारित होते हैं वे दो बार प्रसारित किये जाते है। यहां, माननीय अध्यक्ष महोदय, 7बजे बाद माननीय सदस्य बोलते हैं तो उसका प्रसारण नहीं होता है। माननीय मन्त्री जी जो उत्तर देते हैं दूसरे दिन जनता को सुनने को मिलता है। कभी कभी प्रदेश में ऐसी घटनायें घट जाती हैं जिनकी जानकारी उसी दिन होना जरूरी होता है लेकिन वे समाचार दूसरे दिन प्रादेशिक समाचारों में सुनने को मिलते हैं। अन्य प्रान्तों में जो सुविधा है—सुबह और शाम दो बार बुलेटिन प्रसारित होते हैं तो मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं वे भारत सरकार से निवेदन कर दो बुलेटिन चला कर राजस्थान की जनता को राज्य सरकार द्वारा किये गये निर्णय और राज्य सरकार में होने वाले महत्वपूर्ण घटनाओं से परिचित हो सके।

एक स्थगन प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष महोदय इस विषय में है कि उदयपुर के अन्दर एक लाइनमैन 17 मार्च को बिजली ठीक करते करते करेन्ट आ गया और धक्का खाकर दिल्ली गेट के बाहर गिर गया। लोहूलुहान हो गया और बेहोश हो गया। उस समय काफी भीड़ इकट्ठी हो गई। वहां के एक जिला अधिकारी की जीप वहां खड़ी थी। लोगों ने यह निवेदन किया कि जो लोहूलुहान और करेन्ट से धक्का खाकर गिरा हुआ मजदूर पड़ा है उसको इस जीप में हास्पीटल पहुंचाया जाये लेकिन खेद की बात है कि उस अतिरिक्त जिलाधीश ने वह मांग स्वीकार नहीं की और उसने मानवता खो दी और जमीन पर तड़पते हुए मजदूर को हास्पीटल नहीं पहुंचाया। लोगों ने जैसे तैसे करके उस मजदूर को हास्पीटल पहुंचाया। उसका उपचार हो गया लेकिन उत्तेजित भीड़ में से कुछ असामाजिक तत्वों ने जिला विकास अधिकारी के साथ अभद्र व्यवहार किया, मार पीट की लेकिन उसके बाद पुलिस एक घन्टे बाद आती है। पुलिस ने जो रवैया अपनाया वह यह था कि भूमि विकास बैंक के सामने जो ट्रान्सपोर्ट के मैनेजर श्री धनराज थे उनको गिरफ्तार करके ले गये कि आपने उसको पीटा, मारा और जीप जलाने की कोशिश की। पुलिस उन बदमाशों को जिन्होंने अभद्र व्यवहार किया, गड़बड़ी की और ला एण्ड आर्डर को हाथ में लिया उनको पकड़ने के बजाय एक ट्रान्सपोर्ट के मालिक को थाने पर ले जाकर गिरफ्तार किया और 5 हजार के मुचलके पर छोड़ा। मैं समझता हूं कि पुलिस ने जघन्य अपराध किया है। अगर यही कार्यवाही चलती रही तो अशांति फैलेगी। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि पुलिस को राज्य सरकार निर्देश दे कि जो शरारत करने वाले लोग हैं उनको गिरफ्तार करे। जो सच्चे लोग हैं और आसपास दुकान होना कोई अपराध नहीं है उनको गिरफ्तार करके परेशान किया गया तो उसके परिणाम बुरे होंगे। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने स्थगन प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री केशरीमल (ब्यावर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा एक स्थगन प्रस्ताव था। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री केशरीमल)

आये दिन श्रमिकों के मामले उलझ रहे हैं और उन पर राज्य सरकार और खास कर श्रम विभाग कोई ध्यान नहीं देता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, 26 तारीख से जयपुर में होटल वर्कर्स ने हड़ताल आरम्भ कर दी है और वह सैकड़ों की तादाद में है और बड़े बड़े होटलों में काम करते हैं और जिन होटलों में वह काम करते हैं वहां देश के और विदेश के बहुत से यात्री लोग आते हैं, ठहरते हैं, खाना पीना करते हैं और आराम भी करते हैं। उन होटलों के मजदूरों को सौ रुपया, अस्सो रुपया तनख्वाह के दिये जाये और वह भी आज की महंगाई के जमाने में और जयपुर शहर जो कि सबसे महंगा शहर है वहां पर इन मजदूरों का गुजर होना बहुत मुश्किल है। इसलिए इन मजदूरों ने तनख्वाह में इजाफे के लिए मांग की थी और राज्य सरकार को चाहिए था कि बीच में पड़ कर उनकी तनख्वाह बढ़वाने के लिए वह कार्यवाही करती लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इन मजदूरों ने 26 तारीख को हड़ताल की। ऐसा करने से न सिर्फ वह होटल के मजदूर हड़ताल पर हैं बल्कि इसकी वजह से बाहर से आने वाले यात्रियों को भी मुश्किलें होंगी और साथ ही साथ विधायकों को भी मुश्किल हो रही है। पंडित जी (श्री केदारनाथ) कह रहे हैं कि बहुत से विधायकों को भी खाने पीने में कठिनाई उपस्थित हो रही है। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं श्रममन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस मसले को जल्दी से जल्दी निपटाने की कोशिश करें और बीच में पड़कर होटल मालिकों और होटल मजदूरों में समझौता कराने की कार्यवाही करे और यह होटल वाले जो कि बहुत सा पैसा कमाते हैं दो नम्बर का और दूसरा भी तो उनसे पैसा इन मजदूरों को दिलाने में कोई मुश्किल नहीं है। मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करूंगा कि वह इस मामले को जल्दी निपटाने की व्यवस्था करें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : अध्यक्ष महोदय, आकाशवाणी का स्थगन प्रस्ताव आया है यद्यपि वह स्वीकार नहीं किया जा सकता लेकिन आकाशवाणी हमारे कार्य क्षेत्र में है और हमारे कार्यक्रमों को रिफ्लेक्ट करता है। इसलिए आपके माध्यम से यदि आकाशवाणी को कुछ सुझाव दिया जाये तो उचित होगा। मैं यह निवेदन करता हूं कि इस सदन की कार्यवाही में दिलचस्पी सारे ही राजस्थान को है और जब सदन बहुत देर तक बैठता है तो सारा राजस्थान यहां की कार्यवाही का विवरण सुनने में रुचि रखता है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, आपकी मारफत आकाशवाणी को हम यह सुझाव देना चाहते हैं कि सदन के रोज के जो क्षेत्रीय समाचार हैं वह समाचार प्रसारित किये जाते हैं वह बहुत ही न्यूनतम है। इसलिए दूसरा बुलेटिन जब तक सेशन चलता रहे दूसरा बुलेटिन राजस्थान की जनता के लिये हितकर है ऐसी मेरी मान्यता है और ऐसी सदन की मान्यता है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवामहल जयपुर) : माननीय अध्यक्ष जी, मेरा पहला स्थगन प्रस्ताव जालोर के किले के सम्बन्ध में है। मैं आपसे यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि यह किला पुरातत्व और ऐतिहासिक महत्व रखता है। अभी थोड़े दिनों पहले

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

चौमूं नगर का किला है उसको तोड़ाफोड़ा जा रहा है……

श्री रघुनाथ विश्नोई : तोड़ा नहीं जा रहा है रिपेयर्स की जा रही है।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : तोड़ा जा रहा है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : आप जाकर देखें तो सही।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरी जानकारी के अनुसार तोड़फोड़ की जा रही है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : सुन्दर बनाया जा रहा है।

श्री शंकरलाल : बिना तोड़े-फोड़े कैसे सुन्दर बनेगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : वहां के जो कलेक्टर महोदय हैं, एस० पी० महोदय हैं इस सारी तोड़फोड़ को संरक्षण दे रहे हैं। मेरा निवेदन करना यह है कि ऐसे किलों को नहीं तोड़ा जाना चाहिए बल्कि सरकार को ऐसे किलों की मरम्मत कराके सुचारु रूप से उनकी व्यवस्था की जानी चाहिए क्योंकि इस प्रकार से परकोटा तोड़ दिया गया…

श्री रघुनाथ विश्नोई : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहूंगा कि वह पहले स्थान का अध्ययन कर लें और फिर बोलें तो अच्छा होगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरे पास जो सूचना है मैं उसके आधार पर निवेदन कर रहा हूं…

श्री रघुनाथ विश्नोई : सब पार्टीज की तरफ से एक कमेटी बनाई है और उसमें आपके भी सदस्य शामिल हैं।

श्री अध्यक्ष : आप (श्री भार्गव) फरमा लें।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : मेरे पास जानकारी है उसके अनुसार ही मैं कह रहा हूं कि तोड़फोड़ की जा रही है। कलेक्टर और एस०पी० कुछ नहीं कर रहे हैं इसलिए उसकी रोकटोक होनी चाहिये, यह मेरा निवेदन है।

दूसरा मेरा स्थगन प्रस्ताव जिसमें मेरे भी हस्ताक्षर हैं वह इस आकाशवाणी के बारे में है। मैं यह कहना चाहूंगा कि सदन की कार्यवाही रात्रि के 11 बजे तक चलती है और पहरी लोग भी दुखी हो जाते हैं, गणगौर के दिन भी सदन होता है और सात, सात बजे तक चले तो मैं निवेदन करना चाहता था कि उसके प्रादेशिक समाचार पूरे नहीं हो पाते हैं। कई बार सात बजे वाले रेडियो प्रसारण में दो तीन क्वेश्चन्स को लेते हैं और जहां 11 बजे तक सदन चले तो उसके दूसरे दिन मन्त्री महोदय का स्टेटमेंट देंगे और सदन की कार्यवाही देर तक चले तो दो-दो मन्त्रियों की घोषणायें टकरा जाती हैं……

श्री शंकरलाल : आज तो 4½ बजे मुख बन्द कर देंगे उसके बाद कोई समस्या पैदा नहीं होगी। जब समस्या थी तब तो चर्चा आई नहीं और यह समस्या अपने आप ही आज से हल हो जायेगी।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : राज्य सरकार ने क्या घोषणाएं की हैं उसके बारे

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

में विस्तृत रूप से राजस्थान की जनता को ज्ञान प्राप्त हो सके, जानकारी प्राप्त हो सके क्योंकि कई लोग अखबार नहीं पढ़ते लेकिन आकाशवाणी से जो प्रादेशिक समाचार प्रसारित किये जाते हैं उनको जरूर सुनते हैं और देर रात तक चलने के कारण सदन के माननीय सदस्यों ने जो अपने बहुमूल्य विचार यहां व्यक्त किये उनका कवरेज रेडियो वाले नहीं कर पाते हैं। इसलिए यह आपके जुरिस्डिक्शन में इसलिए आता है कि यदि कोई रेडियो वाले माननीय सदस्यों की अनदेखी करते है तो वह उचित नहीं है। तो एक बुलेटिन यदि प्रातःकाल भी प्रसारित हो जाये तो सब को जानकारी प्राप्त हो सकेगी। यह मेरा निवेदन है।

तीसरा मेरा स्थगन प्रस्ताव जो कि बहुत महत्वपूर्ण है यह स्वर्णकारों के सम्बन्ध में है। लोगों की डिक्रियां की जा रही हैं .....

श्री अध्यक्ष : आज नहीं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : बहुत महत्वपूर्ण था।

श्री अध्यक्ष : हां जरूर होगा।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : जो आपकी आज्ञा। लेकिन उनके साथ अन्याय हो रहा है और स्वर्णकारों के आज मकान कुर्क किये जा रहे हैं।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली (जौहरी बाजार) : अध्यक्ष महोदय, अभी केसरीमलजी ने फरमा दिया है लेकिन मैं भी एक सुझाव के तौर पर अर्ज करूंगा। ऐसा है कि होटलों का किस्सा चल रहा है 26 तारीख से और कल से सब जगह हड़ताल कर दी गई है। इसमें ऐसा था कि मजदूरों और एम्प्लायर्स के दर्मियान एक समझौता हुआ था और उस समझौते में ऐसा था कि एडहाक तौर पर चालीस रुपये की बढोतरी की गई थी। अब एम्प्लायर्स चालीस रुपयों में से तीन रुपये काट कर देना चाहते हैं, बस इतना सा मसला इसमें है। मै यह चाहूंगा कि श्रम मंत्री दोनों के रिप्रेजेन्टेटिव्स को बुला कर इस मसले को तय करा दें वरना यह आन्दोलन तीव्र होगा और तमाम होटलें बन्द हो जायेंगी। इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। अगर इसमें पहले से सतर्कता होती तो यह मसला हल भी हो जाता। इसलिए मेरा सुझाव है कि लेबर मिनिस्टर साहब उनको बुला करके इस मसले को तय करा दें और तीन रुपये उनको मिलते रहें। अगर यह साबित हो जावे कि ये तीन रुपये गलत दिए गए हैं तो हम इस किस्म की गारण्टी दिला सकते हैं कि वे वर्कर्स बाद में इन रुपयों को कटवा देंगे। अब इसमें इतना सा झगड़ा है इसको आप हल करवा दें।

याचिका का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष : याचिका का उपस्थापन।

श्री भीमाराम।

(अनुपस्थित)

समिति का प्रतिवेदन

राजकीय उपक्रम समिति 20 एवं 21 वां प्रतिवेदन

श्री अध्यक्ष : श्री शंकरलाल।

श्री शंकर लाल (पाली) : (सभापति, राजकीय उपक्रम समिति) : अध्यक्ष महोदय, मैं राजकीय उपक्रम समिति के निम्नांकित प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :—

(श्री शंकर लाल)

अनुदान की मांगें

अनुपूरक अनुदान की मांगों, 1973-74 (द्वितीय संकलन) का विवरण

(1) राजस्थान वस्टेड स्पिनिंग मिल्स चूरू एवं लाडनूं तथा स्टेट वूलन मिल्स बीकानेर से संबंधित समिति का बीसवां प्रतिवेदन ।

(2) राजस्थान लघु उद्योग निगम द्वारा संचालित मयूर बीड़ी उद्योग, टोंक से संबंधित समिति का इक्कीसवां प्रतिवेदन ।

श्री अध्यक्ष : अनुपूरक मांगें ।

श्री चन्दनमल बैद (वित्त मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं अनुपूरक अनुदानों की मांगें, 1973-74 (द्वितीय संकलन) के विवरण का उपस्थापन करता हूं ।

श्री अध्यक्ष : अनुदानों की मांगें ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष मेरा प्रिविलेज मोशन था ...

मांग सं० 19

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मैं जानकारी देना चाहता था ..

श्री अध्यक्ष : आप चेम्बर में आ जायं ।

मांग संख्या 19, 20, 21 व 23

श्री हीरालाल देवपुरा (सार्वजनिक निर्माण मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग सं० 19 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4, 60, 16,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

मांग सं० 20

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग सं० 20 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय, को 1,95,47,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

मांग सं० 21

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग सं० 21 के सम्बन्ध में दिनांक 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,35,98,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मैंने अर्ज किया था ....

मांग सं० 23

श्री मोहनलाल छंगाणी (श्रम मंत्री) : अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि मांग सं 23 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किए जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,94,81,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे ।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अध्यक्ष महोदय, मेरा जो प्रिविलेज मोशन था''''

श्री अध्यक्ष : It is being examined.

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : उसके बारे में, मैं जानकारी के तौर पर अर्ज कर देता ''

श्री अध्यक्ष : Please excuse me. I shall not allow it.

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं अर्ज कर देता तो जानकारी हो जाती''''

श्री अध्यक्ष : I have already told you that it is being examined.

कोई प्रश्न नहीं है पहले जानकारी देने का। प्रिविलेज मोशन के लिए पहले से बोलने का कोई नियम नहीं है।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मैं अगर जानकारी दे दूं तो इसमें क्या आपत्ति हो सकती है अध्यक्ष महोदय'''

श्री अध्यक्ष : आप तो हमेशा ओबिबियेंट रहे हैं'''

श्री केदारनाथ : अध्यक्ष महोदय, ये इतना तो कह सकते हैं कि किस इश्यु पर यह मोशन है।

श्री अध्यक्ष : मैं कह चुका हूं कि एग्जामिन कर रहा हूं।

श्री केदारनाथ : किस इश्यु पर क्या प्रिविलेज मोशन है यह तो बता सकते हैं माननीय सदस्य।

श्री अध्यक्ष : That I have already noted.

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : यह फरमा देता हूं कि क्या इश्यु है फिर आप जो कुछ वाजिब समझें फैसला लें, लेकिन यह सवाल है''''

श्री अध्यक्ष : There is no provision in the rules to speak on privilege motion.

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आप फरमा देते कि यह'''

श्री अध्यक्ष : मैं उसको एडमिट करूं या न करूं या यह एडमिसिबल है या नहीं जब तक इस पर फैसला नहीं हो जाता यहां पर बहस नहीं हो सकती।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : अगर कोई अपनी सीमा को तोड़ कर आगे बढ़ता है और असेम्बली का अपमान करता है वह मामला यहां पर आना चाहिए। इसलिए ''

श्री अध्यक्ष : When it is being examined by the Chair, it is against the dignity of the House to raise it in the House.

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : आपकी डिग्निटि के साथ ही हाउस की डिग्निटि है। ऐसा है अध्यक्ष महोदय''''''

श्री अध्यक्ष : नो नो, मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : मेरा अर्ज करना है कि प्रेस वालों ने ''

Page No 53

53

श्री अध्यक्ष : कैसे आवे इसकी सलाह अगर आप चाहेंगे तो मैं आपको दे दूंगा But I shall not allow. You please meet me in the Chamber.

(श्री गफ्फारअली के खड़े रहने पर)

I shall not get it recorded.

It should not be reported even.

मैं एक निवेदन करना चाहूंगा कि आज साढ़े चार बजे बुलेटिन होगा। साढ़े तीन बजे से सरकार की तरफ से उत्तर हो जाएगा। दो मंत्री महोदय बोलने वाले हैं वे आध आध घण्टे में टाइम को एडजस्ट कर लें और साढ़े तीन बजे तक माननीय सदस्य बोल लें। मैं निवेदन करूंगा कि समय के अभाव को देखते हुए आमतौर पर दस दस मिनिट में माननीय सदस्य अपना भाषण समाप्त करने की कृपा करें।

श्री केदारनाथ : कटमोशन्स वाइज न लेकर पार्टीवाइज टाइम तय कर दें तो एक दो अपोजिशन की तरफ से ले लें तो चार कांग्रेस की तरफ से ले लें तो ज्यादा सुविधा होगी।

श्री मोहम्मद गफ्फार अली : तय कर दिया जाये तो चाहे एक पार्टीवाईज पार्टी से एक ही बोल लें आधे घण्टे तक....

श्री अध्यक्ष : पार्टीवाइज ही अपोर्शनमेंटली तय कर दूंगा, उसी अपोर्शनमेंट में जितना टाइम रहेगा, बोल सकेंगे।

कटौती प्रस्ताव। श्री गिरधारीलाल भार्गव।

कटौती प्रस्तावों का प्रस्तुतीकरण

श्री गिरधारीलाल भार्गव (हवा महल, जयपुर)

1. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 459—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर के समस्त राजकीय स्कूल भवनों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये)।

2. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 29 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

3. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर के बाजारों की सड़कों की दयनीय दशा पर चर्चा के लिये)।

4. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 283 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गन्दी बस्तियों की सफाई हेतु दी जाने वाली राशि के आवण्टन में होने वाले भेदभाव पर चर्चा के लिये)।

5. मांग संख्या 20, मुख्य शीर्षक 283 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अल्प आय वर्ग को आवन्टित भवनों में खराब मैटिरियल लगाने से शीघ्र गिर जाने पर मकानों में होने वाली क्षति पर चर्चा के लिये)।

6. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया

Page No 54

(54)

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

कम कर दिया जाय (जयपुर टोंक रोड पर टोंक फाटक के पास बन रहे पुल में होने वाली देरी पर चर्चा के लिये)।

7. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक फाटक के पास बन रहे पुल के निर्माण में खराब मेटिरियल लगाये जाने व निर्माण में होने वाली देरी से उत्पन्न कठिनाइयों पर चर्चा के लिये)।

8. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर नगर की सड़कों की दुर्व्यवस्था को ठीक कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

9. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभिन्न विभागों द्वारा मंगाये जाने वाले नामों की सूचियों के भेजने में होने वाली अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

10 मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नियोजन अधिकारियों के गलत फिक्सेशन होने से राजकोष में हुई हानि पर चर्चा के लिये)।

श्री राम प्रसाद बोहरा (झालरापाटन):

11. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 459 के अन्तर्गत मांग में से 100 कम कर दिया जाय (असनावर ग्राम (जिला झालावाड़) प्राइमरी हेल्थ सेन्टर के भवन को पूरा किये जाने पर चर्चा के लिये)।

12. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर, कोटा, झालावाड़ होकर भोपाल मार्ग को राष्ट्रीय मार्ग बनाने पर चर्चा के लिये)।

13. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में कालीसिंध व धार नदियों पर पुल बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

14. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ की सड़कों की खराब हालत को ठीक किये जाने पर चर्चा के लिये)।

15. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चन्द्र भागा नदी (जिला झालावाड़) के पुल की मरम्मत किये जाने पर चर्चा के लिये)।

16. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ में सड़कों की खराब हालत एवं रास्ते में आने वाली पुलियाओं को बनाने पर चर्चा के लिये)।

श्री मनोहर कोठारी (नाथद्वारा):

17. मांग संख्या 19, मुख्यशीर्षक 259-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भूपाल भवन नाथद्वारा को डाक बंगले में परिवर्तन करने हेतु चर्चा के लिये।

(श्री मनोहर कोठारी)

18. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259-के अन्तर्गत मांगों में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सहायक अभियन्ता का कार्यालय नाथद्वारा में स्थापनार्थ इस पर चर्चा के लिये)।

19. मांग संख्या 21, मुख्यशीर्षक 537-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाथद्वारा डाक बंगले से सादड़ी डाक बंगले तक पक्की सड़क बनाने पर चर्चा के लिये)।

20. मांग संख्या 21, मुख्यशीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाथद्वारा-गांव गुड़ा समीचा कुम्भलगढ़ की सड़क के विकास पर चर्चा के लिये)।

21. मांग संख्या 21, मुख्यशीर्षक 537-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाथद्वारा-हल्दी घाटी-उदयपुर सड़क की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

22. मांग संख्या 21, मुख्यशीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाथद्वारा-कोठारिया-पाखण्ड सड़क पक्की बनाने पर चर्चा के लिये)।

श्रीमती निर्मलाकुमारी (चित्तौड़गढ़):

23. मांग संख्या 19, मुख्यशीर्षक 259-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लोक निर्माण विभाग में व्याप्त अव्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

24. मांग संख्या 23, मुख्यशीर्षक 287 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रम विभाग के कार्यों की जांच कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

श्री जयकिशनलाल तोलावड़ा (फागी):

25. मांग संख्या 19, मुख्यशीर्षक 259-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फागी एवं चाकसू तहसीलों में पी० एच० सी० के भवनों की बड़ी दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये)।

26. मांग संख्या 21, मुख्यशीर्षक 537-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चाकसू से सांभर तक की सड़क के संबंध में चर्चा के लिये)।

27. मांग संख्या 21, मुख्यशीर्षक 537-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फागी तहसील में माधोराजपुरा से चांदमाकला रोड के संबंध में चर्चा के लिये)।

28. मांग संख्या 21, मुख्यशीर्षक 537-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चाकसू तहसील में शिवदासपुरा से चांदलाई रोड के बारे में चर्चा के लिये)।

29. मांग संख्या 21, मुख्यशीर्षक 537-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर से चाकसू रोड को चौड़ी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

30. मांग संख्या 21, मुख्यशीर्षक 537-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर से फागी रोड

(श्री जयकिशन लाल तोशावड़ा)

को चौड़ा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

31. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में श्रमिकों को आवासीय सुविधा दिलाने में श्रम विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

32. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में नियोजन कार्यालय में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

33. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बेरोजगार लोगों को रोजगार दिलाने पर चर्चा के लिये)।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर):

34. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले के निम्न सीमावर्ती सड़कों को केन्द्र द्वारा सुरक्षा सड़कों में देश की सुरक्षा के लिए सम्मिलित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रयास में शिथिलता बरतने के ऊपर-(1) बाड़मेर से हरसांणी वाया बेसाली (2) रामसर से चोहटन, (3) बाड़मेर से जोधपुर वाया बायतू, आकरली गांव एवं लखमे की बेरी, (4) चोहटन से बारवासर, (5) रामसर से गिराब इस पर चर्चा के लिये)।

35. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में जो अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सड़कें बनी हुई हैं उक्त सड़कों को सार्वजनिक निर्माण विभाग अपने विभाग की मान्यता देकर उनमें मरम्मत की व्यवस्था पर चर्चा के लिये)।

36. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537— के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में दूसरी सामरिक महत्व की सड़कों को राज्य व केन्द्रीय सरकार द्वारा हाथ में लिये जाने के लिये अधिक बल देने में उदासीनता अपनाने पर चर्चा के लिये)।

37. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर से जोधपुर वाया बायतू, आकरली, लखमें की बेरी एवं पचपदरा महत्वपूर्ण रोड़ की स्वीकृति दिलाने में राज्य सरकार द्वारा ढिलाई की नीति अपनाने पर चर्चा के लिये)।

38. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले की महत्वपूर्ण सड़क बाड़मेर से हरसोणी वाया बेसाला को डामर की सड़क में परिणत करने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

39. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537—के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सन् 74–75 में बाड़मेर जिले में जो सड़कों के निर्माण के लिए राशि का प्रावधान किया गया है वह अपर्याप्त है इस पर चर्चा के लिये)।

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

40. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर एवं जैसलमेर जिलों में सुरक्षा सड़कों की मरम्मत एवं संधारण पर चर्चा के लिये)।

41. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में अधूरी सड़कों को पूरा करने पर चर्चा के लिये)।

42. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर से जोधपुर सड़क पर सिणधरी एवं बालोतरा के पास लूणी नदी उन पर वांछित पुलों के बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

43. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाड़मेर जिले में गत वर्ष बाढ़ के कारण सड़कों की दुर्दशा हुई है उनकी मरम्मत में सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा निष्क्रियता एवं लापरवाही बरतने पर चर्चा के लिये)।

44. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को रोजगार दिलाने में राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

श्री करनसिंह (डीग) :

45. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लोक निर्माण कार्य में सुधार लाने में विभाग की अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये)।

46. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रमिकों की समस्याओं की ओर विभाग द्वारा ध्यान नहीं दिये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री केशरीमल (ब्यावर) :

47. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लोक निर्माण कार्य में जो पैसा खर्च होता है वह विभाग द्वारा गलत तरीके से खर्च होता है इस पर चर्चा के लिये)।

48. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देवाता पंचायत समिति जवाजा,जिला अजमेर) वडकोचरा, सूरजपुरा रोड जो अधूरी रह गई है उसे पूरा करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

49. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर से कोटरा कावरा होते हुवे देवता से मिलाने वाली रोड के कार्य को जो वर्षों से अधूरा पड़ा है उसे पूरा कराने के संबंध में चर्चा के लिये)।

50. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कावरा कोटरा (जवाजा पंचायत,जिला अजमेर) से पाली बोर्डर तक फेमिन में बनी अधूरी सड़क को पूरा कराने के संबंध में चर्चा के लिये)।

Page No 58

(58)

(श्री केशरीमल)

51. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जवाजा पंचायत समिति, जिला अजमेर में बामनरेडा सत्या गाफा सोजत रोड़ जो फेमिन में अधूरी रह गई है उसे पूरा करने पर चर्चा के लिये)।

52. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जवाजा पंचायत समिति अजमेर जिले की बरावन से और बनी बूभा रेल रोड़ जो अधूरी रह गई है उसे पूरा करवाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

53. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ब्यावर भीलवाड़ा रोड़ से लेकर देवखेड़ा रोड़ जो अधूरी बनी है उसे पूरा कराने के संबंध में चर्चा के लिये)।

54. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति जवाजा अरनाली से भीम रोड़ तक बनने वाली रोड़ जो अधूरी रह गई है उसे पूरा कराने के संबंध में चर्चा के लिये)।

55. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जवाजा पंचायत समिति, जिला अजमेर में बनजारी भीम रोड़ जो अधूरी रह गई है उसे पूरा कराने के संबंध में चर्चा के लिये)।

56. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रम विभाग द्वारा विवादों के निपटाने में धीमी गति के बारे में चर्चा के लिये)।

57. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रमिकों के आवासीय व्यवस्था में सरकार की असफलता पर चर्चा के लिये)।

58. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रोजगार की व्यवस्था करने में सरकार की धीमी गति के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

59. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रमिकों के आवासीय स्थानों पर शिक्षा की व्यवस्था कराने में श्रम विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

60. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रम विभाग द्वारा श्रमिकों के लिये राज्य द्वारा बनाये गये क्वार्टरों को सभी जगह और सभी क्वार्टरों को श्रमिकों को हायर परचेज तरीके से दे देने बाबत चर्चा के लिये)।

61. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के उद्योगों में लगे वर्कचार्ज कर्मचारियों को स्थाई करने पर चर्चा के लिये)।

62. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री केशरीमल)

कम कर दिया जाय (राज्य के न्यूनतम वेतन प्राप्तकर्ता श्रमिकों के न्यूनतम में वृद्धि कराने में श्रम विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये)।

63. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के श्रमिकों को न्यूनतम वेतन दिलाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री ज्ञानसिंह चौधरी (मादरा):

64. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लोक निर्माण कार्य विभाग में ठेकेदारी प्रथा को समाप्त कर, विभाग द्वारा लोक निर्माण कार्य करवाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद):

65. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामों में निर्माण कार्य योजनाबद्ध सही तरीके से नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

66. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लोक निर्माण कार्यों में बढ़ती हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये)।

67. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रम व नियोजन विभाग की बढ़ती हुई अनियमितताओं पर चर्चा के लिये।

68. मांग संख्या 323, मुख्य शीर्षक 287 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रम विभाग को राज्य सरकार अधिक सशक्त बनाने में असफल रही इस पर चर्चा के लिये)।

श्री मोहरसिंह राठौड़ (चूरू):

69. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 459 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू में सत्र न्यायालय एवं अन्य न्यायालयों के लिए भवन की अपर्याप्त व्यवस्था पर तथा न्याय अधिकारियों के लिए आवासी भवनों की कमी पर चर्चा के लिये)।

70. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 459 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू में रेस्ट हाउस में कमरों की कमी पर चर्चा के लिये)।

71. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू में अधिशाषी अभियन्ताओं के लिये कार्यालय एवं निवास के लिये भवन की व्यवस्था न होने पर चर्चा के लिये)।

72. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दूधवाखारा) स्टेशन से तारानगर सड़क निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

73. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री मोहरसिंह)

कम कर दिया जाय (सांखू) से सिंघमुख वाया राजगढ़ सड़क निर्माण पूरा न होने पर चर्चा के लिये)।

74. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भादरा से सिरसा सड़क की कमी पर चर्चा के लिये)।

75. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू से तारानगर तक सीधी सड़क की कमी पर चर्चा के लिये)।

76. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाए (चूरू से सरदारशहर सीधी सड़क बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

77. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चूरू से फतेहपुर सड़क निर्माण कार्य पूरा करने में 15 वर्ष से भी अधिक समय लगाने तथा बारम्बार विधान सभा में दिये गये आश्वासनों को पूरा न करने पर चर्चा के लिये)।

श्री बनवारीलाल (निवाई):

78. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (धौलपुर की सड़कों की देखभाल करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री रघुनाथसिंह विश्नोई (सांचोर) :

79. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (केन्द्र संचार के आहते के पास नाजायज कब्जा हटाने की कार्यवाही कर पक्का आहता बनाने के बारे में चर्चा के लिये)।

80. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सांचोर की सड़कों) की दयनीय हालत सुधारने के बारे में चर्चा के लिये)।

81. मांग संख्या 21. मुख्य शीर्षक 537-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्य, बाढ़ से क्षति हुई सड़कें व अतिवृष्टि से खराब हुई सड़कों की विशेष मरम्मत कराये जाने हेतु प्रावधान नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

82. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत कार्यों में बनी सड़कों की विभागीय मरम्मत की सूची में सम्मिलित न करने एवं सरकारी भवनों की मरम्मत न करने पर चर्चा के लिये)।

83. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रोजगार एवं प्रशिक्षण ग्रामीण क्षेत्रों के श्रमिकों को दिलाने में सरकार की घोर उपेक्षा के बारे में चर्चा के लिये)।

84. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रमिकों के एवं मालिकों के बीच अच्छे औद्योगिक सम्बन्ध स्थापित

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

कराने में श्रम विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

85. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कृषि श्रमिकों का सर्वेक्षण कर उनको काम दिलाने के बारे में चर्चा के लिये)।

86. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला नियोजन कार्यालयों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

87. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287 के अन्तर्गत माग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रमिक कल्याण केन्द्र में श्रमिकों में मनोरंजन हेतु साधन उपलब्ध कराने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

88. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों के छोटे कारीगर श्रमिकों को प्रशिक्षण देकर कार्य दिलाने के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री महेन्द्र कुमार (पाड़वा):

89. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में लोक निर्माण कार्य की बुरी हालत को सुधार करने व अधूरे कार्यों को पूरे करने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

90. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला डूंगरपुर में बेरोजगारी समस्या के समाधान हेतु नियोजन विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर जयपुर):

91. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लोक निर्माण कार्य विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

92. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले की टूटी फूटी सड़कों की मरम्मत नहीं किये जाने पर चर्चा के लिये)।

93. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537-के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर की सड़कों के निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये)।

94. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (आदर्शनगर, जयपुर की सड़कों की मरम्मत कराने पर चर्चा के लिये)।

95. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537-के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान राज्य की सड़कों की मरम्मत के अभाव में दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

(62)

(श्री जनार्दनसिंह गहलोत)

96. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में डामर की पक्की सड़कों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

97. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य में बढ़ती हुई बेरोजगारी को नियोजित करने में नियोजन विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

श्री लक्ष्मणसिंह (डूंगरपुर):

98. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभागीय निर्माण कार्यों में लागत, भवनों के संरक्षण और रख रखाव पर चर्चा के लिये)।

श्री रामगोपाल (किशनगंज):

99. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 459 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा थाना, नाहरगढ़ किशनगंज, छीपाबड़ौद जिला कोटा में नये विश्राम गृहों के निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए)।

100. मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रामगढ़ से मांगरोल सड़क निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

101. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (शाहजी हरनावदा सड़क को पक्की बनाने पर चर्चा के लिये)।

102. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छीपाबड़ौद से सालापुरा सड़क की दुर्दशा के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

103. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रामगढ़ सड़क तहसील किशनगंज, जिला कोटा की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

104. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा डिवीजन में सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

105. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भंवरगढ़ से नाहरगढ़ सड़क जिला कोटा की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

106. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अटरू से कवाई तक की सड़क को पक्की बनाने पर चर्चा के लिये)।

श्री विजयसिंह राठौड़ (मांडल):

107. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण कार्यों के निर्माण में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)।

(श्री विजयसिंह राठौड़)

108. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बाढ़ से टूटी हुई सड़कों की मरम्मत नहीं कराने पर चर्चा के लिये) ।

109. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (भीलवाड़ा जिले में सड़कों के निर्माण में पक्षपातपूर्ण रवैये पर चर्चा के लिये) ।

110. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (माण्डल तहसील की आयोजना सड़कों के लिये बजट प्रावधान नहीं होने पर चर्चा के लिये) ।

111. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के अभाव पर चर्चा के लिये) ।

112. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रोजगार कार्यालयों में व्याप्त पक्षपात, भेदभाव एवं रिश्वतखोरी पर चर्चा के लिये) ।

113. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (विभिन्न उद्योगों के लिये श्रमिकों को कुशल बनाने हेतु प्रशिक्षण के अभाव पर चर्चा के लिये) ।

श्री भंवरलाल भदादा (भीलवाड़ा) :

114. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग के द्वारा निर्माण कार्यों की खराबी और अधिकारियों में व्याप्त भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये)

115. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़कों के निर्माण में विभाग की ढ़िलाई पर चर्चा के लिये) ।

116. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रम अधिकारियों की अयोग्यता और अकर्मण्यता पर चर्चा के लिये) ।

श्री लूणाराम (डूंगरगढ़) :

117. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अकाल राहत की सड़कों के घोटाले व पूनरासर सड़क की जांच के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

118. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लोक निर्माण विभाग में फैले भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिये) ।

119. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लोक निर्माण विभाग में फैले हुए भ्रष्टाचार पर चर्चा के लिए) ।

120. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फैमिन में बनी सड़कों पर हुए सामान के अपव्यय पर चर्चा के लिये) ।

64

(श्री लूणाराम)

121. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बमा से कातर, श्री डूंगरगढ़ से कालू एवं मोमासर से जोरावरपुरा सड़कों को योजना में लेकर स्वीकार की जाय इस पर चर्चा के लिये)।

122. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रेल्वे स्टेशन बिग्गा से नेशनल हाइवे नम्बर 11 व तोलियासर तक तथा कितास सोतलन शेरुना से सूडसर को तारकोल की बनाया जाय इस पर चर्चा के लिये)।

123. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नियोजन विभाग का लाभ नहीं मिलने पर चर्चा के लिये)।

124. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पश्चिमी राजस्थान के कृषि मजदूरों को जिन दिनों कृषि कार्य नहीं रहता उन 8 माह में मजदूरी दिलाने में विभाग की असफलता पर चर्चा के लिये)।

125. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मजदूरों की क्लास बनाकर मजदूरी दिलाने पर चर्चा के लिये)।

126. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला स्तर के नियोजन कार्यालयों में पंजीकृत व्यक्तियों को भी राज्य की राजधानी स्थित विभागों द्वारा साक्षात्कार हेतु बुलाने पर चर्चा के लिए)।

127. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नाम दर्ज होने पर काम दिलाने की अवधि मुकर्रर की जाय और उस समय तक काम न मिलने पर सरकार स्वयं उपाय करें इस पर चर्चा के लिये)।

श्री ललितसिंह (बड़ी सादड़ी):

128. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में व्याप्त भ्रष्टाचार के बारे में चर्चा के लिए)।

श्री पी० के० चौधरी (फुलेरा):

129. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़क निर्माण में हुए असन्तुलित विकास पर चर्चा के लिए)।

130. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले की सड़कों की मरम्मत व संधारण की अपेक्षा पर चर्चा के लिए)।

131. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर जिले में सड़क निर्माण हेतु अपर्याप्त प्रावधान रखने पर चर्चा के लिए)।

श्री सुरेन्द्र प्रसाद (मालपुरा) :

132. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लोक निर्माण कार्य के अन्तर्गत अत्यधिक व्यय करके भी निर्माण अस्थायी सिद्ध होने व राशि के विशेष भाग का दुरुपयोग होने पर चर्चा के लिए)।

133. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287 के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य की दोषपूर्ण एवं श्रम विरोधी श्रम नीति पर चर्चा के लिए)

श्री चुन्नीलाल इंदलिया (नोखा) :

134. मांग संख्या 19, मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर सर्किट हाउस व डाक बंगला की मरम्मत व फर्नीचर इत्यादि, पुराना सामान हो चुका है, उसकी मरम्मत हेतु चर्चा के लिए)।

135. मांग संख्या 19 मुख्य शीर्षक 259 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा नोखा में पी० डब्ल्यू० डी० का एक डाक बंगला बनाने पर चर्चा के लिए)।

136. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले के सड़क निर्माण कार्यों को सुधारने व मरम्मत करने पर चर्चा के लिये)।

137. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर शहर के अन्दरूनी भाग में सड़कों व नालियों की मरम्मत हेतु चर्चा के लिये)।

138. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम काकड़ा से जोगनीयों के बाला तक अधूरी सड़क निर्माण कार्य को सिर्फ दो मील का है उसे पूरा किया जाने के लिये चर्चा के लिये)।

139. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर जिले के ग्राम शीथल से ग्राम मुड़सर, सूतपुरा, कुनोर आथूनी, उतमाम देसर साधासर जसरासर तक डामर रोड़ को पूरा किया जाने पर चर्चा के लिये)।

140. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा नोखा मण्डी से कक्कू, सारुड़ा, व पाचूडी तक सड़क निर्माण व डामर करवाने के लिये इस पर चर्चा के लिये)।

141. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नोखा तहसील हैड क्वार्टर से तहसील हैड क्वार्टर कोलायत को सड़क से जोड़ने के लिये ग्राम मामरसर से देसलसर, जांगलू पिथरासर जेसंगदेसर मगरा झझू कोलायत तक रोड़ को डामर करवाने पर चर्चा के लिये)।

142. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नोखा मण्डी से रोड़ा,

(श्री चुन्नीलाल इंदलिया)

कूदसू, उदासर, व ग्राम पांचू तक की सड़क को कंकरीट व डामर करवाई जाने पर चर्चा के लिये)।

143. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्राम काकड़ा से बेरासर, बनिया, कुचोर आथूर्ना व कुचोर अगूनी, बादनू, सावतसर, कोटासर तहसील हैड क्वार्टर डूंगरगढ़ तक सड़क के अधूरे निर्माण कार्य को पूरा किया जाने के लिये इस पर चर्चा के लिये)।

144. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जसरासर से साधासर, लालमदेसर बड़ा, लालमदेसर छोटा, बादनू, सूडसर तक कंकरीट व डामर रोड को पूरा किया जाने पर चर्चा के लिये)।

145. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर से केसर देसर, गजरूप देसर, बेटासर, सगीवाला, उड़सर, झाडेली, थावरीया, मेनसर लालगढ़ तक कंकरीट व डामर रोड बनाने पर चर्चा के लिये)।

146. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर कोटगेट पर अन्डर ग्राऊंड नालों की अव्यवस्था के कारण आम सड़कों पर कीचड़ रहता है अत: शहर के मुख्य कोटगेट पर, अन्डर ग्राऊंड नालों की सुव्यवस्था हेतु चर्चा के लिये)।

147. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर से बरसीगसर, लालमदेसर, जैसंगदेसर भगटा, घटेनाक तक रोड को पूरा किये जाने पर चर्चा के लिये)।

148. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (देशनोक से जेगला, झागलू, किशनासर पांचू, भादला, सारुड़ा तक कंकरीट व डामर रोड के अधूरे कार्य को पूरा करने पर चर्चा के लिये)।

149. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सियाणा से ग्राम दासूड़ी तक अधूरी सड़क को पूरा किये जाने पर चर्चा के लिये)।

150. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सूरसागर गिनाणी नालों की पूर्ण व्यवस्था हेतु चर्चा के लिये)।

श्री दीपंकर (लाडनूं) :

151. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

श्री अमृतलाल गहलोत (सरदारपुरा):

152. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (वार्षिक योजना 1974-75 में निम्न दो सड़कों को सम्मिलित करने के संबंध में (i) खेमे का कुओं

Page No 67

(67)

(श्री अमृतलाल गहलोत)

से सोढों की ढानी ग्रेवल रोड अनुमानित लागत रु० 50,000/- व (ii) मंडावती से 8 मील जोधपुर नागौर रोड़ तक मेटलरोड़ अनुमानित लागत रु० 2 लाख । इस पर चर्चा के लिये) ।

153. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर तहसील के रूरल वर्क्स प्रोग्राम के अन्तर्गत 1970-71 में ली गई मदवासिया भटिया नाड़ी सड़क जो अभी तक अपूर्ण पड़ी है, उसे पूर्ण करने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

154. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर नगर की सड़कों के निर्माण एवं मरम्मत के प्रति राज्य सरकार की उदासीन नीति के संबंध में चर्चा के लिये) ।

155. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोधपुर नगर फिदूसर खनिज क्षेत्र में नई सड़कों के निर्माण एवं पुरानी सड़कों की मरम्मत के लिए राज्य सरकार की उदासीन नीति के संबंध में चर्चा के लिये) ।

156. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान राज्य की पांचवीं पंचवर्षीय योजना (1974-79) में नई सड़कों के निर्माण के लिए अत्यन्त कम धनराशि आवंटन के लिए-इस पर चर्चा के लिये) ।

157. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान सरकार द्वारा स्पेशल एम्पलायमेंट स्कीम के अन्तर्गत जयपुर नगर की सड़कों एवं नालों की मरम्मत एवं निर्माण हेतु 17.15 और 18.00 लाख रुपयों का क्रमशः आवंटन करना परन्तु जोधपुर नगर को कुछ न देकर अन्याय करवाने के संबंध में चर्चा के लिये) ।

श्री भगराज चौधरी (रानीवाड़ा) :

158. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जालोर जिले में बाढ़ से सड़कों की हुई क्षति के संबंध में चर्चा के लिये) ।

श्री यशवन्तसिंह नाहर (बनेड़ा) :

159. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान की सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये) ।

160. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नियोजन विभाग की निरर्थकता पर चर्चा के लिये) ।

161. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रम कानूनों के सरलीकरण पर चर्चा के लिये) ।

श्री चतुरभुज (टोडारायसिंह) :

162. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री चतुरभुज)

कम कर दिया जाय (टोंक जिले को टोडारायसिंह से भराबा रोड को ठीक करवाने की जनता द्वारा कई बार मांग प्रस्तुत करने पर भी राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

163. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक जिले के टोडारायसिंह पंचायत समिति में मोर से सवारिया 11 किलोमीटर सड़क बनाये जाने की जनता द्वारा कई बार मांग प्रस्तुत करने पर भी राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

164. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (टोंक जिले के पंचायत समिति टोडारायसिंह देवली पंचायत समिति क्षेत्र की टोडारायसिंह से देवली रोड को पक्का बनाये जाने की जनता द्वारा कई बार मांग प्रस्तुत करने पर भी राज्य सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

श्री देवीलाल (सराड़ा) :

165. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537-के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर के तहसील सराड़ा की सड़कों का निर्माण कार्य कराने एवं योजना में ले जाने पर चर्चा के लिये)।

166. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537-के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में जयसमन्द रोड रेल्वे स्टेशन थाना, नठारा सड़क योजना में लगाने पर चर्चा के लिये)।

167. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537-के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर तहसील सराड़ा के जयसमन्द से अदवास, जावद से माल सड़क योजना में लिवाने पर चर्चा के लिये)।

168. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537-के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील सराड़ा में पंचायत समिति सराड़ा को ग्रामीण सड़कों के लिए अधिक धनराशि दी जाने पर चर्चा के लिये)।

169. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला उदयपुर में नियोजन विभाग बेरोजगारों को रोजगार दिलाने में असमर्थ रहा इस पर चर्चा के लिये)।

श्री चिम्मनसिंह भाटी (मीम) :

170. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राष्ट्रीय मांगों पर व अन्य ग्रामीण सड़कों पर पड़ी अधूरी पुलियाओं के बनने में होने वाली देरी एवं सड़कों की मरम्मत पर चर्चा के लिये)।

श्री विद्यासागर (बेरवाड़ा) :

171. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री विद्यासागर)

कम कर दिया जाय (तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर की छानी भाभरी सड़क को पक्की बनाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

172. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 259 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील खेरवाड़ा जिला उदयपुर की खेरवाड़ा रानी सड़क को पक्की बनाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री गोपाल जोशी (बीकानेर) :

173. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 337 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर शहर के बीचोंबीच रेल्वे समतल पारण द्वारों को हटाने पर चर्चा के लिये)।

174. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर शहर के चारों ओर की सड़कों से मिलाने के बारे में चर्चा के लिये)।

175. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर शहर की सड़कों की दुर्दशा को ठीक कराने के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री भीमसेन (लूणकरणसर) :

176. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अर्जुनसर-जैतपुर रोड़मदेसर-जेतसर नापासर-रामसर सड़कों को न्यूनतम कार्यक्रम के अंतर्गत करने की चर्चा के लिये)।

177. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लूणकरणसर-सरदार शहर सड़क के मिसिंग पार्ट को, जो डी.पी.ए.पी. से बनी है, पूरा करने पर चर्चा के लिये)।

178. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अंतर्गत ग्राम समूह रुणिया के 12 बासों तहसील बीकानेर को सड़क से जोड़ने पर चर्चा के लिये)।

179. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सिथल-बेलासर-ग्रेवल रोड को पूरा किये जाने में होने वाले विलंब पर चर्चा के लिये)।

180. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कस्बा नापासर को राष्ट्रीय मार्ग से जोड़ने वाली नापासर-गुसाईसर-ग्रेवल रोड को डामर किये जाने में विलम्ब होने पर चर्चा के लिये)।

181. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लूणकरणसर-कालू सड़क पर रेल्वे लेवल क्रोसिंग बनाने में होने वाले विलंब पर चर्चा के लिये)।

182. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य के देहाती क्षेत्रों के, ऐसे नागरिक परिवार जिनकी मासिक आमदानी दो सौ रुपया हो, के लिए

(श्री भीमसेन)

राज्य की सेवाओं व सरकारी निगमों में नये पदों का 80 प्रतिशत आरक्षित रखने पर चर्चा के लिए ।

सुश्री शकुन्तला श्रीवास्तव (आमेर):

183. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सार्वजनिक निर्माण विभाग में चल रही धांधली और उससे होने वाले सरकारी धन के दुरुपयोग के संबध में चर्चा हेतु) ।

184. मांग सं० 23,मुख्य शीर्षक 287 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नियोजन कार्यालय में बेरोजगारों को होने वाली परेशानी से उत्पन्न होनेवाली स्थिति पर विचार करने हेतु चर्चा के लिए)।

श्री नाथूराम (बागीदोरा):

185. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अतिवृष्टि से व बाढ़ से बह गए माही पुल के बारे में चर्चा के लिए)।

186. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चांदावाड़ा-अरथुना के बीच अनास नदी पर पुल बंधवाने के लिए गुजरात सरकार से धनराशि प्राप्त करने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिए) ।

187. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया (अतिवृष्टि व बाढ़ से क्षतिग्रस्त बांसवाड़ा जिले की सड़कों आदि की मरम्मत में हो रहे विलम्ब पर चर्चा के लिए) ।

188. संख्या 28, मुख्य शीर्षक 287 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नियोजन कार्यालयों के निरीक्षण में शिथिलता पर चर्चा के लिए) ।

189. मांग संख्या 23. मुख्य शीर्षक 287 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (अन्य राज्यों की तरह राज्य में नियोजन कार्यालयों के मन्त्रालयिक कर्मचारियों की नियोजन अधिकारी के पद पर पदोन्नति जाये इस पर चर्चा के लिए) ।

190 मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नियोजन अधिकारियों के वेतनमानों में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा के लिए) ।

191. मांग 23. मुख्य शीर्षक 287 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सघन आदिवासी क्षेत्रों के लिए ग्रामीण नियोजन केन्द्र खोलने पर चर्चा के लिए ।

श्री झाबरमल सूंडा (फतेहपुर) :

192. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर के गांव कूदन में बिछी सड़कों पर डामर करने के संबंध में चर्चा के लिए) ।

193. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100

(श्री झाबरमल सूंडा)

रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले की लक्ष्मणगढ़ से मुकन्दगढ़ सड़क के निर्माण में अनावश्यक देरी पर चर्चा के लिए)।

194. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फतेहपुर तहसील जिला सीकर के आदर्श गांव गांधीनगर व खूड़ी को सड़क से जोड़ने पर चर्चा के लिए)।

195. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फतेहपुर-मुकन्दगढ़ सड़क निर्माण कराने पर चर्चा के लिए)।

196 मांग 21, मुख्य शीर्षक 537 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (फतेहपुर–मंडावा सड़क निर्माण कराने पर चर्चा के लिए)।

197. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मुकन्दगढ़ से बिसाऊ वाया मण्डावा सड़क निर्माण में विलम्ब होने पर चर्चा के लिए)।

श्री सांवरमल मोर (श्री माधोपुर) :

198. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (करोड़ों रुपयों की लागत से बनी हुई सड़कों की समय पर मरम्मत न होने से आवागमन में आने वाली बाधाओं से जनता में व्याप्त असंतोष पर चर्चा के लिए)।

श्री रामचन्द्र (सिकराय)

199. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील दौसा व सिकराय के सिकराय निर्वाचन क्षेत्र में दुर्दशा को सुधारने पर चर्चा के लिए)।

200. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (निर्वाचन क्षेत्र सिकराय के ग्राम नांगल राजावतान से छरड़ा, नांगल राजावतान से मलवास-खानवास होती हुई तूंगा सड़क बनाने पर चर्चा के लिए)।

201. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा लालसोट रोड़ के 5 मील से अलूदा पापड़दा होती होई रावजी सड़क बनाने के बारे में चर्चा के लिए)।

श्री हनुमानसहाय (बैराठ) :

202. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537-के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील विराटनगर की सड़कों को पूर्ण किये जाने एवं अकाल राहत की अधूरी सड़कों को पूरा किये जाने के संबंध में चर्चा के लिये)।

203. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बेरोजगारी को दूर करने हेतु शिक्षित अभ्यर्थियों को उनकी परीक्षा में उत्तीर्ण वर्ष के अनुसार प्राथमिकता के आधार पर सेवा में नियुक्त किये जाने की चर्चा के लिये)।

श्री सज्जनसिंह (सुमेरपुर) :

204. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पाली जिले की बाढ़ से क्षति सड़कों की मरम्मत हेतु चर्चा के लिये)।

(1) प्रो० श्री केदारनाथ (गंगानगर) :
(2) श्री रामकिशन (वैर) :

205. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नये सड़कों के निर्माण व पुरानी सड़कों की मरम्मत पर सरकार की पक्षपात पूर्ण नीति पर चर्चा के लिये)।

206. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार बेकारों को काम या बेरोजगारी का भत्ता दिलाने में असफल रही इस पर चर्चा के लिये)।

207. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राज्य सरकार मजदूर यूनियनों को मान्यता देने में चुनाव सिद्धांत को अपनाने में असफल रही है इस पर चर्चा के लिये)।

श्री गिर्राजप्रसाद तिवाड़ी (बयाना):

208. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील रुपवास एवं तहसील बयाना की वर्तमान सड़कों की दुर्दशा एवं सड़कों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री सुरेशचन्द्र (कोटपुतली) :

209. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपुतली तहसील की अकाल राहत के अन्तर्गत अधूरी सड़कों को पूरा करने के संबंध में चर्चा के लिये)।

210. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 753 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपुतली तहसील की पावटा से कल्याणपुरा सड़क निर्माण के संबंध में चर्चा के लिये)।

211. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपूतली तहसील में कल्याणपुरा से बनेटी देवता सड़क के संबंध में चर्चा के लिये)।

212. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपुतली तहसील में प्रागपुरा से मंढा, मांखरी बोछाडाला सड़क के संबंध में चर्चा के लिये)।

213. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटपुतली तहसील में रघुनाथपुरा से राजनोता सड़क के संबंध में चर्चा के लिये)।

श्री रामलाल (बाड़ी) :

214. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जयपुर धौलपुर सड़क पर पुलिया के जीर्णोद्धार कराने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री मूलचन्द सामरिया (दौसा) :

215. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खान भांकरी से कुण्डल सड़क को पूरा कराने पर चर्चा के लिये)।

श्री मूलचन्द डामरिया (दौसा) :

216. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा-खान भांकरी सड़क की मरम्मत व इसे चौड़ी करने हेतु चर्चा के लिये) ।

217. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रमिकों की आर्थिक दशा में लगातार गिरावट पर चर्चा के लिये) ।

218. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रम न्यायालयों, आरबीट्रेटरस, के मुकदमों के निर्णयों में विलम्ब पर चर्चा के लिये) ।

219. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (राजस्थान में दिनों-दिन बढ़ रही बेराजगारी को रोकने पर चर्चा के लिये) ।

श्री लालाराम (फळासिया) :

220. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अंतर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर जिले की झांडोल तहसील के मुख्यालय भांडोल ग्राम से सीमावर्ती सोम ग्राम (भांडोल तहसील) जो गुजरात की सीमा पर स्थित है के डामर रोड के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

221. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (उदयपुर जिले के झाडोल निर्वाचन क्षेत्र में सड़कों का अभाव है, जिसके कारण आदिवासी ग्रामीण जनता राज्य सरकार के प्रति उदासीन है जिस पर चर्चा के लिए) ।

श्री हाजी जान मोहम्मद (पिड़ावा) :

222. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पिड़ावा क्षेत्र की जनता के आवागमन की कठिनाइयों से सुविधा दिलाई जाने हेतु इस क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत एवं पुलों का निर्माण करने हेतु चर्चा के लिये) ।

श्री भैरूंलाल (अकलेरा) :

223. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला झालावाड़ क्षेत्र में झालरापाटन से मनोहरथाना रोड़ पर पड़ने वाली नदियों के छोटे (नीचा) पुलों को योजनाबद्ध तरीके से बड़े (ऊंचा) कराये जाने हेतु चर्चा के लिये) ।

224. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पंचायत समिति मनोहरथाना और बकानी क्षेत्र में कैस योजनांतर्गत कराये गए सड़कों के अपूर्ण निर्माण कार्यों को निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

225. मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील अकलेरा जिला झालावाड़) क्षेत्र के बोरखेडी लोदान ग्राम से

(श्री भैरूलाल)

सरड़ा तक सड़क निर्माण के अपूर्ण कार्य को शीघ्र पूरा कराया जाने हेतु चर्चा के लिये)।

226. मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (तहसील अकलेरा(जिला झालावाड़) क्षेत्र के आमलपुरा से भालता सड़क को योजना में ली जाकर सड़क का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

श्री ओंकारलाल चौहान (डग) :

227 मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (ग्रामीण क्षेत्रों में डामर की पक्की सड़कों के अभाव पर चर्चा के लिये)।

228. मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पूर्वी राजस्थान/ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

229. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (कोटा डिवीजन में सड़कों की हालत बहुत ही खराब हो रही है इस पर चर्चा के लिये)।

श्री नारायणसिंह चौधरी (दांतारामगढ़) :

230. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सीकर जिले की सड़कों को पूर्ण कराने तथा मुख्य सड़कों को पांचवीं योजना में सम्मिलित करने पर चर्चा के लिये)।

श्री भीमराज (नोहर) :

231. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले की सड़कों की देखभाल नहीं होने पर चर्चा के लिये)।

श्री भंवरसिंह (नवलगढ़) :

232. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (झुंझुनूं जिले के शहरों के लिंक रोड और मेन रोड की एक भी बार मरम्मत नहीं की गई है जिससे जनता को बहुत तकलीफ है इस पर चर्चा के लिये)।

श्री जेठमल बरवड़ (परबतसर) :

233. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (परबतसर तहसील की पुरानी सड़कों की मरम्मत व नई सड़कों के निर्माण एवं नये मार्ग निकालने की आवश्यकता पर चर्चा के लिये)।

श्री मीठालाल मीना (लालसोट) :

234. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (दौसा—गंगापुर व लालसोट—सवाई माधोपुर तथा लालसोट कोथून सड़कों की हालत सुधारने के लिये-चर्चा के लिये)।

श्री नत्थासिंह (नदबई):

235. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला भरतपुर की सड़कों की दुर्दशा के बारे में चर्चा के लिये)।

श्री गौरीशंकर (खानपुर):

236. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खानपुर तहसील क्षेत्र की सड़कों का मरम्मत कार्य कराये जाने में सरकार की उदासीनता पर चर्चा के लिये)।

श्री भुवनेश चतुर्वेदी (कोटा):

237. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चम्बल पुल, कोटा के टूटने पर व चौधरी कमेटी पर चर्चा के लिये)।

श्री चेतराम (टोडाभीम):

238. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सवाई माधोपुर जिले में सड़कों की दुर्दशा व नये कार्यों की उपेक्षा से बजट जानबूझ कर लेप्स कराने पर चर्चा के लिये)।

239. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (श्रम एवं नियोजन कार्यालयों में अनुसूचित जाति एवं जन जातियों की उपेक्षा पर चर्चा के लिये)।

श्री जगमोहनसिंह (छबड़ा):

240. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छबड़ा कस्बे से निपानियां, पाली होती हुई आगरा बम्बई रोड़ से कुम्भराज तक सड़क निर्माण कराये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

241. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छीपाबड़ौद से हरनावदाशाह की कच्ची सड़कों को पंचायत समिति से हटाकर सार्वजनिक निर्माण विभाग में लेकर पक्की सड़क बनाये जाने हेतु चर्चा के लिये)।

242. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मालपुरा से इकलेरा सड़क की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये)।

243. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (छबड़ा सब डिवीजन हैड क्वार्टर को जिले से सड़क से जोड़ने हेतु अंधेरी नदी पर पुल का निर्माण करने हेतु चर्चा के लिये)।

पं० श्री गोपीलाल (पीपल्दा):

244. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 532 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (इटावा खातोली रोड़ की पुलियाओं का निर्माण व नदी पारवती पर खातोली में पुलिया बनाना व पीपल्दा करवाड़ खातोली रोड़ को पूरा करवाने पर चर्चा के लिये)।

श्री शिवनारायण (बारां) :

245. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सड़क सरमथुरा से करौली की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

246. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (लोक निर्माण विभाग की सड़कों की दुर्दशा व पुलियाओं के अभाव पर चर्चा के लिये)।

श्री गुरदयालसिंह संधु (करनपुर) :

247. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 533 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (करनपुर, पदमपुर सड़क से गुलाके वाला मोड़ से मंगतपुरा होती हुई 8 डी. डी. तक पक्की सड़क बनाने पर चर्चा के लिये)।

248. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (करणपुर, गजसिंहपुर सड़क को शीघ्र पूरा करने पर चर्चा के लिये

249. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (करणपुर से नग्गी तक तक गुजरने वाली होती हुई पक्की सड़क बनाने पर चर्चा के लिये)।

250. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चक 8 एन. एन. ए. से गांव श्रीनगर तक पक्की सड़क बनाने पर चर्चा के लिये)।

251. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (करणपुर से चक 28 एच होती हुई घनूड़ तक पक्की सड़क बनाने पर चर्चा के लिये)।

252. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (करणपुर, गजसिंहपुर सड़क से मोटा खरखुनी तक पक्की सड़क बनाने पर चर्चा के लिये)।

253. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (करणपुर, गजसिंहपुर सड़क से चक 19 एफ. एफ. चक 56 एफ. होती हुई चक 57 एफ तक पक्की सड़क बनाने पर चर्चा के लिये)।

254. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जोरावरपुर से 14 एफ. एफ. होती हुई माणकसर तक पक्की सड़क बनाने पर चर्चा के लिये)।

255. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रड़ेवाला से मान्जोवाली छोकसहपाल होती हुयी मुकन तक पक्की सड़क बनाने पर चर्चा के लिये)।

256. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (करणपुर से पुट्टीवाला तक पक्की सड़क बनाने पर चर्चा के लिये)।

257. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

कम कर दिया जाय (चक 39 आर. बी. की लिंक रोड़ बनाने संबंधी 1966 में कुल कार्यवाही हो जाने के उपरान्त आज तक भूमि का मुआवजा सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा न चुकाये जाने पर चर्चा के लिये)।

258. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (चक 39 आर. बी. की लिंक रोड़ जो 1957 में मन्जूर हुयी थी उसे आज तक न बनाने जाने पर चर्चा के लिये)।

259. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गजसिंहपुर, पदमपुर सड़क से टूटा भाड़े व राजपुरा को पक्की सड़क द्वारा मुड़ाना पर चर्चा के लिये)।

260 मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गजसिंहपुर से संगरहाना तक पक्की सड़क बनाये जाने पर चर्चा के लिये)।

261. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गजसिंह पदमपुर सड़क से गांव बुट्टरघर को पक्की सड़क से मिलाने पर चर्चा के लिये)।

262. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (मण्डी रिड़मलसर को रायसिंहनगर पदमपुर सड़क से गगूवाल गांव में मिलाने पर चर्चा के लिये)।

263. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पदमपुर रायसिंह सड़क से चक 40 आर. बी. से फकीरवाली को पक्की सड़क से मिलने पर चर्चा के लिये)।

264. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पदमपुर रायसिंहनगर सड़क से एक जे-जे के अड्डे से मक्कासर 3 जे-जे व 4 जे-जे तक पक्की सड़क बनवाने पर चर्चा के लिये)।

265. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पदमपुर से गुट्टूवाला तक पक्की सड़क बनाने पर चर्चा के लिये)।

266. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर, पदमपुर सड़क के रतेवाड़ा में चिट्टावुट्टरसर तक पक्की सड़क बनाने पर चर्चा के लिये)।

267. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रावतसर से फरसे वाले तक पक्की सड़क बनाने पर चर्चा के लिये)।

268. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर गंगानगर डिफेन्स रोड़ से गांव नरसिंहपुर को पक्की सड़क से मिलाने हेतु चर्चा के लिये)।

269. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बीकानेर गंगानगर डिफेन्स रोड़ से गांव मान्जूवास तक पक्की सड़क बनाने हेतु चर्चा के लिये)।

(श्री गुरदयालसिंह संधु)

270. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पदमपुर डुड्ढ़ाजोहड़ पक्की सड़क के कार्य को शीघ्र पूरा करने हेतु चर्चा के लिये)।

271. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला गंगानगर में सड़कों की दुर्दशा को ध्यान में रखते हुए विभाग द्वारा पिछले कई वर्षों से उनकी मरम्मत न करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये)।

272. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर पदमपुर जो कई स्थानों से खत्म हो चुकी है जैसे सी. सी. हैड तक पदमपुर तक उसकी हालत बहुत खराब है उसकी कई वर्षों से मरम्मत न होने पर चर्चा के लिये)।

273. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (पदमपुर रायसिंहनगर सड़क जिसकी हालत बहुत खराब है उसको मरम्मत कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

274. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (करणपुर पदमपुर सड़क की हालत बहुत खराब है बहुत वर्षों से उसकी मरम्मत न कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

275. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सी. सी. हैड से हनुमानगढ़ वाली सड़क की बहुत दुर्दशा हो रही है उसकी मरम्मत पर चर्चा के लिये)।

276. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (करणपुर गंगानगर सड़क की बहुत दुर्दशा हो रही है उसकी मरम्मत न कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

277. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (रोजगार कार्यालय द्वारा गंगानगर से बाहर के व्यक्तियों के नामों के रजिस्ट्रेशन करने पर चर्चा के लिये)।

278. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले में रोजगार कार्यालय द्वारा गलत पंजीकृत करना और दूसरे क्षेत्र के लोगों को गंगानगर क्षेत्र के लिखकर रोजगार उपलब्ध करना इस पर चर्चा के लिये)।

श्री जीथिंग (कुशलगढ़) :

279. मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला बांसवाड़ा की सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये)।

श्री रामकुमार (सपोटरा) :

280. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गत वर्ष में टूटी हुई सड़कों की मरम्मत नहीं कराये जाने पर चर्चा के लिये)।

श्री गोपालसिंह (खण्डेला) :

281. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (खंडेला पलसाना सड़क को शीघ्र ही शुरू कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

282. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (थोई-भाड़ली, हाथी-देह सड़क निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिये) ।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल (गंगापुर) :

283. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला सवाई माधोपुर में सड़कों की दुर्दशा पर चर्चा के लिये) ।

284. मांग संख्या 21 मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (नादोती से श्री महावीर तक की सड़क पर डामर करवाने पर चर्चा के लिये) ।

285. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगापुर से भाड़ोती सड़क पर डामर करवाने पर चर्चा के लिये) ।

286. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगापुर से पिलोदा तक की सड़क का निर्माण कार्य शीघ्र करवाने हेतु चर्चा के लिये) ।

287. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगापुर ट्रक यूनियन से ओसवाल की चुंगी तक की सड़क का पुनःनिर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिये) ।

श्री योगेन्द्र नाथ हांडा (सूरतगढ़) :

288. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले की सड़कों की दयनीय स्थिति पर चर्चा के लिये) ।

289. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (सूरतगढ़ और जैतसर रोड़ पर 5 जो० बी० के पुल के निर्माण कार्य में हुये गबन और घोटालों पर चर्चा के लिये) ।

290. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (गंगानगर जिले में सड़क के निर्माण कार्य में हुये गबन घोटालों पर चर्चा के लिये) ।

291. मांग संख्या 21, मुख्य शीर्षक 537 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (बोर्डर रोड्स के के निर्माण कार्य में हुये गबन घोटालों पर चर्चा के लिये) ।

श्री गुमानमल लोढ़ा (जोधपुर) :

292. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया

(श्री गुमानमल लोढ़ा)

कम कर दिया जाय (बीड़ी मजदूरों को उचित मजदूरी दिलाने में श्रम विभाग की विफलता पर चर्चा के लिये) ।

श्री शंकरलाल (पाली):

293. मांग संख्या 23, मुख्य शीर्षक 287 के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम कर दिया जाय (जिला नियोजन कार्यालयों को अधिक सक्रिय व उपयोगी बनाने के बारे में चर्चा के लिये) ।

मांग संख्या 19, 20, 21 व 23 पर विचार एवं पारण

श्री गिरधारीलाल भार्गव : (हवा महल) : माननीय अध्यक्षजी, आज लोक निर्माण कार्य विभाग के बारे में विचार कर रहे हैं ।

(12.28 म० प०)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष, पीठासीन)

उपाध्यक्ष महोदय, इस लोक निर्माण कार्य को लेकर मैं निवेदन करता हूं कि आज इस विभाग में भी भारी भयंकर रूप से भ्रष्टाचार व्याप्त है । और सबसे पहली मेरी अर्ज इस सम्बन्ध में यह है कि राजकीय संरक्षण देने वाले मंत्री इस विभाग में भ्रष्टाचार फैलाने के लिए भयंकर रूप से जिम्मेदार हैं और सबसे पहले मेरी अर्ज यह है कि 1971 में लोक सभा के चुनावों में और सन् 1972 में विधान सभा के चुनावों में इन ठेकेदारों से जो पी. डब्ल्यू डी. में काम करते है, इन दो मौके पर 15 लाख रुपया कांग्रेस के मंत्रियों ने चुनाव चन्दे के रूप में एकत्रित किए और फिर ठेकेदारों को चन्दा इकट्ठा करने के कारण संरक्षण दिया जाता है उसके दो उदाहरण मैं आपकी सेवा में प्रस्तुत करना चाहता हूं । पहले भी इस सदन में चर्चा हो चुकी है कुलदीपसिंह ठेकेदार के बारे में । उस सम्बन्ध में केस रजिस्टर हो गया और आज तक उसका चालान पेश करने की सरकार की हिम्मत नहीं हुई है । इसी प्रकार से उस गंगनहर में और वहां के पी. डब्ल्यू. डी. ओवरसियर्स और इंजीनियर्स ने, जिनमें तीन इंजीनियर्स थे, तीन लाख रुपये का गोलमाल किया और गोलमाल करने के बाद एस.ई. ने रिपोर्ट कर दी कि गोलमाल किया है तीन इन्जीनियरों ने और अस्सी हजार रुपये ठेकेदारों से इकट्ठा करके गबन किया था जिसकी गबन की रिपोर्ट साबित हो गई है जिसके कारण अस्सी हजार रुपये जमा कराये, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि जब कि तीनों इन्जीनियर्स के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए थी, तीनों इन्जीनियर्स का ट्रांसफर्स होना चाहिए था लेकिन उन तीनों इन्जीनियर्स का ट्रांसफर नहीं किया बल्कि उनको अच्छे पदों पर लगा दिया गया है । यह भ्रष्टाचार को पनपाने का दूसरा उदाहरण मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं । इनमें बीस ओवरसियर इन्वोल्व्ड थे जिनमें से सात ओवरसियरों को सस्पेंड कर दिया बाकी जो आपके चहेते ओवरसियर थे, जो चन्दा चिट्ठा इकट्ठा करके तीनों इन्जीनियरों को, राज्य सरकार को देते थे, इन बाकी ओवरसियरों का ट्रांसफर नहीं किया, उनको सस्पेंड नहीं किया गया है । मैं निवेदन करूंगा कि केवल सात ओवरसियरों को सस्पेंड करना कहां तक

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

है। छोटी चौपड़ से रामगंज चौपड़ की न्यायसंगत बात है। एक ही किस्सा है, एक काण्ड है जिसमें बीस ओवरसियर इन्वोल्व्ड हैं। मैं निवेदन करूंगा कि सबको तुरन्त सस्पेंड किया जाना चाहिए और तीनों इन्जीनियर्स जिन पर एलीगेशन्स साबित हो गए जिनके ट्रांसफर के बारे में एस. इ. मिस्टर गुप्ता ने लिख दिया कि इनका ट्रांसफर कर दिया जावे लेकिन उनका ट्रांसफर नहीं करके उल्टे ऊंचे और अच्छे पदों पर लगा दिया है।

इसी प्रकार से मैं निवेदन करूंगा जयपुर शहर में बन रहे बहु-चर्चित टोंक फाटक के पुल के बारे में और इसके घोटालों को आपके सामने रखना चाहूंगा। टोंक फाटक पर पुल बनाने के लिए आज से लगभग चार साल पहले राजस्थान के भूतपूर्व मुख्य मंत्री श्री मोहनलाल सुखाड़िया ने इसका शिलान्यास किया और 18 लाख की लागत से इस पुल का निर्माण किया जाने वाला था लेकिन सार्वजनिक निर्माण विभाग ने बिना रेल्वे वालों से पूछे हुए कि पुल किस प्रकार का बनना चाहिए, किस प्रकार का नकशा होगा और जल्दी के आधार पर बिना रेल्वे की सहमति प्राप्त किए कर देते हैं। सार्वजनिक निर्माण विभाग ने रेलवे की अनुमति प्राप्त किए बिना टोंक फाटक पर पुल बना कर खड़ा कर दिया। अब वहां पर झगड़ा चल रहा है। रेलवे कहती है यह बहुत नीचे हैं। किस प्रकार से बनना चाहिये, यह हमसे नहीं पूछा गया। बिना हमारी जानकारी के यह हो रहा है। इसका परिणाम क्या होगा। जो सार्वजनिक निर्माण विभाग ने पुल बनाया उसको अब तोड़ा जा रहा है। यही नहीं बल्कि मैं आरोप लगाता हूं कि कार्य के लिए जो टेन्डर आमंत्रित किया गया था इसके अनुसार इस पर काम नहीं हुआ। टेन्डर किस प्रकार का और काम होता है दूसरी प्रकार का। यह हालत है। इसमें घोटाला हुआ है। इसी प्रकार से जिस प्रकार की बजरी इस पुल के निर्माण के काम में आनी चाहिये थी, वह नहीं ली गयी। इसमें भी पचास हजार का घोटाला है। बजरी निम्न प्रकार की ली गयी। आप में से कई माननीय सदस्य उधर से गुजरते होंगे। सांगानेर जाते हैं आपके मंत्रियों का स्वागत करने के लिए। वहां पर जाते हुए रास्ते में आप इस पुल को देख सकते हैं। भूतपूर्व मुख्य मंत्री ने इसका शिलान्यास किया था। वह शिलान्यास का पत्थर वहां पर पड़ा हुआ है। अब यह पुल टूटेगा। इस तरह इसमें भयंकररूप से गडबड़ी हुई है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जनता को वहां पर भयंकर रूप से असुविधा हो रही है और दूसरी ओर राज्यकोष को भी भयंकररूप से नुकसान हो रहा है। मैं क्या यह आशा करूं कि जो अनियमितता इसमें हुई है मंत्री महोदय, आप उसकी जांच करवाएंगे? इसकी शीघ्र ही जांच की व्यवस्था आप करावें।

उपाध्यक्ष महोदय, सड़कों के बारे में निवेदन करूंगा। जयपुर शहर में पक्षपात-पूर्ण तरीके से सड़कों की मरम्मत का कार्य चल रहा है। आप चांदपोल बाजार में चले जाइये वहां हनुमानजी के मन्दिर के पास, सड़क में बिलकुल गड्ढा हो गया है। सड़क की जीर्णशीर्ण हालत है। इसी प्रकार से त्रिपोलिया बाजार का रास्ता है। वहां की सड़क की हालत भी जीर्ण शीर्ण

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

सड़क के बीच में गड्ढे हो रहे हैं। सिर-ड्योढ़ी बाजार में जो सड़क है उस सड़क में भी गड्ढे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि इतने विधायक यहां पर आते हैं क्या वे विधायक सिर्फ जौहरी बाजार से ही आते हैं। क्या आप चौड़े रास्ते से नहीं आते हैं। फिर उस रास्ते की, सड़क की मरम्मत क्यों नहीं हो रही है। किशनपोल बाजार की सड़क की मरम्मत नहीं हो रही है। यह हालत है—मुख्य बाजारों की जो सड़कें हैं, उनकी मरम्मत नहीं हो रही है। आखिर सरकार ने क्या विचार कर रखा है। इसी प्रकार से उपाध्यक्ष महोदय, सरकार ने यह घोषणा की थी कि पांच हजार की आबादी के जो गांव हैं, ऐसे प्रत्येक गांवों को सड़कों से जोड़ दिया जाएगा। परन्तु सरकार की यह घोषणा आज तक कार्यरूप में परिणत नहीं हो पायी है। मंत्री महोदय, क्या इसका कारण बतायेंगे। जो राष्ट्रीय मार्ग है उपाध्यक्ष महोदय, उनके बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं। चाहे जयपुर-आगरा का नेशनल हाइ वे हो, चाहे और नेशनल हाइ वे हो, अगर आप उस पर से जाएंगे तो आपकी गाड़ी को जगह जगह नीचे उतरना होगा। जयपुर से बीकानेर के राष्ट्रीय मार्ग को ले लीजिये वहां की हालत भी इतनी खराब है कि जब भी सड़क से गुजरना पड़ता है उस समय सड़क साफ नहीं मिलेगी जगह जगह बाधाएं होंगी। सड़क से नीचे उतरना पड़ता है। यह हर जगह होता है। जयपुर दिल्ली के नेशनल हाइ वे की भी यही हालत है। दिल्ली जाते समय आप यह देख सकते हैं कि पुलियाओं का निर्माण कई जगहों पर हो रहा है। इसकी ज्यादा तफसील में जाने के बजाय जोरावरसिंह के दरवाजे से आमेर की घाटी तक भी आप जावें तो यह पावेंगे कि सड़क टूटी फूटी हुई है। तो यह हालत है आपके नेशनल हाई वे की। इनको आप ठीक नहीं करवा सकते हैं। जो जयपुर की सड़कें हैं उसमें कोई म्युनिसिपैलिटी की है, कोई पी. डब्ल्यू डी. की और कोई नेशनल हाइ वे की। बनीपार्क की ओर आप चले जायं तो वहां पर यू० आइ० टी० की सड़कें हैं। जयपुर की सड़कों के 6 विभाग मालिक हैं। यह मालूम नहीं होता कि इन सड़कों का कौन मालिक है। इनके बारे में किसी से पूछ-ताछ करते हैं तो कहते हैं यह नेशनल हाइ वे रोड़ है। यह रोड़ पी. डब्ल्यू. डी. की है। तो यह मालूम नहीं होता कि इनकी मरम्मत बख्शी साहब करेंगे या दूसरे साहब करेंगे। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार जयपुर शहर की सड़कों की देखरेख और मरम्मत करने वाला कोई भी विभाग जिम्मेदार नहीं है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप एक राजस्थान सड़क बोर्ड के गठन के सम्बन्ध में विचार करें। यह सड़क बोर्ड विचार करेगा कि कौनसी सड़कों की मरम्मत करना है। किन किन सड़कों की देख-रेख करना है और उसके लिए धनराशि का वितरण करेगा। इसलिए राजस्थान सड़क बोर्ड का गठन किया जाये और उसके द्वारा यह कार्य सम्पन्न कराया जाये।

इसी प्रकार से नेशनल हाइ वे के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहता हूं। जो नेशनल हाइ वे है पुरानी रोड़ और नई रोड़ आमेर की, इस नई रोड़ के बीच में प्रभावशाली लोगों ने 16 दुकानें बना ली हैं। इसके लिए जब कहा गया तो नेशनल हाई वे वाले कहते हैं हमारा उसमें कोई लेन देन

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

नहीं है। पी० डब्ल्यू० डी० वाले कहते हैं कि हमारा इससे सम्बन्ध नहीं है। यह म्युनिसिपैलिटी करेगी। म्युनिसिपैलिटी कहती है यह पी. डब्ल्यू. डी. के नियमों में आता है इसलिए इसको गिरा नहीं सकते। तो ये 16 दुकानें बन गई हैं, नई रोड़ के बीच में और यह नेशनल हाइ वे पर हुआ और ये दुकानें प्रभावशाली लोगों की हैं। तो जयपुर में इन सड़कों का मालिक कौन है, किसकी ये सड़कें हैं? जयपुर में अवैधरूप से निर्माण कार्य इन सड़कों पर हो रहा है और उनको रोकने वाला कोई नहीं है। तो जयपुर को सड़कों का एक उदाहरण उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आपके सामने रखा है।

एक और निवेदन करना चाहूंगा। बाढ़ जो आई थी और उसके कारण सड़कें टूट गयीं उनकी आज तक कोई मरम्मत नहीं हुई है। बाढ़ के कारण, बारिश के कारण जो परकोटे टूट गये थे उनकी भी मरम्मत नहीं हुई है। फिर बारिश आएगी और जो परकोटे पहले टूट गये थे वे अब बह जाएंगे और राज्य सरकार इनकी मरम्मत करने के लिए चिन्ता नहीं करती है। नजूल ईमारतों के बारे में भी मैं निवेदन करना चाहूंगा। सार्वजनिक निर्माण विभाग के पास इनका पूरा रिकार्ड नहीं है कि जयपुर शहर में कितने मकान हैं। पी. डब्लू. डी. के पास इन मकानों की कोई सूची भी नहीं है और नाजायज कब्जा किए हुए बैठे हैं। एक सदस्यीय कमेटी भी इसके लिए बनी हुई है। इसके अलावा जयपुर शहर में जो सार्वजनिक निर्माण विभाग की इमारतें हैं, जिनमें स्कूल चलते हैं, औषधालय हैं, पुलिस के थाने हैं, सार्वजनिक पुस्तकालय हैं, उनकी कैसी हालत है? उनको भी आप देख लीजिये। जो मकानात हैं, जिनमें दफ्तर हैं, उनकी हालत को भी आप देखो। उनकी मरम्मत नहीं हो रही है। पुताई की कोई व्यवस्था नहीं है। कभी टूट फूट हो जाये तो उसकी मरम्मत करने की ओर आपके विभाग का ध्यान नहीं है। इसका कारण क्या है? आखिरकार यह सार्वजनिक सम्पत्ति है, हमारी सम्पत्ति है, जनता की अपनी सम्पत्ति है। और क्यों सार्वजनिक निर्माण विभाग इनकी भली प्रकार मरम्मत नहीं कर रहा है और आप कहते हैं जयपुर को गुलाबी नगर। आखिर जयपुर शहर में क्यों कार्य नहीं हो रहा है। अगर सरकारी इमारतों को आप गुलाबी रखोगे तो दूसरों को भी उदाहरण मिलेगा। इसी तरह से पी. डब्लू. डी. के क्वार्टर्स हैं, गांधीनगर में हैं, होदा की मोरी में क्वार्टर्स की भी मरम्मत नहीं हो रही है। लोगों से किराया भी वसूल नहीं हो रहा है। अगर सार्वजनिक निर्माण विभाग इनकी देखभाल नहीं कर सकता है तो ये क्वार्टर्स क्यों नहीं उनको सुपुर्द कर दें जो कि उनमें रह रहा है। क्यों नहीं इनको हायर परचेज सिस्टम के आधार पर बेच देता है। विभाग के निकम्मेपन के कारण इनकी मरम्मत नहीं हो रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जयपुर में कई दर्शनीय स्थान हैं। एक नाहरगढ़ का किला है। माननीय राजबहादुरजी ने इसको देखा है। वे देख कर गये हैं और इसको देख कर उन्होंने कहा है कि यह एक अच्छा पर्यटक केन्द्र बन सकता है। नाहरी के नाके से जाने वाली सड़क की मरम्मत होनी चाहिये

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

और फिर यह सड़क आमेर की घाटी तक जा सकती है। उपाध्यक्ष महोदय, कभी आपको मौका मिले तो आप वहां जायें। आप देख कर प्रसन्न हो जायेंगे। पानी निकलने का नाला भी है। चारों ओर अच्छे दृश्य हैं। इसको पर्यटक केन्द्र बनाया जाये। यहां पर होटल बनाया जाये। सड़क की मरम्मत हो और नाहरगढ़ के किले का विकास हो और आमेर के साथ नाहरगढ़ के चरणमंदिर होते हुए जोड़ा जाये। इस तरह से इसका विकास किया जाना चाहिये। परन्तु इस बजट में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है। इसी तरह से उपाध्यक्ष महोदय, गलताजी का स्थान है। यह तीर्थ-स्थान है। आप भी इसको देख कर आये होंगे। यहां पर लिफ्ट बन सकती है गलता घाट पर जाने के लिए। यह स्थान एक दर्शनीय स्थान है इसी तरह से विधान सभा भवन के नीचे, ठीक आपकी नाक के नीचे जन्तर मन्तर है। कई फॉरिनर्स इसको देखने के लिए आते है वहां पर न तो नल की व्यवस्था है और न लाइट की ही व्यवस्था है वहां पर आंकड़े के पेड़ उग रहे हैं। गंदगी का चारों ओर ढेर लग रहा है। पर्यटक विभाग की ओर से इसकी कोई देख रेख नहीं हो रही है। इस जन्तरमन्तर को हिन्दुस्तान में और जगह नकल की गई हैं। जन्तरमन्तर की यह दशा शोचनीय है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इसकी भी ठीक प्रकार से व्यवस्था करे। फॉरिनर्स आते हैं वे यह नहीं जानते हैं कि इसकी व्यवस्था कौनसा विभाग कर रहा है। वे यह नहीं जानते कि यहां का प्रशासन निकम्मा है। सारे भारतवर्ष में यह अपने प्रकार का एक ही जन्तरमन्तर है और इसकी अव्यवस्था को देख कर फॉरिनर्स क्या विचार लेकर जाते होंगे, यह सरकार के विचार करने की बात है। सड़कों की जो हालत है, वह आपसे छिपी हुई नहीं है।

जयपुर में ड्रेनेज की समस्या भयंकर रूप से है। राज्य सरकार ने ड्रेनेज की सुचारुरूप से कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है। आमेर रोड़ से यदि आप जायेंगे तो जल महल के पास गन्दा पानी भरा हुआ है। वहां से गुजरते ही बदबू आती है। जयपुर शहर में ड्रेनेज की स्कीम न होने से आदर्श नगर और बनी पार्क की हालत खराब है। जयपुर शहर की ड्रेनेज की हालत ठीक करने के लिये पी. डब्लू. डी. को अधिक रकम खर्च करनी चाहिये।

जयपुर फ्लड स्कीम के नाते भी एक स्कीम बनाई गई थी। जयपुर में बरसात होने पर सारा तोपखाना देश और जौहरी बाजार में पानी भर जाता है। राम प्रकाश सिनेमा के बाहर तो इतना पानी होता है कि नाव चला सकते हैं। फ्लड स्कीम बनी हुई है लेकिन उस पर राज्य सरकार ने एक पैसा भी खर्च नहीं किया नक्शे बने हुए है, पर कुछ भी नहीं किया गया। सांगानेर गेट के बाहर जो कोर्ट भवन है, वह भी अभी पूरा नहीं किया गया। वहां जजेज के बैठने की कोई व्यवस्था नहीं है। हाइ कोर्ट की बेन्च आज नहीं तो कल, जयपुर में आने वाली हैं। राजस्थान की जनता जागेगी, आपका विवेक जागेगा और हाइ कोर्ट की बेन्च निश्चितरूप से जयपुर में आयेगी, तो यहां हाइ कोर्ट के जजेज के बैठने के लिये व्यवस्था करनी चाहिये। वहां पर वकीलों के चेम्बर्स भी बनने चाहिये।

एक माननीय सदस्य : यह वित्त मंत्री की अनुपस्थिति में बोल रहे हैं।

श्री गिरधारीलाल भार्गव : आपने विकास के कार्यों पर बहुत कम पैसा लगाया है और इससे आपके कांग्रेस के कार्यकर्ता भी असन्तुष्ट हैं। आपने जो कुछ भी थोड़ा बहुत काम किया है वह कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र में किया है। आप भले ही कांग्रेस विधायकों के क्षेत्र में काम करवायें लेकिन विरोधी दल के सदस्यों के क्षेत्र की भी बिल्कुल उपेक्षा न करें। आज मेरे क्षेत्र में ब्रह्मपुरी का नाला सड़ रहा है, कुंदीगरों का नाला सड़ रहा है, कच्चा बन्धा का नाला सड़ रहा है। सड़कों की हालत यह है कि चारों ओर टूटी हुई है। इस प्रकार का पक्षपात अगर आप करते हैं तो यह गलत होगा। फिर तो आप डिक्टेटर बन जाइये, फिर विरोधी दल का कोई सदस्य जीत कर आयेगा नहीं, और न ही आपको कोई खोटा खरा कहेगा। आपके जो भी विकास कार्य हों उनके लिये आप चारों एम. एल. एज को बुलाकर तय करें।

रामनिवास बाग की तरफ भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। रामनिवास बाग का किस प्रकार से विनाश हो रहा है यह किसी से छुपा हुआ नहीं है। इसकी तरफ आपको ध्यान देना चाहिये।

राजस्थान में बेकारों को काम मिलता नहीं। आपकी एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज से लोगों के नाम नहीं भेजे जाते। आपको हर एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज में जो भी वैकेन्सीज नोटीफाइ होती हैं, वह नोटिस बोर्ड पर लगानी चाहिये ताकि लोगों को मालूम हो सके कि कहां कहां पर वैकेन्सीज हैं। गांवों में बेरोजगारी हटाने के लिये आपको 284 लाख खर्च करना था, उसमें से आप केवल 186 लाख ही खर्च कर पाये, इसका मतलब यह हुआ कि गांवों में रोजगार दिलाने के लिये जो पैसा आपको मिला वह भी आपने लैप्स होने दिया। गांवों के किसान आज बेरोजगारी के कारण शहरों में आ रहे हैं। उनके लिये यदि गांवों में ही छोटे छोटे उद्योग धन्धे लगाये जायें तो किसानों के जवान लड़कों को वहीं ही काम मिल जाये और उनको शहर की तरफ नहीं झांकना पड़े। इससे शहरों पर भी बर्डन नहीं पड़ेगा।

भारत सरकार ने पेन्शन पाने वालों के लिये 1-1-73 से मंहगाई भत्ता बढ़ा दिया है। 85 रुपये पाने वालों के लिये 15 रुपये बढ़ाये हैं, 85 से 209 तक पाने वालों के लिये 21 रुपये, 209 से 499 पाने वालों के लिये 25 रुपये और उनसे ऊपर पाने वालों के लिये 35 रुपये की वृद्धि की है। हमारे यहां पेन्शनयाफ्ता लोगों को चिकित्सा सुविधा नहीं मिलती। यदि किसी की लड़की कंवारी बैठी है तो वह कैसे उसका विवाह करे? आपको उनकी दयनीय स्थिति पर विचार करना चाहिये। जब भारत सरकार मंहगाई भत्ता प्रोपोरशनेटली बढ़ाती है, तो राजस्थान सरकार को भी वह बढ़ाना चाहिये। इसलिये मैं वित्त मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि वह भी इस प्रकार की घोषणा करें कि राजस्थान सरकार भी पेन्शनयाफ्ता लोगों को मंहगाई भत्ता देगी।

भारत सरकार ने जो हाफ ए मिलयन जाब्स की योजना बनाई, उसका भी हमारी सरकार ने पूरा उपयोग नहीं किया। आपने जिन आदमियों को लगाया, पी. डब्लू. डी. में,

(श्री गिरधारीलाल भार्गव)

विद्युत मंडल में, और दूसरी जगहों पर, तीन महीने के लिये, वह फिर से बेरोजगार बैठे हैं। आप बेरोजगारी मिटा नहीं सके। सन् 1972 में आपने नारा दिया था कि गरीबी मिटा देंगे, बेरोजगारी मिटा देंगे, आप कुछ नहीं मिटा सके। जनता की जब गरीबी नहीं मिटेगी, बेरोजगारी नहीं मिटेगी, तो मरता क्या नहीं करता वाली बात लेकर लोग आन्दोलन करेंगे और उससे हालत और खराब होगी।

अन्त में मैं श्रमिकों के बारे में कुछ निवेदन करना चाहूंगा। श्रमिक यूनियन्स को रिकग्नीशन देने के बारे में आपको उदारता के साथ विचार करना चाहिये। दामोदर मौर्य को आप हर जगह पर थोप देंगे। आपका चमचा होने के कारण वह रोडवेज में भी मिलेगा, वाटर वर्क्स में भी वही मिलेगा और इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में भी वही मिलेगा। आखिर यह क्या बात है? इसको आप ठीक करें। मजदूरों के रहने के लिये आपको लेबर कालोनीज बनानी चाहिये जिसमें मनोरंजन और चिकित्सा के साधन भी होने चाहियें।

लेबर को मैनेजमेंट का भागीदार बनाने की बात भारत सरकार ने स्वीकार कर ली है। इसको आपको भी अपनाना चाहिये। लेबर को अगर मैनेजमेंट में भागीदार बनायेंगे तो लेबर भी समझेगा कि कारखाने में उसका भी हिस्सा है और वह हड़ताल आदि नहीं करना चाहेंगे, वह समझेंगे कि हम भी मालिक हैं और हमारा भी सम्मान है। और यदि आप लेबर को लाल झंडे के आसरे ही छोड़ देंगे, तब तो वह गड़बड़ किये बगैर रहेंगे नहीं। इसलिये आप लाल झंडे को आप भूल जाइये, लाल किताब को भूल जाइये और लेबर को प्रोत्साहन दें तो अच्छा होगा।

श्री उपाध्यक्ष : श्री रामप्रसाद बोहरा।

श्री रामप्रसाद बोहरा (झालरा पाटन): उपाध्यक्ष महोदय, आज की डिमांड पर मेरे कुछ कटौती प्रस्ताव हैं, उनके बारे में मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। अचनावर में प्राइमरी हैल्थ सेन्टर का भवन बन चुका है लेकिन बिजली की फिटिंग नहीं हुई और कर्मचारियों के क्वार्टर्स भी तैयार नहीं हुए हैं। तो आपके पास जितना पैसा बचा है, उससे इनको पूरा करवाने का प्रयास करें।

पुलियाओं के बारे में मैं यह निवेदन करूंगा कि काली सिंध, पार्वती और परबल नदियों पर कोटा भोपाल रोड पर पुलियाएं छोटी होने के कारण आवागमन बिल्कुल बन्द हो जाता है। इससे आधा हिस्सा जिले का बिल्कुल ही कट सा जाता है। और यहां का सम्बन्ध विच्छेद हो जाता है। इससे जनता को बहुत ज्यादा परेशानी है। गतवर्ष जो पुलियाएं बनाने की थीं उनके लिए 6 लाख रुपये मन्जूर हुये थे। लेकिन आज तक काम शुरू नहीं हुआ हैं। यह कहा जाता है कि पंचवर्षीय योजना में पूरा किया जायेगा। मैं निवेदन करूंगा कि भूपाल पहुंचने के लिए रास्ता बन्द हो जाता है।

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये। सदन का कोरम नहीं है।

(गणपूरक सूचक घण्टी)

(गणपूर्ति के पश्चात्)

श्री रामप्रसाद बोहरा : दूसरी बात यह है कि स्टेट टाइम की जितनी छोटी छोटी पुलिया है वह लगभग 70 पुलियां हैं।

(श्री रामप्रसाद बोहरा)

सभी टूट फूट गई हैं। इनकी मरम्मत आवश्यक है। कच्चे रोड़ पर हैं। अगर अभी मरम्मत नहीं हुई तो फिर बाद में काफी रुपया लगाना पड़ेगा। सड़क तो कभी भी बनाई जा सकती है। चन्द्रभागा नदी पर आधा हिस्सा तैयार किया गया था। आधा हिस्सा टूटा हुआ है। बरसात आने पर वह भूपाल का रास्ता भी खराब हो सकता है। इसलिए चन्द्रभागा नदी पर पुल ठीक कर दें। मध्य प्रदेश से जब आते हैं, और राजस्थान की सीमा शुरू होती है तो सड़क खराब आ जाती है। 25 लाख रु० खर्च हुये फिर भी पूरी नहीं हुई। उसकी मियाद को बढ़ाना चाहिए। अकलेरा मनोहर थाना की सड़क जो डामर की सड़क है। उसको ठीक करने की आवश्यकता है। मनोहर थाना का कच्चा रास्ता है। वह सड़क ज्यादा लम्बी नहीं है। डामर होना है। झालरापाटन सड़क भी खराब है। इसके अलावा कोटड़ी पिड़ावा सड़क है। झालरापाटन का डाक बंगला सड़क है, उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं। वहां छोटी छोटी सड़कें हैं और दो लाख रुपये खर्च हो गये। पाटन डाक बंगला, पर 78 हजार रुपये खर्च किये गये। आपकी सड़क वैसी की वैसी ही पड़ी हुई है। 3-4 लाख रुपया बताया गया है। मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि एक त्रिपाठीजी अधिशाषी अभियन्ता हैं। उन्होंने 5 लाख रुपये का गोलमाल किया है। हमें आज एक उसके बारे में कोई सूचना ही नहीं मिली कि क्या कार्यवाही चल रही है। मैं एक और निवेदन करूंगा कि सन् 71 में जिलाधीश के खिलाफ एक प्रस्ताव दिया गया था। उन्होंने अपने बंगले से हरे दरख्त काट लिये थे। निर्माण विभाग के अन्दर ही थे आते हैं। उन्होंने उसमें खेती भी की थी। उसमें पैदावार भी हुई थी। सरकारी कर्मचारियों से वह खेती कराते थे। बी. डी. ओ. भी वहां पर काम करवाते थे। वह कलेक्टर थे और पांच हजार की इमारती लकड़ी कटाई गई थी। यह साबित हो चुका है। इस बारे में सतर्कता आयोग ने भी रिपोर्ट दी है। उसमें लिखा है कि उन्होंने काटे हैं। अगर कोई गरीब आदमी इन पेड़ों को काटे तो उसको 6 महीने या 12 महीने की सजा दे दी जाये। मगर 3 साल के बाद भी उनके बारे में क्या हुआ है, कोई पता नहीं है। मैं निवेदन करूं, बहुत पुरानी बात है। पं० जवाहर लाल नेहरू कहा करते थे कि अगर कोई आदमी हरा दरख्त काट ले तो उसको भी सर उड़ा दिया जाये। तो भी कोई बात नहीं है। तो मैं माननीय मन्त्री महोदय को निवेदन करूंगा कि ऐसे आदमी को ऐसी सजा दें जिससे कि दूसरे कर्मचारियों पर प्रभाव पड़े।

श्री उपाध्यक्ष : श्री मनोहर कोठारी।

(अनुपस्थित)

श्रीमती निर्मला कुमारी।

(अनुपस्थित)

जयकिशनलाल।

श्री जयकिशनलाल तोसावड़ा (फागी) : आदरणीय उपाध्यक्ष महोदय, आज सदन में दो प्रकार की मांगें हैं। श्रम और नियोजन और दूसरी मांग है निर्माण की। नियोजन के बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। आज श्रमिकों की भयंकर स्थिति है। एक तरफ हम उनसे

(श्री जयकिशनलाल)

यह अपेक्षा रखते हैं कि अपने देश का और प्रदेश का उत्थान करना चाहते हैं। दूसरी ओर हमने देखा है कि बहौरूप में राजस्थान में श्रमिकों को सुविधाएं नहीं मिलती हैं। उपाध्यक्ष महोदय, जिस प्रकार से वह मेहनत करते हैं, अगर उसी प्रकार से उनको सुविधायें दे दी जायें तो हमारे देश की प्रगति है, उसके अन्दर उनका बहुत बड़ा हिस्सा है। देश की प्रगति में उनका बहुत बड़ा भाग है। इसलिए उनको सभी प्रकार की सुविधायें देना अति आवश्यक है। मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार से श्रम विभाग के अन्दर एक प्रकार की योजना बना रखी है, उसके नियोजन के अनुसार उनको नौकरियां मिलती हैं। यह जो उन लोगों को अधिकार दिये गये हैं, उनमें कमियां हैं। इसलिये नियोजन करने वालों को सभी प्रकार के अधिकार दिये जाने चाहिए। जो बड़ी बड़ी फैक्टरियों में काम करते नजर आते हैं, उनके अनुसार उनको वेतन दिया जाता है। उसमें भी कमियां हैं। उन श्रमिकों की धनराशि बड़े बड़े मिल मालिकों की तिजोरियों में चली जाती है। बल्कि मजदूरवर्ग जो कारखानों में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, बड़े परिश्रम से कार्य करते हैं, उनको सभी प्रकार की सुविधा नहीं दी जाती हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर इनको सभी प्रकार की सुविधायें दी जायें तो थोड़ी मेहनत और मजदूरी करके देश के उत्थान में पूर्णरूप से लग सकते हैं। मेरा यह भी निवेदन है कि सरकारी संस्थानों में जो इण्डस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट में सम्मिश्रण किया गया है, वह अलग अलग कर दिया जाये, तो ठीक रहेगा। इसके कारण झगड़े आकर उपस्थित हो जाते हैं। जो शारीरिक परिश्रम है, उसका विशेष रूप से खर्चा करना पड़ता है। इन सब विभागों के अन्दर जो श्रमिक संघ हैं उनमें आपसी मतभेद हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि श्रमिक संगठन इस आधार पर किये जायं कि उनके पास क्या क्या कमियां हैं और जो सम्बन्धित विभाग हैं उनका और उन श्रमिक संगठनों का समन्वय कर देना चाहिये। उनकी मांगों को सरकार या विभाग के सामने प्रस्तुत करने से पहले उनका सर्वेक्षण करवाया जाय उसके आधार पर श्रमिकों की मांग विभाग और सरकार के समक्ष है उनको पहले ही योजना बनाकर सहौरूप में सर्वे किया जाय तो ये झगड़े हमारे सामने उपस्थित नहीं हो सकते।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह भी निवेदन है कि श्रमिक वर्ग में असन्तोष छाता जा रहा है। वह क्यों छाता जा रहा है? क्योंकि सरकार उनकी सुविधाओं की ओर ध्यान नहीं देती है। देती भी है तो विभाग उनके साथ सौतेला व्यवहार करता है और ऐसा लगता है कि बड़े बड़े कारखानेदारों, मालिकों की फैक्ट्रियों में श्रमिकों को अपने काम में सुविधायें नहीं मिलती हैं। आज मानव समाज के बहुत बड़े अंग को उपेक्षा की दृष्टि से देख रहे हैं। इसी के कारण विभिन्न प्रकार की हड़तालें होती हैं। यह इसीलिए होती हैं कि श्रमिकों को सब प्रकार की सुविधायें नहीं मिलती हैं। श्रमिक वर्ग के लिए इस प्रकार की संस्थायें बना देनी चाहिये कि जो समय समय पर सर्वेक्षण करें कि किस कारण से श्रमिकों में असन्तोष है और किस कारण से उनमें राष्ट्रीयता की भावना नहीं है। इस सर्वेक्षण के द्वारा यह

(श्री जयकिशनलाल)

पता लगाया जाना चाहिये कि किन सुविधाओं को उनको उपलब्ध कराने से श्रमिक वर्ग में राष्ट्रीयता की भावना आ सकती है। जब श्रमिक वर्ग को सुविधायें नहीं मिलती हैं और उनकी असुविधाओं का जब निराकरण नहीं होता है तो हड़तालें होती हैं और श्रमिक वर्ग एक संगठितरूप लेकर जनता को जो सुविधायें मिली हुई होती हैं उनको तोड़ने फोड़ने के लिए उतारू हो जाता है। इसलिए इस प्रकार की योजना बना कर उनमें राष्ट्रीयता की भावना पैदा करें और उनको समझाया जाय कि यह राष्ट्र की सम्पत्ति है और इसका नुकसान करने से राष्ट्र का नुकसान होता है और उन चीजों का पुनर्निर्माण करने से आपको ही फिर मेहनत मजदूरी करनी पड़ेगी और उनके पुनर्निर्माण में कितनी दिक्कतें उठानी पड़ेंगी। इस प्रकार श्रमिकों की सभाएं की जायं। उसके लिए समिति का निर्माण किया जाय जो समय समय पर मार्ग-दर्शन दे तो उससे उनमें एक राष्ट्रीयता की भावना उत्पन्न होगी।

मेरा यह निवेदन है कि श्रमिक वर्ग पूर्णरूप से हमारी ओर से, मालिकों की ओर से, सरकार की ओर से एक प्रकार से कलंकित है। जैसे ही श्रमिकों का सवाल हमारे सामने आता है, उपेक्षा की दृष्टि से सोच लेते हैं। मजदूर हैं चलो छोड़ो। बारहमासी सड़कों पर काम करने वाले मजदूर, मिट्टी की टोकरी सर पर रखने वाले मजदूर के प्रति उपेक्षा बरती जा सकती है जैसे किसी पशु पक्षी के प्रति भी नहीं बरती जाती। विभाग में, कर्मचारियों में चाहे छोटा कर्मचारी हो, चाहे बड़ा कर्मचारी हो, मजदूर वर्ग के प्रति सहानुभूति होनी चाहिये और सहानुभूति रख कर ही उनसे काम लेना चाहिये। उनको इस प्रकार कलंकित किया जाय, उनको हेय दृष्टि से देखा जाय और छोटा सा बिगाड़ हो जाने पर उनको फटकारा जाता है। श्रमिक तो क्या बड़े बड़े अफसरों से भी गलती होती है। मेरा यह निवेदन है कि एक पारिवारिक भावना लेकर जैसे परिवार में अच्छे व्यक्ति भी होते हैं, खराब भी होते हैं, नटखट भी होते हैं, विभागीय दृष्टि से परिवार समझिये, विभाग का मुखिया परिवार का मुखिया समझिये, उनके साथ उसी मुखिया के समान आचरण करना चाहिये। इस तरह से श्रमिकों में असन्तोष बढ़ रहा है वहां उनमें सहानुभूति की भावना जगा कर उनके असन्तोष को कम किया जा सकता है।

मेरा यह भी निवेदन है कि शिक्षा की दृष्टि से भी श्रमिकों के बहुत कुछ करने की जरूरत है। ऐसी परिस्थितियां हैं कि जिनके कारण सहीरूप में श्रमिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समय पर सुविधा मिलती नहीं है। एक छोटा सा मजदूर है, सड़कों पर, भवनों पर, कारखानों पर काम करता है। मामूली सा पैसा मिलता है और परिवार की संख्या बहुत ज्यादा होती है। शिक्षा की दृष्टि से उसको सब प्रकार की सुविधा नहीं मिलती जो कि मिलनी चाहिये। इसलिये जिस जिस स्थान पर, जिस जिस विभाग में मजदूर काम करते हैं उनको शिक्षा दिलाने की दृष्टि से उस विभाग की ओर से, सरकार की ओर से, फैक्ट्री और कारखानों की ओर से सुविधायें उपलब्ध कराई जायं। मजदूर के बच्चों को भी शिक्षा मिल सके तो पूर्ण सुधार आ सकता है।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

(श्री जयकिशनलाल)

दूसरा मेरा यह निवेदन है कि एक प्रकार की सर्वेक्षण समिति बनाई जाय और समय समय पर इस प्रकार का सर्वेक्षण कराया जाय और ऐसे आंकड़े उपलब्ध कराये जायं ताकि सही ढंग से मजदूरों को सही रोजगार दिया जा सके। उनका वेतनमान और वेतन भत्ता भी किस प्रकार दिया जाय इसका सर्वे किया जा सके। जितने भी श्रमिक वर्ग हैं उनमें इस प्रकार की समितियां बनाई जायं, जिसमें गैरसरकारी और सरकारी व्यक्ति हों और समय समय पर हर जिला, हर विभाग, हर कारखाना हर फैक्ट्री में जाकर वह सर्वेक्षण करें। और वास्तविकता के आधार पर आंकड़े लाकर सरकार के सामने रखे और सरकार उस पर पुनर्विचार करें ताकि सही रूप में रोजगार उनको दिलाया जा सके। यह सारी बातें यदि सरकार सामने रखे तो हमारी समस्या मिट सकती है।

नियोजन के ऊपर भी यह विचार प्रकट करना चाहता हूं कि स्थान स्थान पर नियोजन केन्द्र खोल रखे हैं उनमें बड़ी भयंकर अनियमिततायें हैं। उनको प्राथमिकता की दृष्टि से भी नियोजन वाले नहीं देखते हैं, रेफर नहीं करते हैं। जैसे किसी व्यक्ति ने एक साल पहले नियोजन करा रखा है और दूसरा व्यक्ति दूसरे साल में नियोजन कराता है लेकिन सिफारिश के आधार पर दूसरे साल वाले का नाम पहले भेज दिया जावेगा और जिसने पहले नियोजन करा रखा था वह देखता ही रह जावेगा।

(समय समाप्ति सूचक घण्टी)

केवल दस मिनट हुए हैं। दो तीन मिनट और लूंगा।

श्री उपाध्यक्ष : आप 15 मिनट ले चुके हैं।

श्री जयकिशनलाल : दो तीन मिनट और।

श्री उपाध्यक्ष : I will not allow. जल्दी समाप्त करिये।

श्री जयकिशनलाल : दो मिनट और चाहिये। यदि आपकी हार्दिक इच्छा है तो मैं बैठ जाऊं लेकिन दो मिनट और चाहिये। इतने में तो आधा बोल जाता।

मैं यह कह रहा था कि इस प्रकार नियोजन केन्द्रों की हालत है। सही दृष्टि से सर्वेक्षण कराना चाहिये किसने बाद में नाम नियोजित कराया है और किसने पहले। और पहले वाले को पहले प्राथमिकता देनी चाहिये।

दूसरा मेरा निवेदन है कि अनुसूचित जाति और जनजाति के कभी कभी स्थान रिक्त होते हैं तो कह दिया जाता है हालांकि प्रतिबन्ध नहीं है कि नियोजन कार्यालय में वे अपना नाम दर्ज करायें हीं लेकिन फिर भी अड़चन पैदा की जाती है और इण्टरव्यू आदि से वे लोग महरूम रह जाते हैं। इसलिए इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिये कि शिड्यूल्ड कास्ट और ट्राइब्स के लोगों के लिए नियोजन कार्यालय में नाम अंकित कराने की आवश्यकता नहीं है।

मेरा दूसरा निवेदन है, पी. डब्ल्यू. डी. के ऊपर मैं अपने विचार व्यक्त कर देना चाहता हूं। आज राजस्थान के अन्दर विभिन्न स्थानों पर ऐसी परिस्थिति आगई है कि पी. डब्ल्यू. डी. के अधीन, निर्माण विभाग के अभी कई ऐसे भवन हैं, जिनकी

(श्री जयकिशनलाल)

मरम्मत ठीक समय पर नहीं होती है। इस कारण ऐसी स्थिति बन जाती है, बरसात आ जाती है, और कई हिस्सों में पानी पड़ता है, जहां पर कि विभिन्न प्रकार का सरकार का सामान पड़ा हुआ है, वह उससे खराब हो जाता है। मेरे क्षेत्र फागी और चाकसू में अस्पताल की बिल्डिंग है, जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। चाकसू और फागी के इन बड़े बड़े कस्बों में जितने भवन बने हुए हैं, उनकी दयनीय स्थिति है। इस कारण बरसात के दिनों में कर्मचारियों के सामने भयंकर स्थिति पेश हो जाती है। बीमारों को सुलाने का स्थान नहीं मिलता है, छत टूटी हुई हैं, उनसे पानी गिरता है। दवाओं को भी सुरक्षित स्थान पर नहीं रखा जा सकता है, दवाओं पर पानी गिरता है इस कारण दवाओं की शक्ति नष्ट हो जाती है। इस स्थिति को ठीक ढंग से सुधार कर व्यवस्था की जाय तो मरीजों को परेशानी से आप बचा सकते हैं।

मेरा निवेदन है, मेरे क्षेत्र में दो तीन प्रकार की सड़कें हैं, उनके बारे में भी मैं निवेदन कर देना चाहता हूं। जयपुर से चाकसू रोड पर रोडवेज की बस चलती है। यह रोड बहुत लम्बी है। इस रोड के ऊपर ट्रेफिक अधिक संख्या पर चलता है। गत सत्र के अन्दर मैंने निवेदन किया था और मांग पर कटौती प्रस्ताव भी रखा था, इस सड़क के दोनों तरफ पटरियां हैं, उनको दो दो फीट चौड़ा कर दिया जाय, ताकि आये दिन जो दुर्घटना होती है और साधारण जनता के आदमी मर जाते हैं उनको बचाया जा सके।

दूसरी सड़क है, जो जयपुर से फागी, तहसील, मालपुरा, टोडारायसिंह चली जाती है। इस सड़क की स्थिति यह है कि इसके दोनों तरफ की दोनों पटरियां चौड़ी कर दी जायं। इस रोड पर 30 तारीख से रोडवेज की बस भी चालू कर दी गई है। इसके लिए मैं मंत्री महोदय को धन्यवाद देता हूं और सरकार का आभारी हूं। लेकिन अब उसके ऊपर इस प्रकार की सुविधा और प्रदान कर दो जाय। इतने दिनों से इस रोड पर प्राइवेट बस चलती थी। अब दोनों तरफ की पटरियों को चौड़ी कर दें तो आये दिन होने वाली दुर्घटनाओं को आप रोक सकते हैं। अभी परसों ही एक दुर्घटना हो गई और एक साइकल सवार मर गया। यह सड़क संकड़ी होने के कारण इस पर दुर्घटना होती है। मेरा निवेदन है यह सड़क जल्दी से जल्दी चौड़ी करवा दी जाय ताकि लोगों को आने जाने में सुविधा हो सके।

चाकसू तहसील में शिवदासपुरा से चन्दलाई रोड है (समय समाप्ति सूचक घन्टी) Only one minute, Sir. शिवदासपुरा से चन्दलाई रोड है, दोनों अच्छे कस्बे हैं उस पर, पांच सात साल पहले से मेटिरियल पड़ा हुआ है, कंकर पड़ा हुआ है, उसके ऊपर सब प्रकार के डामर के ढोल ले जाकर गिरा दिये गये हैं। यह दो मील का टुकड़ा है, इसमें ज्यादा खर्च भी नहीं होगा क्योंकि कंकर पड़े हुए है, अब केवल रोलर मजदूर और डामर का खर्चा आ सकता है। मेरा निवेदन है, माननीय मंत्री से, यह सड़क बनवा दी जाय तो दोनों कस्बे आसानी से एक दूसरे से जुड़ सकते हैं, यातायात की दृष्टि से। मेरा निवेदन है, यह सुविधा पहुंचा दी जाय तो पूर्णरूप से हमारे क्षेत्र की सारी की सारी विपत्तियां दूर हो सकती हैं।

(श्री जयकिशनलाल)

मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि श्रम का विभाग है, पी. डब्ल्यू. डी. है यह दोनों एक दूसरे से एक प्रकार से मिले हुए हैं, उधर नियोजन विभाग भी एक दूसरे का भला करने का वास्तव में सहारा है। मेरा निवेदन है, इनमें समन्वय करके, इन सारी सुविधाओं को मद्देनजर रखते हुए यह सारी सुविधायें राजस्थान में और मेरे क्षेत्र में पूर्णरूप से उपलब्ध कर दी जाय तो आने वाली विपत्ति दूर हो सकती है। मैं यही विचार रखना चाहता हूं।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन : उपाध्यक्ष महोदय ....

श्री उपाध्यक्ष : श्री जीथिंग।

श्री जीथिंग : उपाध्यक्ष महोदय, इस लोक निर्माण विभाग पर आज सदन में चर्चा हो रही है, वैसे यह विभाग वास्तव में इन्सान की जिन्दगी का निर्माण करता है, लेकिन मुझे खेद के साथ यह कहना पड़ता है कि जहां आदिवासी और पिछड़ी जाति के इलाके हैं, माननीय मंत्री ने तो शायद ही देखे हों, बांसवाड़ा, डूंगरपुर जैसा इलाका, उस इलाके मे कितनी सड़कें अब तक बनाई गईं, देश में प्रजातन्त्र आने के बाद, कितने पुल बनाये गये देश में प्रजातन्त्र आने के बाद ? इस पुस्तिका में बांसवाड़ा जिला डूंगरपुर जिला का कोई उल्लेख नहीं है। यह बिल्कुल साफ सामने हैं। मैं आपको अपने क्षेत्र की बात बता देना चाहता हूं कि बांसवाड़ा, कुशलगढ़ से बांसवाड़ा रोड दाहौद रोड से मिलती है, कुशलगढ़ से दाहौद बीस मील है, और कुशलगढ़ से जो मध्य प्रदेश का रेल्वे स्टेशन है, वहां तक रोड जाती है, वह कुशलगढ़ से मध्य प्रदेश का रेल्वे स्टेशन आठ मील का है। 28 मील का टुकड़ा अब तक इस प्रजातन्त्र के आने के बाद कुशलगढ़ क्षेत्र में बना है। इसके अलावा कोई रोड या पुल उस इलाके में बनाया हो, और वह आपके नक्शे में हो, आपकी लिस्ट में हो तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन मेरे सामने जो लिस्ट है, जो आंकड़े दिये गये हैं, उनके आधार पर मैं कह रहा हूं। अभी आंकड़े बताने के लिए तो माननीय मन्त्रीजी खड़े हो जायेंगे, कह देंगे कि इतने मील रोड यहां पर बनाई गई है 1951 से लेकर, 1950 से लेकर 1972-73 तक इतनी लम्बी सड़क बनाई गई है, यह किया गया है-यह सारे आंकड़े राजस्थान के मिला कर बता देंगे, लेकिन मान्यवर उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा मंत्री महोदय से, यह सब जो भी काम हो रहा है, मैं भी मानता हूं कि इतना काम हुआ है। यह नहीं कि नहीं हुआ हो। हुआ है, लेकिन कहां हुआ है- शहरों में, कस्बों में और नगरों में हुआ है। लेकिन जहां आदिवासी इलाका है, जहां पहाड़ी इलाका है, जहां बीस-बीस, पच्चीस-पच्चीस मील, तीस-तीस मील से चल कर लोग कस्बों में जाते हैं, या अस्पतालों में जाते हैं, उन इलाकों में आपने पांच हजार की आबादी वाले कस्बों को सड़कों से मिलाने की बात कही। मैं माननीय मंत्री को यह सुझाव देना चाहता हूं कि आप पांच हजार की आबादी वाले कस्बों को ही सिर्फ ध्यान में न रखें, आप कम से कम बिखरी आबादी के लोगों का भी ध्यान रखें। बिखरी आबादी के लोगों को क्या सुविधा हो सकती है, उसके लिए उस एरिया के लिए आप टार्जेट फिक्स करें कि

(श्री जीथिग)

अमुक मील से अमुक मील तक सड़क बनाई जायेगी, ताकि बिखरी आबादी के लोगों लिए यातायात की, सड़कों की सुविधा हो सके। तब तो मानेंगे, कम से कम उस इलाके में समाजवाद का नारा देने वाली सरकार समाजवाद की ओर अग्रसर हो रही है। मैं कहना चाहता हूं कि समाजवाद का थोथा नारा है, झूठा नारा है, बिल्कुल गलत है, यह गरीब को उछालने का नारा है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं, आज पी. डब्ल्यू. डी. की मांग के सम्बन्ध में माननीय मंत्रीजी के सामने माननीय सदस्य अपने अपने क्षेत्र की, अपने अपने प्रदेश की समस्या रखेंगे, विभाग के कार्य में दुर्दशा है, उसको लेकर मंत्री महोदय के दिमाग को ठीक और साफ कर सकते हैं। लेकिन इनका दिमाग सदन समाप्त हो जाने के बाद फिर न मालूम क्या हो जायगा? मैं कहना चाहता हूं, मेरे शब्द मंत्री महोदय को गलत लगें, कडवे लगें, लेकिन XXX को कितने ही गहरे पानी में दो चार बट्टी साबुन की लगा कर पानी से नहला लें, वह आखिर में फिर धूल में जायगा और धूल की परवाह नहीं करेगा। इसी प्रकार का इनका दिमाग बना हुआ है।

मैं मंत्री महोदय को निवेदन कर देना चाहता हूं, अपने क्षेत्र के बारे में, कुछ रोड्स के बारे में, कुछ पुलों के बारे में। मैंने अपने कटौती प्रस्ताव भी दिये हैं....

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। आप तशरीफ रखिये।

माननीय सदस्य ने 'गधा' शब्द का प्रयोग किया हैं, यह जिनके लिए इम्प्यूट किया है, यह असंसदीय शब्द है, इसलिए मैं इसे कार्यवाही से एक्सपंज करने का आदेश देता हूं।

श्री जीथिंग : मैं पहले ही समझ रहा था कि आप निकालेंगे। खैर XXX भी कह सकता हूं।

श्री हरिश्चन्द्र पल्लीवाल : यह भी निकाला जाय।

श्री जयकिशन लाल : यह भी निकालें।

श्री उपाध्यक्ष : यह भी असंसदीय है, इसलिए इसे कार्यवाही से निकालने का मैं आदेश देता हूं।

श्री दीपंकर : यह निदेश दे दीजिये, आयन्दा के लिए कि ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें।

श्री जीथिंग : मैं बता देना चाहता हूं ....

श्री उपाध्यक्ष : आप संयम रखें और संयम रख कर बोलिये।

श्री शंकर सिंह रावत : ताड़ना तो होनी चाहिये ताकि ऐसे शब्दों का प्रयोग न करें।

श्री जिथिंग : मैं और दूसरे शब्दों का प्रयोग कर सकता हूं, इसमें रुकावट नहीं है। मैं अपने क्षेत्र के बारे में माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। इस वर्ष भयंकर वर्षा होने के कारण, डामर की जो बनी हुई सड़क है, वह बिल्कुल उखड़ कर खत्म हो चुकी है। कुशलगढ़, मीमापुर और दाहोद का

XXX ये शब्द अध्यक्षपीठ के आदेश से निकाले गये।

(श्री जिथिग)

टुकड़ा है, यह पन्द्रह बीस मील का है, ग्राज तक उस इलाके में उस टुकड़े पर रिपेयर का काम चालू नहीं किया गया है। कुशलगढ़ से उदयगढ़ मध्यप्रदेश सड़क तक 8 मील का टुकड़ा है उस टुकड़े का ग्राज तक रिपेरिंग का कार्य चालू नहीं किया गया ग्रगर मैं आपको बता दूं, मंत्री महोदय, ग्रगर नोट करने का कष्ट करें कि इस पुस्तिका में बड़े बड़े पुल बनाने के लिए प्रस्ताव इसमें दिये गए हैं लेकिन कुशलगढ़ के पास में, वहां से $1\frac{1}{2}$ मील के नजदीक एक हिरन नदी पड़ती है वहां रियासत के जमाने की रपट बनी हुई है ग्रौर वह हिरन नदी बारिश के दिनों में सप्ताहों तक भरी रहती है। पिछली बार हमने कहा था ग्रौर प्रश्न भी किया था लेकिन धनाभाव के कारण उस कार्य को नहीं लिया गया, तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री महोदय जब अपना जवाब देंगे उस समय उस नदी का पुल बनाने के लिए किसी सीमित दायरे के अनुसार ग्राश्वासन दे सकते हैं, मैं ऐसी ग्राशा करता हूं। यदि उस नदी पर पुल बनाया जाए तो वहां की जनता को काफी राहत मिल सकती है। पिछली बार ग्रकाल की स्थिति थी, बारिश भयंकर थी, बीमारी की हालत में न दवाइयों के लिए न अनाज लेने के लिए कुशलगढ़ ग्रा सके। उस समय कालेरा की बीमारी चल रही थी, सैकड़ों ग्रादमी मर गए और दोनों सड़कों पर नदियां हैं। एक कुशलगढ़ से बांसवाड़ा सड़क पर नदी है और कुशलगढ़ से उदयगढ़ सड़क पर नदी है, दोनों नदियों पर पुल बनाया जाए तो फिर हम मानेंगे कि ग्राप राजनैतिक भेदभाव के साथ काम नहीं कर रहे हैं बल्कि मानवता की दृष्टि से काम कर रहे हैं ग्रौर आप समाजवाद लायेंगे। कई वर्ष पहले सदन में इस पुल बनाने के लिए भूतपूर्व विधायक श्री भैरोंसिंह शेखावत ने कहा था। वह बारिश के दिनों में कुशलगढ़ ग्राए थे ग्रौर वहां टूर पर थे, तो वह भी नदी के उस पार ही रह गए ग्रौर उन्होंने कहा था कि मैं इसके लिए सदन में कहूंगा। उन्होंने कहा या नहीं, मैं नहीं कह सकता लेकिन वह एक खतरनाक नदी है, सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है।

एक माननीय सदस्य : भैरोंसिंह कहां हैं ?

श्री जिथिग : ग्रापकी समझ में नहीं ग्राएगा।

एक माननीय सदस्य : वह तो इस बार सदन में नहीं ग्राए। वह तो संसद में है।

श्री जयकिशनलाल : वह तो उस नदी को ही पार कर गए।

श्री जिथिग : मैं एक ग्रौर निवेदन करना चाहता हूं लेबर के बारे में। हमारे यहां एक तालाब का कार्य चल रहा है ग्रौर वहां ठेकेदार की व्यवस्था चलाई जा रही है। उसका टेन्डर मेरे ख्याल से 1971 में मंजूर हुग्रा था ग्रौर ग्राज उस लेबर की हालत यह कि इस महंगाई के जमाने में सुबह से शाम तक एक मजदूर कितनी ही मजदूरी करे फिर भी उसको एक रुपया या 12 ग्राने या 8 ग्राने प्रतिदिन पड़ता है। जयपुर में जो एक चाय के पैसे होते हैं वह सारे दिन मजदूरी करने पर मजदूर को मिलता है।

श्री नत्थासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, समय का ध्यान रखें कई माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

श्री केशरीमल : समय निर्धारित है, अपनी पार्टी की तरफ से ये एक ही बोलने वाले हैं।

श्री केदार नाथ : हमारे दल से ये एक ही बोलेंगे।

श्री जिथिंग : तो उन मजदूरों को उचित न्यूनतम वेज मिल सके और उसका जो रेट है जिस समय टेंडर स्वीकार किया गया है, उसमें कुछ परिवर्तन करने के मंत्री महोदय अपने विभाग को आदेश दें और उन मजदूरों को मजदूरी ठीक ढंग से मिल सके, ऐसी व्यवस्था कर सकें तो उनके लिए बहुत अच्छा होगा अन्यथा वह तालाब जो इस साल पूरा होने वाला वह पूरा नहीं हो सकेगा क्योंकि मजदूर काम पर नहीं जायेंगे।

हमारे यहां एक सड़क है कुशलगढ़ से रतलाम जिसका क्रश स्कीम से काम चलाया जा रहा है लेकिन केवल 3-4 पुलियों का काम चल रहा है, बाकी सारी सड़क वैसी की वैसी पड़ी है तो उस सड़क को डामर या ग्रैवल की बनाने का विभाग की तरफ से आदेश हो जाए तो उस सड़क पर काफी ट्रैफिक है और रतलाम और कुशलगढ़ को मिलाती है, इसलिए उस सड़क को बनाना जरूरी है। कुशलगढ़ से बांसवाड़ा सड़क जो घूम जाती है, वह सड़क अकाल के समय कुशलगढ़ से मोमनघाटी जाकर मिलाई गई थी उस सड़क पर मैटीरियल पड़ा हुआ है। लेकिन विभाग उसको हाथ में नहीं ले रहा है, इसका क्या कारण है और इस सड़क को अगर बांसवाड़ा के लिए सीधा डाइरेक्ट कम्पलीट कर लिया जाए तो बांसवाड़ा से घूमकर कुशलगढ़ 46 मील होता है और वह सड़क सिर्फ 30 मील है याने 26 मील का चक्कर मिट जाएगा और छोटे गांवों में वह सड़क जाएगी। हम नहीं कहते हैं कि उसको बंद कर दो लेकिन सीधी सड़क मिलती है तो वह बेहतर है। उस सड़क पर आपको कोई बड़ा पुल बनाने की जरूरत नहीं है, छोटे छोटे नाले हैं, वे भी बहुत कम हैं। इसलिए इसके लिए आप कुछ आश्वासन दें ताकि हमें कुछ आशा रहे।

श्री उपाध्यक्ष : श्री वृद्धिचन्द्र जैन।

श्री वृद्धिचन्द्र जैन (बाड़मेर) : उपाध्यक्ष महोदय, लोक निर्माण कार्य एवं श्रम व नियोजन के बारे में मैंने कटौती प्रस्ताव रखे हैं। उस सम्बन्ध में मैं अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। पहले मैं लोक निर्माण कार्य को लेता हूं। संचार-व्यवस्था की दृष्टि से राजस्थान प्रान्त असम, नागालैंड और जम्मू-कश्मीर को छोड़ कर सबसे पिछड़ा हुआ प्रांत है। सड़कों के निर्माण की ओर देखें तो प्रथम पंच वर्षीय योजना के शुरू में 11329 किलोमीटर सड़कें थीं जो बढ़कर 1973-74 तक 33882 किलो मीटर हो गई। इन 25 वर्षों में जो हमने सड़कों के विकास में कार्य किया है उसकी प्रशंसा नहीं की जा सकती क्योंकि जो प्रावधान हमने पंच वर्षीय योजना में रखे हैं कहीं 2 प्रतिशत, कहीं 3 प्रतिशत का हमने प्रोवीजन रखा। और उनसे जो अपने क्षेत्र पिछड़े हुए हैं और रेगिस्तानी क्षेत्रों में फैले हुए हैं उनका अगर विकास करना चाहें

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

तो उसके लिए जब तक अधिक राशि का प्रावधान नहीं करते तब तक सड़कों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता है।

अभी जो सड़कें हैं उनकी जानकारी प्राप्त करें तो 100 वर्ग किलो मीटर पर 9.9 किलो मीटर सड़के हैं जो हमारे राजस्थानी प्रान्त में बनी हुई हैं। दूसरे प्रदेशों के मुकाबले में यह प्रगति कोई अच्छी प्रगति नहीं कही जा सकती है। हमारे रेगिस्तान क्षेत्र में जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं उनमें सड़कें बनवाना बहुत आवश्यक है। सड़क बनी हैं। वे देश की सुरक्षा के लिए बनी हैं परन्तु उनसे यदि आप इस निष्कर्ष पर पहुंचें कि बाड़मेर जिले में सब ही जगह सड़कें हो गयी हैं तो सीमावर्ती क्षेत्र चोहटन, शिव का क्षेत्र आता है बाकी हिस्सों में जो निर्वाचन क्षेत्र आते हैं उनमें अभी तक कोई विकास या किसी तरह की डामर की सड़क नहीं बनी हुई है। पांच छः वर्ष से हम देख रहे हैं कि पचपदरा से पचपदरा साल्ट एक सड़क ली गयी है और कोई सड़क योजना में नहीं ली गयी है। डी. पी. ए. पी..सी.. फेमीन में सड़कें बनी हैं परन्तु योजना के अन्तर्गत बाड़मेर जिला, जैसलमेर जिला और जालौर जिला इनको बिलकुल उपेक्षा की दृष्टि से देखा गया है। अभी भी जो प्रोवीजन किया गया 74-75 में 161 लाख का है उसमें 70 हजार का प्रोवीजन है, मैंने जो फीगर्स देखे हैं, बाड़मेर के लिए प्रोवीजन किया है पचपदरा से पचपदरा साल्ट के लिये 20 हजार रुपया और बागुन्डी-पचपदरा जाती है उसके लिए 50 हजार का प्रोवीजन किया है। बाकी के लिए कोई प्रोवीजन नहीं किया गया है। ये पिछड़े हुए क्षेत्र हैं और रेगिस्तानी क्षेत्र हैं। यहां पर आवागमन बढ़ाने आवश्यक हैं। फेमीन के टाइम में जो सड़कें बनी हैं उनकी कोई रिपेयर्स नहीं होती हैं। पी० डब्ल्यू० डी० अपने अधिकार में नहीं लेती है। वह कहते हैं कि फेमीन रोड को हम अपने हाथ में नहीं लेते। हाथ में नहीं लेते हैं तो उनकी रिपेयर्स की कोई व्यवस्था नहीं होती है। फेमीन में सड़कें बहुत हैं। फेमीन में ही उनकी रिपेयर्स हो अन्यथा उनका कोई सुधार नहीं होगा। मैं चाहता हूं कि फेमीन रोड्स हैं, जहां पर बसें चलती हैं, जहां पापुलेशन अधिक है वहां तो रिपेयर्स का कार्य हाथ में लें। पी० डब्ल्यू० डी० अपने हाथ में ले। यह कार्य अवश्य किया जाना चाहिये।

दूसरा मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सुरक्षा की दृष्टि से सड़कें बनी हुई हैं वे पूरी नहीं हैं। पहले भी निवेदन किया था कि और फिर सदन में जोर डालना चाहता था कि हिन्दुस्तान-पाकिस्तान के सम्बन्ध अच्छे नहीं हैं। कभी युद्ध छिड़ सकता है। 65 में युद्ध छिड़ा। हम यह समझ बैठे थे कि सड़कें नहीं होने से कम्युनिकेशन्स न होने से दुश्मन आगे नहीं आ सकेगा। लेकिन आज के वैज्ञानिक युग में इस प्रकार का सोचना उपयुक्त नहीं है। सन् 1971 में हमारी सड़कें जैसलमेर, बाड़मेर, गंगानगर में थीं और उनके होने से हम युद्ध में जीते और हम पाकिस्तान की ओर बढ़े और हमने चार हजार वर्ग मील का क्षेत्र पाकिस्तान का अपने कब्जे में किया। तो मेरा यह निवेदन है कि दूसरी जो सामरिक महत्व की सड़कें हैं जिनका मैं जिक्र करना चाहता हूं उनको भी सेकिन्ड प्रॉयोरिटी बोर्डर

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

रोड्स के रूप में हाथ में लेना चाहिए। केन्द्रीय सरकार के ऊपर प्रेशर डालना चाहिये।

मेरे डिस्ट्रिक्ट के लिए निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़मेर से जोधपुर रोड है। आज जो बाडमेर से जोधपुर रोड है उसमें सिन्दरी और बालोतरा दोनों पर पुल बन्धे हुए नहीं हैं। अभी बाढ़ आयी। जोधपुर से बाड़मेर का सम्बन्ध भंग हो गया, 25 दिन के लिए टूट गया। सिन्दरी-बालोतरा पर पुल नहीं थे और आना जाना बन्द हो गया।

25 साल से बराबर प्रयास कर रहे हैं और गवर्नमेंट से बार बार निवेदन कर रहे हैं कि सिदरी बालोतरा में पुलों का निर्माण किया जाय। बालोतरा में जरूर फेमीन रिलीफ डिपार्टमेंट से एक रपट बनी है उससे जरूर लाभ हुआ है लेकिन उससे काम चलने वाला नहीं है। देश की सुरक्षा के लिए यह जरूरी है क्योंकि यदि युद्ध हो और उस समय बाढ़ आ जाय तो किस प्रकार से मिलिट्री इन बोर्डर एरियाज में प्रवेश करेगी? इसलिए यह आवश्यक है कि सिदरी और बालोतरा इन दोनों पुलों का जल्दी से जल्दी निर्माण करा दिया जाना चाहिये।

पहले प्लान्स में भी व्यवस्था रखी गयी थी परन्तु एक पैसा भी इन पर खर्च नहीं किया गया। डिफेन्स पॉइन्ट ऑफ व्यू से भी बाड़मेर से जोधपुर का सम्बन्ध होना जरूरी है। बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट का हैड क्वार्टर है। इन दोनों पुलों का बनना बहुत ही आवश्यक है।

एक सुझाव दिया था कि बाड़मेर से वाया बागुन्डा जोधपुर सड़क का। उसमें दल दल आता है। बाढ़ आयी तो यह रास्ता भी इसलिये वायतू को बागुन्डी न होते हुए भी पचपदरा पहुंच जाय वहां से जोधपुर को रास्ता है। इस रोड को राज्य सरकार को हाथ में लेना चाहिये। यह सिदरी जाती है यह रास्ता 12/14 मील का है और शॉर्ट पड़ता है। इन दोनों ही रोड्स की महत्ता है।

दूसरी सेकण्ड प्रॉयोरिटी बोर्डर रोड्स चौहटन से रामशेर, रामशेर से गिराना, बाड़मेर हरसानी वाया दासाला। चौहटन से जागासर। ये सेकण्ड प्रॉयोरिटी बोर्ड रोड्स में ली जा सकती हैं। इनको प्रॉयो-रिटी देनी चाहिये।

यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि इन रोड्स के बारे में अब की बार रिपेयर्स की व्यवस्था की है वह अधिक है। बाड़मेर से लेकर जोधपुर रोड वाया सिदरी, इसकी स्थिति बहुत ही खराब है और बाढ़ के आने के कारण बालोतरा से जोधपुर की रोड भी खराब हो गयी है। रिपेयर्स के लिये कुछ राशि मिली है। इस ओर रिपेयर्स की व्यव-स्था होनी चाहिये। जोधपुर से बाड़मेर की रोड बनायी जाय। इसको प्राथमिकता दी जानी चाहिये। ड्राफ्ट फिफ्थ फाइव इयर प्लान में जो मिनिमम नीड्स प्रोग्राम हैं जो पहले एप्रोच पेपर प्रस्तुत किया गया था उसमें 1500 इनहेबिटेड विलेजेज को बारहमासी सड़कों से कनेक्ट किया जावेगा। यह लिखा था। परन्तु अभी जो ड्राफ्ट बना उसमें वर्णन किया गया है कि

(श्री वृद्धिचन्द्र जैन)

2500 से ऊपर की आबादी के गांवों को जोड़ा जावेगा।

मैं कहना चाहता हूं कि होना तो यह चाहिये कि 1500 की आबादी के गांवों को भी लिया जाय। अब अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो कम से कम बोर्डर एरिया में और जो रेगिस्तानी इलाका है और जहां की आबादी काफी बिखरी हुई है जो 100 स्क्वायर माइल्स का एरिया है या 500 का है जहां आसपास में बीस बीस पच्चीस-पच्चीस और तीस-तीस मील तक आबादी नहीं है जिनकी आबादी बहुत दूर दूर ढाणियों में बिखरी पड़ी है वहां कम से कम 1500 की आबादी को बेस मानकर सड़कें बनाई जायें। यह संशोधन किया जाना चाहिये।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

रामसर से चोहटन तक सड़क है जिसके बारे में जिक्र किया था यह 25 मील की सड़क है जिस पर 25 लाख रुपया खर्च बताया गया है, और वह भी ग्रेवल रोड में। इस बारे में प्रश्न भी उठाया गया था। एन्टी करप्शन विभाग को यह मामला सौंपा गया था। जांच हो भी चुकी है। रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत हो गई है। चीफ इन्जीनियर साहब के पास परमिशन के लिये पड़ी है। सरकारी अधिकारियों के खिलाफ एक्शन लेने की अनुमति शीघ्र प्रदान की जाय ताकि एक्शन जल्दी से जल्दी लिया जा सके और जिन्होंने इस तरह का जघन्य अपराध किया है उनको कड़ा दण्ड दिया जा सके।

जहां तक अनुसूचित जाति और जन जाति के लोगों के रोजगार दिलाने का प्रश्न है, रोस्टर प्रणाली को कड़ाई से लागू किया जाय। जो बेरोजगारों का फिगर दिया गया है सब जिलों का 178497 है। उसमें मैट्रिक से लेकर एम. ए. तक के लोग हैं। यह बेरोजगारों की संख्या अधिक है। अनुसूचित जाति और जनजाति में भी बेरोजगारी है। इन बेरोजगारों में से जिनको नियोजन किया जा सका है वह सारे बेरोजगारों का आठ दस या बारह पर्सेन्ट आता है। यह बहुत थोड़ा है। इसमें तेजी लाने के लिये हमें शिक्षा को भी जॉब ओरियन्टेड करना चाहिये। इस तरह से शिक्षा में भी आमूलचूल परिवर्तन आप करें तभी बेरोजगारी की समस्या हल हो सकेगी।

श्री उपाध्यक्ष : श्री करणसिंह।
श्री केशरीमल।

श्री केशरीमल : माननीय उपाध्यक्ष महोदय, आज दो विषयों पर कटौती प्रस्ताव चल रहे हैं। दोनों विषयों पर मैं निवेदन करूंगा।

श्रम विभाग का जहां तक सम्बन्ध है रोजगार देने में यह विभाग बिलकुल नाकामयाब रहा है। देखने में यह आया है कि जो बेकार लोग हैं उन्होंने भारी तादाद में अपने नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज कराये लेकिन सरकार उनको काम दिलाने में असमर्थ रही।

इनकी तादाद दिनों दिन बढ़ती जा रही है। आज भी सरकार की खुद की रिपोर्ट से पता लगता है कि 73 में भी 171497 लोग रजिस्टर्ड किये गये जिसमें से इस साल 17229 लोगों को रोजगार दिया गया केवल। इससे पता लगता है कि इनकी रफ्तार कैसी है। और यह भी

(श्री केशरीमल)

अन्दाज लगता है कि बेकार लोगों को हम काम देने में भी असमर्थ हैं। सरकार को इसके लिये और रास्ते निकालने चाहियें।

अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को उनके अनुपात से बहुत कम आप काम दे पाये है, और मिलिट्री से निकले हुओं को तो बहुत कम को आप दे पाये हैं जबकि आपने काफी तादाद में काम देने का वायदा किया था। कुल मिलाकर इस तरह से मैं तो यही कहूंगा कि सरकार लोगों को काम देने में बिलकुल असमर्थ रही है और नये लोगों को तो दे नहीं पा रही हैं। पढ़े-लिखे लोगों में बेकारों की संख्या बराबर बढ़ती जा रही है।

उपाध्यक्ष महोदय, श्रम विभाग के बारे में निवेदन करूं कि यह विभाग पिछले काफी अरसे से जिस तरह से श्रमिकों के वेतन सम्बन्धी नीति को लेकर चल रहा है उससे ऐसा लगता है कि श्रम विभाग अपनी नीति को भी ठीक तरह से अन्जाम नहीं दे पा रहा है। न्यूनतम वेतन भी नहीं दिला पाया है। अधिकांश में जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको हमें यह दिलाना चाहिये। कुछ लोगों को इसमें शुमार करने की बात कही गई है। जिनकी रखी भी है उनकी 100 रुपया रखी है जो सवा सौ डेढ़ सौ तक जाती है। पहले यह 85) थी 73 में। यह इतनी कम है कि खाने और पहनने की व्यवस्था भी एक चार व्यक्तियों के परिवार वाला व्यक्ति इसमें नही कर सकता। 63 में न्यूनतम वेतन को महंगाई भत्ते के साथ जोड़ने के लिये माथुर कमेटी ने सिफारिश की थी। 60 के साल में 60 पोइन्ट के हिसाब से महंगाई भत्ता देने की सिफारिश की थी। इस सरकार ने यह व्यवस्था भी नहीं की। ऐसे कई उद्योग हैं जहां यह माथुर कमेटी की सिफारिश आज दिन तक भी लागू नहीं की गई है। 63 के बाद आज महंगाई तीन गुना बढ़ गई है। इसके आधार पर भी अगर मान लिया जाय तो 61 में 64 रुपया थी तो आज 275 के करीब होनी चाहिये। इसका मतलब है कि आधा पेट खाने को आज मजदूरों को दिया जा रहा है। सरकार के अपने फार्मूले से यह साफ है। इसका मतलब साफ है कि आज जो उद्योगों की रीढ़ है उनको चलाने वाले हैं उन मजदूरों को भी भूखा रखकर काम लेना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा यह आग्रह है कि न्यूनतम वेतन सब जगह लागू किया जाना चाहिए। छोटे-छोटे उद्योग जो हैं उनमें और जिनमें एक हजार से अधिक या एक हजार व्यक्ति काम करते हैं उनमें कम से कम 250) रुपया न्यूनतम वेतन रखा जाना चाहिए। यह खुद को साबित करना होगा। उस 250, रुपये को महंगाई भत्ते के साथ लिन्क करना होगा नहीं तो रोज के अपवाद आयेंगे। खुद हालत पैदा करना चाहते हैं जिससे कारखाने वाले नफे में रहें और मजदूरों को जीवन-यापन लायक भी नहीं मिले। यह सरकार ने खुद ने हालत की है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं जिक्र करूंगा एसबेसटस और जो नये नये उद्योग खुले हैं ब्यावर जैसी जगह में हजारों आदमी काम करते हैं, उन लोगों का वेतन तय करना चाहिए वह आज तक सरकार ने नहीं किया। इंजीनियरिंग मजदूरों की बहुत दिनों तक वेतन तय नहीं किया जबकि

(श्री केशरीमल)

इसकी सिफारिश आ गई । इंजीनियरिंग कारखानेदारों ने अब जाकर कुछ किया है, मैं इसका स्वागत करूंगा ।

आप कई दिनों से उनके अवकाश और छुट्टियों के कानून की बात कह रहे हैं लेकिन यह बात मैं काफी लम्बे अर्से से सुन रहा हूं । कानून से अभी तक लागू नहीं हुई । कानून और नियम लाना चाहिए जिससे मजदूरों को राहत मिल सके । छुट्टियों के नाम से छुट्टियां देते नहीं हैं इसलिए ज्यादा अच्छा होगा कानून इस तरह बनाया जाय । माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं इसी तरह निवेदन करूंगा कि जिन कारखानों में स्टेन्डिंग ऑर्डर लागू हैं वे बहुत पुराने हैं और आज के जमाने के साथ में उनका तालमेल नहीं है । मैं जानता हूं कि सरकार कुछ प्रयास कर रही है । मैं निवेदन करूंगा इसमें गति लायें और जल्दी निटपायें बल्कि एक से उद्योग के एक से स्टेन्डिंग ऑर्डर हों तो कहीं की भी समस्या हो, उसका समाधान निकल सकता है । यहां सेवा-नियम भी भिन्न है । ब्यावर में कुछ है, गंगानगर में कुछ है इसलिए सेवा-नियम एक से होने चाहियें । राजस्थान राज्य कर्मचारियों के सेवा-नियम एक से हैं । उनके अलग अलग नहीं हैं । उद्योग के हिसाब से सेवा-नियम एक से होने चाहियें । और मैं यह निवेदन करता हूं कि उसमें गति लाने की कोशिश करें तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, राज्य में ई. एस. आई. का ढांचा बहुत खराब है । ई. एस. आई. के काम को सरकार ने हाथ में लिया लेकिन यह देखने में मिला कि ई. एस. आई. में मजदूरों को दवा नहीं मिलती है । ई. एस. आई. वाले स्पेशियलिस्ट को भेज देते हैं और स्पेशियलिस्ट वापिस ई. एस. आई. को रेफर कर देते हैं आज का मजदूर नाना प्रकार की तकलीफ में घुस गया । अगर स्पेशियलिस्ट ने मजदूर से दवा बाजार से मंगवा ली तो उसका पैसा नहीं मिलता है कहते हैं तुमने बाजार से दवा क्यों खरीदी ? इस प्रकार की दिक्कतों का सामना आज आये दिन मजदूरों को करना पड़ रहा है । अगर सर्टिफिकेट लेना है तो पैसे दीजिये, बीमार को भी सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा उसको भी पैसे देने होंगे और बिना बीमारी के पैसे देने पर सर्टिफिकेट दे देंगे । इस प्रकार की अनियमिततायें बहुत बढ़ रही हैं उसको रोकना आवश्यक है ।

मजदूर जो अपने पैसे से दवा लेता है । हर मजदूर मिलकर लाखों रुपये माहवार इकट्ठा करते हैं और इस इकट्ठा किए हुए रुपये से व्यवस्था होती है । फिर क्या कारण है कि सरकार इसका उचित प्रबन्ध नहीं कर सकती है और उसके लिए दवा न हो ? दवा के अभाव में मजदूर को तड़फ तड़फ कर मरने दिया जायगा, लेकिन उसके लिए दवा की व्यवस्था नहीं की जायगी । ऐसी स्थितियां आप पैदा करते हैं, कौन पैदा करता है ? पूरी जिम्मेदारी आपकी है ।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने आंखों से जा जा कर देखा है कि एक मजदूर को शफाखाने में डॉक्टर भर्ती कर लेता है । अब ई. एस. आई. में दवा नहीं है । डॉक्टर बाजार से दवा मंगा लेता है और कहता है बाजार से तुरन्त दवा लाओ । जब उसके रि-एम्बर्समेंट का प्रश्न आयेगा तो जवाब मिलेगा बाजार की दवा का पैसा नहीं

(श्री केशरीमल)

मिलेगा, तुम बाजार से दवा क्यों लाये। इस प्रकार अनियमिततायें भरी पड़ी हैं।

हमारा प्रोविडेन्ट फण्ड का पैसा सरकार के हाथ में कर दिया, लेकिन वह तभी मिल सकता है जब उस प्रोविडेन्ट फन्ड से कुछ हिस्सा वहां चढ़ायें। मैं माननीय मंत्रीजी से निवेदन करूंगा प्रोविडेन्ट फन्ड की व्यवस्था अपने हाथ में न होते हुये भी सेन्ट्रल गवर्नमेंट को लिखा पढ़ी करनी चाहिए कि इस प्रकार की व्यवस्था हो और कुछ समय निर्धारित हो। एक आदमी ने फार्म भेज दिया। 19 नम्बर का फार्म भी भर कर भेज दिया और 20 नम्बर का फार्म भी भेज दिया। इतने समय में पैसे पहुंच जाने चाहियें और इस प्रकार की मांग प्रोविडेन्ट फन्ड आफिस से करें।

मैं आपके जरिये से निवेदन करूंगा माननीय मंत्री जी से कि यहां पर जो विभाग का समझौता करने का तरीका है वह गतिहीन है, गति रही नहीं है। उसमें गति लाना आवश्यक है। रोज नये नये मसले उठते हैं और कितने मसले इस प्रकार के आते हैं कि छोटी छोटी बातों को लेकर हड़ताल हो जाती है और उसमें बीच में पड़ने का प्रयास नहीं करते हैं, उसको बीच में पड़कर सुलझाना नहीं चाहते हैं। कभी जाते ही नहीं हैं और अगर जाते भी हैं तो तब, जब हड़ताल समाप्त हो जाती है। मैं आपके जरिये से मंत्री महोदय को निवेदन करूंगा कि इसके जिम्मेदार कौन हैं? आज जगह जगह हड़तालें होती हैं। सबसे पहले मैं इसके लिये जिम्मेदार श्रम विभाग को ठहराता हूं। मजदूरों की ताकीद होने पर, उनके काफी प्रयास करने पर बीच में न जायं और मालिक न माने तो निश्चित है हड़ताल होगी और श्रम विभाग यह कहें कि यह मजदूरों ने की है तो गलत है। मेरा मानना है कि यह उन्होंने स्वयं ने कराई है। अगर मजदूरों की वाजिब मांग है तो श्रम विभाग को दखल करना चाहिये। अगर इस प्रकार के दखल हों तो राज्य में हड़तालें कम हो सकती हैं।

मैं निवेदन करूंगा कि बहुत ज्यादा इस प्रकार की कोशिश करें तो हड़तालें नहीं हों। अभी भी हड़ताल चल रही है। छोटे-छोटे मसलों पर चल रही है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैंने कई दफा जिक्र किया कि मजदूरों के मामले अदालतों में पड़े हुये हैं। 8-8, 10-10 साल से पड़े हुये हैं। एक मजदूर का फैसला सात साल में लोअर कोर्ट से नहीं हो, तीन साल उसको हाई कोर्ट में जाने में लग जायं और पांच साल उसको सुप्रीम कोर्ट में जाने में लग जायं। इस तरह 15-15 साल तक उसका फैसला नहीं हो पाता है। एक मजदूर जिसको कारखाने से निकाल दिया मजदूरी उसको मिलती नहीं 15-15 साल उसको लड़ने में लग जायं और जब तक उसको न्याय मिलेगा वह आदमी गुजर जायेगा। व्यवस्था इस प्रकार होनी चाहिये। जो इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल में बैठते हैं, एक निश्चित समय के अन्दर कोर्ट का फैसला अवश्य आ जाना चाहिये। पहले लेबर कोर्ट के जज थे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाते थे और अपना काम निपटाते थे लेकिन मुझे जहां तक मालूम है तीन साल से बाहर जाने की कोशिश नहीं की है। 12 बजे आयेंगे और 2।। बजे उठ जायेंगे। ऐसी नीति राज्य सरकार की मजदूरों के प्रति होगी तो यह बर्दाश्त करने योग्य नहीं होगा।

(श्री केशरीमल)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं और यह बात इतनी सी नहीं है। इस बात से यह नतीजा निकलता है कि मजदूर श्रम विभाग में जाने की बात त्याग देगा, अदालत में जाने की बात त्याग देगा और सीधे लड़ाई की बात सोचेगा। वह जानता है कि यह न्याय नहीं दे सकते इसलिए सीधा संघर्ष करो, लड़ाई करो, हड़ताल करो। यह स्थिति कौन निर्माण कर रहा है? इस स्थिति को निर्माण करने वाला हमारा श्रम विभाग है।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, सन् 47 और सन् 50 के बाद मेरे ख्याल से मजदूरों के लिए कहीं भी राज्य सरकार ने रहने के लिए आवासीय मकान नहीं बनाये। ज्यादा अच्छा होता महंगाई को देखें और मजदूरों की हालत को देखें यह जरूरी था कि ज्यादा से ज्यादा सरकार ऐसे मकान बनवाती और लोगों के रहने की व्यवस्था करती, लेकिन वह रफ्तार जो कि 47 से 50 में चली थी वह बन्द हो गयी और उसके बाद सरकार ने कहीं भी मकान नहीं बनवाये और जो पहले मकान बन चुके उनकी मरम्मत तक नहीं होती। ब्यावर की पूरी बस्ती की मरम्मत नहीं की गयी और वहां के इन्जीनियर और ठेकेदार ने मिलकर शायद हजारों रुपये के बिल बनाकर दे दिये और उन मकानों की सफाई तक नहीं की। रंग, रोगन और मरम्मत तो अलग बात है, लेकिन मकानों में झाड़ू तक नहीं फिरी और पैसे वसूल कर लिए। उपाध्यक्ष महोदय, वह मकान ऐसे हैं कि मजदूर रह नहीं सकते। लेट्रिन और हौज बनाये हैं वह बहुत ही निकम्मे हैं।

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, जो आवासीय योजना मजदूरों के लिए बनाई और उसके अन्तर्गत मकान बनाये और जहां चार, पांच सौ मकान बनाये वहां क्या मजदूरों के बच्चे नहीं होते, और होते हैं तो क्या उनकी शिक्षा की आवश्यकता नहीं होगी? क्या उनके खेल-कूद की आवश्यकता नहीं होगी? क्या बाहर बैठने के लिए स्थान की आवश्यकता महसूस नहीं होगी? मेरा मतलब यह है कि ऐसी जगह मिडिल स्कूल या सैकण्डरी स्कूल खोलना आवश्यक है। निर्माण विभाग नहीं बनाये कोई बात नहीं है, लेकिन किसी प्रकार से दूसरे लोग स्कूल खुलवाते हैं तो उसके लिए स्थान नहीं देंगे। हम प्रयत्न करेंगे कि मकान दे दिया जाये, स्थान दे दीजिये लेकिन कोई ध्यान नहीं दिया जावेगा। उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर की स्थिति अजीब है। एक तरफ रेल्वे कॉलोनी है और दूसरी तरफ रेल्वे स्टेशन है। बच्चा अगर क्रास करके जाय, छोटा बच्चा कोई भी रेल के नीचे आ जाये तो कितनी बड़ी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए प्रयास करके स्कूल खुलवाने की कोशिश की। इसके लिए श्रम विभाग को कई बार मिला उनको पत्र लिखा, लेकिन यह कोशिश करते हुए भी श्रम विभाग ने कभी मन्जूर नहीं किया कि दो कमरे तो दे दें ताकि मजदूरों के बच्चे पढ़ सकें ......

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, अपनी पार्टी से सिर्फ मैं ही बोलूंगा।

श्री उपाध्यक्ष: मुझे मालूम है और इसीलिए मैंने घन्टी बजाई है। दो मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री केसरीमल : थोड़ी देर में समाप्त करूंगा। तो मैं यह निवेदन कर रहा था कि वहां पर कोई व्यवस्था श्रम विभाग ने स्कूल के लिए नहीं की है। मैं यह भी निवेदन करूंगा कि श्रम विभाग का काम देखिये। हमारे यहां हजारों की तादाद में पावरलूम हैं और वह 16 घन्टा चलते हैं। एक आदमी को 16-16 घन्टे काम करना पड़ता है। आज के जमाने में भी श्रम विभाग यह बात लागू नहीं कर सका जो सन 1926 में अंग्रेजों ने ताकीद की और फैक्टरी एक्ट लागू किया और उस समय केवल दस घंटे मजदूरों से काम लिया जाता था और अब 8 घन्टे की बात हो गयी है, लेकिन आज भी राजस्थान के कई उद्योग ऐसे हैं कि जहां मजदूरों से 16 घन्टे काम लिया जाता है, 12 घन्टे काम लिया जाता है।

उपाध्यक्ष महोदय, स्टेट रोडवेज खुद जो सरकार की है उसके ड्राइवर्स को, कन्डक्टर्स को जो कि लम्बे रूट पर चलते हैं उन्हें 12 घन्टे और 16 घन्टे काम करना पड़ता है। भले ही उनको ओवर टाइम का पैसा दिया जाता होगा, लेकिन इतना ज्यादा लंबा काम करना कानून के विरुद्ध है। ऐसे लोग जो लगातार काम करेंगे वह थक जायेंगे। कभी कहते हैं वह शराब पीते हैं। मैं कहता हूं कि निश्चितरूप से यह बात होगी और उनको पीना पड़ता होगा जो 16 घन्टे ड्राइवरी करेगा और थक जायेगा तो सोचेगा कि थोड़ी सी घूंट लेकर भी ताकत ले सकता हूं तो लूं। फिर एक्सीडेन्ट की यदि किसी की जिम्मेदारी है तो सरकार की है, क्योंकि वह ज्यादा घन्टे काम लेकर मजदूरों को इस हालत में डाल रही है इससे हमारा आर्थिक नुकसान और जनहानि दोनों होते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि इस बात पर ध्यान देकर राज्य सरकार कोशिश करे।

(समय-समाप्ति-सूचक घन्टी)

श्री उपाध्यक्ष : बिराजिये।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा।

श्री दीपंकर : उपाध्यक्ष महोदय, यह सिलसिलेवार लें।

श्री उपाध्यक्ष : आप भी तशरीफ रखिये। मेरे पास लिस्ट है।

श्री सुरेश चन्द्र शर्मा (कोटपूतली) : उपाध्यक्ष महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग पर आज कटौती के प्रस्ताव हैं और उन पर विचार किया जा रहा है। उपाध्यक्ष महोदय, किसी भी क्षेत्र के विकास के लिये दो तीन बातें मुख्य रूप से आवश्यक हैं सड़कें, बिजली और शिक्षा। मैं समझता हूं कि दो तीन बातें ऐसी हैं जो किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए बहुत आवश्यक हैं। जहां तक सड़कों की हालत है वैसे तो हर विभाग के बारे में स्थिति यह है कि हमारा प्रान्त बहुत पीछे है, लेकिन सड़कों की हालत भी वही है कि हमारा प्रदेश दूसरे प्रदेशों से बहुत पीछे है। इसके अलावा, उपाध्यक्ष महोदय, नयी सड़कों के निर्माण करने का प्रश्न तो बहुत पीछे है जो सड़कें ठिकाने के जमाने से बनी हुई थी उनकी मरम्मत तक नहीं होती है, उनको मैंटेन भी सरकार नहीं कर सकती है। यह हालत हमारे यहां की सड़कों की है। हमारे प्रदेश की सीमा से जो प्रदेश लगते हैं यदि उन प्रदेशों की सड़कों को देखें तो निश्चितरूप से हमारे प्रदेश की हालत साफ नजर आती है। हमारे प्रदेश से लगा हुआ प्रदेश चाहे हरियाणा हो, चाहे

(श्री सुरेन्द्रचन्द्र शर्मा)

गुजरात हो, चाहे मध्य प्रदेश हो या उत्तर प्रदेश हो, मैं तो राजस्थान से जो लगने वाला हिस्सा हरियाणे का है उससे प्रभावित हूं और माननीय सदस्य भी प्रभावित होंगे। चाहे वह हिस्सा कोटपूतली से लगा हुआ हो, चाहे अलवर से लगा हुआ हो उन सड़कों को यदि मुआहिजा किया जाये तो लोग जब राजस्थान से हरियाणा जाते हैं तो वहां सड़कों की हालत बहुत अच्छी है और जब हरियाणा से राजस्थान में आते है तो यहां पर सड़कों की हालत बहुत खराब है। यदि सीमा पर हरियाणा का बोर्डर नहीं लगा हो तो पता ही नहीं लगे कि राजस्थान में है या हरियाणा में हैं। हरियाणा की सीमा तक तो फर्स्ट क्लास रोड है और जब राजस्थान की रोड देखें तो सड़क नजर नहीं आयेगी, रेत नजर आयेगी, उससे साफ मालूम होता है कि अब राजस्थान की सीमा में आ गये हैं। उस समय जो बसों में लोग यात्रा करते हैं तुरन्त अपने कमेंट्स कर देते हैं कि यह राजस्थान है। उस समय यदि बस में राजस्थान का व्यक्ति हो और वह सफर कर रहा हो तो उसको बड़ा शर्मिंदा होना पड़ता है। मैं तो मेरे क्षेत्र की बात कहना चाहूंगा, उपाध्यक्ष महोदय, कि कोटपूतली से नारनौल सड़क जाती है और उस का केवल दो किलोमीटर का टुकड़ा है जिस के लिए तत्कालीन मुख्य मन्त्री श्री मुखाड़िया जी ने कोटपूतली में आश्वासन दिया और जब हरियाणा में चुनाव थे उस समय हरियाणा में भी आश्वासन दिया और वहां के चीफ इन्जीनियर ने यहां के चीफ इन्जीनियर को लिखा तो कहा कि मुझे जानकारी है। अब उसके ऊपर मिट्टी डालना शुरू हुआ है। वहां पर पुलिया बनाने की बात है, लेकिन उसकी कोई योजना नहीं है। उसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। उस सड़क पर जो नदी या बांध पड़ता है वहां पुलिया नहीं बना रहे हैं।

मैं इस बारे में एक बात निवेदन करना चाहूंगा कि जब भी सड़कों का निर्माण आरम्भ करें वहां ऐसी योजना हो कि न केवल उस पर मिट्टी डालकर छोड़ दें बल्कि उस पर कंकड़ डालें और डामर करके ही उसको नहीं छोड़ दें बल्कि उस सड़क को पूरी तरह से कम्प्लीट करें। लेकिन आज हालत यह है कि हमारा सार्वजनिक निर्माण विभाग नहीं समझता। मैं कोई टेक्नीशियन नहीं हूं लेकिन हरियाणा में सड़क बनाने का जो तरीका है वह यह है कि एक साथ सारी चीजें बनायेंगे। कच्ची सड़क बनायेंगे, फिर डामर डालेंगे, पुलिया भी साथ बनायेंगे और जो भी काम दूसरे होंगे वह सब एक साथ हाथ में लेंगे और फिर सड़क को कम्प्लीट बनायेंगे। हम इन्जीनियर्स से बात करें तो कहेंगे कि पहले कच्ची सड़क बनेगी इसके बाद डामर डालने हैं, पता नहीं क्या तरीका है आपका? उधर हरियाणा में जो भी प्लान बनाते हैं सड़क-निर्माण का तो उसका पूरा प्लान बनाते हैं और सड़क का पूरा निर्माण कराते हैं। मैं निवेदन करूंगा कि जिन क्षेत्रों में आप सड़क निर्माण करें वह इस प्रकार से करें कि वह रास्ता पूर्णरूप से आवागमन के लिए पूर्ण हो।

उपाध्यक्ष महोदय, इसी तरह से इन सड़कों के मामले में हमारे विभाग की तीन अलग अलग योजनायें चलती हैं। एक विभागीय योजना है, दूसरी अकाल की योजना और तीसरा क्रेश प्रोग्राम है। इन तीनों योजनाओं में कोई समन्वय नहीं है जिससे हालत यह है कि कहीं पर अकाल के समय

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

चालीस पचास हजार या एक लाख की मिट्टी डाल दी तो कहीं पर क्रेश प्रोग्राम में मिट्टी डाल दी तो कहीं पर विभाग ने मिट्टी डाल दी लेकिन सड़क का क्या हुआ? सड़क निर्माण का कहीं पता ही नहीं है। इसमें सरकार का लाखों रुपया व्यर्थ चला गया लेकिन सड़क का कोई निर्माण नहीं हो सका......

श्री उपाध्यक्ष : आप बिराजिये, दो मिनिट।

(गणपूरक घंटी)

(गण पूर्ति होने पर)

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि जिस प्रकार से योजना बनाई जावे उसमें सड़कों के निर्माण की योजनाओं में समन्वय होना चाहिये और इस प्रकार से व्यवस्था करनी चाहिए जिससे यह काम पूरा हो जावे, फिर चाहे वह फेमीन के अन्दर काम हो, और चाहे विभाग द्वारा काम किया जावे या फिर क्रश प्रोग्राम में काम हाथ में लिया जावे। जगह जगह मिट्टी डाल दी और हमने कह दिया कि सड़क बन रही है, लेकिन सड़क बनती कहां है? केवल मिट्टी डाल दी और सरकार का हजारों लाखों रुपया बरबाद हो गया। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि इन सड़कों के निर्माण में उन इलाकों को प्राथमिकता दी जावे जहां पर पहले से कोई पैसा खर्च नहीं किया गया है।

इसी प्रकार से पहले भी इस सदन में इस प्रकार की घोषणा की गई कि पन्द्रह सौ की आबादी वाले गांवों की सड़कों से जोड़ा जायेगा। उसके बाद उसको बदल कर दो हजार की आबादी की घोषणा की गई और अब पच्चीस सौ की आबादी के गांवों को सड़क से जोड़ने की बात कही गई है। आप इस तरह से अपनी बात को बदलते रहते है इससे जनता क्या समझ सकती है। पहले आपने कहा था कि दो हजार की आबादी वाले गांवों की सड़कों से जोड़ा जाएगा, अब पांचवी पंचवर्षीय योजना में ढाई हजार की आबादी वाले गांवों को जोड़ने की बात कही है तो इसका मतलब है कि आपकी हालत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, अगर आपकी हालत ठीक नहीं है और पच्चीस सौ की आबादी वाले गांवों की ही सड़क से जोड़ना चाहते हैं तो कम से कम यह तो निश्चित रूप से घोषणा कर दें कि इन गांवों को निश्चित रूप से सड़क से जोड़ेंगे। इसके साथ ही मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आप एक मेप लेकर एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ दें यह ठीक नहीं है। आपका दृष्टिकोण यह होना चाहिए कि एक गांव से चाहे एक किलोमीटर, डेढ़ किलोमीटर, दो किलोमीटर ऐसी सड़क पड़ती है जो इण्टर-स्टेट रूट को जोड़ती हों या जो किसी महत्वपूर्ण सड़क से गांव को जोड़ती हो तो उस सड़क का निर्माण पूरे तौर पर करवाया जाना चाहिए। यहीं हो कि उस सड़क को एक गांव से लाकर दूसरे गांव तक छोड़ दें और उससे आवागमन में कोई फायदा नहीं हो।

अब मैं मेरी क्षेत्र की सड़कों के बारे में निवेदन करूंगा। कोटपुतली में आजादी के बाद किसी नई सड़क का निर्माण नहीं कराया गया है। एक सड़क बनी है जयपुर से दिल्ली की वह राष्ट्रीय मार्ग है जिस पर केन्द्रीय सरकार ने पैसा खर्च किया है, लेकिन राज्य सरकार की तरफ से कोई सड़क का निर्माण

106

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

नहीं कराया गया है । मेरा निवेदन है कि सरकार को जिन इलाकों में अभी तक कोई पैसा खर्च नहीं किया गया है उन इलाकों को प्राथमिकता देनी चाहिए । जो विभाग में इम्बेलेंस है उसको खत्म किया जाना चाहिए और जिन इलाकों में सड़कों का निर्माण नहीं हुआ हैं तो उनको प्रॉयोरिटि देकर वहां पर अधिक पैसा खर्च करना चाहिए । इस बारे में मैं कोटपुतली तहसील की पावटा से कल्याणपुरा सड़क की ओर आपका ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करूंगा कि इस सड़क का निर्माण तुरन्त कराया जाना चाहिए ।

इसी प्रकार से आपके विभाग द्वारा जो रेस्ट हाऊसेज मैंटेन किए जाते है ? रेस्ट हाऊसेज कहां पर बनाये जायं इसके लिए तो आपके अपने नियम होंगे, आपका अपना तरीका होगा । मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम जहां पर सब डिविजनल ऑफिसर का हैड क्वार्टर है वहां पर एक रेस्ट हाऊस अवश्य होना चाहिए । कोटपुतली में एस.डी.ओ. का हैड क्वार्टर है, डिग्री कॉलेज इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड का ऑफिस है, वहां पर अन्य ऑफिसेज भी हैं, लेकिन आपके पी. डब्ल्यू. डी. विभाग का कोई रेस्ट हाउस नहीं है । केवल एक बिल्डिंग ठिकाने के टाईम की है जिसको रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने बतौर रेस्ट हाउस ले रखी है, लेकिन उसको भी अच्छी तरह से मैंटेन नहीं करते है । न वहां पर फर्नीचर है न बिल्डिंग का मैंटीनेंस है, और न किसी प्रकार की देखभाल है। इस बारे में तत्कालीन पी. डब्ल्यू. डी. मिनिस्टर ने घोषणा की थी कि बहुत जल्दी इसको पी. डब्ल्यू. डी. टेक ओवर करेंगे, लेकिन वह घोषणा भी न मालूम कहां कागजों में रह गई और उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई । आप इसको टेक ओवर करें या नई बिल्डिंग का निर्माण करावें मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता हूं, लेकिन यह तो आप भी जानते हैं कि कोटपुतली इम्पॉर्टेन्ट जगह है, दिल्ली और जयपुर के बीच में सबसे इम्पॉर्टेन्ट प्लेस है जहां पर हमारे अधिकारी भी जाते हैं, दिल्ली जाते हुए उनकी भी वहां पर रुकने की इच्छा हो सकती है, हमारे मंत्री महोदय दिल्ली जाते हुए वहां रुकते हैं, उनकी भी वहां पर रुकने का इरादा हो सकता है । इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कम से कम सब डिविजनल हैड क्वार्टर पर रेस्ट हाउस की व्यवस्था करा दें । इस सब डिवीजन में दो तीन रेस्ट हाउसेज और भी हैं लेकिन जहां हैड क्वार्टर है वहां पर रेस्ट हाउस नहीं है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि कोटपुतली में रेस्ट हाऊस की व्यवस्था करा दें ।

इसी प्रकार से कोटपुतली तहसील की पावटा से कल्याणपुरा सड़क के बारे में और कल्याणपुरा से बनेटी देवता सड़क के बारे में निवेदन करना चाहूंगा । यह रूट इण्टर स्टेट रूट में आता है जो हरियाणा को जोड़ता है, चण्डीगढ़ को जोड़ता है और नारनोल सबको मिलाती है । यह सड़कें तो आपकी जो घोषणा है पच्चीस सौ की आबादी वाले गांवों को जोड़ने की, उसके अन्तर्गत भी आती हैं । इस वास्ते इन सड़कों का निर्माण कराने से काफी जनता को राहत मिल सकती है ।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं अब यह कहना चाहूंगा कि किशनगढ़ में एक नेशनल हाई वे

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

है और वह हाई वे किशनगढ़ के बाजार में से होकर जाता है।

(समय 2.15 म०प०)

(श्री केदारनाथ, सभापति पदासीन)

यहां पर काफी आबादी है और काफी व्यस्त मार्केट है इसलिए उसका बाई-पास आपको जल्दी से जल्दी निकालना चाहिए ताकि वहां पर जो एक्सीडेन्ट होते हैं वे कम हो सकें और वहां के लोगों को भी सहूलियत मिल सके।

इसी प्रकार से किशनगढ़ से नागौर जो सड़क जाती है उसके बीच में रेलवे का फाटक आता है जिससे आवागमन रुक जाता है जिससे आवागमन रुक जाता है और काफी दिक्कत होती है इसलिए वहां पर पुल का निर्माण होना चाहिये।

इसी प्रकार से रूपनगढ़ के पास पुल का निर्माण कार्य चल रहा है, यह पुल भी किशनगढ़-नागौर सड़क के बीच में है जो अधूरा पड़ा हुआ है, इसके अलावा इस सड़क पर परबतसर आता है जहां पर पशु मेला भरता है और मकराना भी आता है जहां पर मारबल का पत्थर निकलता है, इतनी महत्वपूर्ण सड़क यह है जिस पर पुल का निर्माण हो रहा है। यह करम अधूरा पड़ा हुआ है इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस पुल का निर्माण शीघ्र पूरा कराया जावे।

तो इस प्रकार, सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि पी. डब्ल्यू. डी. में जो व्यवस्था चल रही है उसमें पिछली बार तो सड़कों की मेंटीनेंस के लिए ही पैसा कम था लेकिन इस बजट में तो सड़कों की मरम्मत के लिए काफी प्रावधान किया गया है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि जो पुरानी सड़कें हैं और जिनकी मरम्मत कभी नहीं हुई है और इसके अलावा जिन इलाकों में अभी कोई कोई पैसा खर्च नहीं किया गया है, उन इलाकों को प्राथमिकता देकर वहां पर सड़कों की मरम्मत का कार्य कराया जाना चाहिए ताकि जो एम्बेलेंस है वह दूर हो सके और जनता को भी कुछ राहत मिल सके।

इसी प्रकार से सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आपके विभाग में जिस प्रकार से ठेकेदारी प्रथा है, उस ठेकेदारी प्रथा में आप कुछ ही ठेकेदारों को काम देते हैं और एक एक ठेकेदार के पास पांच पांच सात सात काम होने से वे काम शुरू नहीं कर पाते हैं। मेरे इलाके कोटपुतली डाबला सड़क का ठेका दिया गया लेकिन काम शुरू नहीं कर सका ठेकेदार। जब इस बारे में बार लिखा गया तो आप कहते है कि नोटिस जारी कर रहे हैं, कानूनी कार्यवाही कर रहे हैं और तब तक आपका पैसा लैप्स हो जाता है। आपका अभी बजट आया और बजट एलोकेशन होकर डिस्ट्रिक्ट में जाने तक मई जून का समय हो जाएगा, फिर बरसात आ जाएगी जिसमें काम नहीं होगा और फिर ठेकेदार को काम करने के लिए कहेंगे तो कभी रोलर नहीं होगा तो कभी मेटिरियल नहीं होगा और इस तरह से काम शुरू नहीं हो सकेगा। फिर मार्च नजदीक आ जाएगा और पैसा लैप्स हो जाएगा। इसलिये मैं कहना चाहूंगा कि इस व्यवस्था में सुधार किया जाना चाहिये।

अब थोड़ी सी बात मैं श्रम विभाग के बारे में भी कहना चाहूंगा। श्रम विभाग के

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

अन्तर्गत ये जो एम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज हैं, जो नियोजन कार्यालय है उनकी स्थापना करने का उद्देश्य यह था कि जिन लोगों को पता नहीं है कि रिक्त स्थान कहां है उनको घर बैठे मालूम हो सके और बेरोजगार लोगों को यह सुविधा देने के लिए इनकी स्थापना की गई थी। लेकिन आज इस प्रकार का कार्य यह कार्यालय कर रहा है उससे बजाय सहूलियत देने के मैं समझता हूं यह विभाग रोड़ा बन गया है लोगों के लिए। आज इस विभाग से काल लेटर निकलवाना एक समस्या है, नाम रजिस्टर कराना एक समस्या हैं, वहां पर प्रायोरिटी का कोई आधार नहीं है। टाईम के अन्दर काम नहीं होता है। होता क्या है कि जिस आदमी की पहुंच होती है उस आदमी का नाम तो आराम से निकल जाता है, जिस आदमी की अधिकारियों तक पहुंच होती है उनका नाम बहुत आसानी से निकल जाता है जब कि आप कहते हैं कि हम प्रायोरिटी से नाम भेजते हैं। इसके अलावा नाम भेजने में भी चतुराई की जाती है। यदि नियोजन अधिकारी की दिलचस्पी हुई तो लिस्ट ऐसी बना कर भेज देंगे कि जिसमें ऐसे लोगों के नाम होंगे जो बाहर के होंगे। या तो उनके पास सूचना पहुंच ही नहीं पायेगी या भेजेंगे हीं नहीं। डिस्पेच में तो दिला देंगे कि लेटर भिजवा दिया लेकिन वास्तव में भेजते नहीं है। नतीजा यह होता है कि वे लोग इण्टरव्यू में पहुंच नहीं पाते हैं और जब तक उनके पास इत्तला पहुंचती है तब तक इण्टरव्यू हो जाता है और वे व्यक्ति नौकरी पाने से रह जाते हैं। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि मंत्री महोदय इस बारे में ध्यान दें और इस बात की व्यवस्था करें कि लोगों को एम्प्लायमेंट मिलने में सुविधा हो सके....

श्री शंकरसिंह रावत : सभापतिजी, समय का भी ध्यान रखें।

श्री सभापति : उनके दल को तीस मिनट का समय है।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : इसके अलावा आपने उद्योगों में वेलफेयर स्कीम लागू की है.......

श्री दीपंकर : छोटे छोटे कटमोशन में तीस मिनट का समय तो किसी का नहीं है।

श्री सभापति : नई परम्परा है।

श्री सुरेशचन्द्र शर्मा : लेकिन जो आपके पब्लिक अण्डरटेकिंग्स हैं, आज आपकी म्युनिसिपैलिटिज हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की संस्थायें हैं वहां पर कहीं पर भी वेलफेयर सेन्टर नहीं है। आज रोडवेज के वेलफेयर सेन्टर की क्या हालत है....... मजदूरों का क्या किया। कोई वेलफेयर है। इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में आपकी वेलफेयर स्कीम नहीं है। म्युनिसिपेलिटिज में यह वेलफेयर स्कीम नहीं है। मैंने कोटपुतली म्युनिसिपैलिटी में देखा है कि 24/24 घंटे वहां पर लोग काम करते हैं। जहां यह हालत है, आपकी अपनी संस्थाओं की यह हालत है, जहां कि अन्डरटेकिंग्स के अन्दर मजदूरों के वेलफेयर सेन्टर नहीं है, वहां वह उम्मीद कैसे कर सकते हैं कि जो प्राइवेट संस्थाएं हैं वे श्रमिकों को सुविधाएं दे सके। यह उम्मीद करना गलत है। सरकार को पहले यह अपने यहां पर करना चाहिये, अपनी संस्थाओं में इसके लिए

(श्री सुरेशचन्द्र शर्मा)

प्रयास करना चाहिये । लेबर वेलफेयर स्कीम में यह भी है, श्रमिकों को प्रतिनिधित्व देना चाहिये । यह बात ठीक है । रोडवेज में यह प्रतिनिधित्व देने का आपने प्रयास किया है । परन्तु हालत यह है, जो मजदूर हैं उनको आप प्रतिनिधित्व नहीं देते है । आप केवल एक लीडर पर मेहरबान हो गये और उसको प्रतिनिधि बना दिया यह आपकी व्यवस्था करने का तरीका ठीक नहीं है । जो उस विभाग में मजदूर हैं, और वहां पर काम करता है, वह वहां का प्रतिनिधि होना चाहिये तब तो आप मजदूरों के इन्टरेस्ट में काम कर सकेंगे । अन्यथा एक आदमी को 5/7 जगह लगा दें तो यह मजदूरों का प्रतिनिधित्व नहीं कहा जा सकता । आप ज्यादा से ज्यादा मजदूरों को प्रतिनिधित्व दें परन्तु उससे उनको लाभ होना चाहिये। उनकी बात को सही तौर पर वहां रखा जाना चाहिये उसके सही प्रतिनिधि होने चाहिये तब जाकर सही बात मजदूरों के बारे में आपके सामने आ सकेगी ।

मैं यह कहना चाहता हूं कि इसी तरह से यूनियनों का सवाल है। उनके रजिस्ट्रेशन का सवाल है । हालांकि मंत्री महोदय ने यहां पर कहा है वह भारत सरकार के के अनुरूप चल रही है और जो नया कानून आ रहा है इसके बारे में, उस पर भी वह विचार करेंगे परन्तु अभी वे इस बारे में इस स्थिति में नहीं है कि वे इस योजना को किस प्रकार लागू करना चाहते हैं । किस प्रकार से प्रतिनिधित्व दें इसके लिए आपको एक नयी व्यवस्था करनी चाहिए । इस नयी व्यवस्था के बारे में आप क्या सोच रहे है । आज मजदूरों की जो यूनियने हैं उनमें झगड़ा है । उनकी नेतागिरी का झगड़ा है । इनकी सही स्थिति को देखा जाना चाहिये । यह देखा जाना चाहिये कि कौनसी यूनियन सही तौर से मजदूरों का प्रतिनिधित्व कर रही है । उसकी सदस्य संख्या को देखा जाना चाहिए और जिसकी सदस्य संख्या अधिक हो उसको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिये । परन्तु आज यूनियन राजनीतिक प्रभाव से चल रही हैं । चाहे वे आपके दल की हों, चाहे दूसरे दल की । जो कभी तो आपके साथ खड़े हो जाते हैं, कभी विरोध में हो जाते है । आपकी और इनका सही रिश्ता क्या है, यह तो मैं नहीं जानता । आप ही बता सकते है । परन्तु यह देखा जाता है कि कभी तो लाल झंडा और तिरंगा झंडा एक हो जाता है और कभी अलग अलग हो जाता है । परन्तु मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जो भी दल हो, उसे मजदूरों के इन्टरेस्ट को वाच करना चाहिये । इस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिये इस प्रकार की कानूनन व्यवस्था होनी चाहिये जिससे कि अधिक से अधिक मजदूरों को लाभ मिल सके ।

श्री सभापति : श्री शंकर सिंह रावत ।

श्री शंकरसिंह रावत (नसीराबाद) : सभापति महोदय, मेरे कटौती के प्रस्ताव लोक निर्माण विभाग के बारे में है और मैं इसी सम्बन्ध में कुछ निवेदन यहां पर करना चाहता हूं । आज राज्य सरकार के सामुदायिक विकास विभाग, समाज कल्याण विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा लोक निर्माण कार्य हो रहे है । परन्तु यह देखा जाता है कि प्रायः ये कार्य अधूरे पड़े हुए हैं और अधूरे रहने के कारण जनता को असुविधा होती है । मैं यह निवेदन

(श्री शंकरसिंह रावत)

करना चाहता हूं कि जहां सामुदायिक विकास योजना के अन्तर्गत लोक निर्माण कार्य हुए हैं, चाहे वह सहकारी संस्था का भवन हो, अध्यापक आवास हो, प्राईमरी स्कूल हो, पंचायती भवन हो, सहकारी भंडार हो, बीज गोदाम हो, इस प्रकार से कई काम अधूरे पड़े हुए है। लोक निर्माण के द्वारा जो कार्य हुए हैं, जिन भवनों का निर्माण किया गया है, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि उनमें से काफी ऐसे हैं जो एक वारिश होने पर या उसके पूर्व हो गिर जाते हैं। इस प्रकार ऐसे मकानों के निर्माण से पूरा लाभ नहीं मिल पाता है। मैं मंत्री महोदय को यह निवेदन करना चाहता हूं कि कुछ गांवों में श्रमदान कर के बिल्डिंग बनायी गयी और जो एस्टीमेट बना उस पर कार्य समाप्त हो गया। अच्छा हुआ या बुरा, यह किसी ने नहीं देखा। मेरा निवेदन है कि जितना भी बिल्डिंग वर्क है वह विभाग द्वारा बनाई जाना चाहिये तो उचित होगा। परन्तु यहां तो मिट्टी चुन कर, और तकनीकी खानापूर्ति के लिये ओवरसियर प्रमाणपत्र दे देता है जबकि वह मिट्टी से चुनी हुई बिल्डिंग है। सभापति महोदय, मैं यह निवेदन कर दूं कि गांवों में श्रमदान के जरिये भवनों का निर्माण कराया जाये तो यह देखा जाना चाहिए कि वह कैसा हो रहा है। इसमें गंभीर अनियमितताएं हो रही हैं। सड़कों पर जो पुलिया बन रही है उनमें भी घोटाला है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप ब्रिटिश साम्राज्य की बिल्डिंग्स को देखिये। वे कैसी बनी हुई है। मुगल साम्राज्य की बिल्डिंग्स को देख लीजिये, कैसी बनी हुई है। उस जमीन की सड़कों के निर्माण को देखिये। मैं समझता हूं कि आज की पुलियाओं का जो निर्माण है, जो उसका एस्टीमेट है, तो इन पुराने पुलियाओं को तोड़ने में इस ऐस्टीमेंट का आधा खर्च हो जायेगा। पहले जो निर्माण होता था वह अच्छा होता था। अच्छा मटेरियल यूज किया जाता था। आज जो आप पुलियाओं का निर्माण कर रहे हैं वे एक वारिस में ही बह जाती है। आपके जो छात्रावास है, स्कूल भवन है उनकी पट्टी पहले साल ही टूट कर गिर जाती हैं और बच्चे दब कर मर जाते हैं। ऐसे समाचार आप आए दिन समाचार पत्रों में पढ़ सकते है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि भवन एवं पथ निर्माण विभाग द्वारा जो कार्य हो रहा है निर्माण का वह अच्छा नहीं है। सही तौर पर लोक निर्माण कार्य होना चाहिये। माननीय सदस्यों ने यहां पर कहा कि हरियाणा में सड़कों का जो निर्माण हो रहा है वह अच्छा हो रहा है। उसकी यहां पर सराहना की गयी हैं। मैं भी मानता हूं कि यह बात सही है। राजस्थान के मुकाबले हरियाणा में सडको का निर्माण ठीक हुआ है। परन्तु इसका कारण क्या यह है कि वहां का इन्जीनियर, ओवरसीयर, चीफ इन्जीनियर राजस्थान के इन्जीनियर, ओवरसीयर या चीफ इन्जीनियर से ज्यादा कुशल हैं। मैं ऐसा मामले के लिए तैयार नहीं हूं। शिक्षा दीक्षा में, लिखाई पढ़ाई और टकनीकी ज्ञान में राजस्थान के इन्जीनियर कोई हरियाणा के इन्जीनियर से कम नहीं है। इसका मूल कारण तो यह है कि जितना भी बिल्डिंग का लोहा है, सीमेंट है वह ओवरसीयर से लेकर उच्च अधिकारियों के घरों में चला जाता हैं तो फिर सडक निर्माण का कार्य या पुलियाओं का निर्माण कैसे

(श्री शंकरसिंह रावत)

अच्छा हो सकता है। मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस बात की ओर भी दिलाना चाहता हूं कि अकाल राहत के अन्दर जो सड़कें बनायी गयी हैं वे बहुत अच्छी बनायी गयी हैं परन्तु 31 मार्च के पहले 2 यह आदेश निकला जाता है कि इस पर मरडा बिछाया जाये। रातों रात जगह 2 पर यह भरडा बिछा दिया जाता है। इससे कठिनाई का सामना करना पड़ता है। ऐसी हालत हो गयी है कि बैलगाड़ी भी नहीं चल सकती जब कि सड़क अच्छी बनी हुई थी। मेरा तात्पर्य यह है कि भवन एवं पथ निर्माण विभाग द्वारा जो भी ऐस्टीमेट हो उसके अनुसार ही कार्य हो। सतर्कता आयोग की रिपोर्ट में भी सभापति महोदय यह साफ लिखा है कि एस्टीमेंट 8 लाख का और खर्च कर दिया गया 19 लाख। इस प्रकार के कई घोटाले हैं। दो ढ़ाई लाख का एडवांस पेमेंट कर दिया गया। करोड़ों का खर्चा इस विभाग के द्वारा किया जा रहा है। चाहे वह प्लानिंग के जरिये हो या और अन्य तरीके से। इस धनराशि को देखते हुए मैं यह समझता हूं कि अच्छी सड़कें बननी चाहिये थी। हालांकि रोड़ अच्छी बनी है। रोलर द्वारा उनकी पिटाई भी हुई है लेकिन बाद में हालत खराब कर दी जाती है। इसकी वजह क्या है। यह देखा जाना चाहिये। आज हालत यह है कि वहां से बैल गाडी भी नहीं निकल सकती। नसीराबाद से रामसर इसी प्रकार की सड़क है। रामसर से डमरेला भी अच्छी सड़क है परन्तु आज इनमें इतने गडे हैं कि यदि मन्त्री महोदय कभी जायें तो इसका अवलोकन जरूर करे, मैं मानता हूं कि मन्त्री महोदय हरेक सड़क का ध्यान नहीं रख सकते हैं। वास्तव में इतनी बुरी हालत है कि इसकी ओर ध्यान दिया जाना चाहिये जो भी विभाग हो, इसकी ओर ध्यान दे। आज लोक निर्माण विभाग को आलोचना की जाती है वहां पर घोटाले ही घोटाले हैं। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी किसानों को सीमेंट नहीं मिल पाती है। परन्तु आप पी. डब्ल्यु. डी. के ओवरसीयर के पास चले जाइये आपको सीमेंट मिल जायेगी। अभी खबर मिली कि अजमेर के पास तोसनीवाल फेक्टरी के पास पुलिया का निर्माण हो रहा है और वहां से करीब 100 सीमेंट के बेग 16 रुपयों के भाव से बेच दिये गये। ओवरसीयर ने करीब 1500, 1600 रुपये कमा लिये। यह अत्यन्त गलत है। वहां से यातायात होगा और पुलिया के टूट जाने से जनजीवन को खतरा पैदा होगा। तो ऐसा काम होता है। मतलब यह है कि विभाग द्वारा जो दूसरे निर्माण कार्य हो रहे हैं वे देश के प्रति गद्दार के हो रहे हैं। इसके प्रति हमें सतर्क रहना जरूरी है। मैं, सभापति महोदय इस के अलावा एक और निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो भी भरडा वगैरह बिछाया गया है उन सडकों की हालत आप देखिये। सड़क बहुत अच्छी बनी है। फैमीन में इस बर्ष में सड़क काफी अच्छी बनाई गई हैं, लेकिन भरडा डालने की वजह से लोगों में असन्तोष हो गया। उनकी हालत खराब हो गई। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से इतना ही नहीं थोडा सा और निवेदन करना चाहूंगा कि आज आपकी जितनी सड़कें, हैल्थ सेन्टर, पुलियाएं बनी है उनको भी अच्छी तरह से देखे और अगर एक बार थोड़ा सा सजग हो जाय तो जितनी बिल्डिंग विभाग की ओर से बनी है तो हर अधिकारी ने छोटे से लेकर बड़े अधिकारी ने सीमेंट

(श्री शंकरसिंह रावत)

और लोहे का इस्तेमाल अपने घरों पर किया है। किसी ने 25 पर्सेन्ट और किसी ने 50 पर्सेन्ट पहुंचाया है। देश का निर्माण करते हैं और उसके साथ अपना निर्माण करते हैं तो वह निर्माण दूसरे ढंग से करे। उस निर्माण में से निकाल कर उसका निर्माण करेंगे तो देश के निर्माण में खामी पड़ेगी। पी. डब्ल्यू. डी. के लिए भ्रष्टाचार की बात तो मैं करता ही नहीं, क्योंकि मैं पहले ही कह चुका हूं कि उसको भ्रष्टाचार नहीं शिष्टाचार कह देना चाहिए, क्योंकि भ्रष्टाचार बोलने से...

श्री रामकिशन: आपकी दो एक पुलियाएं बना देंगे। मंत्रीजी पुलियाएं अच्छी बनाते हैं।

श्री केशरीमल: मन्त्री जी चूना अच्छा लगायेंगे।

श्री निरन्जननाथ आचार्य: लेकिन वह नाम का लगाते हैं।

श्री शंकर सिंह रावत: मन्त्रीजी से यह निवेदन करूंगा कि चूना तो आप मत लगाइये लेकिन जो चूना लगा रहे हैं उन पर नियन्त्रण करें।

इसके अलावा मैं अधिक नहीं कहूंगा सिर्फ श्रम नियोजन विभाग के सम्बन्ध में निवेदन करना चाहूंगा। सभापति महोदय, अगर आप देखे तो बेरोजगारी मिटाने का आपने खोला था, लेकिन आज उसमें मैं निवेदन करूंगा कि यह श्रम नियोजन विभाग भी गरीबों का शोषण करने का विभाग हो गया है। आज गरीबों को यदि देखा जाय तो उनके लिए 25 परसेन्ट केसेज में इन्टरव्यूज के आर्डर निकलते होंगे जो कि वे साधन वाले हैं और 75 परसेन्ट उन लोगों के इन्टरव्यू निकलते हैं जो कि साधन वाले हैं। विभागों के आदेश आते हैं कि इन इन के इन्टरव्यूज निकालो वे इन्टरव्यूज लेते हैं लेकिन यदि जिसे वे चाहते हैं वह नहीं आये तो सारे इन्टरव्यूज को केन्सिल कर देते है और फिर दुबारा इन्टरव्यूज मांगते हैं। श्रम विभाग यदि यह काम भी नहीं कर सकता है तो फिर वह "श्रम विभाग" नहीं 'बेशर्म विभाग' है और मुझे यह कहने में आपत्ति नहीं है अगर श्रम विभाग अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभाये तो। हम कई विभाग खोलते जाते है लेकिन उनकी भी हालत वही होती जाती है जैसा कि मैंने वन विभाग के लिए कहा था कि वन तो कट गये लेकिन वन विभाग खड़ा हुआ है। तो इससे फायदा नहीं। काम करने में त्रुटियां हो सकती हैं, दिक्कत हो सकती है। आप इस तरह से काम करते हैं कि दुनियां के बिना पढ़े-लिखे लोग भी यह समझ जाय कि हमारे साथ अन्याय हुआ है और उसके ऊपर उनका सरकार के प्रति असन्तोष होता है। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) इसमें कितनी अनियमितताएं हैं। इसके जरिए हम बेरोजगारी मिटाना चाहते थे, और अब भी चाहते हैं तो कम से कम मैंने एक प्रोफार्मा बताया था कि उसमें यह डिटेल्स भरवायें कि वह व्यक्ति कितने साधन वाला है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जितने साधन-सम्पन्न वाले लोग हैं उनको तो रोजगार देते हैं और जो वाके में बेरोजगार है उनकी समस्या हल नहीं होती है। इसने यह जरूर किया है कि

(श्री शंकरसिंह रावत)

साधन वालों को तो खूब साधन दिये और बिना साधन वालों को रख दिया गया। इसके लिए एक प्रोफार्मा बनवायें। उसमें यह डिटेल्स होना चाहिए कि एक परिवार में 5 सदस्य हैं तो कितने सर्विस में है और क्या और साधन है। जो बिना साधन के हैं और उनके परिवार में कोई साधन नहीं है तो उसको प्राथमिकता दीजिये। कई बिना साधन वाले बी० ए० बूट पालिश करते हैं, रिक्शा चलाते हैं। उनके पास साधन नहीं है। साधन हीनों को प्रायोरिटी दी जानी चाहिए अगर आप ऐसा करते तो कम से कम 50 परसेंट साधनहीनों को साधन देते और बेरोजगारों को रोजगार देने में आप सफल होते।

तो मैं इसी आशा के साथ मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि श्रम विभाग, भवन एवं पथ निर्माण विभाग में सजग होकर सड़कें बनवायें और योजनाओं के बारे में कार्य करायें।

श्री रामकिशन। मंत्रीजी आज रात भर जागे हैं।

श्री सभापतिः श्री बनवारीलाल।

(अनुपस्थित)

श्री रघुनाथ विश्नोई 5 मिनिट।

श्री रघुनाथ विश्नोई (सांचोर)। सभापति महोदय, सांचोर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सांचोर की बाउण्ड्री वाल बनी हुई हैं उसके पास नजूल लैण्ड पी. डब्ल्यू. डी. की।

श्री निरंजननाथ आचार्यः अब सांचोर के बाहर नाजायज कब्जा हट जाय तो अच्छा है।

श्री रघुनाथ विश्नोई : मेरा कट मोशन सांचोर के बारे में ही है और 5 मिनिट में रख दूंगा। आहता बाहर निकलने की गुंजाइश नहीं है। अतः पास नाजायज कब्जा हटाया जाये।

श्री रामकिशन : आज तो जालोर तक पहुंच जाय।

श्री रघुनाथ विश्नोई : जालोर तक पहुंचूंगा। पहले वह कटमोशन है।

राज्य की नजूल लैण्ड पर एन्क्रोचमेंट कर लिया गया है। जो पी. डब्ल्यू. डी. के आफिसर्स हैं मैंने उनका ध्यान आकर्षित किया है। इसके अन्दर कन्स्ट्रक्शन पक्का हो गया तो मुआवजा देना पड़ेगा तो गम्भीर समस्या उत्पन्न हो जायेगी। आहता पक्का हुआ था तो कुछ उसको काट दिया गया है परन्तु आसपास एन्क्रोचमेंट हो रहा है। इसलिए वहां के जिले के स्वास्थ्य अधिकारी ने भी लिखा है। गांव वालों ने जो कच्चा कन्स्ट्रक्शन किया है उनके एंक्रोचमेंट को हटा देंगे तो बाद में प्राब्लम नहीं खड़ा होगा। लाखों रुपयों की जमीन प्राइवेट लोगों के हाथ में चली जायगी और फिर आपके लिए समस्या उत्पन्न हो जायगी। मैं राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि इस जमीन पर से कब्जा हटाकर उसको प्राइमरी हैल्थ सेन्टर के साथ उसके आहते में ले लिया जाय। जो ग्राम पंचायत ने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को दे दी है।

इसके अलावा मैंने सार्वजनिक निर्माण विभाग के बारे में कुछ कटौती के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। खासतौर से सांचोर से रानीवाड़ा की सड़क बहुत बड़ी और एक मेन सड़क है और वह गवर्नमेंट की जोधपुर,

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

जैसलमेर-भीनमाल-सांचोर की डिफेन्स रोड से कनेक्ट करती है। यह आपको जानकर ताज्जुब होगा कि इस रोड से होकर सारा डिफेन्स रोड को मेटेरियल गया है। यह रोड इतनी खराब हो गई है बरसात की वजह से तो इसको रिकन्स्ट्रक्शन के प्रोग्राम में लेना चाहिए। यह एकमात्र रोड है जो कि पक्की बनी हुई है और जो डिफेन्स रोड को कनेक्ट करती है। रानीवाड़ा से मन्डार होकर वह रोड़ क्षतिग्रस्त है लेकिन उसके रिपेयर्स के लिए पैसा नहीं है तो स्पेशल तौर से उसके लिए रिपेयर्स का पैसा निकाल कर रोड को दुबारा,कन्स्ट्रक्ट किया जाय ताकि एकमात्र डिफेन्स रोड़ को जो जोधपुर, जालौर और भीनमाल जाती है कनेक्ट करती है। यह एक ही मेन रोड़ है तो उसके द्वारा आवागमन के साधन उपलब्ध हो सकें।

सभापतिजी, इसके अलावा रानीवाड़ा से मन्डार तक सड़क पर उत्तर सिरोही डिविजन में अपने क्षेत्र के अन्दर रोड को कम्पलीट कर दिया है। रानीवाड़ा से लेकर मन्डार तक का प्रावधान है, लेकिन उसके कार्य की प्रगति बहुत धीमी है तो राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि मेन रोड़ से कनेक्ट करने वाली यह रोड है। यह इन्टर स्टेट रोड है जो डीसा से कनेक्ट करती है तो मंत्री महोदय से चाहता हूं कि वे इसको शीघ्रता से पूर्ण कर दें। मुझे यह बताया गया है कि रालर नहीं है तो रालर कहीं से लाकर इस रोड को शीघ्र पूर्ण करा दिया जाय ताकि सिरोही से यह रोड़ कनेक्ट हो जाती है।

इसके अलावा दूसरी जो रोड़ हैं फैमिन रोड्स बनी हैं पक्की उनको राज्य सरकार ने अपनी मरम्मत की विभागीय सूची में नहीं लिया है वे ज्यादा बरसात होने की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई है उनकी मरम्मत कराई जाय। माननीय मंत्री महोदय, अतिवृष्टि और बाढ़ के कारण जो सड़कों को क्षति पहुंची है अच्छी रोड़ बनी हुई है वे कट कर खराब हो गई है उनको ठीक करवायें। माऊपुरा से गुजरात बोर्डर, हीरपुरा से गुजरात बोर्डर, सिवाड़ा से चीतलवाड़ा इस तरह की रोड़ है जो कि पक्की रोड्स बनी हुई है उनमें कुछ पैसा देकर मरम्मत करा दी जाय।

सभापतिजी, इसके अलावा पुरानी मरम्मत की रोड्स हैं सांचोर से भवातडा। यह बहुत पुरानी रोड है। यह पहली डिफेन्स रोड़ है कि जिस पर होकर भावतरा से बाखासर पहुंचते थे कम से कम समय में पाकिस्तान बोर्डर पर पहुंचते थे। यह सेकिन्ड डिफेन्स लाइन की सड़क है। इसमें थोड़ा बहुत पैसा रखा है वह भी अभी युटिलाइज नहीं हुआ है। मैं मंत्री महोदय से चाहूंगा कि बहुत पुरानी रोड़ है उस पर मरम्मत का पैसा क्यों नहीं दिया जाता है यह बहुत पुरानी रोड़ है जो कि डिफेन्स के पाइन्ट आफ व्यू से इम्पार्टेन्ट है तो इसको ठीक किया जाय एवं मरम्मत करवाई जावें।

दूसरी सांचोर से चीतलवाड़ा रोड है यह पुरानी मरम्मत वाली रोड है। यह मरम्मत वाली सूची में है। इसको मरम्मत कराई जाय। दूसरी इसके अलावा जो रोड्स कुछ है, जो मरम्मत की सूची में नहीं है। लेकिन फेमिन वर्क में बनाई गई है। उसमें कुछ केस योजनायें में पैसा है। डी. पी. सी. वर्क में बना दी गई है। इस कटमोशन में

(श्री रघुनाथ विश्नोई)

मैंने जो ध्यान आकर्षित किया है, उस पर ध्यान दें।

श्री निरंजननाथ आचार्य : मैं यह कह रहा हूं कि आज रात जाग कर सारी सड़कें बना देंगे।

श्री रघुनाथ विश्नोई : यह जो ग्रांधव पुल है, यह लूनी की बाढ़ से वाशआउट हो गया था। पुल का डिस्ट्रक्शन हो गया है। ग्रांधव ब्रिज से लेकर खाड़ी तक सुरक्षा सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है।

श्री निरंजननाथ आचार्य : ग्रान ए प्वाइण्ट ग्राफ आर्डर। माननीय सदस्य आसन की ओर न देखकर मिनिस्टर महोदय की ओर देख रहे हैं। उन्हीं को सीधे सीधे एड्रेस कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : कभी हमारी तरफ भी देख लिया करें।

श्री रघुनाथ विश्नोई : इसके अलावा मैंने श्रम के बारे में कटौती प्रस्तावों के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित किया है। नियोजन कार्यालय जो हैं, उसकी ठीक तरह की व्यवस्था नहीं है। उसमें जो सूचियां विभागों से मंगाई जाती है उनको वह सीनियरटी के हिसाब से नहीं भेजते हैं। बल्कि एटरेण्डम ही भेज देते हैं। मैं माननीय मन्त्रीजी से निवेदन करूंगा कि उसी रूप में सूची को जाना जाये। जयपुर में 75% अपाइण्टमेन्ट होता है। इस बारे में नियोजन कार्यालय अगर जिला वाइज सूची मांगे तो दूसरे जिलों के लोगों को इम्प्लायमेण्ट मिल जायेगा। नहीं तो दूसरे जिलों में इम्बैलेंस हो जायगा। आगे और भी स्थिति खराब हो जायेगी। इसके अलावा जो एग्रीकल्चर लेबर बेसड है, उसका सर्वेक्षण नहीं किया है। एक इस बारे में प्रश्न पूछा गया था कि एग्रीकल्चर लेबर के गांवों के आंकड़े आप बतायें तो यह आप आंकड़ा इकट्ठा नहीं कर सकते है। एम्प्लायमेंट कार्यालय को इन कामों से दूर रखो। गांवों में बहुत से ऐसे लोग है जो दो बार खाना भी नही खा सकते हैं। इसलिए उनको काम देने के बारे में सोचा जाना चाहिए। इसके अलावा लेबर वेलफेयर स्कीम्स है। उनका फालतू खर्चा रोक कर वास्तविक खर्च, जैसे आवासीय समस्या है, उनकी तरफ ध्यान देना चाहिए। श्रमिकों एवं मालिकों के बाद में डिस्प्यूट खड़ा हो जाता है। बहुत ही सतर्कता से काम करने की आवश्यकता है। अदालतों में पड़कर बड़ी कठिनाई होती है। इसलिए लेबर विभाग को भी जन सम्पर्क मेण्टेन करने की आवश्यकता है। सभापति महोदय, राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए मैं चाहूंगा कि मुझे ये सूचनाएं मिल जायें जिन विषयों के बारे में मैंने कटौती प्रस्ताव दिए हैं और अगर समय कम हो तो लिखित रूप में भेज दें।

श्री सभापति : श्री अजीतसिंह। सिर्फ 5 मिनट।

श्री अजीतसिंह (टोंक) : सभापति महोदय, मैं अपने निर्वाचन क्षेत्र की ओर ध्यान दिलाऊंगा। बनास नदी ने दो हिस्से काट दिये हैं। वहां पर एक पुल है, जो जयपुर-टोंक सड़क पर है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वहां की भौगोलिक स्थिति को देखते हुये उस पर

(श्री अजीतसिंह)

ध्यान अधिक दिया जाना चाहिए। वहां जो पहले वाला रास्ता था, उसकी सेक्शन भी हो गई थी। फिर भी धनाभाव के कारण वह नहीं किया गया। इस सहायक पुल को आवागमन की सुविधा की दृष्टि से बनाना बहुत आवश्यक है। टौंक शहर जिले का हैडक्वार्टर है। वह एक तरफ रह जाता है। दूसरे मैं माननीय मन्त्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि कोटा-जयपुर रोड टौंक शहर में होकर जाती है। वहां पर इस कारण से बहुत सी दुर्घटनाएं भी होती हैं। वहां गुण्डागर्दी भी ज्यादा होती है। इस बारे में पहले भी काफी निवेदन किया गया है। एक बाई पास का प्रस्ताव किया है। उस पर कोई विचार नहीं किया गया है। भूत-पूर्व जो उप मन्त्री थे वह अब मन्त्री बन गये हैं। उसका कोई फायदा नहीं हुआ है। वह बहुत ही आवश्यक बात है। एक ही फर्लांग का टुकड़ा है। सारी स्थिति आपके सामने स्पष्ट आ जायेगी। शहर के बाहर बाहर सड़क निकलवा दी जाये। शहर में काफी ट्रक खड़े रहते हैं। इसके बारे में झगड़े भी हो गये हैं। इसलिए उसको बाहर कर दें तो बड़ी कृपा होगी। दूसरे मैं क्रेश योजना के बारे में ध्यान दिलाना चाहता हूं। सारा सामान पड़ा हुआ है। रोलर के अभाव में वह काम नहीं हो पाता है। अगर रोलर की व्यवस्था हो जाये तो उस सामान का उपयोग हो जाता। हाथों से यह होता नहीं है। इसी तरह से कई जगहों पर नालों की सेंक्शन हो भी गई। लेकिन आज तक लगाये नहीं है। यह बहुत आवश्यक है। दो बोरी सीमेंट के लिए वह सड़क बरबाद हो रही है। जैसे भी व्यवस्था बैठे। सीमेण्ट की व्यवस्था करवा दें। तो वह काम हो जाएगा। इससे न तो बैलगाड़ी पास होती है और न ट्रक पास होते हैं। इसके अलावा सभापति महोदय, इम्प्लाय-मेण्ट के बारे में हमारी दिक्कत है। उसका निवेदन करना चाहता हूं। हमारे यहां इम्प्लायमेंट एक्सचेन्ज का दफ्तर खोला गया है, उसके लिए तो मैं धन्यवाद देता हूं। लेकिन हमारे यहां जो दो ट्रेनिंग सेण्टर खोले गये हैं, उनमें जो लेबर ट्रेनिंग सेण्टर है, वहां लोगों को रोजगार देने के लिए प्रायोरिटी का नियम बन जाना चाहिए। नहीं तो जहां तक रोजगार देने वाली बात है, उसकी भावना ही खत्म हो जाती है। वहां शहर और देहात की दृष्टि से मैं निवे-दन करूंगा कि वहां के गरीबों को रोजगार दिया जाये।

श्री सभापति : श्री बृजेन्द्र कुमार।

(अनुपस्थित)

श्री जनार्दनसिंह गहलोत।

(अनुपस्थित)

श्री रामगोपाल।

श्री रामगोपाल : माननीय सभापतिजी, सार्वजनिक निर्माण विभाग की मांग के ऊपर जो कटौती प्रस्ताव मैंने दिये हैं, उन पर चर्चा करते हुए सार्वजनिक निर्माण मन्त्री महोदय को मैं कोटा जिले की सड़कों के ऊपर यात्रा कराना चाहता हूं ताकि वह सड़कों की सुन्दरता को देखें और उनकी प्रशंसा करें।

श्री रामकिशन : अभी बैठे हैं, अभी ले जाओ।

श्री निरंजननाथ आचार्य : रोड रोलर भी साथ में लेकर जाय।

श्री रामगोपाल : मैं माननीय छंगाणी जी से भी निवेदन करूंगा कि वह भी गाड़ी में विराज जायं, क्योंकि वह ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर हैं जो उनकी विभागीय समस्याओं को देख सकें।

श्री रामकिशन : दोनों को ले जायं।

श्री रामगोपाल : सर्वप्रथम मैं मन्त्री महोदय को कोटा जिले में ले जाऊंगा तो वह देखेंगे चम्बल की पुलिया। चम्बल की पुलिया को देख कर वह वास्तविक स्थिति को महसूस करेंगे। वैसे तो पहले भी देख चुके हैं। मैं माननीय मन्त्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि चम्बल की पुलिया है जो कोटा और बून्दी दोनों को जोड़ती है ··

श्री दीपंकर । पुलिया है या पुड़िया है ?

श्री रामगोपाल : आप पुड़िया के लालच में मत पड़ो पुल बन्द होने वाला है। माननीय मन्त्री जी मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, पुलिया का निर्माण कार्य, जब आप पधारे थे, और आपने देखा है, तब से वैसा का वैसा है, और अभी तक उसका निर्माण पूरा नहीं हुआ है, उसकी मरम्मत पूरी नहीं हुई है। और आपको यह भी याद होना चाहिए कि उस क्षेत्र में 15 जून तक बरसात हो जाती है। आपको यह भी याद होगा कि क्योंकि इस पुलिया का निर्माण कार्य चल रहा है इसलिए जितना भी यातायात है, वह चम्बल के बान्ध से होकर निकलता है, इस कारण से, चाहे ट्रक हो, या चाहे बस हो, उस बांध से निकलने से उसमें कमजोरी आती है। यह मैं आपको इसलिए याद दिलाता हूं, क्योंकि सिंचाई विभाग भी आपके पास है, जितने भी भारी वाहन जाते हैं, चाहे ट्रक हो या बस हो, उनके निकलने से उनमें नुकसान होता है। इसलिए आपके सिंचाई विभाग को भी इस ओर देखना पड़ेगा। मैं आपसे यह कहना चाहूंगा कि जो चम्बल की पुलिया है, उसकी मरम्मत का कार्य चल रहा है, उसको आप जल्दी से जल्दी पूरा करायें ताकि बरसात के पूर्व ही उस काम को आप पूरा कर सकें।

आपको एक याद और दिलाना चाहता हूं, अपने उत्तर में माननीय मन्त्री यह भी बतावें (व्यवधान) मैं आगे से जा रहा हूं, साहब सब कुछ आपको बता दूंगा। तो मन्त्रीजी से यह कहना चाहता हूं कि इस पुलिया के बारे में एक कमेटी का निर्माण किया गया था। आप अपने उत्तर में यह बतावें कि उस कमेटी ने क्या रिपोर्ट दे दी, और किस प्रकार की रिपोर्ट दी है। उस कमेटी के चीफ थे, हरीसिंह चौधरी। उन्होंने क्या रिपोर्ट दी है इस पुलिया के बारे में, अपने उत्तर में आप यह भी बतावें।

अब मैं आपको कोटा की सड़कों पर चलते चलते अपने निर्वाचन क्षेत्र की ओर ले चलता हूं··· ···

श्री निरंजननाथ आचार्य : कितने मील का फासला तय कर लिया।

श्री रामगोपाल : मैं पहले ही बस में बैठा चुका हूं।

श्री दीपंकर : पांच मिनट में सो किलो मीटर।

श्री रामगोपाल : बस में बिठा चुका हूं, ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर उनकी बगल में

(श्री रामगोपाल)

विराजे हैं। अब मन्त्री जी, आप शाहाबाद मेरे निर्वाचन क्षेत्र में चलिये... ..

श्री रामकिशन : कौनसे गांव होकर।

श्री रामगोपाल : बारां से आगे फतेहपुर के सामने केवल तीन फर्लांग पर दो मील का टुकड़ा है, शिवनारायणजी विधायक हैं जिनके गांव के सामने।

श्री शंकरलाल : ज्यादा दूर हो तो हेलीकोप्टर पर आप ले जा सकते हैं।

श्री निरंजननाथ आचार्य : लोक वाहन ही अच्छा है।

श्री रामगोपाल : मुखबन्द होने वाला है, इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि फतेहपुर के समक्ष केवल तीन फर्लांग पर दो मील का टुकड़ा है। उसके बारे में शिवनारायण जी ने चर्चा की होगी, यह दो मील का टुकड़ा बहुत खराब हो रहा है, उनके गांव के सामने है और उनके गांव के सामने से होकर मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में जाता है। वहां होकर मुझे गुजरना पड़ता है, जो भी लोग निकलते हैं, चाहे अधिकारी हों, चाहे मध्य प्रदेश की ओर जाने वाले यात्री हों, वहां से मध्य प्रदेश की रोड जाती है, और उस पर होकर ही मेरी कान्स्टीट्यूएन्सी में निकलना पड़ता है, वहां से निकलेंगे तो फतेहपुर के सामने दो मील का टुकड़ा नजर आयेगा। उसको अभी तक आप ठीक नहीं करा सके हैं। मेरा निवेदन है कि जब यहां सिचाई कार्य बन्द हो जाय और फसल कट जाय, आप इस दो मील के टुकड़े को ठीक करा दीजिये।

(व्यवधान)

मैं पूरे कोटा जिले के बारे में बोल रहा हूं, मन्त्री महोदय, आप ध्यान दीजिये

(व्यवधान)

आप जरा घबरायें मत।

मन्त्रीजी, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि शाहाबाद के अन्दर भंवरगढ़ से नाहरगढ़ की सड़क है, उसको आपके विभाग ने बड़ी महरबानी करके, बड़े जोर-शोर से बनाया है, किन्तु उसमें एक दो मील का टुकड़ा है। वह आगे का टुकड़ा जहां है वहां हम देख सकते हैं कि उसकी कुटाई नहीं हुई है। वहां पर रोलर भेज दिया गया है, आठ नौ महीने हो गये, वह वैसा का वैसा ही पड़ा हुआ है। मेरे पास कल नाहरगढ़ के निवासियों की चिट्ठी आयी थी, उन्होंने सूचना दी है कि आठ या दस महीने से रोलर पड़ा हुआ है, ढिकवानी गांव के पास पड़ा हुआ है, एक आदमी को तनख्वाह देकर उसको रखवाली के लिए रखा गया है। मैं कहना चाहूंगा कि वहां पर अधिकारियों द्वारा लापरवाही इस प्रकार की बरती जा रही है छोटे से कार्य के लिए—इस ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि आप ध्यान देकर, इस सड़क पर सामग्री पड़ी हुई, इसकी कुटवाई के काम को जल्दी खत्म करायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मैं जल्दी ही खत्म कर दूंगा।

रामगढ़ सड़क है, यह किशनगंज से रामगढ़ सड़क है, वह इस प्रकार की सड़क है कि यह सिचाई का इलाका है, और

(श्री रामगोपाल)

काफी अनाज पैदा होता है वह अनाज इस सड़क पर होकर बारां की मण्डी में आता है। बारां की मण्डी में आता है तो ट्रैक्टर से या बैलगाड़ी से आता है। ट्रैक्टर वाले तो मुसीबत उठाकर ले आते हैं, लेकिन बैलगाड़ी की हालत खराब हो जाती है। अभी एक दुर्घटना भी हो चुकी है। इसलिए इस ओर मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। चीफ मिनिस्टर साहब के यहां जो मीटिंग हुई थी, उसमें भी मैंने कहा था।

रामगढ़ से मांगरोल सड़क है, इसके लिए बता देना चाहता हूं कि इसकी बड़ी दुर्दशा है, अभी इस पर एक बस भी उलट चुकी है, इधर से उधर। यह इसी वर्ष दुर्घटना हुई है। वहां पर दुर्घटना में आदमी मर चुके है। इस ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

इस ओर भी मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मांगरोल मऊ से सुरथाग सड़क है, इस पर जबर्दस्त काम चल रहा है, लेकिन उसकी गति बहुत धीमी है। बमोरी की पुलिया भी इसमें आती है। इस कार्य को जल्दी से जल्दी पूरा करायें और पुलिया भी जल्दी से जल्दी बनायें।

आगे दूसरी ओर मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा, छीपा बड़ोद से सालपुरा सड़क है, यह सड़क बड़ी दुर्दशा की स्थिति में पड़ी हुई है। कम से कम घुटनों तक धूल जम जाती है, और यात्रियों को भारी मुसीबत का सामना करना पड़ता है, बस के टायर तक बर्स्ट हो जाते हैं। इसलिए इस सड़क को पक्का बनवाने का कष्ट करें।

मैं यह भी बताना चाहता हूं, माननीय मंत्री जी, कोटा बारां शिवपुरी मार्ग है, यह महत्वपूर्ण मार्ग है। इस पर रोडवेज की बस भी चलती हैं। राजस्थान रोडवेज की बस भी चलती है। इसको नेशनल हाई वे घोषित किया जाय। (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मैं अभी खत्म करता हूं। मुझे ध्यान है।

यह इस प्रकार की रोड है, जैसा माननीय सदस्य ने बताया था कि राजस्थान की सड़क कच्ची है और हरियाणा की सड़क पक्की है। इसी प्रकार कस्बा थाने के आगे एम. पी. की रोड है। हमारी रोड पर धूल उड़ती है, और मध्य प्रदेश की रोड डामर की है। हमारे जो यात्री जाते हैं और मध्य प्रदेश के यात्री आते हैं, उनके मुंह से यह बात सुन कर शर्म महसूस करनी पड़ती है। इसलिए इसको नेशनल हाई वे घोषित करने की व्यवस्था करिये।

किशनगंज से जलवाड़ी होती हुई नाहरगढ़ तक जाने वाली रोड है, उसकी भी खराब हालत है। कवाई से छबड़ा सड़क जाती है, उस पर अन्डेरी की पुलिया है, उसके बारे में कोटा रेस्ट हाऊस में मीटिंग में चर्चा हुई है। इसको भी जल्दी से जल्दी पूरा करायें।

अटरू से काला तलाब, कवाई काला तलाब से खानपुर व बवावर की सड़क है, इसको भी ठीक करवायें। अभी इसका कार्य बड़ी धीमी गति से चल रहा है।

मैं बताना चाहता हूं (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मैं एक मिनट में समाप्त करता हूं.......

श्री रामकिशन : छबड़ा रह गया।

श्री रामगोपाल : मैं इस ओर भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि आपके विश्राम गृह इतने कम बने हुए हैं, उन विश्राम गृहों में आपके कृषि विभाग के और सिचाई विभाग के सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी जाते हैं उनके ठहरने की व्यवस्था नहीं हो पाती है, इसलिए वह नहीं जाते हैं। जब नहीं जाते हैं तो वह उस क्षेत्र की समस्या को नहीं जान पाते हैं और नहीं जान पाते हैं तो आपको सूचना नहीं होती है। इसलिए कस्बा थाना, नाहरगढ़, किशनगंज, छीपाबड़ौद में रेस्ट हाऊस कायम किये किये जायं। छीपा बड़ौद के लिए तो लिखा भी जा चुका है। नाहरगढ़ में सिचाई विभाग का काम चल रहा है, वहां तो उसके माध्यम से वह भी बना सकते हैं।

इसके अलावा सफाखाने की बिल्डिंग है, उसकी व्यवस्था भी खराब है हैल्थ विभाग की बिल्डिंग की तरफ भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं, उनकी बड़ी दुर्दशा है। बापला सफाखाना में इधर से झांके तो दूसरी तरफ दीवार के लोग नजर आयेंगे। इतने बड़े बड़े छेद हो रहे हैं। इनको आप ठीक करवायें।

समाज कल्याण के छात्रावास हैं, इनकी जो बिल्डिंग्स बनी हैं वह अधूरी पड़ी हुई है। उनकी ओर भी मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा। इन छात्रावासों में पिछड़ी जाति के छात्र रहते हैं। इन बिल्डिंग की हालत देखकर शर्म महसूस होती है। जैसे बारां छात्रावास की अधूरी बिल्डिंग है।

क्योंकि बार बार घंटी बज रही है, मैं श्रम व नियोजन के बारे में कहना चाहता हूं हालांकि श्रम मंत्री यहां नहीं है। छंगाणी जी छलांग लगाकर सदन से निकल गए मेरी बात आते ही लेकिन आप उनको याद दिलायें कि अनुसूचित जाति व जनजाति के बारे में जो रोस्टर सिस्टम है जिसके लिए श्री वृद्धिचन्द्रजी ने बताया था वह समस्या हमारे सामने आती है, उसको न भूलें नहीं तो उत्तर के समय भी वह छलांग मार देंगे।

श्री नत्थासिंह : मैं भरतपुर के बड़े बड़े पुलों का जिक्र करूंगा इसलिए मुझे भी समय दिया जाए।

सभापति : श्री विजयसिंह।

श्री भंवरलाल।

श्री लूनाराम।

श्री लूनाराम (डूंगरगढ़) : मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, जो खास खास बातें हैं मेरे क्षेत्र की वह ही रखूंगा। हमारे क्षेत्र में नेशनल हाई वे नंबर 11 उसको डबल बनाने का कार्य जयपुर डिवीजन में हुआ है लेकिन बीकानेर डिवीजन में नहीं हो रहा है। परिणामस्वरूप जब बरसात होती है तो रास्ता बन्द हो जाता है, आए दिन मिट्टी डलवाने में खर्च किया जाता है, वह सारा का सारा बेकार जाता है। तो मैं निर्माण मंत्री से निवेदन करूंगा कि उस सड़क को डबल किया जाए।

दूसरी बात डूंगरगढ़ से कातर सड़क जो डूंगरगढ़ से ग्राम वाना तक बनी हुई है थोड़ा सा 20 मील का टुकड़ा है, अगर उसको बना दिया जाए तो जोधपुर और बम्बई तक का रास्ता हो जाएगा क्योंकि हमारी मंडियों से बहुत यातायात रहता है।

(श्री लूनाराम)

श्री डूंगरगढ़, लूनकरनसर की सड़क जो बीकानेर डिवीजन में है उसको अगर डूंगरगढ़ तक बनाया जाए तो गंगानगर के लिए शार्टकट रास्ता हो सकता है। इसके अलावा अकाल के समय बहुत सी सड़कें बनी नेशनल हाई वे 11 से लेकर बिग्गा रेल्वे स्टेशन का टुकड़ा है, उसको पूरा करवा लिया जाए, वह छोटा सा टुकड़ा है तो बहुत काम हो सकता है।

इसके अलावा आडसर से पूनरासर कितासर से शीतलनगर, शेरूना से कातर ये अकाल की सड़कें हैं इनको पूरा करवाया जाए तो हमारे इलाके का कुछ फायदा हो सकता है।

इस वर्ष अकाल में धांधड़ा की नीलामी के आदेश सरकार द्वारा जारी किए गए। यह पत्थर बरबाद हो रहा है, मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बजाय नीलामी के जो सार्वजनिक संस्थायें हैं जैसे स्कूल, अस्पताल, कुएं इत्यादि हैं, उनको बनाने के लिए यह पत्थर ग्राम पंचायतों को दिया जाए, वह कीमती पत्थर है। इससे निर्माण कार्य में बहुत कुछ साधन जुट जाएगा।

दूसरा निवेदन है कि सहायक इंजीनीयर का कार्यालय नेशनल हाईवे नं. 11 का है श्री डूंगरगढ़ में और रहते हैं बीकानेर में। रेगुलर दफतर सरदारशहर में है। इसका या और कोई दिमाग में हो सबको मिलाकर हमारी यातायात की बिल्डिंग्स सड़कों आदि को देखकर सहायक इंजीनीयर का कार्यालय डूंगरगढ़ में स्थापित किया जाए तो आपकी मेहरबानी होगी।

श्री सभापति : श्री रामरघुनाथ।

श्री रामरघुनाथ (डेगाना) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे समय दिया। मैं अपने इलाके की मूलभूत सड़कों की तरफ मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक सड़क है जो नागौर को जयपुर से मिलाती है। उस सड़क पर कुचामन के पास डावसी नदी आती है जिसके बारे में इस सदन में पिछले सत्रों में कई बार निवेदन किया जा चुका है लेकिन फिर भी सरकार ने उस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। यह एक ही सड़क है जो जिलों को राजधानी से मिलाती है और उस नदी के आने से जो मिट्टी उस सड़क पर आती है उसकी वजह से महीनों तक सड़क बंद रहती है।

दूसरी सड़क जो नागौर मुख्यालय से मिलती है वह है परबतसर होकर। उस सड़क पर रूपनगढ़ के पास छोटा नाला है, 200-300 फीट लम्बाई है, वह रपट 6-7 साल से अधूरी पड़ी है, दोनों सड़कें जब बरसात में बंद हो जाती हैं तो उस जिले के लोगों के लिए राजधानी में आने का कोई रास्ता नहीं होता है। इसलिए इसको जल्दी से जल्दी पूरा करवाने की कोशिश करें अन्यथा जितना भी आवागमन है वह रुक जाता है।

एक और मुख्य सड़क है जो डेगाना को मेड़ता से मिलाती है उसकी लंबाई 30 मील है, उस सड़क पर एक गांव आता है उसके पास छोटा नाला है वह 50 फीट है लेकिन उस इलाके में काली मिट्टी होने से व नाले में पानी आ जाने से रास्ता चारों तरफ से बंद हो जाता है, काली मिट्टी पर

(श्री रामरघुनाथ)

किसी तरह भी गाड़ी नहीं जा सकती और न सड़क से क्योंकि नाले में पानी भर जाता है जो दो तीन महीने उस नले में रहता है, उस नले के बारे में कई बार लिखा जा चुका है, बार बार निवेदन किया है और मामूली खर्चा है, उसके कारण कई बसें रुक जाती हैं और उसके सिवा कोई आवागमन का रास्ता नहीं है, उसको जल्दी से जल्दी करवाने की कृपा की जाए।

परबतसर बहुत ही मुख्य जगह है जहां पर राजस्थान का बहुत बड़ा पशुओं का मेला लगता है। वहां पर एक सड़क है जहां रोडवेज की बस चलती है जो परबतसर से मेड़ता जोधपुर जाती है, उस सड़क भंवर गांव के पास एक बांध बनाया गया है, उस बांध की वजह से वह सड़क कट गई है, 4-5 साल से टूटी हुई है। बरसात में खड्डे होने से 10-12 फीट पानी भर जाता है जो 3-4 महीने तक रहता है। जब तक अपने आप सूख नहीं जाता है तब तक भरा रहता है, सारा आवागमन रुक जाता है, यह गैविल की सड़क है, कम से कम इसको चलने योग्य बनायें। गांवों से मेले में लाखों मवेशी इकट्ठे होते हैं तो ट्रक भरकर चारा ले जाते हैं और रेलवे का हाल तो आपसे छिपा हुआ नहीं है, उसके कारण सारा चारा ट्रकों से जाता है और ट्रक नहीं निकल सकते। वहां पर मवेशी नहीं जा सकते और जाते हैं तो भूख मर जाते हैं चारे के अभाव में। तो उस सड़क को ठीक किया जाए।

इसके साथ ही डेगाना एक बहुत बड़ी मंडी है जो व्यापार की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, डेगाना नागौर मुख्य मंडी है वहां लाखों की खरीद फरोख्त होती है, कई ट्रक्स आते जाते हैं। इसे अजमेर से मिलने वाली सड़क मेटल रोड की है परन्तु कुछ मील एक तरफ टार कर दिया गया है, 10-12 मील दूसरे किनारे बन रही है बीच में सड़क टूटी पड़ी है। उसकी तरफ भी राज्य सरकार ध्यान दे और उसे कैसे भी पूरा कराए। मान लीजिए टार करने की स्थिति में नहीं है तो जो कुछ मेटल सड़क बनी हुई है, मिट्टी ही डाल दें लेकिन कम से कम उस हालत में रखें कि और ज्यादा खराब न हो, व आवागमन बना रहे, जब टार उपलब्ध हो तो उसको पूरा करवा लें। इसके साथ ही एक दो बात और निवेदन करना चाहूंगा। हमारे यहां पर कुछ सड़कें ऐसी हैं उसमें कई बार आंधियों की वजह से सड़क पर मिट्टी आ जाती है उसका नतीजा यह होता है कि रास्ते बन्द हो जाते हैं जिससे कि उस रास्ते से ट्रक, मोटरें और बैलगाड़ियां वगैरहा आ जा नहीं सकती जिससे जनता को बहुत ही परेशानी होती है। मैं यह नहीं कहता कि आप उन सड़कों को टार रोड की टी बना दें पर चाहे दूसरी योजनाओं की कटौती करके लेकिन वहां जो मिट्टी शामिल हो जाती है उसके लिये आप उन सड़कों की मिट्टी हटवाने का प्रावधान तो करें ताकि उधर से मोटर, ट्रक वगैरहा तो निकल सके। वरना ऐसी स्थिति होती है कि रास्ते 10-15 दिन तक बन्द हो जाते हैं। कई बार मोटर गाड़ियें और ट्रक वगैरहा रेत में फंस जाते हैं लोगों को बड़ी परेशानी होती है इसलिए मेरा यह निवेदन है कि ऐसी व्यवस्था तो कर दी जाय कि यहां पर मिट्टी जो शामिल होती है उसे हटाने की कार्यवाही तुरन्त होनी चाहिये ऐसी व्यवस्था कायम की जाय कि वहां पर रास्ता बन्द नहीं हो

(श्री रामरघुनाथ)

और रास्ता सुचारू रूप से चलता रहे। बस इतना ही निवेदन करना है।

श्री रामलाल (बाड़ी) : सभापति महोदय, मैं आपके मारफत मन्त्री महोदय से कुछ निवेदन करना चाहता हूं। आज जयपुर से धौलपुर के लिये इतनी लम्बी सड़क है इसमें कोई पुल और पुलिया नहीं है उनका निर्माण किया जाना चाहिये। सरमथुरा से करौली की सड़क खराब है, उसमें काफी गड्ढे है। उधर से काफी बसें, ट्रकें गाड़ियां वगैरह आती जाती हैं जगह जगह पर गड्ढे होने से रात दिन मोटर और ट्रकों के ट्यूब टायर फूटते हैं। हजारों यात्री आते जाते हैं रोजाना उससे बस मालिक भी परेशान होता है और जनता भी। इस रोड पर जयपुर, धौलपुर, ग्वालियर और आगे रोजाना ट्रक मोटर्स वगैरह जाती है उन्हें पक्की मरम्मत कराई जाय यह मेरा मन्त्री महोदय से निवेदन है, इसके अलावा सरमथुरा से करौली तक अब चूंकि मेला चल रहा है गाड़ियों में नुकसान होगा यात्री परेशान होते हैं इस रोड को जल्दी से जल्दी पक्की बनाई जाय। जिसे नई सड़क सरमथुरा से मंडराल के लिये नई पक्की सड़क बनाई जाय। इसके अलावा सरमथुरा से मण्डाल जाने के लिये करौली होकर जाने के लिये जो कि24 मील पड़ता है उसके लिये सरमथुरा से पहले करौली जाना पड़ता है और वहां से करौली से मंडराल जाना पड़ता है। करौली से मडराल 26 मील पड़ता है इससे जनता को काफी परेशानी होती है बसेड़ी से सेपाऊ के लिये नहर के किनारे पक्की सड़क बनाई जाय मुझे यह निवेदन करना है आपके मारफत मन्त्री महोदय से कि आप दोनों ही विभाग के मन्त्री हैं इस सड़क को पक्की बनवादें ताकि जनता को लाभ मिले और सिचाई विभाग को लाभ मिले। बयाना बसेड़ी की सड़क बनवाई जाय। पक्की बनाई जाय इस सम्बन्ध में मुझे मन्त्री महोदय को यह निवेदन है कुछ सड़कें जो कि कच्ची है उन्हें कुटवा कर पक्की करवाई जाय। उन पर डामर कराया जाय। कुछ सड़क पहले जमाने में राजाओं के जमाने में बनी हुई है वह जगह जगह टूट गई है इससे वह उखड़ जाती है उन्हें पक्की बनाया जाय। इसके साथ ही मैं मन्त्री महोदय का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि तालाब शाही राजा के जमाने में बना हुआ है और गुज्जा के लिये सड़क बनाई गई है वह पुरानी होगई है और उसके अन्दर कई जगह टूट-फूट हो गई है इसको पक्की बनवाई जाय। इससे जनता को लाभ मिले और सरकार को लाभ मिले। तालाब शाही रामसागर पुरानी जमाने की सड़क है उस सड़क को नई बनाई जाय। रामसागर से बाड़ी के लिए पुरानी सड़क है उसको नई बनाई जाय। बाड़ी से सेपाऊ सड़क खराब है उसको पूरा करवाया जाय। सभापति महोदय, बस इन्हीं खास-खास बातों की ओर मैं राज्य सरकार के मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ताकि जनता को लाभ मिले।

श्री सभापति : श्री भूराजी।

श्री भूरालाल (शाहपुरा) : सभापति महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं कि गुलाबपुरा से शाहपुरा रोड स्टेट के जमाने में बनी हुई है वह जगह जगह टूट गई है मेटिरियल वहीं पर पड़ा है उस सड़क से गाड़ियां निकलती है। बीच में खेत आजाने से रास्ता बन्द हो जाता है। इसको ठीक करवाने के लिये कार्य-

(श्री भूरालाल)

वाही की जाय तुरन्त। दूसरी बात शाहपुरा से सरवाड़ जो सड़क जाती है उसे पक्की बनाई जाय। सापला के पास मैटिरियल पड़ा है सिर्फ तीन मील का टुकड़ा उसको जल्दी से जल्दी ठीक कराया जाय।

श्री दीपंकर : सभापति महोदय मुझे बोलने का मौका दिया जाय मेरा नाम लिस्ट में है।

श्री सभापति : आप बोल लें। तीन मिनट का समय निर्धारित हुआ है।

श्री दीपंकर : सभापति महोदय, सिर्फ तीन मिनट का ही समय दिया है।

श्री सभापति : सभी को तीन तीन मिनट दिये जा रहे हैं।

श्री दीपंकर : सभापति महोदय पुलिस के बाद अगर किसी विभाग की नामवरी में नाम आता है तो वह सार्वजनिक निर्माण विभाग है। यह एक ऐसा विभाग है सभापति महोदय जो कि सबको लूटते हैं। इनके नम्बर दो हैं जनता को लूटने के लिये। आज जब हम देख रहे हैं कि पुलिस वाले तो काफी हद तक बदल रहे हैं लेकिन मुझे दुख के साथ कहना पड़ता है कि यह सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारी और कर्मचारी कभी नहीं बदलते हैं यह तो अपनी लूट खसोट जारी ही रखते हैं। यह नहीं बदले हैं। इसके लिये मैं मन्त्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसके लिये मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज जो हमारे पढ़ेलिखे इन्जीनियर्स हैं और डिप्लोमा होल्डर्स हैं उनको तो यह ठेकेदार लोग काम पर लगाते नहीं है इसलिये मेरा सुझाव है कि यह काम जो भी हो रहा है हमारे राजस्थान में वह ठेकेदारों से नहीं कराया जाकर विभाग के द्वारा कराया जाना चाहिये जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को एम्पलाय किया जा सके। इससे दो फायदे होंगे एक तो भ्रष्टाचार रूकेगा दूसरे हमारे यहां जो पढ़े लिखे लोग हैं उन्हें रोजगार मिलेगा। इसके साथ मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि अभी हमने हमारी पंच वर्षीय योजना के प्रारूप तैयार किया है उसमें कौन कौन सी सड़क हमें प्राइरिटी के आधार पर लेनी चाहिये यह देखने की जरूरत है लेकिन। सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधिकारियों ने मनमाने ढंग से ही स्कीमें बनाली है उसके लिए मेरा यह सुझाव है कि इसके लिये पंचायत स्तर पर और जिला स्तर पर दल विशेष की एक कमेटी बनायी जाय और वह डिसाईड करे कि कौन कौन सी सड़कें हमें पहले लेनी चाहिए इसके लिये जो सड़कें अभी नई बनाने के लिये विभाग के अधिकारियों ने तय कर ली है उसमें संशोधन किया जाय। मैं मन्त्री महोदय को यह भी

(समय समाप्ति सूचक घन्टी)

अभी समाप्त कर रहा हूं सभापति महोदय। हमारे यहां पर यह सड़कें बनाना बहुत जरूरी है। पहली तो लाडनूं से नागौर वाया डेगाना होकर। दूसरी सड़क जो हमने ए० पी० डी० पी० के अन्तर्गत रोल से मीठड़ी तक इसके अलावा एक बहुत महत्वपूर्ण बात मैं निवेदन करना चाहता हूं। सभापति महोदय, हमारे यहां पर सेठ हनुमान मल जी बैंगानी ने विज्ञान कालेज खोलने के लिये दान दिया था वह कालेज जसवन्तगढ़ रेल्वे स्टेशन पर सुजालानगरी

(श्री दीपंकर)

में बननी थी। लेकिन बहुत समय बीत गया है अभी तक वह कालेज बन नहीं पा रही है सब हम सार्वजनिक निर्माण विभाग से कहते हैं तो वह कहते हैं कि पैसा नहीं है तो मेरा निवेदन है कि जब पहले आपने जितना कहा था उतना पैसा भवन निर्माण हेतु सेठ जी ने दिया तो उस वक्त आपने कम क्यों नहीं बताया दूसरे उस भवन कार्य को पहले हाथ में क्यों नहीं लिया। अब आप कह रहे हैं इसमें ज्यादा पैसा लगेगा। तो यह कहां का न्याय हुआ। आज हमारे सुजानगढ़, लाडनूं और जसवन्तगढ़ के बच्चे वहां पर पढ़ने जाते हैं काम अधूरा पड़ा हुआ। लकड़ी के खम्भे खड़े हैं और हर वक्त यह भय रहता है कि कभी भी वह बच्चों पर गिर सकते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि अब उसका निर्माण विभाग द्वारा किया जाना चाहिये। 10 हजार रुपये का सवाल है और दस हजार रुपये में यह पूरा हो सकता है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं श्रम मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि नियोजन विभाग होना एक अच्छी पद्धति है। जो कोई रास्ता नहीं जानता हो तो उसको इसके जरिये से रास्ता बताया जा सकता है और उसके लिये कार्य का सम्बन्ध जुटाया जा सकता है। लेकिन यहां पर सिफारिश के आधार पर लोगों के नाम आगे आ जाते है यह नहीं होना चाहिये। इसमें सुधार करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार श्रम मंत्री जी आपने चिकित्सा सम्बन्धी दवाइयों में मिलावट के खिलाफ अभियान चलाया और हर प्रकार से हर चीज में मिलावट को दूर करने का अभियान चलाया उसी प्रकार इस ओर भी आप ध्यान देंगे।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक बात और कह दूं। गांव के काश्तकार हैं उनके साथ जो मजदूर रहते हैं उनकी हालत दयनीय होती है। न कोई फैक्ट्री हैं और न ही कुछ। इसलिये उनके लिये आपको यह तय करना चाहिये कि जो कोई आदमी उनको ले जाता है अपने खेत में, और उसको काम पर लगाता है तो उसको इतना पैसा देगा और उसको सुख सुविधा देगा और कोई आदमी दरख्त काटते हुए गिर जाता है और किसी कारण से गिर जाता है काम करते हुए और मर जाता है तो आज न तो उसको मुआवजा मिलता है और न ही कुछ। इसलिये बड़ी 2 फैक्टरियों में काम करने वाले मजदूरों की तरह खेतखलिहान में काम करने वाले मजदूरों के लिये भी आप व्यवस्था करेंगे यही मैं निवेदन करूंगा। आपका आदेश है किन्तु अन्त में मुझे यही महत्वपूर्ण निवेदन करना है कि आप लाडनूं के आउट की सड़कों का निरीक्षण कर लीजिये और देख लीजिये कि किस प्रकार से अधूरी पड़ी हुई हैं। जब तक वहां के एक्जीक्यूटिव इन्जीनियर को आप नहीं बदलेंगे, क्योंकि उन्होंने तो पैसा बटोर लिया, वे वहां से जावेंगे नहीं नागौर लाडनूं पी. डब्ल्यू. डी. की सड़क का काम अधूरा ही रहेगा। लोक निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में जो व्यवधान बने हुए हैं उनको आप जब तक सामने नहीं लावेंगे, जिस प्रकार जखीरेबाजों को हथकड़ी पहिना कर सामने लाये है

(श्री दीपंकर)

उसी प्रकार जनता के पैसे का खिलवाड़ करने वालों को आप सामने लाइये और उनको घुमाइये मैं समझता हूं कि आपकी नामवरी होगी और जनता कहेगी कि आपने बहुत अच्छा जनता की भलाई का कदम उठाया है।

श्री सभापति : श्री जेठमल।

केवल दो मिनिट।

श्री जेठमल बरबड़ (परबतसर) : सभापति महोदय, सार्वजनिक निर्माण विभाग की डिमाण्ड की बहस के समय मैं आपका ध्यान मेरे क्षेत्र की ओर दिलाना चाहूंगा। जैसा कि डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया कि परबतसर बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। वहां पर मेला लगता है। परबतसर से पुष्कर जाने वाली सड़क 25 वर्ष पहले बनी थी। पहले जब बनी थी तो हालत ठीक थी। अब हालत उसकी खराब हो गयी है। सड़क पर नाले पड़ गये हैं। बसों के आने जाने में मुश्किल हो रही है। पुष्कर एक महत्वपूर्ण स्थान है। धार्मिक दृष्टि से लोग वहां जाते हैं। पशु मेला भी वहां पर भरता है। पुष्कर मेले में जाने वाले व्यापारियों को बहुत असुविधा होती है। इसलिए मंत्री महोदय का ध्यान दिलाना चाहूंगा कि सरकार की यह नीति होनी चाहिए कि अमुक जिला हैड क्वार्टर से अमुक जगह को मिलायेंगे। 25 साल से बेकार पड़ी है। नयी सड़कें बनायी वह भी अधूरी ही पड़ी हैं। जैसा डेगाना से आने वाले माननीय सदस्य ने बताया परबतसर रोड है उसको डामर रोड नहीं बनाया गया है। मकराना में माइन्स रोड बनी थीं। पिछले टाइम फ्लड आया जिससे सड़कें टूट गयीं।

सभापति महोदय बाईपास मकराने में है। घाटी से अखरूट तक सड़क है। दो दो तीन 2 घंटे में बसें चलती हैं। मुरड़ जो पास पास में पड़ी हैं वह भी बेकार हो रही है।

(समय समाप्ति सूचक घंटी)

एक मिनिट।

एक सड़क किशनगढ़ से डेगाना और जो नागौर तक मिलाती है इस रोड पर काफी बसें चलती हैं फिर भी इसकी रिपेयर नहीं होती है। माननीय मंत्री महोदय से आपकी मार्फत निवेदन करूंगा कि परबतसर तहसील सब डिविजन में जो भी ऐसी सड़कें हैं जो खराब हो गयी हैं उनको रिपेयर किया जाय और इसी पंचवर्षीय योजना में एक रोड एक तहसील से दूसरी तहसील को जाती है जैसे परबतसर से डेगाना और परबतसर से किशनगढ़, इनको रिपेयर किया जाय और परबतसर की रोड है उसको डामर की रोड बनाया जाय। यही निवेदन है।

श्री सभापति : श्री प्रतापसिंह।

श्री प्रतापसिंह (किशनगढ़) : सभापति महोदय, लोक निर्माण विभाग की प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी है। हम देखते हैं कि विभिन्न योजनाओं के माध्यम से जो पैसा व्यय होना था उन सब योजनाओं में पैसा बचत रहता है। एक तरफ तो हम मांग करते हैं कि राज्य के पास वित्तीय संकट है और विकास कार्य पूरी तरह से

(श्री प्रतापसिंह)

नहीं करा सकती है, किन्तु दूसरी तरफ जब हम लोक निर्माण विभाग की प्रगति रिपोर्ट को देखते हैं तो सरप्लस पैसा मालूम पड़ता है। तो इस संदर्भ में मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि लोक निर्माण विभाग में सड़कों के निर्माण कार्य में बहुत बड़ी कमी रही है और उसके कारण यह पैसा सारा का सारा सरप्लस रहा है।

काम के बारे में जब मैं निवेदन करता हूं तो पिछले फेमीन कार्य हुए हैं उनको देखने की बात निवेदन करता हूं। सर्वे अलाइनमेंट आदि कार्य निश्चित किए जाने चाहिए थे, वे नहीं किये गये। 20 साला योजना भले ही बना ली हो। एस्टीमेट्स वगैरा जो बनाने हैं और आपके पास जो उपकरण होने चाहिए उनका अभाव है और जब भी पैसा मिलता है हैफ्हैजर्ड वे में सारे के सारे कार्य करने के लिए दौड़ते हैं और कार्य अधूरे रह जाते हैं और योजना पूरी तरह से सफल नहीं होती है। इस सन्दर्भ में माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि इस ओर विभाग को सक्रिय करके सही दिशा दें और उनको सही तरीके से काम करने के लिए आगाह करें। यह मैं निवेदन करना चाहूंगा।

इसके साथ ही आप लाखों रुपया सड़कों पर व्यय कर लेते हैं लेकिन संधारण के लिए कोई व्यवस्था नहीं रखते हैं। तो यह कहा जा सकता है कि राष्ट्र का करोड़ों रुपया खर्च करके उसका अपव्यय कर देते हैं और उसका सही उपयोग हमारे यहां नहीं होता है। ऐसी हालत में यह सोचना पड़ेगा कि उनके संधारण के लिए निश्चित रूप से कोई न कोई प्रावधान बजट में रखें।

इसलिये मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि संधारण के लिए आपको अवश्य ही कुछ अपने बजट में प्रावधान रखना चाहिये बल्कि हाईवेज हैं डिस्ट्रिक्ट हाईवेज है स्टेट लेवल के हाईवेज हैं सेन्टर के है इस के लिए तो संधारण का प्रावधान रखना ही चाहिये।

विशेष तौर से मैं अपने क्षेत्र की दो सड़कों के लिये उल्लेख करना चाहूंगा। किशनगढ़ से परवतसर मकराणा नागौर सड़क जाती है। नागौर जिले से आने वाले माननीय सदस्यों ने भी इसके लिये कहा है। वह सड़क बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो मकराणा इस पर आता है जो संगमरमर पत्थर की महत्वपूर्ण खानों के लिये सारे संसार में प्रसिद्ध हैं वहां का मेटीरियल इसी सड़क से होकर आता है। फिर दूसरा राज्य स्तर का बहुत बड़ा मेला परबतसर में भरता है, वह भी इसी सड़क पर पड़ता है। नागौर एक प्रमुख जिला हैड क्वार्टर है जिससे यह सड़क जुड़ती है। तो इस पर पूरा ध्यान दिया जाना चाहिये। बारह महीनों यह काम दे इस स्थिति में इसको लाया जाना चाहिए। आज बरसात के दिनों में जब कि मेला भी लगता है उस समय नदी पर पुल नहीं होने से नदी आ जाने पर सारा ट्राफिक रुक जाता है। इस दृष्टि से इस पर पुलिया का निर्माण होना अत्यावश्यक है। लेवल क्रासिंग भी है रेलवे का। काफी समय तक इसके कारण भी ट्रेफिक बन्द रहता है। तो उस पर भी एक पुल बना दिया जाय तो बहुत अधिक सुविधा ट्रेफिक के लिये हो सकती है।

(श्री प्रतापसिंह)

इसके साथ साथ किशनगढ़ के लिये निवेदन करूंगा।

(3.30 म. प.)

(श्री रामसिंह यादव, उपाध्यक्ष पदासीन)

यहां से नेशनल हाई वे नम्बर 8 निकलता है। बीच आबादी से यह गुजरता है। इसके लिये बाई पास बनाया जाना अत्यावश्यक है। इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हुं।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री जी।

श्री नत्थासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे समय मिलना चाहिये। मैं भरतपुर के बारे में वहां की सड़कों की दुर्दशा के बारे में निवेदन करना चाहता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मुझे टाइम दीजियेगा। क्या हालत बनाई है भरतपुर की इस सरकार के इस विभाग ने।

(शोरगुल : अश्रव्य)

(विपक्ष से एक सदस्य और साथ 2 बोलने लगे)

(भारी शोरगुल : अश्रव्य)

श्री उम्मेदीलाल : मेरे कटौती प्रस्ताव हैं। मुझे भी समय मिलना चाहिये। धौलपुर में सड़कों की बड़ी दुर्दशा है।

श्री उपाध्यक्ष : बहस का समय समाप्त हुआ। माननीय मन्त्री जी।

(पुनः लगातार बोलने पर)

श्री उपाध्यक्ष : Not to be recorded

श्री नत्थासिंह : × × ×

श्री राम किशन : उपाध्यक्ष महोदय....

श्री उम्मेदीलाल : × × ×

श्री राम किशन : उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक निवेदन कर दूं। ये जो भी लोग बोलने वाले हैं, हरिजन सदस्य हैं। उनकी आवाज नहीं दबाई जानी चाहिये। उनको थोड़ा बोलने का समय मिलना ही चाहिये।

श्री उपाध्यक्ष : माननीय मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

श्री उम्मेदीलाल : × × ×

श्री दीपंकर : रामकिशन जी, हमारे दल में यह अव्यवस्था क्यों पैदा करवा रहे हैं ?

श्री नत्थासिंह : × × ×

(अश्रव्य : व्यवधान)

श्री रामकिशन : इन सवर्णों के सामने नहीं चल सकती आपकी। आप गलत पार्टी में चले गये हैं।

एक माननीय सदस्य : यह ठीक है।

श्री रामकिशन : अब पता लगा है न।

× × × अध्यक्ष पीठ के आदेशानुसार अभिव्यक्ति अंकित नहीं की गई।

श्री दीपंकर : आप हमारे सदस्यों को बहका रहे हैं ।

श्री हीरालाल देवपुरा : उपाध्यक्ष महोदय, जो कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये हैं इन मांगों पर उनकी कुल संख्या 238 है जो 71 माननीय सदस्यों ने रखे हैं जिनमें से 18 ने बहस में भाग लिया ।

राजस्थान की सड़कों के बारे में काफी सुझाव माननीय सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र से सम्बन्धित यहां रखे । मैं उन सबके लिए उनको धन्यवाद देता हूं । हम स्वयं चाहते हैं कि वह समय आवे जब कि इन सारे सुझावों के अनुरूप सड़कों का निर्माण राज्य भर में हो जाय ।

लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, हमारी सामर्थ्य सीमित है,हमारे वित्तीय स्रोत सीमित हैं और फिर उपाध्यक्ष महोदय, हमें राजस्थान के ऐतिहासिक और भौगोलिक रूप को भी ध्यान में रखना होगा ।

राजस्थान बनने से पहले इस प्रदेश की क्या स्थिति थी । यह अनेक छोटी मोटी रियासतों में बंटा हुआ भू-भाग था । फिर भी जब राजस्थान बना तब से इन बरसों में हमने काफी रूप इसका बदला है । इस दृष्टि से अगर हम देखेंगे तो स्थिति का सही मूल्यांकन हम कर पावेंगे ।

कई राज्यों से यहां की सड़कों की स्थिति की तुलना की गई इसमें आज भी राजस्थान बहुत नीचे आता है या तो आंकड़े स्वयं लाते हैं । इससे इन्कार नहीं किया जा सकता । लेकिन उनको यह भी साथ साथ देखना होगा कि राजस्थान की भौगोलिक स्थिति क्या है और दूसरे राज्य जिनसे उसका मुकाबला किया जा रहा है उसकी भौगोलिक स्थिति क्या है । राजस्थान का क्षेत्रफल 343300 वर्ग किलोमीटर है । आबादी 2,57,24,142 है । इतने लम्बे चौड़े क्षेत्र में इतनी कम आबादी । इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि यहां आबादी कितनी छितरी हुई है । राजस्थान की जनसंख्या न केवल बिखरी हुई बसी हुई है बल्कि राजस्थान का एक भू-भाग एकदम रेगिस्तानी है और दूसरा एकदम पहाड़ी । रेगिस्तानी और पहाड़ी क्षेत्रों में जब आवागमन के साधन बनाने होते हैं तो निश्चित रूप से सपाट क्षेत्रों के मुकाबले अधिक खर्चा होगा । अधिक समय भी लगेगा । तो इस तरह से हम यह कह कर भी नहीं चल सकते कि पिछले पच्चीस वर्षों में सड़क निर्माण का काम बिल्कुल ही असन्तोषजनक रहा या सन्तोषजनक नहीं हुआ । काफी सीमा तक सन्तोषजनक रहा ।

राजस्थान में 1947 से पूर्व की स्थिति माननीय उपाध्यक्ष महोदय मैं आपके माध्यम से इस सदन में प्रस्तुत करना चाहता हूं । सन् 47 में जब राजस्थान विभिन्न रियासतों में बंटा हुआ था और राजस्थान का एकीकरण हुआ । कुल सड़कें कच्ची और पक्की 1,37,553 किलोमीटर थी उनमें भी पक्की सड़कें 5144 किलोमीटर थी, कच्ची सड़कें 8409 किलोमीटर थी । राजस्थान बनने के बाद इन वर्षों में जो सड़कों का निर्माण हुआ आज 33 हजार 427 किलोमीटर सड़कें विभाग द्वारा बनाई गई हैं और अन्य ऐजेन्सियों के मार्फत जो दूसरी तरह से सड़कें बनती हैं तो कुल मिलाकर राजस्थान में 44 हजार किलोमीटर से ऊपर है उनमें 22,777 किलोमीटर पक्की है और 10650

(श्री हीरालाल देवपुरा)

किलोमीटर सड़कें कच्ची हैं। इससे अन्दाज लगाया जा सकता है कि राजस्थान में सड़कों का निर्माण हुआ है या नहीं।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं पहले ही कह चुका हूं राजस्थान में सड़कें बनी है लेकिन राजस्थान के गांव इतनी दूर दूर के फासले पर है कि जो माननीय सदस्यों की इच्छायें हैं, आकांक्षायें हैं अब तक पूरी नहीं हुई है और मुझे कतई संकोच नहीं है कहते हुए जिस माननीय सदस्य की आकांक्षा है वह निकट भविष्य में पूरी कर सकेंगे, यह सम्भव नहीं होगा। राजस्थान में ही नहीं सारे देश की आर्थिक स्थिति अच्छी तरह मालूम है, जिस तरह की आर्थिक स्थिति से राजस्थान गुजर रहा है, प्रान्त के विकास के लिए प्रायरिटीज तय करनी पड़ेगी। सड़कों पर जितना खर्चा करना चाहते हैं, निश्चितरूप से नहीं कर पायेंगे और जिन माननीय सदस्यों की आकांक्षायें जितने कम समय में माननीय सदस्य पूरा करना चाहते हैं इसमें कहने में मुझे कोई संकोच नहीं है, सदन के सामने स्पष्ट स्थिति लेकर चलना चाहते हैं सड़कें बनाने का प्रश्न और मेंटीनेन्स का सवाल जो यहां पर माननीय सदस्यों ने विचार व्यक्त किये कि राजस्थान की सड़कें दूसरे प्रान्तों की अपेक्षाकृत ठीक नहीं है, चाहे हरियाणा के बोर्डर की बात हो, चाहे पंजाब के बोर्डर की बात हो और चाहे मध्यप्रदेश के बोर्डर की बात हो। जब एक प्रान्त से आते हैं तो ज्योंही राजस्थान में एन्ट्री होती है सड़कें उनके मुकाबले ठीक नहीं मिलती है। मैं इस तथ्य को कुछ हद तक स्वीकार करता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं उपाध्यक्ष महोदय, राजस्थान की सड़कों की मरम्मत में जितने रुपयों की आवश्यकता है, उतना प्रावधान हम प्रति वर्ष नहीं कर पाते हैं। आज जितनी लम्बाई में सड़कें बनी हुई हैं, जो चालू वर्ष चल रहा है—रेगूलर वे में सड़कें हैं उनके लिये 9 करोड़ की आवश्यकता है। उस 9 करोड़ के अगेन्स्ट में 3.96 करोड़, 4 करोड़ समझ सकते हैं, यह मेंटीनेन्स में मिला और जो राजस्थान की आर्थिक स्थिति है उससे अधिक रुपया मिल भी नहीं सकता था। ऐसी स्थिति में यह कहें हमारी सड़कों का मेंटीनेन्स जैसी अपेक्षा करते हैं वैसा सम्भव नहीं हो सकता है। मेन्टीनेन्स करने की कोशिश की, सड़कें ठीक रहे और जो आज राजस्थान में सड़कें बनी हैं उन पर आवागमन चालू है। किसी प्रकार की कोई बाधा नहीं है जिससे यह कहा जा सके कि जो सड़कों का निर्माण किया वह हमारे उपयोग में नहीं आ रहा है।

इस सारी पृष्ठ भूमि में माननीय सदस्य सोचें तो माननीय सदस्यों को शायद यह शिकायत जो मेन्टीनेन्स की की गई है वह नहीं रह सकती है। यहां पर यह भी जिक्र किया गया फ्लड, फेमिन और दूसरी योजनाओं में डी.पी.ए.पी. में बनी हुई सब योजनाओं के अन्तर्गत राजस्थान में सड़कें बनी। एक माननीय सदस्य ने कहा जब ये सड़कें बनी आपका प्लान नहीं था, आपका एस्टीमेट नहीं था, आपकी सर्वे की हुई नहीं थी। उपाध्यक्ष महोदय, प्लान के अन्दर विभाग द्वारा जो सड़कें बनाई जाती हैं उन सड़कों का निश्चितरूप से सर्वे किया जाता है, एस्टीमेट बनाये जाते हैं उसके बाद रेगूलर वे में सेंक्शन होती हैं तब वे सड़कें प्रारम्भ की जाती है।

(श्री हीरालाल देवपुरा)

जहां तक अकाल में सड़कें बनने का प्रश्न है, अकाल कह कर नहीं आता है। यह घटना होती है कि अकाल कब पड़ने वाला है, इसका अन्दाज कभी नहीं लगाया जा सकता है। यह तो एक ऐसा विषय है आइन्दा वर्ष में अकाल पड़ने वाला है और कितने लोगों को राहत में लगाना होगा। जब लोगों को राहत कार्य में लगाने का प्रश्न होता है तो इस सड़क का एस्टीमेट बना हुआ है या नहीं, सड़क का सर्वे किया हुआ है या नहीं, प्रापर एलाइनमेन्ट दिया हुआ है या नहीं, ध्यान नहीं दिया जाता है। प्रश्न केवल यह होता है कि हम लोगों को राहत कार्य पर लगाना होता है और उस स्थिति में तत्काल कार्य प्रारम्भ करना होता है। जो प्लान में बनने वाली सड़कें हैं, उनका एस्टीमेट, उनका एलाइनमेंट, उनका सर्वे हो, यह अपेक्षा करके चलते हैं। वह पूरी नहीं होती है तत्काल काम शुरू करवाना पड़ता है। इस स्थिति से एस्टीमेट बन कर, सर्वे होकर तैयारी नहीं होती है लेकिन जो कुछ काम इन योजनाओं के अन्तर्गत लिया गया उनमें प्राथमिकता अवश्य रखी गई है। लांग रन में जाकर कौनसी चीज आम लोगों के लिए फायदेमन्द हो सकती है और हमेशा के लिए काम की होगी। इस प्रकार की सड़कें राजस्थान में ली है। जहां फेमिन में, क्रैस प्रोग्राम में, डी. पी. ए. पी. में राजस्थान में काफी सड़कें बनी है, आज उन सड़कों को विभाग द्वारा हाथ में लिये जाने की माननीय सदस्यों ने कही कि सड़कें जो पक्की बनी हुई है, जिन पर डामर हो चुकी है वे सड़कें ली जायं। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकती है। मेन्टेन किया जाता रहना चाहिए। उनके बने रहने का उपयोग हमेशा मिलता रहे यह दृष्टिकोण हमेशा होना चाहिए और यह विचाराधीन है कि ये सड़कें जो पक्की बन चुकी है, जिन पर डामर हो चुकी है चाहे फेमीन में बनी हो, चाहे डी. पी. ए. पी. प्रोग्राम में बनी हो, चाहे क्रैस प्रोग्राम में बनी हो उनको विभाग के साथ जोड़ा जाय और जब फाइनल हो जाय तो सड़कों की मरमत की राशि आवंटित कर दी जाय और तब से रेगूलर मेन्टीनेन्स उसी ढंग से जिस हिसाब से लम्बी महत्वपूर्ण सड़कों का होता है उनका भी बराबर होता रहेगा।

अब प्रश्न रहता है, इस प्रकार इन विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत कई सड़कें बन गई जो आज अधूरी पड़ी हुई है, किसी की पुलिया नहीं है, कई सड़कों पर मिट्टी पड़ी है, कई सड़कें कच्ची है, कई सड़कों की साइट पर मेटेरियल पड़ा हुआ है, उनका उपयोग कैसे किया जाय। इसका सीधा सम्बन्ध इस विभाग से नहीं पड़ता है लेकिन मैं निवेदन करना चाहता हूं राज्य सरकार का दृष्टिकोण बराबर यह है कि जो सड़कें प्रायोरिटी के आधार पर प्लान में आ सकती है और चाहे बेसिक मिनिमम नीड प्रोग्राम में आ सकती है, उनको प्राथमिकता में लें, उसका लाभ लें, जो मेटेरियल सड़क पर पड़ा हुआ है, उसका उपयोग करें। यह मैं जरूर निवेदन करूंगा सबकी सब सड़कें माननीय सदस्यों के मन में इस प्रकार की बात ही कि सब की सब सड़कें प्लान में या योजना में लेकर पूरी करदी जाय, यह सम्भव नहीं हो सकेगा। हम सीमित साधनों के साथ जो लक्ष्य ले रहे हैं ढाई

(श्री हीरालाल देवपुरा)

लाख पापुलेशन के गांवों को बेसिक मिनिमम नीड प्रोग्राम के अन्तर्गत पक्की सड़कों से जोड़ा जाय। जो जो सड़कें आ सकेंगी अधूरी बनी हुई हों, चाहे पुलिया अधूरी बनी हुई हो, उन सड़कों को लेकर हम इस प्रोग्राम को पूरा करना चाहेंगे और ऐसा भी हो सकता है ऐसे पोपूलेशन के गांव जोड़े हुए नहीं हों, को भी पूरा करना चाहेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर यह कहा गया इस बेसिक मिनिमम नीड प्रोग्राम के लिए प्रारम्भ में फिफ्थ योजना के प्रारूप के उस समय 1500 की जनसंख्या वाले गांवों को बेसिक मिनिमम नीड प्रोग्राम के अन्तर्गत सड़कों को जोड़ पायेंगे। उसके बाद जब प्लान बना, फाइनेन्शियल दिक्कतें सामने आई तो सोचा गया कि इस पांचवीं पंचवर्षीय योजना में हम 1500 तक की आबादी के गांवों की सड़कों से नहीं जोड़ पायेंगे। उसके बाद 2000 तक की आबादी के आधार पर प्लान में प्रावधान करने की बात चली लेकिन उपाध्यक्ष महोदय जब प्लान को अन्तिमरूप दिया गया और जो भी स्थिति सारे हिन्दुस्तान की रही, यह स्थिति कोई अकेले राजस्थान की नहीं हैं यह सारे देश की स्थिति है—प्लानिंग कमिशन का यह तय किया हुआ फार्मूला है और उसके आधार पर अन्तिम निर्णय जो आज के प्रावधान मिले हैं उसके अनुसार 2500 तक की जनसंख्या के गांवों को सड़कों से जोड़ पायेंगे और यह कार्यक्रम पांचवीं पंचवर्षीय योजना के लिए पांच वर्ष का है। अगले वर्ष से इस कार्यक्रम को हम प्रारम्भ कर रहे हैं और उसमें हमने यह सोचा कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर वहां की कमेटी बने जिसमें वहां के एम० एल० ए० हो, वहां के प्रधान शामिल हों वह मिलकर वहां की प्राथमिकता तय करें। हम उनको अलोकेशन बता सकते हैं कि कितने मिल तक की सड़क हम इस वर्ष में किस डिस्ट्रिक्ट में दे सकेंगे। उसके आधार पर वह अपनी प्राथमिकता निर्धारित कर दे और उसके अनुसार विभाग सारी सड़कों को लेकर काम करना चाहता है। इसमें विभाग अपने मन से तय नहीं करना चाहता है कि कौनसी सड़के ली जायें। जो सड़के ली जायेगी वह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर प्राथमिकता के आधार पर तय होकर आयेंगे और उसी आधार पर उस को हम पूरा कराना चाहते हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, यहां पर फ्लड के अन्दर डेमेजड कुछ पुलों की बात की गयी कि काफी जोर का फ्लड आया गत वर्ष और काफी सड़कों का नुकशान हुआ और उसमें जो इम्पारटेन्ट पुल थे वह टूटे, आवागमन के साधन अवरुद्ध हो गए, ऐसी स्थिति हो गयी। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने जब फ्लड के बारे में इस सदन में विचार किया गया था तब इस बात के बारे में यह स्पष्ट बताया था कि फ्लड डेमेजेज सड़कों की दृष्टि से जो भी हुए है उनको ठीक कराने के लिए तत्काल भारत सरकार ने हमें सहायता दी और उसमें हमें जरूरत तो काफी थी लेकिन 350 लाख के जो एस्टीमेट्स बनाये गये उसके अगेन्स्ट में हमें इस वर्ष 165 लाख रुपये सड़कों के निदान के लिए मिले हैं। इस 165 लाख रुपये से जिन जिन जिलों में फ्लड आये हैं उसमें इन पैसों का विभाजन किया गया है। और फ्लड डेमेज्ड रोड्स हैं उनको रिपेयर्स प्रारम्भ की गयी। आज मैं कह सकता हूं कि उसमें से काफी सड़कें ठीक हुई हैं.....

श्री नत्थासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, फ्लड की सड़कों पर भरतपुर में 42 लाख रुपया लगाना था यह नहीं लगाया।

श्री हीरालाल देवपुरा : यह बात मैं कर रहा हूं 72 में आये फ्लड की ओर भरतपुर में 72 के पहले की बात कर रहे हैं। इस पैसे में वह नहीं है और वह अलग से पैसा है।

तो जो फ्लड में पैसा आया और जिन जिलों में फ्लड आया और सड़कों का नुकसान हुआ वहां की आवश्यकताओं के अनुसार इस पैसे को हमने दिया है और सड़कों की रिपेयर्स के काम चालू किये है। काफी रिपेयर्स की जा चुकी है और अभी भी वहां की सड़कों की रिपेयर्स का काम चालू है। अगले वर्ष में 165 लाख रुपया जो 150 लाख के अगेन्स्ट में था वह आने पर सड़कों का काम पूरा किया जायेगा।

इसमें जो ब्रिजेज टूटे हैं वह भी शामिल हैं। उसमें कई ब्रिजेज का काम प्रारम्भ किया जा चुका है और कुछ का काम अगले वर्ष में प्रारम्भ करेंगे। कुछ ब्रिजेज बहुत बड़े हैं जिनको अगले वर्ष तक पूरा नहीं करा पायेंगे लेकिन काफी ब्रिजेज ऐसे हैं कि जिनको हम इस वर्ष से पहले पूरा करा देंगे जिससे आवागमन के साधनों में रुकावट नहीं होगी।

माही प्राजेक्ट का बहुत बड़ा पुल है और उसको अगले वर्ष पूरा नहीं करा पायेंगे क्योंकि उस ब्रिज के बारे में जो अभी कमेटी ने जांच करके रिपोर्ट दी उसके आधार पर वह फाइनल नहीं हो पाया कि किस तरह का पुल बनाना पड़ेगा लेकिन फिर भी उस पुल पर हमने अभी काम प्रारम्भ कर दिया है, उसकी साइड में काम प्रारम्भ हो गया और जहां जहां से पानी सूखा है पिलर्स का काम प्रारम्भ कर दिया है। तो वह पुल भी बहुत जल्दी बनाने के प्रयत्न में हम हैं।

जहां तक कोटा के पुल का सवाल है उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में इस संबंध में एक प्रश्न भी पूछा गया था। उस समय भी मैंने स्पष्ट निवेदन किया था कि जो कोटा का पुल है उसके महत्व को देखते हुए उसको हम बहुत जल्दी पूरा कराना चाहते हैं। इस पुल की भी कमेटी के माध्यम से जांच हुई थी कि क्या इसकी रिपेयर करा कर इसके ऊपर से ट्रेफिक पास कराया जा सकेगा। तो उस कमेटी ने रिपोर्ट दी है कि इस पुल की रिपेयर करके फिलहाल ट्रेफिक पास कराया जा सकेगा लेकिन हमेशा के लिए यह कहा है कि यह पुल कारगर नहीं हो पायेगा। तो हमने तत्काल इस समस्या के समाधान के लिए इस पुल पर रिपेयर्स प्रारम्भ कर दी है। ठेके का कान्ट्रेक्ट हो चुका है, वर्क आर्डर दिया जा चुका है और मुझे जानकारी ऐसी है कि वर्क शुरू हो गया है लेकिन एक माननीय सदस्य कहने लगे कि काम शुरू नहीं हुआ तो वह काम शुरू होने वाला है। जो रिपेयर्स करनी हैं वह जून तक पूरी करके ऊपर ट्रेफिक पास कर दिया जायेगा और अगली बरसात में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होने वाली है।...

श्री रामकिशन : मंत्री जी यह कान्ट्रेक्ट का ठेका क्या होता है ?

श्री हीरालाल देवपुरा : ठेके का कांट्रेक्ट नहीं कहा। ठेका याने कान्ट्रेक्ट। तो मैं माननीय महोदय, यह निवेदन कर रहा था कि इस प्रकार के जो महत्वपूर्ण पुल हैं उनको राज्य सरकार जल्दी से जल्दी

(श्री हीरालाल देवपुरा)

पूरा करना चाहती है लेकिन कई दिक्कतें इसमें भी हैं। कई पुलों का जिक्र किया गया जो अब तक नहीं बन पाये हैं। इन्टर-स्टेट पुलों का जिक्र किया गया। मध्यभारत और राजस्थान के बीच में आने वाले पुल का जिक्र किया गया। बनास नदी के ऊपर जो पुल बना हुआ है टोंक के पास उसका यहां जिक्र किया गया। उपाध्यक्ष महोदय, इन सब पुलों के बारे में विभाग ने अपनी तरफ से पूरे एस्टीमेट्स वगैरह बनाकर कि किस प्रकार के यह पुल बनने चाहिए हमने इसको भारत सरकार को भेजा है और वहां से ज्योंही इसमें धनराशि अलाट होगी हम उस पुलों को लेना चाहते हैं इन पुलों में कुछ तो ऐसे हैं कि एक सड़क का जिक्र किया जयपुर से टोंक, देवली, बूंदी झालावाड़ होते हुए मध्यप्रदेश जाती है कि जिसको नेशनल हाईवे डिक्लेयर कराया जाये ...

श्री रामगोपाल : कोटा से शिवपुरी।

श्री हीरालाल देवपुरा : इस सम्बन्ध में विभाग की तरफ से कार्यवाही चल रही है उस कार्यवाही के आधार पर इसी कारण इन पुलों को अभी विभाग की तरफ से प्रारम्भ नहीं किये। यह सड़क नेशनल हाईवे के रूप में परिणित कर दिया जायेगा। इसको जब नेशनल हाई-वे बना दिया जायेगा तो उसी नेशनल हाईवे के स्पेसिफिकेशन के हिसाब से पुल बनाना होगा और उस पर सारा पैसा भारत सरकार से मिल सकेगा। तो हम आशा करके चलते हैं कि इस पांचवीं पंचवर्षीय योजना में इन सड़कों को नेशनल हाईवे दिखा कर इन पुलों के ऊपर भी बनास का पुल भी आता हैं, कोटा से आगे चम्बल का पुल भी आता है ... ...

श्री निरंजननाथ आचार्य : कुरज के बनास का पुल भी आता है इसमें।

श्री नत्थासिंह : गम्भीरी नदी के पुल का और बतायें।

श्री हीरालाल देवपुरा : तो इस प्रकार के पुलों को लेने का विभाग के ध्यान में है। यह नहीं कहा जा सकता कि विभाग इस बारे में सोच ही नहीं रहा है।

इसके अतिरिक्त कुछ और इम्पारटेन्ट पुल जिनके बारे में यहां जिक्र किया गया उपाध्यक्ष महोदय उन पुलों के बारे में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार के कुछ पुल जो हम अगली साल से ले रहे हैं, कुछ काम शुरू कर दिये हैं और कुछ का अब होने वाला है वह है। एक पुल है बनास का, दोना-सवाई माधोपुर रोड़ पर उसके लिए तीस लाख रुपया हमने स्वीकार किया है। दूसरा पुल है गम्भीरी नदी पर, बयाना बरेठा रोड़ पर और तीसरा पुल हैं गंभीरी नदी पर हिंडौन बयाना फतेहपुर-सीकरी रोड पर ......

श्री रामकिशन : इसमें माननीय मंत्रीजी मैं आपको जानकारी दे दूं कि जिन दो पुलों का आपने हवाला दिया है वे इस उद्देश्य से रखे गए हैं कि इण्टर स्टेट बन जायेंगे, तब तक आप इनको पूरा नहीं करेंगे सवाई माधोपुर वालों को फायदा मिलने वाला नहीं है ...

श्री हीरालाल देवपुरा : वह मैं आपको बता रहा हूं –

श्री रामकिशन : आप उनको लें यह आपकी मर्जी है लेकिन मैं आपको

(श्री रामकिशन एवं श्री हीरालाल देवपुरा के एक साथ बोलते रहने से अश्रव्य)

श्री हीरालाल देवपुरा : मैं उन पुलों की बात कह रहा हूं जिन पुलों को हमने हाथ में लिया है। जो मैंने आपको अभी बताया उसके अतिरिक्त ऐसे लिये हैं जो मुख्य पुल हैं और जिनके लिए राज्य सरकार ने प्रावधान किया है। इसके अलावा करौली से सरमथुरा वाला पुल जो धौलपुर को जोड़ने वाली सड़क पर है और जिसके लिए कहा गया है कि यह आवश्यक है। उस सड़क पर भी काम प्रारम्भ कर दिया गया है। इस सड़क पर नौ पुल बनने वाले हैं और उन नौ पुलों के लिए स्वीकृति दी है और उनका काम भी हम प्रारम्भ कर चुके हैं।

तो इस प्रकार, उपाध्यक्ष महोदय, विभाग इस मामले में सतर्क है कि इस प्रकार की जो इम्पोरटेंट रोड्स हैं उन रोड्स को और उनके पुलों को शीघ्र बनाया जाय।

इसके अलावा उपाध्यक्ष महोदय, कुछ छोटी 2 सड़कों के बारे में माननीय सदस्यों ने अपने क्षेत्र के बारे में बताया है, जो उनके क्षेत्र तक ही सीमित हैं, उनके लिए मैं निवेदन कर सकता हूं कि जो बेसिक नीड प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के आधार पर हम उनको प्राथमिकता के आधार पर अपने हाथ में लेंगे और उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, जयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर प्रारम्भ में बोलते हुए टोंक फाटक पर बनने वाले रेल्वे ओवर ब्रिज की बात कही और उन्होंने विभाग पर चार्ज भी लगा दिया कि राजस्थान के पी. डब्ल्यू. डी., वर्क्स डिपार्टमेंट की शिथिलता के कारण वह पुल नहीं बन पाया है और उन्होंने उसमें कई घोटालों की बात भी कहीं। उन्होंने यह भी कहा कि इसमें जो कुछ मेटेरियल यूज किया जाता है वह मेटेरियल स्टेन्डर्ड से नीचे हैं, वह पुल टिक नहीं सकेगा. कभी बन नहीं सकेगा। पता नहीं उन्होंने किस आधार पर किस प्रकार से वे बातें कहीं। वे इमोशन में आकर बोल गए और उन्होंने विभागीय अधिकारियों पर चार्जेज भी लगा दिए। मैं उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से उन माननीय सदस्य से निवेदन करना चाहता हूं कि कभी भी कोई बात कहें तो गहराई से सोच कर, उनके तथ्यों की पूरी जानकारी करके कहें तो ज्यादा अच्छा रहेगा बनिस्वत इसके कि कोई भी जानकारी हो, सही हो या नहीं हो, इस सदन में कह दें, यह उचित नहीं हो सकता। उपाध्यक्ष महोदय टोंक फाटक पर जो ओवर ब्रिज बन रहा है वह ब्रिज रेल्वे की तरफ से कुछ तो सेंक्शन समय पर जारी नहीं करने से डिले हुआ है। शुरू में ब्रिज की सेंक्शन हो चुकी तो विभाग ने तत्परता से काम करवाया और जो साइड में काम राजस्थान पी. डब्ल्यू. डी. को करना था वह काम कर दिया गया। जो ओवर ब्रिज जिसके नीचे से रेल्वे लाईन जाने वाली थी वह रेल्वे को पूरा करना था, विभाग को पूरा नहीं करना था। वह ओवर ब्रिज का काम इसलिए रुका कि रेल्वे ने पहले उस ब्रिज के नीचे पांच मीटर गेज की लाईनें निकल सके उस हिसाब से रखा था लेकिन बाद में उन्होंने अपना विचार बदला और उन्होंने कहा कि छः ब्रोड गेज की लाईनें जिसके नीचे से निकल सके वैसा पुल बनाने की बात उन्होंने कही। तो मैं तो यह कहूंगा कि आज विभाग ने जो

(श्री हीरालाल देवपुरा)

पुल बनाया, जो डिजाइन बनाया रेल्वे ने उसको अप्रूव किया जो पांच मीटरगेज की लाइनें निकल सके उसके लिए पुल का डिजाइन था उसकी जगह छः ब्रोडगेज की लाइनें निकल सके उसके लिए भी पर्याप्त समझ कर वहां पर अब रेल्वे ने काम प्रारम्भ कर दिया है। वहां भी विभाग की सतर्कता की बात रही है। इसमें विभाग की शिथिलता नहीं रही और न किसी प्रकार की डिले की बात कहीं जा सकती है। जहां तक इसमें जो मेटिरियल यूज किया गया है, उसके बारे में कहा गया तो उसके लिए भी हमने पूरी जांच कराई है। हमारे मालवीय इंजिनियरिंग कालेज के जो प्रोफेसर है संबंधित उन्होंने उस मेटिरियल की जांच की है और जांच करने के बाद उन्होंने रिपोर्ट के आधार पर यह बताया है कि यह मेटिरियल बिलो स्टेन्डर्ड नहीं बल्कि अब व स्टेन्डर्ड यूज किया गया है। इसलिए यह कहना कि इसमें घोटाले हैं और मेटिरियल खराब यूज किया गया है, यह बिल्कुल निराधार है। न इसकी शिकायत रेल्वे की तरफ से हुई है और न किसी और तरफ से शिकायत हुई। केवल यहां पर यह कह कर कि समय पर पुल नहीं बन पाया इसलिए लोगों को यह भ्रम हुआ कि सम्भवतः यह यहां की पी. डब्ल्यू. डी. ने काम नहीं किया इसलिए समय पर पुल नहीं बन पाया लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि पी.डब्ल्यू.डी. तो एक एजेंसी है जो अपना काम पूरा कर चुकी है लेकिन रेल्वे के द्वारा पुल बनाया जाना है और उनके आदेश से ही काम किया गया है। मैं उपाध्यक्ष महोदय, स्पष्ट रूप से निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो टोंक फाटक का पुल आज बन रहा है और उसमें जो डिले हुई है वह डिले राजस्थान के पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट के कारण नहीं हुई है वह डिले रेल्वे ने जो अपना विचार बदला उससे हुई है। पहले उन्होंने स्वीकृति दी की पांच मीटर गेज की लाइनें उसके नीचे से निकल सके उस हिसाब से स्वीकृति दी लेकिन बाद में छः मीटरगेज की लाइनें निकल सके इस प्रकार का पुल बनाने का उन्होंने विचार किया। तो यह बात उनके सोचने की थी। उन्होंने ज्योंही स्वीकृति दी, विभाग की तरफ से किया जाने वाला काम पूरा करा दिया गया है। अब तो रेल्वे की तरफ से भी काम प्रारम्भ कर दिया गया है और वह काम भी चल रहा है और वह पुल भी बन रहा है।

तो उपाध्यक्ष महोदय, मोटे रूप में जो जो भी बातें यहां पर सड़कों के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने प्रस्तुत की उनके बारे मे मैंने पाया कि कई माननीय सदस्यों के उत्तर में यहां पर दे नहीं सकूंगा और इसलिए जैसा कि सिचाई विभाग की डिमाण्ड के समय मैंने निवेदन किया था कि उनके उत्तर लिख कर मैं उनके पास भिजवा दूंगा इनके उत्तर भी उनके पास भिजवा दूंगा। वे समस्यायें अपने क्षेत्र तक सीमित हैं और उनका उत्तर देना मेरे लिए अभी सम्भव भी नहीं हो सकेगा।

श्री दीपंकर : जोधपुर डिविजन के लिए भी कुछ कहिए।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

श्री हीरालाल देवपुरा : इसके अतिरिक्त कुछ माननीय सदस्यों ने भवनों के बारे में कुछ बातें कहीं। स्कूल बिल्डिंग्स के बारे में, कहीं पंचायत समितियों के भवनों के

(श्री हीरालाल देवपुरा)

बारे में, कुछ प्राइमरी हैल्थ सेन्टर्स के बारे में कुछ बिल्डिगें अधूरी पड़ी हैं और पूरी नहीं हुई हैं उस बारे में कहा।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सम्बन्ध में मुझे इतना ही निवेदन करना है कि यह जो भवन विभिन्न विभागों के बनते हैं उसमें पी.डब्ल्यू. डी. तो केवलमात्र एक एजेन्सी ही रहती है। स्वीकृति देना विभाग पर है, उसकी धन-राशि देना विभाग पर है, जिस दिन भी विभाग हमें पी. डब्ल्यू. डी. के उस भवन को पूरा करने की धनराशि उपलब्ध कर देगा तत्काल पूरा करवा दिये जायेंगे।

उपाध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने विभाग के अधिकारियों पर कुछ भ्रष्टाचार के चार्जेज की बात भी की है। विभाग ने भ्रष्टाचार की दृष्टि से जब जब भी विभाग के स्पेसिफिक मामले विभाग के सामने आये हैं विभाग ने इन पर तत्परता से कार्यवाही की है, कहीं पर ढिलाई नहीं बरती है। आज भी मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि कोई भी इस सम्बन्ध में माननीय सदस्य स्पेसिफिक इन्फार्मेशन देंगे, किसी पर्टीक्यूलर आफिसर ने किसी जगह पर कोई गड़बड़ी की हो, पर्टीक्यूलर आफिसर ने किसी जगह पर गबन किया हो, भ्रष्टाचार किया हो तो राज्य सरकार कहीं पर भी किसी तरह से भी कार्यवाही करने में नहीं झिझकेगी और सख्त से सख्त जो भी उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए वह एक्शन लेगी। लेकिन स्पेसिफिक बात सामने नहीं लाकर आमतौर पर एक बात कह दें तो उससे मैं समझता हूं कि कोई परपज पूरा होने वाला नहीं है और जो चीज आप मिटाना चाहते हैं वह मिटने वाली नहीं है। जब भी स्पेसिफिक बातें सामने आती तो विभाग द्वारा तुरन्त की जाती है और आज भी जो स्थिति है इस सम्बन्ध में वह मैं बता देना चाहता हूं (विराम)...

श्री उपाध्यक्ष : दूसरे मन्त्रीजी भी बोलने वाले।

श्री हीरालाल देवपुरा : सन् 1973 में 9 गजेटेड आफिसर और 38 नॉन गजेटेड आफिसरों के खिलाफ कार्यवाही चल रही है तो यह बात नहीं है कि विभाग के अन्दर कार्यवाही नहीं चल रही है या कोई सस्पेंड नहीं है। जो जो भी स्पेसिफिक मामले विभाग के सामने आए हैं उस पर विभाग हमेशा से कार्यवाही करने के लिए तैयार रहा है और भविष्य में भी वह इस सम्बन्ध में जो भी इस प्रकार के मामले आयेंगे उन पर कार्यवाही की बात रहेगी...

श्री केशरीसिंह : किसी के खिलाफ इन्क्वायरी कराते हैं तो वे उसमें शामिल नहीं होते हैं...

श्री हीरालाल देवपुरा : क्या फ़रमाया आपने, मैं समझा नहीं।

श्री केशरीमल : इस डिपार्टमेंट के अन्दर ऐसे आफिसर्स हैं जिनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं और उनके खिलाफ इन्क्वायरी भी शुरू की गई लेकिन वे लोग इन्क्वायरी में हिस्सा नहीं लेते, इन्क्वायरी होने नहीं देते, फाइलें गायब हो जाती है।

श्री हीरालाल देवपुरा : आप स्पेसिफिक बतायेंगे तो उस पर कार्यवाही करेंगे कोई ना नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि इस विभाग में खामियां हैं और उनको दूर करना है। लेकिन हम

(श्री हीरालाल देवपुरा)

उनकी खामियां ही खामियां देखें और विभाग जो कुछ काम कर रहा है उसको नहीं देखें तो मैं समझता हूं कि वह विभागीय अधिकारियों के प्रति न्याय नहीं होगा। जो गत वर्ष में फ्लड आया था राजस्थान में और सिंचाई विभाग के कर्मचारियों ने जितनी तत्परता से कार्य किया अगर वह काम नहीं होता तो राजस्थान में जो नुकसान हुआ उससे कहीं ज्यादा नुकसान हो गया होता। तो इस बात की भी हमको सराहना करनी चाहिए ठीक इसी प्रकार से फ्लड के बाद जिन सड़कों का नुकसान हुआ, जो मार्ग अवरुद्ध हो गये, जिनके रास्ते एकदम से रुक गये थे वहां पर तत्काल काम कर के, पी. डब्ल्यू.डी. के अधिकारियों ने वे रास्ते खोले हैं। उन कठिन परिस्थितियों में इन अधिकारियों ने वहां पर कार्य किया है जहां पर कि लोगों का जाना मुश्किल था। तो इस बात को भी हमें नहीं भूलना चाहिये। जहां माननीय सदस्यों ने विभाग की कमियां बतायी हैं, वहीं विभाग ने अच्छे काम भी किये हैं। इस पर भी माननीय सदस्यों को कहना चाहिये ताकि विभाग के अधिकारियों का हौसला बढ़े और वे आगे भी इसी तरह से काम में रुचि लें। इस प्रकार हमें उनको प्रेरणा देनी चाहिये। मैं इन्हीं शब्दों के साथ उपाध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि लोक निर्माण विभाग की जो तीन मांगें प्रस्तुत की गई हैं, उनको स्वीकार किया जाये।

श्री नत्थासिंह : उपाध्यक्ष महोदय, भरतपुर में हुए भ्रष्टाचार के बारे में मैंने कहा था। वहां 82 लाख में से 10 लाख का भी काम नहीं हुआ है। पहले भी विधान सभा में पूछा था लेकिन आपने नहीं बताया है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : आपके विभाग के अन्दर डी. पी. जैन का केस एन्टीकरप्शन ने पकड़ा है। आप मुस्तैदी से इस केस में पहल करें जिसमें हजारों लाखों रुपयों का गबन है। यह बात साबित हो चुकी है परन्तु अभी तक आपने चालान नहीं किया है।

श्री हीरालाल देवपुरा : अगर एन्टीकरप्शन ने इनवेस्टीगेशन किया है तो वह कार्यवाही करेगा। मेरे सामने ऐसी बात नहीं आयी है।

श्री भानुकुमार शास्त्री : यह गवर्नमेंट के पास पेंडिंग है।

श्री हीरालाल देवपुरा : एन्टीकरप्शन में साबित हो गया है तो वे अपने आप कार्यवाही करेंगे।

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज। श्रम मंत्री जी।

श्री रामकिशन : उपाध्यक्ष महोदय,

श्री उपाध्यक्ष : टाइम नहीं है। नियमों में प्रावधान है। आप जैसे सदस्यों के लिए दिक्कत नहीं है।

श्री रामकिशन : पांचवी पंचवर्षीय योजना में यह तय हो गया है कि क्षेत्रीय असन्तुलन को पूरी तरह से समाप्त किया जायेगा। सिंचाई विभाग, बिजली विभाग, और पी. डब्ल्यू. डी. ये तीनों विभाग आपके पास हैं और आप रहने वाले उदयपुर के हैं। उदयपुर में इस वक्त 3303 किलोमीटर सड़कें बन चुकी हैं जबकि राज-

(श्री रामकिशन)

स्थान के अन्य जिलों में इतनी सड़कें नहीं हैं। इसलिए क्या आप यहां वायदा करेंगे कि आगे क्षेत्रीय असन्तुलन को नहीं बढ़ाएंगे?

श्री उपाध्यक्ष : आप तशरीफ रखिये।

माननीय श्रम मंत्री जी।

श्री मोहनलाल छंगाणी (श्रम मंत्री) : उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने 95 कटौती प्रस्ताव दिये हैं। इसके लिए मैं उनको धन्यवाद देता हूं। वैसे आज की सारी बहस में जो सबसे बड़ी बात शायद थी, वह थी, अन आर्गेनाइज्ड लेबर की। आर्गेनाइज्ड लेबर की हमारे राजस्थान में जो यूनियनें हैं वे सिर्फ चार परसेन्ट हैं। उसके बारे में डिमान्ड आती है और इसके बारे में सारा का सारा व्यापार चलता है। उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सम्माननीय सदस्यों को निवेदन करूंगा कि जो भी आज आर्गेनाइज्ड लेबर की यूनियनें बन चुकी हैं और उनका विस्तार भी हो चुका है फिर भी एक बहुत बड़ा तबका जो कि 96 परसेन्ट है, वह बहुत बड़ा मजदूर तबका आज भी सामने नहीं आया है। उसकी आवाज भी इस सदन के अन्दर आनी चाहिये। उसकी समस्या भी इस सदन के अन्दर आवे। वैसे राज्य सरकार इस सम्बन्ध में आश्वस्त है और कोशिश करेगी कि सिर्फ आर्गेनाइज्ड लेबर को ही सारा का सारा फायदा न मिल जाये, बल्कि जो अन आर्गेनाइज्ड लेबर है वह भी इसमें शरीक हों।

उपाध्यक्ष महोदय, हमारे यहां पर कुल 1011 ट्रेड यूनियनें रजिस्टर्ड हैं और कुल ऑर्गेनाइज्ड लेबर 1 लाख 10 हजार है जिसमें से 90 हजार तो फैक्टरी मजदूर हैं और 20 हजार माइन्स वर्कर्स हैं। रजिस्टर्ड यूनियनों की सदस्य संख्या 1 लाख और कुछ हजार है और परसेन्टेज, ऑर्गेनाइज्ड लेबर का 5.3% है। इन परिस्थितियों से लेबर मूवमेंट, मजदूर आन्दोलन गुजर रहा है। मेरा खयाल है, उपाध्यक्ष महोदय, इस ओर मजबूती से कदम नहीं उठाया गया है। और इसी कारण से यह लेबर अन्य लेबर के मुकाबले में जो कि ऑर्गेनाइज्ड हैं उनसे पिछड़ जाएगी। जो शहरों में लेबर हैं वे हड़तालों के जरिये, यूनियनों के जरिये अपनी डिमान्ड पूरी करवा लेती हैं और उनकी डिमान्ड को मान्यता मिल जाती है। परन्तु जो तबका अन आर्गेनाइज्ड है वह आर्गेनाइज्ड नहीं होने के कारण हमारी इकोनोमी की स्ट्रीम से अलग पड़ जायेगा। उपाध्यक्ष महोदय, वैसे हमने इस साल बहुत बड़े बड़े निर्णय लिये हैं। श्रममन्त्रालय को पूरा का पूरा रिआर्गेनाइज कर रहे हैं और जो श्रमिक कानून है उनमें भी संशोधन करने जा रहे हैं कि ऐसा कानून बनाया जावे ताकि महंगाई का फायदा मजदूरों को मिल सके। उपाध्यक्ष महोदय, ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य ने यहां पर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न उठाये हैं। उनका पहला प्रश्न था वेज पोलिसी के बारे में। वैसे माननीय सदस्य को मालूम है कि वेज पोलिसी के बारे में भारत सरकार व्यस्त है कि इस तरह का कोई फार्मूला इन्वोल्व हो ताकि मजदूरों में कोई असन्तोष पैदा न हो। हमने भी सबसे पहले माथुर कमेटी बिठायी थी और उसने एक फार्मूला बनाया था। वह यह था कि जब भी प्राइज इन्डेक्स में एक परसेन्ट का इन्क्रीज हो, 60 पैसा का इन्क्रीज दिया जाये। माथुर कमेटी की सिफारिश को बहुत सारी फैक्टरियों ने मान लिया है। आज जो

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, 250 मीनीमम वेजेज होना चाहिये। माथुर कमेटी की सिफारिश के अनुसार आज के प्राइज इन्डेक्स के अनुसार मीनीमम 151 होना चाहिये। उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं आज जहां भी फैक्टरियां हैं, जहां भी यूनियन हैं, जहां भी लेबर डिपार्टमेंट इन्टरवेन्शन कर सकता है, जहां भी समझौता अधिकारी जा सकता है उन सब ने इसको स्वीकार किया है और उसमें 151 से भी अधिक यह वेजेज पड़ता है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके बावजूद भी हमारी लेबर एडवाइजरी कमेटी ने निर्णय लिया है कि एक कमेटी कांस्टीट्यूट की जाये जो सारे के सारे वेजेज स्ट्रक्चर को देखे कि इसको किस तरह से महंगाई के साथ जोड़ा जाये। हम दो-तीन दिन में ही बहुत बड़े इकोनोमिस्ट को चेयरमैन के रूप में इस कमेटी में नियुक्त करने जा रहे हैं। इसके लिए हमने सारी की सारी यूनियनों को लिखा है, जो भी और तबका होगा, हम उसको लेंगे, मीनीमम वेजेज और जो भी आपके सवाल हों वे इस कमेटी को रेफर करें। वह कमेटी इसके बारे में सर्वे करे और वेज पोलिसी के बारे में कोई न कोई मुकम्मिल निर्णय करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, आज हम मीनीमम वेजेज के अन्दर 30 रोजगारों को ले चुके हैं और जब भी कमेटी का निर्णय होगा, आप और रोजगार लेना चाहेंगे, उनको लेने के लिए हम तैयार हैं। सरकार का यह भी निर्णय है कि जो भी ट्रेड यूनियन के रिप्रजेन्टेटिव हैं, उनके लीडर को इसमें शरीक किया जाएगा। उपाध्यक्ष महोदय, समझौता नीति के सरलीकरण के लिए भी प्रभावपूर्ण कदम उठाये गये हैं। जयपुर में एक सहायक श्रम अधिकारी की नियुक्ति की गई है। और यह भी निर्णय लिया गया है कि कोटा, जोधपुर, उदयपुर में श्रम कल्याण अधिकारी जो समझौता वार्ता कराने के लिए लगातार प्रयास करेंगे, नियुक्त किये जा रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए भी निर्णय लिया गया है और ब्यावर से आने वाले माननीय सदस्य भी उस मीटिंग में मौजूद थे। क्योंकि समय कम है इसलिए डिटेल्ड में तो नहीं कह सकूंगा। श्रम विभाग की जो इनफोर्समेंट मशीनरी है उसके पुनर्गठन के बारे में भी सवाल उठाया गया है। हम इसका पुनर्गठन कर रहे हैं। उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा जो सवाल था वह यह था कि स्टेन्डिंग आर्डर का रिवीजन होना चाहिये। वह काफी पुराना है। आज की बदली हुई परिस्थितियों में उसका रिवीजन होना चाहिये वरना लेबर को नुकसान होने वाला है। उपाध्यक्ष महोदय, इसके लिए भी अनाउन्स करता हूं। एक स्टेन्डिंग कमेटी का। जो स्टेन्डिंग आर्डर है उसके रिवीजन के लिए एक कमेटी का निर्माण हो चुका है। यह कमेटी शीघ्र ही काम में जुट जाएगी। सारे के सारे जो इंडस्ट्रियल यूनिट हैं, जो भी धंधे हैं, उनमें कमेटी डीप में जाएगी और इस तरह से स्टेंडिंग आर्डर निकाला जाएगा जो कि मजदूरों के हितों की रक्षा कर सके। इस तरह से स्टेंडिंग आर्डर का शीघ्र ही निर्माण होगा।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा जो प्रश्न उठाया था वह प्रश्न था हाउसिंग के बारे में। मैं हाउसिंग के बारे में डिटेल में जाना चाहता था। यह सही है कि हाउसिंग के बारे में हमारी प्रगति धीमी रही। इसका मुख्य

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

कारण यह है कि पहली पंचवर्षीय योजना में, दूसरी पंचवर्षीय योजना में, तीसरी पंचवर्षीय योजना में और चौथी पंचवर्षीय योजना में जितना पैसा मिलना चाहिए था उतना नहीं मिल पाया है। इस पांचवीं पंचवर्षीय योजना में हमने डेढ़ करोड़ का प्रावधान रखा है जिसमें से 1 करोड़ 20 लाख इन्डस्ट्रियल हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी को दिया जायेगा, और बाकी का जो पैसा है वह जो भी मैनेजमेंट वहां पर हाउसेज का निर्माण कराना चाहें उनको सबसिडी, अनुदान या किसी तरह की ग्रान्ट के रूप में देंगे। इसलिए, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं सदस्यों से निवेदन करना चाहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा इन्डस्ट्रियल हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाना चाहें उसके लिए इस प्रावधान का फायदा उठावें। जो औद्योगिक नगर हैं वहां पर बनाना चाहें उनको पहलगर्दी (पहल) शीघ्र ही शुरू कर दें।

दूसरे माननीय सदस्य ने सवाल उठाया था कि जहां पर इन्डस्ट्रियल कालोनीज बनी हैं वहां पर एमेनिटीज चाहे वह स्कूल हों या दूसरी हों वह नहीं मिल पाती है। स्कूल का महकमा हमारा नहीं है। लेबर डिपार्टमेंट इसमें पहल करना चाहते हैं, लेकिन, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां पर इन्डस्ट्रियल कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी खोलें और उनको लैण्ड की आवश्यकता है तो लैण्ड देंगे। उस लैण्ड पर चाहे मजदूर निर्माण करें चाहे एज्यूकेशन डिपार्टमेंट से मिल कर स्कूल खुलवाय, यह उनका काम है। फिर भी मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि लैण्ड उनको भी दिया जायगा।

उपाध्यक्ष महोदय, ई० एस० आई० की स्कीम के बारे में मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि हमने 3-4 महीनों में इसको सम्हालने की कोशिश की है। कल-परसों एक चिट्ठी आई है कि उन्होंने लेबर डिपार्टमेंट ने यह स्वीकार कर लिया है कि इसको चलाने के लिए एडिशनल डाइरेक्टर रख सकते हैं। वहां दवाइयों के बारे में माननीय सदस्यों को पता होगा कि हमने यहां ई० एस० आई० हास्पिटल में अपनी दुकान खोल रखी है। रिएम्बर्समेंट के फीगर्स नहीं देता हूं, लेकिन जो बिल आते हैं उनका टाइम दिया है एक बिल के पास करने के लिए, कि कब पेमेंट हो तो मैं जानकारी दे सकता हूं कि कितना किया है। दवायें मिलनी शुरू हुई हैं। एडिशनल डाइरेक्टर के बाद जो भी सुधार होना संभव होगा, वह किया जायेगा।

प्रोविडेन्ट फन्ड के बारे में यह सही है कि मजदूरों को बड़ी दिक्कत होती है। उन दिक्कतों के बारे में मैंने जो सेन्ट्रल के मिनिस्टर हैं श्री रघुनाथ रेड्डी उनके सामने सवाल उठाया था कि इसको हल किया जाय। राजस्थान सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती है क्योंकि प्रोविडेन्ट फण्ड सेन्टर के जिम्मे है। प्रोविडेन्ट फण्ड जब मजदूर रिटायर होता है तो उसको पाने में बहुत देरी होती है और कम्पनियां तो दिवाला तक निकाल देती हैं और प्रोविडेन्ट फण्ड डूब जाता है। यह सारी की सारी दिक्कत मजदूर को भुगतनी पड़ती है। इसके बारे में जब लेबर कान्फ्रेंस हुई थी तो हिन्दुस्तान के सभी मिनिस्टरों ने सवाल उठाया था, और

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

मैंने भी सवाल उठाया था कि प्रोवीडेन्ट के पेमेन्ट के मामले का जल्दी से जल्दी हल किया जाय और ऐसा तरीका ईजाद किया जाय जिससे मजदूरों को दिक्कत न हो। फिर भी मैं, उपाध्यक्ष महोदय, निवेदन करूंगा कि सेन्ट्रल गवर्नमेंट को लिखा है और सेन्ट्रल गवर्नमेंट के लेबर मिनिस्टर रघुनाथ रेड्डी साहब को भी कहा है। जल्दी से जल्दी इसके बारे में निर्णय होने वाला है। यह हमारे राजस्थान का ही मामला नहीं है, यह सारे हिन्दुस्तान का मामला है, वह चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वेस्ट बंगाल हो, चाहे केरल हो। प्रोवीडेन्ट के बारे में निर्णय शीघ्र ही होने वाला है और वह फैसला कर रहे हैं। इस बारे में निर्णय ले रहे हैं।

उपाध्यक्ष महोदय, दूसरा जो सवाल उठाया था वह पावरलूम्स के बारे में। पावरलूम्स, उपाध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्यों को पता होगा कि जो छोटी छोटी यूनिट्स हैं उनमें फैक्ट्री एक्ट लागू नहीं हो सकता है। पावरलूम्स में जो काम करने वाले मजदूर हैं उनके हितों की रक्षा हो इसलिए उनको हम मिनिमम वेजेज एक्ट के अन्दर ले रहे हैं। मिनिमम वेजेज एक्ट में 8 घन्टा काम कराना चाहिए यह भी हमने तय किया है। उपाध्यक्ष महोदय, इस पर अमल कराना शुरू कर दिया है। उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने शिकायत की है कि उनसे ज्यादा से ज्यादा काम लिया जाता है। हालांकि इसमें एक दिक्कत अवश्य है कि पावरलूम्स में जो मजदूर काम करते हैं उनको पीस रेट के हिसाब से मजदूरी मिलती है। जो एक गज कपड़ा बुनता है तो मजदूरी उसके हिसाब से मिलती है तो वह भी अधिक से अधिक काम करना चाहते हैं, इसके कारण से जो 8 घन्टे का प्रावधान हम कायम करेंगे वह बहुत मुश्किल से ·····

श्री केशरीमल : यही व्यवस्था मिलों में है। वहां पर भी वीवर्स को पीस रेट से मजदूरी दी जाती है।

श्री रामगोपाल : छंगाणी जी जल्दी जल्दी खत्म करें। मुख बन्द होने वाला है। समय खत्म होने वाला है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : पावरलूम्स के बारे में जो दिक्कत है उसमें शीघ्र ही कार्यवाही की जायगी और यह देखूंगा कि 8 घन्टे ही उसमें काम किया जाय।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे 73-74 का वर्ष यानी 73 के अप्रेल से औद्योगिक शांति के मामले में मेरे ख्याल से राजस्थान काफी ठीक रहा है। मैं कुछ, उपाध्यक्ष महोदय, आपके द्वारा सदस्यों को जानकारी देना चाहूंगा कि अभी 71—72 में हमारे यहां कुल 36 स्ट्राइक हुए थे और 24046 वर्कर्स इन्वाल्व्ड थे और 3,17,624 मैनडेज का लॉस हुआ था तो 73-74 में 16 स्ट्राइक हुई, 5422 वर्कर्स इन्वाल्व्ड थे और 1,20,706 मैनडेज का लॉस हुआ। इसलिए मैं यही कह सकता हूं कि उक्त साल काफी शान्ति का साल रहा।

इसके बाद, उपाध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि हड़तालों के कारण एक भ्रान्त धारणा फैल रही है कि मजदूरों के कारण उत्पादन घट रहा है। यह बहुत बड़ी धारणा फैल रही है···

श्री रामकिशन : यह कौन फैला रहा है।

श्री मोहनलाल छंगाणी : यह आप फैला रहे हैं।

श्री रामकिशन : यह आपकी किताब निकली है उसमें है ...

श्री मोहनलाल छंगाणी : हमारा इन्टरप्रिटेशन दूसरा है। आप लोग जैसे लोकोमैन ने किया है बाटलनेक क्रियेट मत करिये। रेल्वे स्ट्राइक हुई तो बिहार से कोयला आना बन्द हो जायगा। हमारी निश्चित नीति है कि मजदूर अपनी मांगों के लिए लड़ें लेकिन बाटलनेक मत पैदा कीजिये। जिस तरह से बिजली का महकमा हड़ताल कर दें तो सारा का सारा काम ठप्प हो जायगा। इस तरह से बाटलनेक क्रियेट करने से सारा का सारा प्राइस स्ट्रक्चर बदल जाता है। फिर भी उपाध्यक्ष महोदय, ज्यादा प्रोडक्शन में कमी आ रही है उसके लिए निश्चिततौर से हड़तालें जिम्मेवार नहीं हैं जितना कि इन्वेस्टमेंट जिम्मेदार है। सारे फैक्टर्स प्रोडक्टिविटी के लिए जिम्मेदार हैं। अपने हिन्दुस्तान में 71-72 में जो इन्वेस्टमेंट क्रियेट थी वह डिक्लाइन हुई है। उसके कई कारण हैं। उसका कारण स्ट्राइक्स हो सकते हैं, अकाल हो सकता है, बाढ़ें हो सकती हैं। मजदूर अपने हकों के लिए लड़ें यह राजस्थान सरकार की निश्चित नीति है। हम उनके बुनियादी अधिकार कायम रखना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जो बेसिक इण्डस्ट्रीज हैं उनमें स्ट्राइक नहीं करना चाहिए और समझौता वार्ता को काम में लिया जाय तो काफी हल निकल सकता है। अभी जितने झगड़े फिसाद और हड़तालें हुई हैं उनका परिणाम समझौते से अच्छा निकला है। मैं नहीं कहता कि मजदूर लड़ें नहीं, लेकिन लड़ाई से मजदूरों के हितों को हानि होती है। इसलिए उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से रामकिशन जी को दरख्वास्त करना चाहता हूं कि वह अगर इस नीति को अपनायें और समझौते को अमल में लाया जाय तो मेरे ख्याल से वह औद्योगिक शान्ति में ज्यादा योगदान दे सकेंगे ...

श्री जयकिशन लाल : मेरा एक निवेदन है...

श्री मोहनलाल छंगाणी : आप निवेदन बाद में कर लें।

उपाध्यक्ष महोदय, वैसे हमने बहुत मौजूं निर्णय लिया है और वह यह है कि राजस्थान एडवाइजरी बोर्ड का निर्णय लिया है जिसको अमल में लाया जा रहा है। अब हमने निर्णय लिया है कि ज्वाइन्ट मैनेजमेंट कौन्सिलें बनाई जायें। जिस कारखाने में 500 से ज्यादा मजदूर काम करते हैं उस यूनिट को ज्वाइन्ट मैनेजमेंट कौन्सिल अपनानी चाहिए।

दूसरी जो कमेटी हमने बनाई है जिसके चेयरमैन फाइनेन्स कमिश्नर रहेंगे और मिनिमम वेजेज एक्ट और शाप्स एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का जो इम्प्लीमेंटेशन होता है उसकी देखरेख करेगी। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आज एनाउन्स करता हूं कि वेजेज के बारे में, महंगाई के बारे में और वेजेज को प्राइस के साथ लिंक करने के बारे में कमेटी फंक्शन करना शुरू कर देगी और उनके रिप्रजेन्टेटिव उसमें रहेंगे।

Page No 144

१४४

(श्री मोहनलाल छंगाणी)

उपाध्यक्ष महोदय, रिआर्गेनाइजेशन श्राफ इन्सपेक्टोरेट श्रौर डाइरेक्टोरेट के बारे में जो काफी माननीय सदस्यों ने सवाल उठाये थे उसके बारे में हम पूरे का पूरा रिआर्गेनाइजेशन कर रहे है। नई पोस्टें क्रियेट कर रहे हैं कन्सीलियेशन के जो मेथड्स हैं उनको ज्यादा तेजी से लागू करने के लिए···

मुखबंद का प्रयोग एवं मांगों का पारण

(मुखबन्द की घण्टी)

श्री उपाध्यक्ष : मैं मुखबन्द का प्रयोग करता हूं, और अनुदान की मांगों पर मतदान कराता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि मांग संख्या 19 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,60,16,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 19 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 20 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,95,47,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 20 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 21 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 10,35,98,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 21 स्वीकार की गई।

श्री रामकिशन : यह तो पूछ लीजिये कि किस बात के लिए हां कर रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष : आर्डर प्लीज।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 23 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,94,81,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 23 स्वीकार की गई।

शेष मांगों का पारण

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 1 के संबंध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 36,09,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 1 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 2 के संबंध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 61,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या 2 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 7 के संबंध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 85,61,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 7 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 10 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 14,98,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 10 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 11 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 24,41,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 11 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 12 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,79,26,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 12 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 14 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 16,88,86,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 14 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 15 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 28,38,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 15 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 17 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,03,76,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 17 स्वीकृत की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 18 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,87,09,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या 18 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 22 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 4,67,33,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 22 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 28 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,51,87,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 28 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 29 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 53,06,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 29 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 30 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 1,65,93,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 30 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 31 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 32,33,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 31 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 33 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 13,21,14,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 33 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 34 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 44,80,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 34 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 37 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 13,56,59,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

(श्री उपाध्यक्ष)

मांग संख्या 37 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 39 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 3,75,38,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 39 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 42 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 36,56,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 42 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 44 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 2,49,57,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 44 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 46 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 13,93,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 46 स्वीकार की गई।

प्रश्न यह है कि मांग संख्या 47 के सम्बन्ध में 31 मार्च, 1975 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को 95,99,000 रुपये तक की राशि प्रदान की जावे।

(स्वीकृत)

मांग संख्या 47 स्वीकार की गई।

माननीय मन्त्री जी। विधायी कार्य।

विधेयक का पुरःस्थापन

राजस्थान विनियोग (सं.1) विधेयक, 1974

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या 1) विधेयक, 1974 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : प्रश्न यह है कि राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1974 को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाये।

(स्वीकृत)

विधेयक को पुरः स्थापित किये जाने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री चन्दनमल बैद : उपाध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1974 को पुरः स्थापित करता हूं।

श्री उपाध्यक्ष : राजस्थान विनियोग (संख्या-1) विधेयक, 1974 पुरः स्थापित हुआ।

सदन की कार्यवाही कल दिनांक 28 मार्च, 1974 के प्रातः 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की कार्यवाही सायं 4 बजकर 39 मिनट पर वृहस्पतिवार दिनांक 28 मार्च, 1974 के प्रातः 11-00 बजे तक के लिये स्थगित की गई।)

परिशिष्ट 1

(तारांकित प्रश्न संख्या 502 की सूची)

सेवा में,

श्रीमान् प्रधानाध्यापक महोदय,
रा० उ० मा० वि० मण्डावर।

विषय : कल दिनांक 11-1-73 को शाम 5 बजे मेरे साथ पब्लिक मण्डी, मण्डावर द्वारा बेरहमी से मारपीट व छीना झपटी के क्रम में।

मान्यवर,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि मैं कल शाम स्कूल समाप्त कर जा रहा था तो मार्ग के चौराहे पर पहुंचते ही पब्लिक के 10-12 आदमियों ने मुझे पकड़ करके मारपीट को मेरे साथी अध्यापकों ने बचाने की कोशिश भी की परन्तु मैंने धक्का-मुक्की मारपीट बरदाश्त करते हुए भाग कर पुलिस चौकी मन्डी में शरण ली। मैंने उक्त वाके में जो कुछ नजर जाहिर किया तो दलाल रिखबचन्द, महेन्द्र जैन, विमलचन्द जैन, किसनलाल जैन, मोतीलाल कजोडी लाल मास्टर तथा छाजूराम आड़तिया और ज्ञानचन्द दलाल आदि के जो कुछ मारपीट कर रहे थे तथा कुछ खेंचातानी गाली-गलौच कर रहे थे। यदि मेरे साथ वाले न हों और पुलिस चौकी में जा शरण न लेता तो शायद जान से मार डालते। चौकी पर भी दो घन्टे तक झुके रहे तथा कहते रहे कि निकलते ही जान से मारेंगे।

जब मैं अन्दर पुलिस चौकी में हौंसले में आया तो मैंने अपनी जेब संभाली तो मेरे 410रु. थे वे किसी के द्वारा निकाल लिये और यही जाहिर हुआ कि इन लोगों के द्वारा साजिश कर मारपीट करके रुपये छीनने की थी। अब ये सभी लोग धमकी देते हैं कि जहां मिलेंगे वहीं मारेंगे। अतः मुझे आने जाने में जान का पूरा अन्देशा है। ऐसी सूरत में निवेदन है कि इन्हें पाबन्द करवा के सख्त सजा दिलायें और मेरा हरजाना तथा छीने हुए रुपये दिलवायें।

11/1/73

प्रार्थी
ह०
(जगदीश चन्द्र कौशिक)
स० अ०, रा० उ० मा० वि०
मण्डावर।

प्रतिलिपि :—

1. एस. डी. ओ. हिण्डौन फोर इन्फोरमेशन
2. आई० ओ० एस० करोली, एन०/ए०
3. डायरेक्टर, बीकानेर फोर इन्फोरमेशन

कार्यालय प्रधानाध्यापक रा० उ० मा० वि० मण्डावर
महुवा रोड (राज०)

क्रमांक 2117   दिनांक 12-1-73

मूल आवेदन-पत्र श्री विद्यालय निरीक्षक करोली, जिला सवाई माधोपुर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

ह० दुर्गाप्रसाद अग्रवाल,
12-1-73
प्रधानाध्यापक,
राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, मन्डावर
महुवा रोड (राज०)

परिशिष्ट 2

(तारांकित प्रश्न संख्या 507 की सूची)

क्र. सं.	नाम अभिकरण	पंचायत समिति, पीसांगन	श्रीनगर	केकड़ी	किशनगढ़	अराई	भिनाय	जवाजा	मसूदा	योग
1.	सार्वजनिक निर्माण विभाग									
(I)	अधिशाषी अभियन्ता, सा. नि. वि. (भवन व पथ) अजमेर	5066-21	8480-61	22609-85	14587-86	5010-58	21702-38	12682-04	9611-68	99751-21
(II)	सा० नि० विभाग राष्ट्रीय उच्च मार्ग, अजमेर।	अजमेर बाई पास 656-18	किशनगढ़ बाई पास 1615-96		ब्यावर बाई पास 633-02					2905-16
2.	सिचाई विभाग अधिशाषी अभियन्ता, सिचाई विभाग, अजमेर	तहसील अजमेर 7804-00	ब्यावर 1412-96	केकडी 3877-13	किशनगढ़ 4595-28	सरवाड़ 1582-10				19271-47
3.	वन विभाग वन मण्डल अधिकारी, अजमेर।	पं० सं० श्रीनगर 190-50	केकडी 60-50	किशनगढ़ 972-96	भिनाय 34-38	जवाजा 187-75	मसूदा 5-32			1451-41
									कुल योग :—	1,23,379-25

परिशिष्ट 3

(तारांकित प्रश्न संख्या 514 की सूची)

परिशिष्ट 'क'

दिनांक 1-3-74 तक मैसर्स जयपुर उद्योग लिमिटेड को दिये गये ऋणों की बकाया राशि का विवरण :—

(क) राज्य सरकार द्वारा दिये गये ऋण का विवरण :—

क्र.सं.	कम्पनी का नाम	स्वीकृत ऋण की राशि	शेष ऋण	बकाया राशि की देय किश्त की तिथि
1	दी जयपुर उद्योग लि०	60 लाख रुपये	6,66,000/- रुपये	(1) 31-3-74 (2) 31-3-75
2—	,,	25 लाख रुपये	25 लाख रु०	(1) 31-3-74 (2) 31-3-75
			31,66,000/-	

(ख) राजस्थान वित्त निगम द्वारा दिये ऋण का विवरण

(1) दी जयपुर उद्योग लि० 20 लाख रुपये 7,37,178-73

दी जयपुर उद्योग लिमिटेड के विगत 3 वर्षों के हानि लाभ का विवरण

1970-71	लाभ	10-32 लाख रु०
1971-72 (15 माह)	हानि .	79-33 लाख रु०
1972-73	हानि	89-60 लाख रु०

दी जयपुर उद्योग लिमिटेड की आखरी बैलेन्स शीट दिनांक 30-6-73 के अनुसार उनकी पेड अप केपीटल एवं देनदारियां निम्नानुसार थीं—

(1) पेड अप केपीटल	3,75,00,000/- रुपये
(2) देनदारियां	8,29,13,541/- रुपये

परिशिष्ट 4

(समयाभाव के कारण न लिये गये तारांकित प्रश्नोत्तर)

लाल बहादुर शास्त्री कालेज के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच

516. श्री भानुकुमार शास्त्री-(उदयपुर): क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार को लालबहादुर शास्त्री कालेज, जयपुर की व्यवस्था के सम्बन्ध में शिक्षक संघ, छात्रों व जनता के कई व्यक्तियों की ओर से समय समय पर कई आरोप-पत्र प्राप्त हुए हैं ?

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य सरकार द्वारा सेवानिवृत्त आई. ए. एस. अधिकारी श्री कक्कड़ तथा मुख्य लेखाधिकारी श्री के. डी. भार्गव को जांच के लिये नियुक्त किया गया था ?

(3) क्या यह सही है कि राज्य सरकार को उनमें से एक अधिकारी ने अपना जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ? यदि हां, तो इसकी प्रति सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(4) क्या यह सही है कि इस जांच प्रतिवेदन में गबन, घोटाले व धन का दुरुपयोग आदि अनियमितताओं का उल्लेख है ? यदि हां, तो राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की है ?

उत्तर

(1) जी हां। कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(2) जी, हां।

(3) जी, हां। मुख्य लेखाधिकारी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है।

(4) जी, हां। इस जांच प्रतिवेदन पर श्री कक्कड़ की रिपोर्ट प्राप्त होने पर विचार कर पूर्ण रूप से निर्णय लिया जावेगा।

निगम की बसें

516. श्री वृद्धिचन्द्र जैन-(बाड़मेर): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी बसें किन किन मार्गों पर चल रही हैं ? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें।

(2) इसमें राज्य एवं निगम की कितनी राशि लगी हुई है ? और उक्त राशि के अलावा किस किस प्रकार अन्य स्थानों से राशि लगी हुई है ?

(3) गत तीन वर्षों में निगम को कितनी हानि लाभ हुआ ?

(4) राज्य सरकार परिवहन मार्गों का सन् 73-74 में कितने प्रतिशत राष्ट्रीयकरण कर देगी ? तथा पचास प्रतिशत मार्गों का राष्ट्रीयकरण कब तक कर दिया जायेगा ?

152

उत्तर

(1) सूची सदन के पटल पर रख दी गयी है।

(2) निगम में पूंजी का विनियोजन निम्न प्रकार है:—

	लाखों में
1— राज्य सरकार का पूंजी अंशदान	रु० 273-00
2— केन्द्रीय सरकार का पूंजी अंशदान	रु० 82-50
	रु० 355-50

ऋण:— ब

1— कनारा बैंक	रु० 67-67 लाख
2— हिन्दुस्तान कोमर्शियल बैंक	रु० 49-99 लाख
3— बैंक ऑफ राजस्थान	रु० 50-00 लाख
4— स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर।	रु० 42-00 लाख
5— भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की बिल रि-डिस्काउन्टिंग स्कीम के तहत प्राप्त ऋण	रु० 102-88 लाख
कुल योग	रु० 312-54 लाख
कुल योग अ व ब	668-04 लाख

3— गत तीन वर्षों में निगम को निम्न प्रकार लाभ रहा :—

1970-71	रु० 22-32 लाख
1971-72	रु० 6-72 लाख
1972-73	रु० 10-85 लाख
1973-74	रु० 24- लाख (अनुमानित)

(4) वर्ष 1973-74 तक 25% मार्गों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है एवं पांचवी पंचवर्षीय योजना अवधि में शत प्रतिशत मार्गों के राष्ट्रीयकरण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

विराट नगर में अकाल राहत कार्यों के अन्तर्गत सड़कों पर व्यय की गई राशि

517. **श्री हनुमान सहाय व्यास** (बैराठ) : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सच है कि अकाल राहत कार्यों के तहत विराटनगर (बैराठ) जिला जयपुर में सड़क निर्माण कार्यों को प्रारम्भ किया गया था ? यदि हां, तो किस किस सड़क पर कितना कितना कार्य किया गया ? और कितनी कितनी धनराशि व्यय की गई और इस धनराशि में से कितनी कितनी राशि का किस किस सड़क के मौके पर कितनी कितनी राशि का मेटेरियल पड़ा हुआ है ?

(2) क्या यह सच है कि सरकार इन अधूरी सड़कों को पूरा कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? और नहीं तो क्यों ?

उत्तर

(1) जयपुर जिले की तहसील बैराठ में वर्ष 1972-73 तथा 73-74 में अकाल राहत सड़कों पर कार्य आरम्भ कराया गया था।

वांछित सूचना सूची (अ) में प्रस्तुत है।

(2) राहत कार्यों में बनी अधूरी सड़कों को प्राथमिकता उपयोगिता को ध्यान में रखते हुए पूरा कराये जाने की योजना विचाराधीन है।

Page No 154

सूची

नाम सड़क	कार्य विवरण	व्यय 1972-73
1. साईवाड से बाडी जोडी	मिट्टी का कार्य 3½ कि० मी०	6621/-
2. साईवाड से बिसनगढ़	मिट्टी का कार्य 6½ कि० मी०	4323/-
3. मनोहरपुरा से मेड	मिट्टी का कार्य 10 कि० मी०	—
4. मील 54 जयपुर अलवर सड़क से कुहाडा	मिट्टी का कार्य 4 कि० मि०	19801/-
5. बराठ से छितोली	मिट्टी का कार्य 6 कि० मि०	—
6. भीलवाड़ी से बास उदयसिंहपुरा	मिट्टी का कार्य 2 कि० मि०	19819/-

ग

धनराशि	विवरण मेटिरियल जो मौके पर पड़ा हुआ है ।					
1973-74 फरवरी 74 तक	सोलिंग	कीमत	रोडी	कीमत	मोरिन्डा	कीमत
74642/-	1535 घनमीटर	16309/-	1250 घनमीटर	20143/-	—	—
115680/-	2400 घनमीटर	24600/-	1335 घनमीटर	21026/-	—	—
192915/-	6184 घनमीटर	55655/-	1674 घनमीटर	24273/-	—	—
84862/-	2047 घनमीटर	19451/-	1374 घनमीटर	20600/-	208 घनमीटर	1771/-
137469/-	5352 घनमीटर	50841/-	1130 घनमीटर	16950/-	—	—
29269/-	840 घनमीटर	6930/-	700 घनमीटर	9625/-	140 घनमीटर	1015/-

नवीन वेतनमान में अध्यापकों का वेतन निर्धारण

518. श्री नाथूराम (बागीडोरा): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) राजस्थान में कुल कितने अध्यापक किस किस वर्ग में दिनांक 31-12-73 को कार्य कर रहे थे? इनमें से कितने अनुसूचित जनजाति के थे व उनका क्या प्रतिशत था?

(2) क्या यह सही है कि राज्य में नवीन वेतनमान में सभी अध्यापकों का वेतन निर्धारित नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों तथा ऐसे कितने अध्यापक किस किस वर्ग में हैं? सूची सदन की मेज पर रखने की कृपा करें। यदि नहीं तो रेशनेलाइज्ड पे स्केल, रिवाइज्ड पे स्केल, न्यू पे स्केल की विभिन्न वेतन शृंखलाओं में कार्य कर रहे अध्यापकों की जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(3) अध्यापकों के वेतन निर्धारण शीघ्र हो इसके लिए राज्य सरकार द्वारा क्या किसी योजना पर विचार किया जा रहा है? यदि हां, तो उसे कब तक क्रियान्वित कर दिया जाएगा? यदि नहीं, तो क्यों?

(स्थगित किया गया)

स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों को पेन्शन

519. श्री सांवरमल मोर ( ): क्या मुख्य मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि राजस्थान सरकार व भारत सरकार स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों को मासिक सहायता पेंशन के रूप में देती है? यदि हां, तो किन किन स्वतन्त्रता सेनानियों को कब से व कितनी राशि दी गई? सूची सदन की मेज पर रखने का कष्ट करें।

(2) क्या भारत सरकार से मिलने वाली पेंशन सब को मिलनी शुरू हो गई? अगर नहीं, तो अब कब से मिलनी शुरू हो जावेगी?

(3) क्या कुछ ऐसे प्रार्थना-पत्र भी सरकार के समक्ष विचाराधीन हैं जिनका निर्णय होना बाकी है? यदि हां, तो कितने प्रार्थना-पत्र तथा किन किन के हैं तथा उनका निपटारा कब तक हो जावेगा?

(स्थगित किया गया)

कोटपूतली कालेज की छात्र संख्या

520. श्री सुरेशचन्द्र (कोटपूतली): क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) कोटपूतली डिग्री कालेज में कितने छात्र अध्ययन करते हैं तथा इस कालेज में अध्ययन हेतु कितने कमरे उपलब्ध हैं?

(2) क्या यह सही है कि छात्र संख्या को देखते हुए भवन की कमी है? यदि हां, तो क्या सरकार भवन हेतु राशि स्वीकृत करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राजकीय महा विद्यालय, कोटपूतली में 1243 छात्र अध्ययन कर रहे हैं। छात्रों के अध्ययन हेतु 10 कमरे उपलब्ध हैं।

(शिक्षा मंत्री)

(2) जी हां। यह सही है कि छात्रों की संख्या देखते हुए भवन की कमी है। बजट में धनराशि उपलब्ध होने पर ही इस पर विचार किया जा सकेगा।

दवाई की दुकान पर छापे

521. श्री जनार्दनसिंह गहलोत (गांधीनगर, जयपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या राज्य में किन्हीं नकली दवाइयां बेचने वाली दुकानों पर छापे मार कर नकली दवाइयां बरामद भी की गई हैं ? यदि हां, तो यह दुकानें किस किस क्षेत्र में पकड़ी गई और उनके यहां कितनी कितनी राशि की नकली दवाइयां बरामद हुई और इनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई ?

(2) क्या छापों के दौरान यह पता भी लगाया गया है कि इन नकली दवाइयों की निर्माता फर्म्स कौन कौन सी हैं ? यदि हां, तो क्या उनके विरुद्ध भी कोई कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो फर्मों का पता नहीं लगाने और उनके मालिकों पर अब तक कोई कार्यवाही न करने के क्या कारण हैं ?

उत्तर

(1) जी हां। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है। औषधियों की राशि बताना कठिन है। आवश्यक कार्यवाही दवाइयों के विश्लेषण की पूरी रिपोर्ट आने पर ही हो सकेगी।

(2) जी हां। इनके विरुद्ध कार्यवाही दवाओं के विश्लेषण की पूरी रिपोर्ट आने पर ही करना सम्भव हो सकेगा।

(सूची विस्तृत होने के कारण विधान-सभा पुस्तकालय में रखी गई)

जवाई बांध में बाढ़ से क्षति

522. श्रीमती समुद्र कंवर ( ): क्या सिचाई मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि गत वर्षों में जवाई बांध का पानी बाढ़ के साथ साथ छोड़ने से जालोर जिले में भयंकर बाढ़ आ गई थी जिससे इस क्षेत्र में काफी तबाही हो गई ?

(2) क्या यह सही है कि यदि मौसम विभाग के अनुसार जवाई बान्ध का पानी छोड़ा जाता तो जालोर जिले में हुई तबाही कम होती ? यदि हां, तो ऐसा क्यों नहीं किया गया ?

(3) क्या यह सही है कि जवाई बान्ध से बाढ़ के समय छोड़े गये पानी के सम्बन्ध में जिलाधीश जालोर ने राज्य सरकार को रिपोर्ट भेजी थी ? यदि हां, तो क्यों तथा उस पर क्या कार्यवाही की गई ?

(4) क्या राज्य सरकार जवाई बान्ध से गलत तरीके से पानी छोड़े जाने के सम्बन्ध में कोई जांच कराने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी हां।

(सिंचाई मंत्री)

(2) मौसम विभाग केवल जवाई बांध के लिए कोई सूचना अलग से नहीं भेजता है इसलिए इसका प्रश्न नहीं उठता ।

(3) जिलाधीश जालौर ने 12-9-1973 को एक रेडियोग्राम सहायता आयुक्त एवं सिंचाई आयुक्त को भेजा था जो कि विचाराधीन है ।

(4) जवाई बांध से पानी छोड़ने में अनियमितता नहीं हुई है । अतः जांच करवाने का प्रश्न नहीं उठता ।

हायर सैकेण्डरी स्कूल बाड़ी

523. श्री रामलाल ( ) : क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

क्या यह सही है कि हायर सैकेण्डरी स्कूल बाड़ी इस सत्र में काफी दिनों तक बन्द रहा ? यदि हां, तो क्यों व कितने दिन ?

उत्तर

यह सही नहीं है ।

तहसील सराड़ा में आदिवासी खण्ड खोलने का मामला

524. श्री देवीलाल ( ) : क्या समाज कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे: –

क्या यह सही है कि जिला उदयपुर, तहसील सराड़ा में आदिवासियों की अधिकतम संख्या की आबादी को देखते हुए आदिवासी खण्ड खोलने का विचार राज्य सरकार द्वारा किया गया है ? यदि हां, तो क्या योजना स्वीकार हो चुकी है ?

उत्तर

जी नहीं । भारत सरकार ने अब आदिवासी विकास खण्ड खोलने की योजना समाप्त कर दी है । इसके स्थान पर आदिवासी क्षेत्र सर्वतोमुखी विकास योजना तैयार की गई है जिसमें यह तहसील सराडा भी शामिल है ।

चित्तौड़गढ़ जिले की सिंचाई योजनाएं

525. श्रीमती निर्मला कुमारी ( ) :क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में कौन कौन से माध्यम से सिंचाई योजनाएं बन सकती हैं तथा कितनी योजनाओं का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है ?

(2) पंचम पंचवर्षीय योजना में क्या बेड़च नदी पर घोसुण्डा नामक स्थान पर तथा वागन नदी पर गरदाना नामक स्थान पर मध्यम सिंचाई योजना के अन्तर्गत बान्ध बनने की सम्भावना है ?

उत्तर

(1) चित्तौड़गढ़ जिले में सिंचाई विभाग द्वारा नदी, नालों पर बांध बनाकर गुरुत्व बहाव एवं पानी उठाने की सिंचाई योजनायें बनाई जा सकती हैं ।

आठ मध्यम सिंचाई योजनाओं का सर्वेक्षण कार्य पूरा हो चुका है तथा 11 लघु सिंचाई योजनाओं का सर्वेक्षण कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है ।

(सिंचाई मन्त्री)

2. पंचम पंचवर्षीय योजना काल में बेड़च नदी पर घोसुण्डा बांध बनाने की मध्यम सिंचाई योजना का कार्य कराना सरकार के विचाराधीन है। गरदाना योजना को पंचम पंचवर्षीय योजना में शामिल करना सम्भव नहीं हो सकेगा।

माण्डल तहसील के अकाल सहायता कार्यों पर लगे मजदूरों की बकाया

526. श्री विजयसिंह राठौड़ ( ): क्या अकाल राहत मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) क्या यह सही है कि माण्डल तहसील में अकाल राहत कार्यों के चुकारे के समय जो जो मजदूर अनुपस्थित थे उनमें से कई का चुकारा जनवरी सन् 1973 से मार्च सन् 1974 तक का ज्यों का त्यों बाकी है? यदि हां, तो ऐसे कुल कितने व्यक्ति हैं जिनका चुकारा करना अब तक शेष है?

(2) क्या अब जब कि अकाल राहत कार्य बन्द हुए सात माह गुजर चुके हैं ऐसे अनपेड वालों का चुकारा संभव हो सकेगा?

(3) क्या यह सही है कि इसी तहसील के टहुका तालाब के राहत कार्य का अनपेड का चुकारा सन् 1967 का एवं कनक सागर चीताम्बा का अनपेड का चुकारा सन् 1970 का अब तक नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि टहुका तालाब की सन् 1967 की और कनकसागर तालाब चीताम्बा की सन् 1970 को अनपेड की रकम सम्बन्धित कर्मचारियों द्वारा फर्जी अंगूठे लगाकर उठाली है? यदि हां, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में जांच करा, दोषी व्यक्तियों को सजा देने का विचार रखती है?

(5) सन् 1973 के अकाल राहत के अनपेड का चुकारा यदि संभव हुआ तो जिला हैड क्वार्टर पर किया जायगा अथवा जहां का अनपेड है वहीं पर?

उत्तर

(1) मांडल तहसील में अकाल राहत कार्यों के चुकारे के समय जो मजदूर अनुपस्थित मिले उनमें से कुछ का अनपेड मजदूरी का चुकारा बाकी है। अभिकरणवार बकाया राशि एवं श्रमिकों की संख्या का विवरण सदन की मेज पर प्रस्तुत है।

(2) जो हां।

(3) टहूंका तालाब पर वर्ष 1967 में कोई भी राहत कार्यों के अंतर्गत नहीं कराया गया था। अतः इस अवधि के किसी चुकारे के बकाया होने का प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता। जहां तक कनक सागर, चीताम्बा कार्य का सम्बन्ध है वर्ष 1970 की कुछ बकाया मजदूरी का चुकारा किया जाना शेष है। इन पुरानी गत वर्षों की देनदारियों के चुकारे के बाबत सूचना एकत्रित कराई जा रही है। इकजाइ सूचना उपलब्ध होते ही वित्त विभाग से स्वीकृति प्राप्त करके चुकारे की व्यवस्था की जावेगी।

(4) यह सही नहीं है।

(5) वर्ष 1973 के अनपेड मजदूरी के जो मामले हैं उनका चुकारा जिला हैड क्वार्टर पर बुलाकर नहीं किया जावेगा वरन यह चुकारा तहसीलदारगए संबंधित श्रमिकों को उनकी सुविधा को देखते हुए एवं कितने श्रमिकों को कहां कहां चुकारा करना है इसको देखते हुए चुकारे का स्थान तय करके करेंगे।

160

अभिकरणवार बकाया राशि एवं श्रमिकों की संख्या का विवरण

क्रम संख्या	नाम अभिकरण	राशि अनपेड वेजेज	श्रमिक संख्या जिनकी मजदूरी बाकी है
1.	सिंचाई	3114.71	198
2.	भू-संरक्षण	3267.35	186
3.	सार्वजनिक निर्माण विभाग	637.35	186
4.	वन	—	—

——

अध्यापकों में नशीली चीजों का सेवन करने का व्यसन

527. श्री लूणाराम : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:—

(1) क्या यह सही है कि अध्यापकों में मदिरा एवं मादक द्रव्य इत्यादि नशीली चीजों का सेवन करने के बारे में शिक्षा विभाग द्वारा कोई पाबन्दी लगाई गई है ? यदि नहीं, तो क्या इसका असर पड़ने वाले शिशुओं के चरित्र पर पड़े बिना रहेगा ?

(2) यदि नहीं, तो क्या सरकार इन व्यसनों की रोकथाम का उपाय सोच रही है यदि हां, तो क्या क्या ? और नहीं तो क्यों नहीं ?

उत्तर

राज्य सरकार द्वारा राजस्थान सिविल सर्विसेज कन्डेक्ट रूल्स, 1971 के अनुसार कोई भी राज्य कर्मचारी मदिरा एवं मादक द्रव्य इत्यादि नशीली वस्तुओं का सेवन कर सार्वजनिक स्थान पर नहीं जा सकता, न ही अपने कर्त्तव्य पर उपस्थित हो सकता है। अतः शिक्षा विभाग द्वारा अलग से आदेश निकालने का प्रश्न नहीं है। यदि कोई कर्मचारी इन आदेशों की अवहेलना करता पाया जाता है तो उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही उपरोक्त नियमों के अन्तर्गत की जाती है।

(2) प्रश्न के खण्ड एक में उत्तर दिया जा चुका है।

पी. एच. सी. छोटी सादड़ी में डाक्टर का रिक्त पद

528. श्री श्रीनिवास शारदा : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) छोटी सादड़ी पी. एच. सी. में कितने स्टाफ की स्वीकृति है ? और क्या स्वीकृति के अनुसार स्टाफ पूरा है ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त पी. एच. सी. में एक डाक्टर का स्थान काफी समय से रिक्त है ? यदि हां, तो इस स्थान की पूर्ति कब तक हो जावेगी ?

उत्तर

(1) उक्त पी. एच. सी. का स्वीकृत स्टाफ का ब्यौरा निम्न प्रकार है :—

क्र.सं.	पद	स्वीकृत सं.
1.	चिकित्सक	3
2.	कम्पाउण्डर ग्रेड II	2
3.	लेडी हैल्थ विजिटर	2
4.	सेनेटरी इन्सपेक्टर	1
5.	ए. एच. डब्लू.	3
6.	कम्प्यूटर	1
7.	वेक्सीनेशन सुपरवाइजर	1
8.	ए. एन. एम.	9
9.	फेमिली प्लानिंग हैल्थ सहायक	4
10.	वेक्सीनेटर	4
11.	वाहन चालक	1
12.	चतुर्थ श्रेणी	7

स्वीकृति के अनुसार स्टाफ पूरा है।

(2) जी हां, दिनांक 15-6-73 के बाद से यह पद रिक्त रहा। दिनांक

उत्तर

11-12-73 को एक लेडी डाक्टर का पद-स्थापन किया गया था किन्तु वह प्रसूती अवकाश पर है तथा शीघ्र ही उनके कार्य-भार संभाल लेने की सम्भावना है।

नेशनल हाइ वे आगरा से बीकानेर की स्वीकृति

529. श्री शीशराम ओला : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे—

(1) नेशनल हाइ वे आगरा से बीकानेर के निर्माण की स्वीकृति कब हुई थी और क्या इसका कार्य सम्पूर्ण हो चुका है या अधूरा है ? यदि अधूरा है तो अब तक पूरा नहीं होने का क्या कारण है ?

उत्तर

(1) आगरा बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग 4-5-60 को भारत सरकार द्वारा घोषित किया था। सम्पूर्ण मार्ग बना हुआ है। सड़क को चौड़ा करने एवम् पुलों आदि का निर्माण चल रहा है, कार्य की प्रगति भारत सरकार द्वारा स्वीकृत धनराशि एवम् बजट प्रावधान पर निर्भर करती हैं।

पर्यटकों को बसों की सुविधा

530. श्री मोहम्मद गफ्फार अली : क्या मुख्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(1) क्या यह सच है कि साबिक में पर्यटकों को जयपुर शहर के मुकामात दिखाने के लिये राजस्थान सरकार की बसें काम में लाई जाती थीं और वह व्यवस्था दस साल तक रही ?

(2) क्या यह सच है कि ये बसें मुनाफे से चल रही थीं ?

(3) क्या यह सच है कि सन् 1972 में एक प्राइवेट बस मालिक को बगर नीलाम के यह काम संभला दिया गया और वह उसका अनुचित फायदा उठा रहा है अगर ऐसा किया गया तो क्यों ?

(4) क्या यह भी सच है कि आबू में राजस्थान रोडवेज को यह कार्य दिया गया है ?

(5) क्या यह सच है कि प्राइवेट बस मालिक से सरकार कोई रकम वसूल नहीं कर रही है ?

उत्तर

(1) जी हां। जी नहीं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। अनुचित लाभ उठाने का प्रश्न नहीं उठता। विभागीय बस खराब होजाने के कारण ऐसा किया गया।

(4) जी नहीं।

(5) जी हां।

आबू रोड-रानीवाड़ा सड़क पर सुधार कार्य

531. श्री भगराज चौधरी : क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :—

(श्री मगराज चौधरी)

क्या यह सही है कि आबू रोड से रानीवाड़ा की सड़क पर मंडार रानीवाड़ा के बीच कोलतार बिछाने एवं अन्य सुधार कार्यों हेतु वर्ष 1973-74 में करीब 2 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई थी ? यदि हां, तो इस सड़क पर अब तक कितना कार्य कर दिया गया है ? क्या स्वीकृतशुदा राशि से वित्तीय वर्ष के अन्त तक कार्य पूरा कर दिया जायेगा ?

उत्तर

मण्डारा रानीवाडा रोड के इम्प्रूवमेंट एवम् डामर कार्य हेतु वर्ष 1973-74 के बजट में जिला सिरोही एवम् जालोर जिले के क्रमश: 1.93 लाख तथा 1.80 लाख का प्रावधान था, किन्तु बजट कटौती के कारण सिरोही एवं जालोर जिले में उक्त कार्य हेतु 1.60 लाख तथा 38000/-रुपये का प्रावधान किया गया है ।

सिरोही जिले में 10 किलोमीटर का रिन्यूग्रल और 2½ किलोमीटर में डामर कार्य कराया गया है । जालोर जिले में इस सड़क पर अकाल राहत कार्यों में कार्य प्रगति पर था, अत: प्लान धनराशि व्यय नहीं की गई थी, अब स्वीकृत 38000/- रुपये का काम ठेकेदार ने आरम्भ कर दिया है और कार्य प्रगति पर है ।

[redacted]

164

परिशिष्ट 5

(तारांकित प्रश्न संख्या 500 की सूची)

(क)

प्रश्न संख्या—1

श्रीगंगानगर जिले में जीनिंग एवं प्रेसिंग तथा जीनिंग कारखाने मण्डीवार

श्री गंगानगर	धारा 2एम(1)	जीनिंग एवं प्रेसिंग	6
	धारा 2एम(1)	जीनिंग	16
	धारा 85 ए	जीनिंग आदि	5
केसरीसिंहपुर	धारा 2एम(1)	जीनिंग एवं प्रेसिंग	2
	धारा 2एम(1)	जीनिंग	2
	धारा 85 ए	जीनिंग आदि	7
श्रीकरनपुर	धारा 2एम(1)	जीनिंग एवं प्रेसिंग	2
	धारा 2एम(1)	जीनिंग	3
	धारा 85 ए	जीनिंग आदि	6
गजसिंहपुर	धारा 2एम(1)	जीनिंग एवं प्रेसिंग	2
	धारा 2एम(1)	जीनिंग	2
	धारा 85 ए	जीनिंग आदि	2
रायसिंहनगर	धारा 2एम(1)	जीनिंग एवं प्रेसिंग	1
	धारा 2एम(1)	जीनिंग	4
	धारा 85 ए	जीनिंग आदि	6
श्रीविजयनगर	धारा 2एम(1)	जीनिंग एवं प्रेसिंग	1
	धारा 2एम(1)	जीनिंग	1
	धारा 85 ऐ	जीनिंग आदि	7

सूरतगढ़	धारा 2एम(1)	जीनिंग	2
	धारा 85 ए	जीनिंग आदि	5
गोलूवाला	धारा 2एम(1)	जीनिंग	1
	धारा 85 ए	जीनिंग आदि	3
पीलीबंगा	धारा 2एम(1)	जीनिंग एण्ड प्रेसिंग	2
	धारा 2एम(1)	जीनिंग	3
	धारा 85 ए	जीनिंग आदि	4
सादूलशहर	धारा 2एम(1)	जीनिंग एवं प्रेसिंग	3
	धारा 2एम(1)	जीनिंग	5
	धारा 85 ए	जीनिंग आदि	1
हनुमानगढ़	धारा 2एम(1)	जीनिंग एवं प्रेसिंग	3
	धारा 2एम(1)	जीनिंग	8
	धारा 85 ए	जीनिंग आदि	4
संगरिया	धारा 2एम(1)	जीनिंग एवं प्रेसिंग	2
	धारा 2एम(1)	जीनिंग	4
	धारा 85 ए	जीनिंग आदि	7
पदमपुर	धारा 2एम(1)	जीनिंग एवं प्रेसिंग	1
	धारा 2एम(1)	जीनिंग	1
	धारा 85 ए	जीनिंग आदि	6
नोहर	धारा 2एम(1)	जीनिंग	2
	धारा 85 ए	जीनिंग आदि	4
रावतसर	धारा 85 ए	जीनिंग आदि	7
भादरा	धारा 85 ए	जीनिंग आदि	5

(ख)

श्री गंगानगर जिले का पिछले पांच वर्षों में हुई आग दुर्घटनाओं से घातक एवं अघातक व्यक्तियों का विवरण

वर्ष	क्रमांक	मण्डी का नाम	आग के कारण हुई दुर्घटना घातक	अघातक
1	2	3	4	5
1969	1	श्री विजयनगर	2	3
1970	1	श्री हनुमानगढ़	1	3
1971	1	बांधरा	1	3
	2	गंगानगर	4	1
1972	1	श्रीकरनपुर	—	2
	2	गंगानगर	6	4
	3	गजसिंहपुर	1	—
1973	1	रावतसर	1	2

(ग)

प्रश्न संख्या—4

श्रीगंगानगर जिले में पिछले पांच वर्षों में हुई जीनिंग एवं प्रेसिंग तथा जीनिंग फैक्ट्रीज में अन्य दुर्घटनाओं का विवरण

क्रमांक	मण्डी का नाम	वर्ष 1969	1970	1971	1972	1973
1—	श्रीगंगानगर	2	1	—	1	1
2—	श्रीविजयनगर	1	—	—	—	1
3—	पीलीबंगा	—	1	—	1	3
4—	रायसिंहनगर	—	1	—	—	—
5—	सादूलशहर	—	2	—	—	2
6—	संगरिया	—	—	1	—	—
7—	केसरीसिंहपुर	—	—	—	1	—
8—	श्रीकरनपुर	—	—	—	3	3
9—	पदमपुर	—	—	—	—	1
		3	5	1	6	11

Page No 167

(16.7)

परिशिष्ट 6

(तारांकित प्रश्न संख्या 504 की सूची)

सूची 'अ'

श्री वेगाराम चौधरी स० विधान सभा द्वारा उठाये गये प्रश्न के भाग–1 में वांछित ग्रामों की सूची

---

1. चक 9 पी० एफ० बी०
2. चक 3 एफ० एफ बी०

   (धान्डेवाला)

3. चक 4 एफ० एफ० बी०

   (कंवरपुरा)

4. 30 एम० एस०
5. 4 पी० एस०

(168)

परिशिष्ट 7

(अता. प्र. सं. 371 की सूची)

राज्य में अपंग, अपाहिज व्यक्तियों को मिल रही पेन्शन की जिलेवार सूची

क्र० सं०	नाम जिला	जिन व्यक्तियों को पेन्शन स्वीकृत की जा रही है उनकी संख्या
1.	बांसवाड़ा	18
2.	अजमेर	131
3.	सवाई माधोपुर	33
4.	बीकानेर	29
5.	चूरू	12
6.	जैसलमेर	57
7.	पाली	206
8.	अलवर	32
9.	झालावाड़	30
10.	गंगानगर	52
11.	कोटा	28
12.	भरतपुर	205
13.	चित्तौड़गढ़	72
14.	जालौर	4
15.	झुंझुनूं	1
16.	नागोर	159
17.	सीकर	40
18.	डूंगरपुर	30
19.	भीलवाड़ा	85
20.	सिरोही	31
21.	जयपुर	203
22.	उदयपुर	225
23.	बाड़मेर	51
24.	जोधपुर	105
25.	बून्दी	47
26.	टोंक	32
	योग	1655

परिशिष्ट 8

सूची अ (अतां. प्र. सं. 378 की सूची)

अतारांकित प्रश्न संख्या 220 अ० ता०

(लम्बाई किलोमीटर में)

नाम जिला	स्थिति 31-3-49			स्थिति 31-3-73		
	डामर	मेटल	ग्रेवल	डामर	मेटल	ग्रेवल
1. अजमेर	410	143	—	1243	115	109
2. अलवर	140	304	8	902	427	—
3. बांसवाड़ा	—	66	—	294	157	176
4. बाड़मेर	—	—	356	628	32	816
5. भरतपुर	98	467	16	957	411	61
6. भीलवाड़ा	—	26	2	592	286	147
7. बीकानेर	27	156	—	737	93	385
8. बून्दी	73	147	—	344	114	—
9. चित्तौड़गढ़	—	42	13	410	421	15
10 चूरू	5	320	—	629	173	26
11. डूंगरपुर	—	35	—	261	133	127
12. गंगानगर	—	2	—	1412	34	46
13. जयपुर	245	441	—	1193	307	—
14. जैसलमेर	—	—	—	637	96	401
15. जालोर	—	3	21	328	34	318

170

1	2	3	4	5	6	7	8
16.	जोधपुर	82	74	733	1155	104	746
17.	झालावाड़	—	335	6	351	338	11
18.	झूंझूनू	2	52	-	397	112	20
19.	कोटा	26	489	—	615	353	—
20.	नागौर	—	24	713	652	188	984
21.	पाली	—	325	145	568	315	660
22.	सवाई माधोपुर	27	222	—	393	364	—
23.	सीकर	—	26	—	481	204	8
24.	सिरोही	—	147	—	465	125	87
25.	टौंक	6	213	16	447	152	8
26.	उदयपुर	13	462	8	1285	371	954

नोट:—अजमेर की सड़कों का विवरण 31-3-56 का है।

परिशिष्ट 9

(अ. ता. प्र. सं 155 की सूची)

(स्थगित)

[सूची-अ]

अतारांकित प्रश्न संख्या 23 अ. ता. दिनांक

भूमि अवाप्ती अधिकारी बीकानेर द्वारा पदमपुर रायसिंहनगर से चक 39 आर. बी एप्रोच रोड़ में अवाप्त भूमि के संदर्भ में भिन्न भिन्न अधिकारियों को लिखे पत्रों की सूची ।

क्रमांक	पत्र संख्या	दिनांक	नाम अधिकारी जिसे पत्र लिखा गया
1	एफ. जी. 157/280	16- 9-70	अधिशाषी अभियन्ता, सा. नि. वि. भवन व पथ, गंगानगर
2	1367	20- 9-71	मुख्य अभियन्ता, राजस्थान, जयपुर ।
3	132	11- 2-72	जिलाधीश, गंगानगर ।
4	60	27- 1-73	जिलाधीश, गंगानगर ।
5	520	26- 9-73	अधिशाषी, अभियन्ता, गंगानगर
6	519	29- 9-73	अधिशाषी, अभियन्ता, गंगानगर
7	546	15-10-73	तहसीलदार, पदमपुर

172

शुद्धि-पत्र

बुधवार दिनांक 27-3-74

स्कंभ संख्या		पंक्ति संख्या	अशुद्ध	शुद्ध
15		4	यह यह	यह
26		1	ह	वह
44		3	नय	तय
44	से	14	भी वे	वे भी
79		4	सकण्डरी	सेकेण्डरी
94		3	खड़पने	तड़पने
,,		9	मा पीट	मारपीट
105	उपर से	9	बुलेटिन	गुलेटिन
140		3	संख्या 28	मांग संख्या 28
144		2	7५3	‌:37
152		11		
166	अन्तिम से	13	करया	किराया
186		16	निदेश	निर्देश
210	अं.िम से		‌ेरी	मेरे
1		12	उ‌का	उनका
213	तम से	8	करम	कार्य
214	,,	16	बार	बार-बार
221		7	निकला	निकाला
243	अंतिम से	5	भूख	

——